नगरीकरण एवं हिन्दू परिवार में सामाजिक परिवर्तन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

शोध प्रबन्ध

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

की पी.एच.डी.

की उपाधि हेतु प्रस्तुत

समाजशास्त्र

(समाज विज्ञान सकांय)

शोधार्थी

अन्नु मीणा

शोध–पर्यवेक्षक

डॉ0 राजबाला वशिष्ठ विभागाध्यक्ष,

समाजशास्त्र विभाग,

राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा (राज0)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

2017

CERTIFICATE

I feel great pleasure in certifying that the thesis entitled '**Urbanization and Social change in Hindu family : A Sociological Analysis'** **'नगरीकरण एवं हिन्दू परिवार में सामाजिक परिवर्तन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'** by Annu Meena under my guidance. She has completed the following requirements as per Ph.D regulations of the University.

(a) Course work as per the university rules .

(b) Residential requirements of the university (200 days)

(c) Regularly submitted annual progress report.

(d) Presented her work in the departmental committee.

(e) Published/accepted two research papers in the referred research journals, I recommend the submission of thesis.

Date-

Dr. Rajbala Vashistha

(Supervisor)

Head of the Department,

Department of Sociology,

Govt. Arts Girls College, Kota.

Candidate's Declaration

I, Annu Meena, Department of Sociology hereby declare that the work that is being embodied in this Ph.D. thesis entitled:

"नगरीकरण एंव हिन्दु परिवार में सामाजिक परिवर्तन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" **(Urbanization and Social change in Hindu family :A Sociological Analysis)** is my own bonafied work carried out by me under the Supervision of **Dr. Rajbala Vashistha**, H.O.D, Department of Sociology, Govt. Arts Girls College Kota. **The matter embodied in this thesis has not been submitted for the award of any other Degree**.

I declare that I have faithfully acknowledged given Credit to and referred to the research workers wherever their works have been cited in the text and body of thesis. I further Certify that I have not willfully lifted up some other's work, para, text, data, result, etc. reported in the journals, books, magazines, reports, dissertation, thesis etc. , or available at web-sites and included them in this Ph.D thesis and cited as my own work.

Date.............. **ANNU MEENA**

This is to certify that the above statement made by Annu Meena (Enrolment No. RS/816/11) is correct to the best of my Knowledge.

Date.............. (Research supervisor)

Department of Sociology

Government Arts Girls college, Kota

Thesis Approval for Doctor of Philosophy

This thesis entitled 'नगरीकरण एवं हिन्दु परिवार में सामाजिक परिवर्तन :एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'by Ms. ANNU MEENA submitted to the Department of Sociology in Govt. Arts Girls College Kota, University of Kota, Kota is approved for the award of Degree of Doctor of Philosophy.

Examiners
....
....
....

Supervisor(s)
....
....
....

Date : ....
Place : ....

आभार

संकल्प मानव में आत्म–विश्वास और दृढ़ निश्चय पैदा करता है जिनके द्वारा किसी कार्य को पूर्ण किया जाता है । संकल्प शरीर में सक्रियता का संचार करता है एवं व्यक्ति कर्मठता की ऊर्जा से भर जाता है, और व्यक्ति काम करने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाता है । परन्तु कोई भी कार्य यथार्थ रूप तभी ले पाता है जब उसमें हमारे आदरणीयजनों, मित्रों एवं शुभचिंतकों का अनवरत सहयोग हमे प्राप्त हो । प्रस्तुत शोध कार्य जिसका विषय **''नगरीकरण एवं हिन्दू परिवार में सामाजिक परिवर्तन – एक समाजशास्त्रोय अध्ययन''** भी मेरे स्वयं के साथ–साथ समस्त मार्गदर्शकों एवं आदरणीयजनों के परिश्रम का परिणाम है । जिनके प्रयासों से विषय पर यथोचित सामग्री जुटाने एवं उससे एक सुनिश्चित स्वरूप प्रदान हो सका ।

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध को व्यवस्थित और सुनिश्चित दिशा प्रदान के प्रति मैं आभारी हूँ, शोध–पर्यवेक्षक श्रृद्धेय **डॉ0 राजबाला वशिष्ठ, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा** की, जिन्होंने गुरू एवं सरंक्षक के दायित्व का एक साथ निर्वाह करते हुए मेरे शोध कार्य के दौरान आयी सभी कठिनाईयों का सामना करने के लिए मुझे सक्षम बनाया और जिनके अमूल्य विचार–विमर्श एवं प्रोत्साहन से शोध–प्रबन्ध पूरा हो सका ।

इस शोध अध्ययन के प्रति में समाजशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा एवं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा के समस्त व्याख्याताओं का सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सुयोग्य निर्देशन में यह शोध कार्य पूर्ण किया गया है । आपके समय–समय पर प्राप्त अमूल्य मार्गदर्शन, विद्वतापूर्ण निर्देशन एवं आलोचनात्मक सुझावों से शोध कार्य को गति मिल सकी । मैं शोध प्रबन्धन की सामग्री एवं तथ्य संकलन के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा एवं नगर विकास न्यास, कोटा के पुस्तकालयों, जिला पुस्तकालय, जिला सूचना केन्द्र कोटा के सभी कर्मचारिया को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जहाँ से मुझे समय–समय पर जर्नल्स–पुस्तकें आदि उपलब्ध हो सकी ।

इसी क्रम में मैं अपने मित्रों, विरेन्द्र कुमार, विधना जैन, बाबूलाल भील, नीतू बाला आर्य, तरन्नुम की भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस शोध ग्रन्थ को लिखने में समय–समय पर मुझे मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्द्धन किया । इसके अतिरिक्त मैं अपने परिवारजनों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने स्नेह एवं वात्सल्य से मुझे शोध प्रबन्ध हेतु प्रोत्साहित किया । मैं मेरे माता–पिता की हार्दिक आभारी हूँ, जिन्होंने पग–पग पर बड़े ही सहज ढंग से शोध कार्य को तीव्रता से पूर्ण करने के लिए मुझे प्रेरित

किया । मेरा यह शोध–प्रबन्ध उन्हीं के आर्शावाद एवं दुआओं का फल है । इस हेतु मैं मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामावतार मीणा एवं भाभी श्रीमती मिथलेश मीणा, सरोज मीणा, अजय मीणा, साथ ही साथ मेरे घनिष्ठ भ्राता घनश्याम मीणा, शिव मीणा एवं रजत मीणा का भी आभार ज्ञापित करती हूँ ।

इसी सन्दर्भ में डॉ0 जगदीश कुमार वर्मा, सेक्शन ऑफिसर, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का आजीवन ऋणी रहूँगी जिन्होंने कदम–कदम पर मुझे सम्बल एवं शक्ति प्रदान करने के साथ–साथ मेरे लिए एक प्रेरणा स्त्रात का कार्य किया । शोध–प्रबन्ध के सफल सम्पादन में धन्यवाद देती हूँ, शोध–गंगा, इनफिल्ब–नेट, गुजरात लाइब्रेरी का जहाँ से मेने 'आनलाइन' पुस्तकों एवं विद्वतापूर्ण आलेखों से सदंर्भ ग्रहण किया । मैं आभारी हूँ उन समस्त शोधार्थियों की जिन्होंने मेरे शोध से सम्बन्धित विषय पर पूर्व में कार्य किये हैं । इसके अतिरिक्त मैं अशोक कुमार मेवाडा जी की भी हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने शोध प्रबन्ध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मेरी सहायता की है।

शोध प्रबन्ध के गूढ़ तथ्यों की सहज विवेचना करके गहनता से विषय–वस्त को परिणाम–परक ध्येय तक ले जाने में, मेरे छात्र जीवन के मेरे आदर्श श्रृद्धेय गुरूजनों के प्रति में श्रृद्धा अर्पित करती हूँ ।

मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, नगरीय हिन्दू परिवार से सम्बद्ध उत्तरदाताओं का जिन्होंने मेरी साक्षात्कार अनुसूची का प्रेम के साथ स्वाभाविक उत्तर देकर शोध प्रबन्ध को प्रमाणिक व तथ्यपरक बनाने में मेरी भरपूर सहायता की है । इसी सन्दर्भ में मैं, आभार व्यक्त करती हूँ राजस्थान सोश्योलोजिकल एसोसिएशन (R.S.A.) का जिसकी आजीवन सदस्यता होने से मुझे समय–समय पर एसोसिएशन द्वारा मुद्रित विद्वतापूर्ण आलेख उपलब्ध हो सके ।

राजस्थान सोश्योलोजिकल एसोसिएशन के होने वाले संगोष्ठी एवं सेमीनार का हिस्सा बनते हुए मेंने शोध प्रबन्ध से सम्बन्धित विभिन्न विद्वानों से अमूल्य विचार–विमर्श एवं ज्ञान प्राप्त किया, जिसक लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध से सम्बन्धित नगर क्षेत्र, कोटा के उत्तरदाताओं के प्रति मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्य को आसान बनाया । शोध प्रबन्ध का सातत्य और सुगठित नियोजन बनाये रखने में मैं मेरे स्नेहित भतीजे ऋषभ कुमार मीणा का हृदय से आभार व्यक्त करती हू ।

मेरा विश्वास है कि नगरीकरण एवं हिन्दू परिवार में सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्रीय अध्ययन ज्ञान के उन्नयन एवं इस विषय–वस्तु पर आगे होने वाले अध्ययनों में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध 'मील के पत्थर' की तरह उपादेय सिद्ध होगा ।

अन्त में मैं प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में विभिन्न विद्वानों की रचना जिनसे मुझे शोध हेतु सन्दर्भ प्राप्त हुए के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ ।

शोधार्थी

अन्नु मीणा

भूमिका

नगरीकरण को आर्थिक विकास का एक सूचक माना जाता है । इस हेतु यह समग्र विकास के लिए सकारात्मक कारक के रूप में तीव्र गति से उभर रहा है । अर्थव्यवस्था की संवृद्धि के साथ–साथ इसके कस्बों एवं शहरों के आकार में विस्तार होता है । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध नगरीकरण एवं हिन्दू परिवार में सामाजिक परिवर्तन विषय पर आधारित है जो राजस्थान के कोटा जिले के 250 उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है । नगरीकरण के पश्चात् हिन्दू परिवार के बदलते प्रतिमानों को शोध प्रबन्ध के आधार पर देखने का प्रयास किया गया है ।

वर्तमान युग, संचार एवं प्रौद्योगिकी का युग है, जो भौतिकवाद से परिपूर्ण है । बढ़ती महँगाई, असीमित संसाधनों को पाने की ललक ने आज हमारी परिवार संरचना को भी प्रभावित किया है । नगरीकरण, विकास, रोजगार की उपलब्धता एवं बढ़ती महँगाई जैसे कई कारणों के कारण, परिवार का आकार छोटा होता जा रहा है । परिवार संयुक्त से एकाकी होते जा रहे हैं ।

नगरीकरण की तीव्र प्रकिया का वातावरण देखने के उपरांत शोध अध्ययन हेतु शोधार्थी ने नगरीय समाज का अध्ययन करने का निश्चय किया एवं वृहद हिन्दू समाज का एक अंग होने के कारण, हिन्दू परिवार को प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध में समाहित कर इसका सामाजिक रूप पदान किया गया है एवं अपने अनुभवों को व्यापकता देने हेतु कोटा नगर के हिन्दू पारिवारिक सदस्यों का विभिन्न चरों के माध्यम से अध्ययन कार्य किया गया ।

आज समूचा विश्व परिवार के भविष्य के प्रति विचारशील बन गया है । आधुनिक समाज के विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति का जीवन ही यान्त्रिक बन गया है । तकनीकी के इस युग में मानव एक रोबोट की भांति जीवन–यापन कर रहा है, भावनाहीन एवं सवेंदनहीन, जिसमें ना तो कोई भावना है और न ही किसी प्रकार की संवेदना और अगर परिवार में परस्पर रक्त संबंधियों के विषय में चर्चा करें तो एक ही छत के नीचे भी परस्पर संबंधी अपरिचित की तरह रहते हैं । व्यस्ततम जीवन शैली के कारण किसी को किसी के लिए समय नहीं है । सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नाटक, मंचन, खेल–कूद, भ्रमण आदि का नगर में किसी के पास समय नहीं है । इन व्यक्तिवादितापूर्ण मनोवृत्तियों ने सामुदायिक भावना का ह्रास किया है । अब रिश्तों में मात्र औपचारिकता परिलक्षित होती है । व्यक्ति अपने स्वयं के वैयक्तिक विकास करे, मात्र यही भावना नगर में दिखाई पड़ती है, जिससे संयुक्त परिवार टूट कर एकाकी में परिणित होते जा रहे हैं । प्रगति, विकास एवं नगरीय जीवनशैली एवं स्वार्थपूर्ण नगरीय मानसिकताओं के परिणामस्वरूप हिन्दू परिवारों

के प्रतिमान परिवर्तित हो रहे हैं । हिन्दू परिवारों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रतिमानों में तीव्र रूप से परिवर्तन आ गया है ।

परम्परागत मूल्य एवं आदर्श तो नाममात्र के रह गये हैं, हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में इनके अवशेष अभी बाकी हैं । इस नवीन स्तर में हिन्दू पारिवारिक सदस्यों ने अपनी–अपनी पारिवारिक भूमिकाओं में भी बदलाव ला दिया है । आधुनिक मूल्यों ने हमारे भारतीय समाज में प्रवेश कर रहन–सहन, खान–पान, परिवार की संयुक्तता, वेषभूषा आदि में बदलाव ला दिया है । इस बदलते परिवेश में हिन्दू परिवार का नगरीकरण के सदंर्भ में अध्ययन करना एक महत्ती आवश्यकता हो गया है ।

आज वर्तमान समाज का हर पक्ष विकास एवं परिवर्तनकारी योजनाओं से लाभांन्वित हो रहा है । इस परिस्थिति में परिवार के स्वरूप, आदर्श एवं प्रतिमानों का पूर्व की भाँति बने रहना दुष्कर प्रतीत होता है, क्योंकि संस्कृति भी निरन्तर प्रवाहमान की रहती है जो स्थिर नहीं है । इस प्रकार नगरीकरण के इस युग में इन परम्परागत आदर्शों, प्रतिमानों एवं मूल्यों को यथावत् बनाएं रखना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है ।

अध्याय योजना

प्रस्तुत अध्ययन को निम्न अध्यायों में विभक्त किया गया है। पृष्ठ संख्या

अध्याय–1 अवधारणा पृष्ठ 1–38

अध्याय–2 अनुसंधान प्रविधि एवं अध्ययन क्षेत्र पृष्ठ 39–56

अध्याय–3 नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ पृष्ठ 57–79

अध्याय–4 नगरीय हिन्दू परिवार की संरचना एवं सगंठन पृष्ठ 80–115

अध्याय–5 नगरीय हिन्दू परिवार में जातिगत वास्तविकता पृष्ठ 116–136

अध्याय–6 नगरीय हिन्दू परिवार में धार्मिक विश्वास एवं रीतियाँ पृष्ठ 137–158

अध्याय–7 नगरीय हिन्दू परिवार में महिलाओं की बदलती प्रस्थिति पृष्ठ 159–199

अध्याय–8 निष्कर्ष एवं सुझाव पृष्ठ 200–220

परिशिष्ठ

(1) संदर्भ सूची पृष्ठ 221–234

(2) व्यक्तिक अध्ययन पृष्ठ 235–238

(3) शोध पत्र पृष्ठ 239–245

(4) साक्षात्कार अनुसूची

<u>अनुक्रमणिका</u>

अध्याय–1

अवधारणा

- प्रस्तावना
- नगरो का उद्भव एंव विकास
- नगरों के प्रकार
- नगरीकरण का अर्थ एंव प्रक्रिया
- नगरीकरण के आधार
- परिवार : उद्भव व विकास
- परिवार
- हिन्दू परिवार
- हिन्दू परिवार की विभिन्न विशेषताएँ
- नगरीय परिवार की विभिन्न विशेषताएँ
- हिन्दू विवाह
- जाति व्यवस्था
- सामाजिक अर्न्तक्रिया
- धार्मिक संस्कार
- लैंगिक असमानता
- हिन्दु समाज में महिला प्रस्थिति
- हिन्दु परिवारों पर नगरीकरण का प्रभाव
- हिन्दू परिवारों में सामाजिक परिवर्तन एवं महिलाओं की परिवर्तित स्थिति
- सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यः
- साहित्य की समीक्षा

अध्याय–2

अध्ययन क्षेत्र एवं अनुसंधान प्रविधि

1. विषय की रूपरेखा एवं चुनाव
2. अध्ययन के उद्देश्य
3 अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन ईकाई का निर्धारण
4. अध्ययन पद्धति एवं यंत्रों का चुनाव
5. उपकल्पनाओं का निर्माण
6. अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन
7. तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या
8. सामान्यीकरण
9. अध्ययन का महत्व का निर्धारण
10. जाँच एवं पुनःपरीक्षण
11. भविष्यवाणी करना।

अध्याय–3

नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ

सारणी – 3.1 विश्व में नगरीकरण

सारणी – 3.2 भारत में कस्बो एवं नगरों की संख्या–2001–2011

सारणी – 3.3 भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया 1901–2011

सारणी – 3.4 राजस्थान में नगरीकरण

सारणी – 3.5 जिला स्तर पर नगरीकरण

सारणी – 3.6 उत्तरदाताओं की नगर निवास की अवधि के आधार पर वर्गीकरण

सारणी – 3.7 उत्तरदाताओं का सामाजिक श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण

सारणी – 3.8 उत्तरदाताओं की जन्म स्थानत जानकारी

सारणी – 3.9 पारिवारिक सदस्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण

सारणी – 3.10 नगर में निवास करने एवं आकर बसने के कारण के उत्तरदाता संचेतना

सारणी – 3.11 नगरीकरण के दौरान परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 3.12 नगरीकरण से नगर में अपराधों के बढ़ने के कारणों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 3.13 नगरों के विस्तार के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 3.14 नगरीकरण के दौरान पर्यावरण प्रदूषण के विस्तार के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 3.15 नगरीकरण के दौरान पर्यावरण प्रदूषण के कारणो के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

अध्याय–4

नगरीय हिन्दु परिवार की संरचना एवं संगठन

सारणी – 4.1 उत्तरदाताओं के परिवार की संरचना का वर्गीकरण

सारणी – 4.2 उत्तरदाताओं की शैक्षणिक योग्यता

सारणी – 4.3 उत्तरदाताओ की शैक्षणिक पृष्ठभूमि एवं आयु सरंचना

सारणी – 4.4 परिवार के आय के स्त्रोत के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

सारणी – 4.5 व्यावसायिक मापदण्ड एवं पारिवारिक संरचना

सारणी – 4.6 उत्तरदाताओं की पारिवारिक वार्षिक आय का विवरण

सारणी – 4.7 उत्तरदाताओ की आय के आधार पर शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सारणी – 4.8 उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण

सारणी – 4.9 विवाह के स्वरूप के चयन के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.10 वर-वधु चयन में साधनों के चयन के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.11 उत्तरदाताओं का ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी जुड़ाव प्रति संचेतना

सारणी – 4.12 नगरीकरण से गाँव से सम्पर्क टूटने के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.13 ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुडाव के प्रति उत्तरदाताओ की पारिवारिक सचेतना

सारणी – 4.14 परिवार के स्वरुप के प्रेरक तत्वों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.15 संयुक्त परिवार के टूटने के कारणों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.16 परिवार के स्वरूप के चयन के कारण के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.17 परिवार के सगे–सम्बन्धियों से सम्बन्धों के स्वरूप के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.18 परिवार के सगे सम्बधियों सें धनिष्ठता में कमी के प्रति उत्तरदाताओं की सचेतना

सारणी – 4.19 सगे सम्बधियों में धनिष्ठता में कमी के प्रति उत्तरदाताओं की शैक्षणिक एवं पारिवारिक सचेतना

सारणी – 4.20 पारिवारिक सम्बन्धों में समीपता में कमी के प्रति उत्तरदाताओ की आयु सचेतना

सारणी – 4.21 परिवार में वैवाहिक सम्बन्धों की प्रकृति के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.22 नगर में पड़ौसी वर्ग से सम्बन्धों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.23 नगर में निवास करने से व्यक्तिगत हितों को महत्व देने के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी –4.24 नगर में निवास करने से परिवार में विभिन्न खर्चों में बढ़ोतरी के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.25 परिवार कें कार्यो कें बढ़नें के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.26 नगरीकरण से समस्याओं में विस्तार के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.27 विभिन्न उत्सवों व त्यौहारों पर मूल–निवास परगमना गमन के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.28 नगर में निवास स्थान के चयन में प्राथमिकता के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.29 नगर में निवास के उपरांत स्वतन्त्रताओं में वृद्धि के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.30 नगरीकरण से स्वतन्त्रता में वृद्धि के प्रति उत्तरदाताओ की पारिवारिक सचेतना

सारणी – 4.31 उत्तरदाताओं की भोजन सम्बन्धी अभिरूचि के प्रति संचेतना

सारणी – 4.32 शाकाहारी भेजन संबधी अभिरूचि के प्रति उत्तरदाताओ की शैक्षिणिक सचेतना

सारणी – 4.33 उत्तरदाताओं की रूचियों का वर्गीकरण

सारणी – 4.34 परिवार में अवकाश के क्षण सामूहिक व्यतीत करने के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.35 परिवार में बच्चों की शिक्षा के माध्यम को प्राथमिकता के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.36 पत्र–पत्रिकाओं के पाठन को प्राथमिकता के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 4.37 भाषा के प्रयोग के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

सारणी – 4.38 नगरीय लक्षणों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

अध्याय–5

नगरीय हिन्दू परिवार में जातिगत वास्तविकता

सारणी – 5.1 जाति व्यवस्था में छुआछूत की मान्यता के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 5.2 जातीय बधंनो मे शिथिलता के प्रति उत्तरदाताओ की पारिवारिक संचेतना

सारणी – 5.3 क्लब, संस्था व समुदाय के चयन में प्राथमिकता के चरों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 5.4 वर -वधु चयन में जातीय बन्धनों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 5.5 जातिगत भेदभाव के कारणों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 5.6 नगर में जातिगत भेद समाप्ति के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 5.7 जातीय बंधनो में शिथिलता के प्रति उत्तरदाताओ की शैक्षणिक सचेतना

सारणी – 5.8 नगरीकरण के उपरांत जातीय भेद में कमी के प्रति उत्तरदाताओ की संचेनता

सारणी – 5.9 मताधिकार के प्रेरक तत्व आधार के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 5.10 जातीय विशेष के कुल देवता या कुलदेवी दर्शन के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 5.11 परिवार के परम्परागत जातीय व्यवसाय का विवरण

सारणी – 5.12 मैत्री स्वरूप के चयन के जातीय आधार के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 5.13 उत्तरदाताओं की स्वजातीय पृथकता सम्बन्धी विचारों का वर्गीकरण

सारणी – 5.14 स्वजातीय विवाह के प्रति उत्तरदाताओं की वैवाहिक संचेतना

सारणी – 5.15 जातीय बन्धनो की शिथिलता के प्रति उत्तरदायी वैवाहिक संचेतना

सारणी – 5.16 स्वजातीय समूह मे विवाह के प्रति उत्तरदाताओ की पारिवारिक संचेतना

सारणी – 5.17 नगर में निवास स्थान के चुनाव के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 5.18 नगरीय समुदायों में खान–पान के नियमो की कटट्रता के प्रति उत्तरदाताओं की राय

अध्याय–6

नगरीय हिन्दू परिवार में धार्मिक विश्वास एवं रीतिया

सारणी – 6.1 धार्मिक कार्यों हेतु दान देने की धारणा के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 6.2 मुहूर्त के आधार पर कार्य प्रारम्भ करने के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 6.3 धार्मिक संस्कारों के विश्वासों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 6.4 हिन्दू धार्मिक संस्कारों के पालन के उद्देश्यों के प्रति उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

सारणी – 6.5 परिवार के सदस्यों का धर्म के प्रति दृष्टिकोण

सारणी – 6.6 धर्म द्वारा व्यक्ति के व्यवहार पर नियत्रंण के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 6.7 उत्तरदाताओं के मन्दिरों में जाने के विश्वास के प्रति संचेतना

सारणी – 6.8 धार्मिक आस्था में कमी के प्रति उत्तरदाताओं की आयु संचेतना

सारणी 6.9 धार्मिक आस्था में कमी के प्रति उत्तरदाताओं की शैक्षणिक संचेतना

सारणी – 6.10 धर्म में विश्वास के कारणों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 6.11 ईश्वर आराधना हेतु अपनायी जाने वाली विधियों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 6.12 धर्म के महत्व में कमी के प्रति उत्तरदाताओं की वैवाहिक संचेतना

सारणी – 6.13 धार्मिक रीति रिवाजो के पालन के प्रति उत्तरदाताओ की पारिवारिक सचेतना

अध्याय–7

नगरीय हिन्दू परिवार में महिलाओं की बदलती प्रस्थिति

सारणी – 7.1 महिलाओं हेतु सरकार द्वारा बनाए गए विधानों के ज्ञान के प्रति उत्तरदाता संचेतना

सारणी – 7.2 महिलाओं हेतु विभिन्न विधानों के प्रति उत्तरदाता संचेतना

सारणी – 7.3 लड़के–लड़की की विवाह की उम्र के प्रति उत्तरदाता संचेतना

सारणी – 7.4 विलम्ब विवाह के प्रति उत्तदाताओ की आयु संचेतना

सारणी – 7.5 विलम्ब विवाह के प्रति उत्तरदाताओ की वैवाहिक सचेतना

सारणी – 7.6 जीवन–साथी के चुनाव के प्रति उत्तरदाता संचेतना

सारणी – 7.7 वर- वधु चयन में प्राथमिकता के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 7.8 अर्न्तजातीय एवं स्वजातिय विवाह के सम्बन्ध में उत्तरदाता संचेतना

सारणी – 7.9 विवाह की उम्र के प्रति उत्तरदाताओ की पारिवारिक संचेतना

सारणी – 7.10 सहशिक्षा के सम्बन्ध में उत्तरदाता के विचार

सारणी – 7.11 दहेज के प्रति उत्तरदाता संचेतना

सारणी – 7.12 नगर में महिला अपराधों के प्रकारों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 7.13 विधवा विवाह के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 7.14 निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में महिला भागीदारी के प्रति उत्तरदाता संचेतना

सारणी – 7.15 निर्णय निर्माण प्रक्रिया मे महिला भागीदारी के प्रति उत्तरदाताओ की शैक्षणिक सचंतेना

सारणी – 7.16 घरेलु कार्यों में पुरूषों की भागीदारी के प्रति उत्तरदाता संचेतना

सारणी – 7.17 सम्पत्ति के अधिकार में महिला उत्तराधिकारी के प्रति उत्तरदाता संचेतना

सारणी – 7.18 स्त्री पुरुष समानता के प्रति उत्तरदाताओ की शैक्षणिक संचेतना

सारणी – 7.19 महिला–पुरूष समानता के प्रति उत्तरदाता संचेतना

सारणी – 7.20 स्त्री–पुरूष समानता के प्रति उत्तरदाताओ की पारिवारिक संरचनात्मक संचेतना

सारणी – 7.21 स्त्री–पुरूष समानता के प्रति उत्तरदाताओ की लैंगिक संचेतना

सारणी – 7.22 स्त्री पुरूष समानता के प्रति उत्तरदाताओ की आयु की संचेतना

सारणी – 7.23 परिवार में पुत्र की उपस्थिति के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 7.24 हिन्दू सामाजिक मान्यताएँ नारी की प्रगति में बाधक के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 7.25 महिलाओं के प्रति हिंसा के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 7.26 पर्दा–प्रथा के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 7.27 पर्दा प्रथा के प्रति उत्तरदाताओ की शैक्षणिक संचेतना

सारणी – 7.28 नगरीकरण के दौरान वेशभूषा में बदलाव के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 7.29 नगरीय वेशभूषा मे बदलाव के प्रति उत्तरदाताओ की लैगिंक संचेतना

सारणी – 7.30 नगरीय वेशभूषा में बदलाव के प्रति उत्तरदाताओ की आयु संचेतना

सारणी – 7.31 महिलाओं के रोजगार के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

सारणी – 7.32 नगरीकरण से महिलाओं की स्वतन्त्रता में वृद्धि के प्रति कारणों के प्रति उत्तरदाता संचेतना

सारणी – 7.33 नगरीकरण से महिला स्वन्तंत्रता में वृद्धि के प्रति उत्तरदाताओ का लैंगिक दृष्टिकोण

सारणी – 7.34 महिला सशक्तिकरण के प्रेरक तत्वों के प्रति उत्तरदाता संचेतना

अध्याय–8

निष्कर्ष एवं सुझाव

- प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष
- उपकल्पनाओं का परीक्षण
- शोध की उपलब्धियाँ
- शोध अध्ययन का विश्लेषण

कोटा शहर का परिदृश्य

अध्याय – 1

अध्याय – 1

अवधारणा

प्रस्तावना

शहर मानव समाज की सबसे जटिल संरचनाओ में से एक है एवं नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है। जिसने विभिन्न समाज वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया है। समाज विज्ञान में नगरीकरण को देखने का अलग–अलग नजरिया है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में इसके महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता है। समाजशास्त्र में नगरीकरण शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट जीवन–शैली दर्शाने हेतु होता है, जिसका जन्म नगरों में रहने वाली घनी आबादी के कारण होता है। नगरों में रहने वाले लोगों की यह जीवन–शैली ग्रामीण समाज में रहने वाले लोगों के जीवन एवं क्रियाओं से भिन्न होती है। लुईवर्थ[1] (1938) नें Urbanism; As way of life में नगरीय जीवनशैली में नगर को विशाल, सघन एवं घनी आबादी क्षेत्र बताया है, जहाँ नगरीय लोगो में विशाल सामाजिक एवं व्यावहारिक प्रारूपों का जन्म होता है। अतः नगर अपने पडौस के स्थानीय व ग्रामीण क्षेत्रों को अपनी क्षेत्रीय परिधि में खींच लेता है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार हो या व्यक्ति विशेष पर नगरीकरण का प्रभाव वृहद क्षेत्र तक परिलक्षित होता है।

प्रस्तुत अध्ययन का विषय '**नगरीकरण एंव हिन्दू परिवार में सामाजिक परिर्वतन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन**' है, जिसके अन्तर्गत हिन्दू परिवार में सामाजिक परिर्वतन का नगरीकरण के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अध्ययन किया गया है।

परिवार मानव समाज की मूलभूत ईकाई होने के साथ साथ एक प्राचीन संस्था भी है जो मानवीय जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करता है। आज सम्पूर्ण विश्व नगरीकरण के दौर से गुजर रहा है, हिन्दू परिवार भी इससे अछुते नहीं हैं। परिवार की अल्पकालिक व दीर्घकालिक परम्पराएँ तथा नगरीकरण की प्रक्रियाओं से हिन्दू परिवार का स्वरूप बदला है। बदलते सामाजिक व सांस्कृतिक स्वरूपों नें भारतीय हिन्दू परिवार की संरचनात्मक व्यवस्था को परिवर्तन के दायरे में ला दिया है। अतः प्रस्तुत शोध में समाजशास्त्रीय आधार पर पारिवारिक प्रतिमानों में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन किया गया है, जिसके अन्तर्गत परम्परागत हिन्दू–विवाह, परिवार के स्वरूप, उद्देश्यों, प्रकार्यों, रीति–रिवाजों, विधि–विधानों, शिक्षा, आदर्श मूल्यों, महिला प्रस्थिति आदि की विस्तृत विवेचना करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नगरीकरण के दौरान इन क्षैत्रो में हो रहे परिर्वतनों का विश्लेषण किया गया है, जिसने भारतीय समाज की पारिवारिक हिन्दू सगंठनात्मक सरंचना को भी परिवर्तित किया है।

नगरीकरण की प्रक्रिया से भारत की हिन्दू परिवार व्यवस्था के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक पहलुओं में परिवर्तन आया है। भारतीय समाज में हिन्दु धर्मावलम्बियों का सर्वाधिक प्रतिशत है। भारतीय समाज में हिन्दु धर्म प्रारंभ से ही समाज का एक बड़ा भाग होने के कारण इस पर पड़ने वाले प्रभाव और गतिशीलता का अध्ययन करना शोध की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जो विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ ग्रामीण—नगरीय एवं महानगरीय पर्यावरण में निवास करता है पर्यावरणीय प्रभाव, उसके सामाजिक ,धार्मिक, नैतिक ,सांस्कृतिक, , आर्थिक, मनोवैज्ञानिक आदि पहलुओं को प्रभावित करते है। इसी सन्दर्भ में नगरीय पर्यावरण का भारतीय समाज के हिन्दु परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तृत मुल्यांकन शोधार्थी द्वारा किया गया है।

नगर से अभिप्राय एक ऐसी केन्द्रियकृत संचार प्रणाली समूह से है, जिसमे सुव्यवस्थित केन्द्रीय व्यापार क्षेत्र, प्रशासनिक ईकाई, आवागमन एंव सचांर के विकसित साधन तथा अन्य नगरीय सुविधाऐं उपलब्ध होती हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से नगर, मानव समुदाय का ही एक रूप है। यह एक ऐसा समुदाय है जिसका विशिष्ट प्रतीकात्मक स्वरूप हो, जहां संगठन तथा मानवीय जीवन लाक्षणिक दृष्टि से ऐसा परिवेश प्रस्तुत करते हैं, जिनको हम नगरीय कह सकते हैं। नगरीय शब्द का प्रयोग समाजशास्त्रीय अर्थो में सामाजिक विषमता, परस्पर निर्भरता और जीवन की गुणवत्ता पर केन्द्रित है। नगरीय समुदाय, अत्यधिक विषमताओं, गैर कृषि व्यवस्थाओं की प्रधानता, जटिल श्रम विभाजन, काम में उच्च विशिष्टता, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर निर्भरता और स्थानीय सरकार की ,औपचारिक व्यवस्था है।

भारतीय समाज की संयुक्त परिवार की सामाजिक व्यवस्था कि परिकल्पना प्राचीन एवं सर्वत्र व्याप्त है मूल रूप से भारतीय समाज संयुक्तता, सहिष्णुता, आपसी स्नेह व प्रेम पर आधारित है।

नगरो का उद्भव एवं विकास

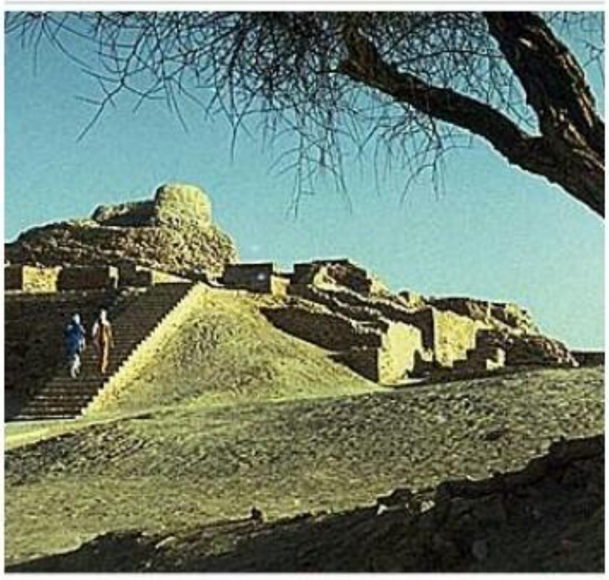

नव पाषाण युग में यूरोप के दक्षिण–पश्चिम क्षेत्र में भूमध्य सागर के किनारे छोटे–छोटे शहर के पाए जाने का वर्णन पुरातत्व शास्त्र में मिलता है। नगरीकरण की प्रक्रिया का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। नगरीकरण का उद्भव प्रागैतिहासिक काल मे आज से लगभग 10000 वर्ष पूर्व हुआ था, जब मानव ने पौधो और पशुओं को घरेलु बनाना प्रारंभ किया था। कृषि उपज को उत्पन्न करने वाली कलाकृतियों ने मानव को अर्थव्यवस्था में परिर्वतन करने, भोजन उत्पन्न करने और स्थायी निवास योग्य बना दिया। इसी प्रकार से संदर्भो द्वारा ज्ञात होता है कि, स्थानीय आदिवासियो का विकास मिश्र, मेसोपोटमिया, सिंधु घाटी, चीन मध्य

अमेरिका में हुआ था। इन सभी संदर्भो में कृषि समुदाय ने नगरीय समुदायों व नगरीय अधिवासो का विकास किया है। भारतीय सभ्यता में नदी घाटी सभ्यता मोहनजोदडो, हड़प्पा, कालीबंगा, आहड़ सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गंगा के मैदानी क्षैत्र के संदर्भ में हिन्दू सभ्यता व संस्कृति का विकास ऐतिहासिक आधार पर हुआ।[2]

भारत सदा से एक धर्मपरायण देश रहा है। धार्मिक महत्व के स्थानों पर बड़े–बड़े नगर बसे हुए हैं। प्रयाग, काशी, मथुरा, पुरी आदि सैंकड़ो छोटे बडे नगर धार्मिक स्थानों पर बसे हुए है। भारत में नगरों की स्थापना का दूसरा बडा कारण अनुकूल भौगोलिक अवस्थाएं हैं। इसी कारण देश में सबसे अधिक नगरों की बसावट गंगा–सिन्धु के मैदानी क्षेत्रों में हुई। किंग्सले डेविस[3] ने (1965) "The Urbanization of human population" में नगरों की उत्पत्ति ईसा 6000 से 5000 वर्ष पूर्व बतलायी गयी है। नगर का विकास कृषि के क्षैत्र में अतिरिक्त उत्पादन (surplus production) के रूप में हुआ। कृषि कार्य से माल को बेचने हेतु बाजार की आवश्यकता पड़ी और अतिरिक्त उत्पादन के बिना नगरो का विकास भी नही होता, इसी परिप्रेक्ष्य में लिखने की कला, विज्ञान, कलेण्डर (पंचाग) नौकरशाही व्यवस्था और लेखा–जोखा रखने का भी विकास हुआ। उस समय नगरो का आकार इतना अधिक विस्तृत नही था, नगर की आबादी 5000 से 15000 तक ही थी।

मध्यकालीन युग में स्थिति में परिवर्तन दिखाई देने लगा। इस काल में उत्पादन में वृद्धि व्यापार व उपनिवेशवाद की शुरूआत ने बड़े नगरो का विकास किया। मध्यकाल में कस्बों एवं नगरों का पुर्ननिर्माण हुआ। नगरीय बस्तियों मे आकस्मिक उभार आ गया। अधिकांश नगरीय केन्द्र, स्थानीय बाजार थे, इसके पश्चात् अनेक राजधानी में निवास करने के कारण इस काल में अधिशेष धन एवं शक्ति का उपयोग विशाल महल निर्माण में किया जाने लगा। 14वीं शताब्दी के मध्य फ्लोरेंस शहर की आबादी 90,000 एवं सदन की 30,000 हो गई। 15वीं शताब्दी में वेनिस शहर की आबादी लगभग 1,90,000 तक पहुँच गई। औद्योगिक क्रांति से नगरों व महानगरों का तीव्रता से विकास हुआ। 1800 ईसा में विश्व की 2.4 प्रतिशत आबादी 20,000 या उससे भी अधिक जनसंख्या वाले क्षैत्रों मे निवास करती थी। 1950 तक यह 21 प्रतिशत तक हो गई एवं उद्योगों व नगरों के विकास को बढ़ावा मिला। 1950 में नगरों की संख्या 9000 हो गयी एंव नगरीकरण की प्रक्रिया का विकास हुआ एवं यह अनुमान लगाया गया कि 20वीं व 21वीं सदी, वैश्विक स्तर पर पुर्ण नगरीकृत हो जाएगी। जो उत्तरोत्तर नगरीकरण विकास की दर इंगित करता है। 1961 में नगरीय जनसंख्या 18 प्रतिशत व 1991 में 25 व 2001 में 27.8 प्रतिशत तक हो गयी।

नगरीय सभ्यता का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ों, नगरीय सभ्यता ओर संस्कृति यह बतलाती है कि, भारत में ईसा पूर्व ही नगरों की स्थापना हो चुकी थी। हड़प्पा संस्कृति एक

भौतिक संस्कृति थी और इसके निर्माता द्रविड थे। द्रविड़ों को नगरीय सभ्यता के विकास का जनक माना जाता है। पहली शताब्दी के मध्य भारत में नगरों का विकास तीव्र गति से होने लगा था। सबसे बडा नगर पाटलिपुत्र (अब पटना) था, वह गंगा के तट के साथ कई किलोमीटर तक फैला हुआ था।[4] टर्नर[5] के विचार हैं कि ग्रीक और मिस्र की सभ्यता सबसे प्राचीन है। नगरों का सर्वप्रथम विकास यही हुआ। मार्गरेट मूरे के विचार में, नगरो का विकास धातुयुग में हुआ। ये अन्ततः सैन्य शिविरों में परिणित हो गए। ये सैन्य शिविरों के केन्द्र कालान्तर में नगरो में परिवर्तित हो गए हैं भारत के चित्तोड़गढ़ और तारागढ़ इसके उदाहरण है।

नगरो के प्रकार :–

प्राचीन नगरो में तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र इसके उदाहरण है। इन नगरो में राजनैतिक संस्थाओं और शासन प्रणाली की स्थापना हुई है। राजा, मंत्रिमण्डल, सभा, सेना, राज्य कर्मचारियों आदि की उत्पत्ति भी इसके साथ हुई। राजनैतिक नगरों में इन्द्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, मथुरा, कन्नौज व कोशाम्बी, अयोध्या, पटना आदि प्रमुख है। मुस्लिम काल में आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी आदि की स्थापना हुई। धर्म से जुडे हुए स्थान भी वृहद नगर बने जैसे–हरिद्वार, मथुरा, काशी, प्रयाग, गया आदि। ब्रिट्रिश काल के प्रारंभ तक व्यवस्थित रूप से बड़े महानगरो की स्थापना हुई, ये नगर सामान्यतः समुद्र के किनारे स्थित थे। इनमें चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई प्रमुख है। इस प्रकार नगरीकरण की प्रक्रिया मानव के विकास, उन्नति ओर प्रगति के साथ निरतंर तीव्र होती गई।

नगरों के प्रकारों का विशेषीकरण, उत्पादन के केन्द्र, व्यापार एवं वाणिज्य के केन्द्र, राजनीतिक राजधानियां, सांस्कृतिक केन्द्र, दर्शनीय तथा अवकाशकालीन नगर एवं विभिन्नता वाले नगरों में किया है। कृषि हेतु सिचांई की सुविधा एवं उपजाऊ भूमि जहाँ उपलब्ध हुई, वहाँ नगरो की स्थापना हुई ,जिनमें उत्तरप्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आदि में अनेक नगर देखे जा सकते हैं। भारत एक धर्म प्रधान देश है, जहाँ प्रत्येक धर्म को सम्मान दिया गया है, इस हेतु इन धार्मिक स्थानों पर नगर बस गए। द्वारका, उज्जैन, हरिद्वार, मथुरा, आगरा, अजमेर, मदुरै इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

शिक्षण केन्द्र के रूप में वे नगर स्थापित हुए जो शिक्षा हेतु विश्वभर में प्रसिद्ध थे, जिनमें तक्षशिला, नालन्दा, काशी, गुरूकूल आदि हैं। शिल्पकारों ने जहाँ अपनी कलाकृतियों को एक नया आयाम दिया, वहाँ भी नगरो की स्थापना हुई जैसे–कन्नोज, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, जयपुर। राजाओं की राजधानियों के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कुरूक्षैत्र, लखनऊ, ग्वालियर, इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) आदि। व्यापारिक केन्द्र के नगरों मे मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई तथा दिल्ली आज के व्यापार के केन्द्र बन गए।[6] 18वीं व 19वीं सदी मे औद्योगीकरण की प्रक्रिया के साथ–साथ औद्योगिक नगरों का भी विकास हुआ, परिणामस्वरूप कृषियात्रिंकी खेती का मशीनीकरण के साथ–साथ उद्योगों व व्यवसायों को सम्पन्न करने के

लिए लोग शहरों मे आकर बसने लगे।[7] इतिहास के प्रथम चरण से ही नगरों के विकास की प्रक्रिया चली आ रही है। नगरीकरण के विकास का संबंध धीरे–धीरे विज्ञान उद्योग विश्व–बाजार जैसे कारकों से जुड़ा एवं विभिन्न गतिविधियों जिनमें धार्मिक क्रिया–कलापों, कृषि–मण्डियों और राजनैतिक व प्रशासनिक समायोजन के साथ नगरों का विकास हुआ। नगरों का इतिहास, मनुष्य कें प्रारंभिक जीवन काल से ही देखा जा सकता है। धीरे–धीरे हुए विकास कार्यों ने नगर की सभ्यता एवं संस्कृति को प्रभावित किया एंव नगरो में सरंचनात्मक परिर्वतन हुए और नगरों का स्वरूप बदल़ गया।[8]

नगरीकरण के उद्‌विकासीय कारको के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि, नगरीकरण के विकास के पीछे केवल एक कारक उत्तरदायी न होकर, कई कारक उत्तरदायी हैं, जो नगरीकरण की आवश्यकता को उजागर करते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज में तीव्रता से बढ़ रही है, जिससे जनसंख्या वृद्धि को बल मिल रहा है। जनसंख्या में वृद्धि का कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लेागों का नगरीय क्षेत्रों में स्थानान्तरण हैं। गांवों का नगरों से प्रतिस्थापन ही नगरीकरण है सुनील गोयल[9] (2000) ने अपनी पुस्तक' 'समाजशास्त्र की अवधारणा' में बताया कि नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिससे नगरों का विकास होता है और सामाजिक तथा आर्थिक सबंधो में परिवर्तन होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में नगरीकरण का अर्थ एवं प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया गया है।

नगरीकरण का अर्थ एवं प्रक्रिया :

नगरीकरण का अर्थ प्रमुख रूप से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का तीव्र गति वृद्धि से लिया जाता है, जो नगरों के आर्थिक विकास के कारण बढती है, क्योंकि जहॉ जनसंख्या को समस्त आर्थिक सुविधाएँ प्राप्त होंगी, वहाँ वह अपना निवास अधिकारिक रूप से बनाएंगी। इस प्रकार नगरों में उपलब्ध सुविधाएँ विभिन्न क्षैत्रों की जनसंख्या को उस स्थान पर निवास हेतु प्रेरित करती है। किग्सले डेविस[10] (1951) "Population of India and Pakistan" एवं गोरे (1990) "Urbanization and change" ने अपनी पुस्तक मे नगरीकरण को सम्पूर्ण जनसंख्या में निवासित व्यक्तियों का कुल अनुपात में वृद्धि से सबंधित माना है व नगरीकरण का अर्थ नगरों में रहने वाले लोगो की आनुपातिक वृद्धि को माना है।

एनसाइक्लोपिडिया ऑफ सोश्योलाजी[11], 2011 के अनुसार "नगरवाद के लक्षणों, विचार एवं व्यवहार के रूप के विकास एवं प्रसार की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। डेविस एवं पोकाक ने नगरीकरण को ग्रामीण जीवन से नगरीय जीवन जीने की प्रक्रिया माना। डेविस के अनुसार कृषि अर्थव्यवस्था का औधोगिक अर्थव्यवस्था की ओर गमन भी नगरीकरण ही है। राव एम एस. ए[12] (1990) नें "Reader in Urban Sociology" में नगरीकरण को सामाजिक परिवर्तन के एक पहलु के रूप में वृहद वैश्विक प्रक्रिया माना

जिसमे जाति व्यवस्था से वर्ग व्यवस्था, संयुक्त परिवार से केन्द्रिकृत परिवार में धार्मिक से लौकिक, धार्मिक विश्वास व्यवस्था से लौकिकता दृष्टिकोण में परिवर्तन भारतीय कस्बो एव नगरो में दिखाई देते है।

नगरीकरण के आधार :

नगरीकरण का अर्थ एवं परिभाषा को विश्व एवं भारत में भिन्न आधारों पर समझा जाता है। इसको निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि अधिकांश समाजशास्त्रियों ने नगरीकरण को इन्ही आधारों एंव पक्षो से संबधित किया है।

1. जनांकीय आधार :

विभिन्न समाजशस्त्रियो ने नगरीकरण को जनसंख्या वृद्धि एव उसके स्थानान्तरण के आधार पर पारिभाषित किया है । आशीष बोस (1973) ने “Studies in India’s Urbanization" एवं डेविस तथा गोल्डन (संदर्भ) एम एस गोरे[13] (1990) ने “Urbanization and Family Change" में जनांकिकीय (जनसंख्या) की दृष्टि से नगरीकरण को समय के साथ–साथ कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के भाग में वृद्धि के आधार पर माना है एवं नगरीकरण शब्द का प्रयोग किसी देश में नगरीय क्षैत्रो में रहने वाली जनसंख्या तथा गैर नगरीय जनसंख्या के बढते अनुपात से लिया जाता है। भारतीय जनगणना आयोग के अनुसार जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है वे नगर कहलाएगा, 1901 की जनगणना के आधार पर नगर की अवधारणाएँ बतायी गई है जो नगर को परिभाषित करती है। नगरपालिका का क्षैत्रीय आकार, नगरपालिका का सीमा क्षेत्र, सिविल लाईन्स क्षेत्र, 5000 से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। 1961 के जनगणना आयोग मे नगर की परिभाषा में प्रशासनिक एवं जनसंख्यात्मक स्वरूपो के अलावा औद्योगिक केन्द्र, पर्यटन केन्द्र और तीर्थ स्थान सम्मलित किए गए है।[14] 1971 के जनगणना आयोग के अनुसार नगर की परिभाषा के अन्तर्गत कुछ बिन्दू उल्लेखित किए गए हैं, जिसमें कोई भी स्थान नगरपालिका या नगरपालिका क्षेत्र, नगरपालिका कमेटी या नॉटीफाइड कमेटी या छावनी होनी चाहिए; प्रतिवर्ग मील की जनंसख्या 1000 से अधिक के घनत्व से अधिक हो, 5000 से अधिक जनसंख्या हो, जनसंख्या का एक चौथाई भाग जो कृषि कार्य में संलग्न ना हो ,नगर है ।

2. जनसंख्या का ग्रामीण क्षैत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रव्रजन :

ग्रामीण प्रारंभ से ही नगरों में रोजगार हेतु पलायन करते हैं। ये लोग गाँव से शहर आकर यहीं बस जाते हैं। इस प्रकार शहर रोजगार प्राप्ति के अवसर उपलब्ध करवाते है और औद्योगिक केन्द्र के रूप में चुम्बकीय गुण की तरह कार्य करते हैं।[15]

3. आर्थिक एवं औद्योगिक गतिशीलता :

आर्थिक एवं औद्योगिक गतिशीलता के आधार पर नगर को आर्थिक आधार पर मानने वालो में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने नगर के अस्तित्व और आंतरिक सरंचना का आधार भी आर्थिक स्वरूप को माना है। नगरीय जनंसख्या वृद्धि को गति तभी मिलती है, जब ग्रामीण शहरी मजदूरी भत्ते में अंतर, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः देखा जाता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि रोजगार के अवसर एवं मजदूरी की कीमत में पर्याप्त अंतर है। ग्रामीण व शहरी लोगो के लिए नगर हमेशा से ही एक प्रधान केन्द्र बिन्दू रहे हैं, जो वाणिज्य, उद्योग, प्रशासनिक, पर्यटन एवं अन्य सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध करवाता है।[16] ग्रामीण आजीविका की तलाश में नगरों की ओर आने लगे हैं, धार्मिक स्थानों के विकास ने उद्योग को बढावा दिया, जैसे वैष्णों–देवी, हरिद्वार, मथुरा, वृन्दावन, आदि ने होटल, धर्मशालाओं को व्यापार बना दिया।

4. सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य :

नगरीकरण ने परिवार के विभिन्न पक्षों को प्रभावित किया है, इसके कारकों ने पारिवारिक जीवन के विभिन्न प्रतिमानों को सरल बना दिया है। पॉल मीडोज एवं मीडोज[17] (1965) Urbanism, Urbanization and Change के अनुसार नगरीकरण से उस प्रक्रिया का बोध होता है जिसमे (अ) नगरीय मूल्यों का विस्तार होता है (ब) गांवो से नगरो की ओर लोग आते हैं (स) व्यवहारों के प्रतिमान परिवर्तित होते हैं और जिनका तादात्मीकरण, नगर मे रहने वाले समूहो से होता है।

जहाँ जीवन व्यवस्थित होगा, नगरों का विकास होगा, एक संगठित सामाजिक समाज मे हीं उन्नति के तत्व मौजूद रहते हैं। भारतीय समाज में ये मूल्य दो स्थितियों में देखे जा सकते हैं, एक तो परम्परागत सामाजिक, सास्कृंतिक मूल्य, जो शताब्दियों से भारतीय जीवन के अंग हैं, जो कि जाति, विवाह, परिवार, धर्म आदि से संबंधित है ये मूल्य और मान्यताएँ सामाजिक ढाँचे का आधारभूत अंग हैं। दूसरी ओर संस्कृति एवं परिवर्तन के दौरान उभरे मूल्य, जो आधुनिकता के साथ भारतीय समाज में फैले हुए हैं एवं परम्परा व आधुनिकता के प्रति एक द्वन्दात्मक विचार प्रस्तुत करते हैं।[18]

नगरीकरण के दौरान नगरीय विशेषताओं की वृद्धि नगर में रहने वाले लोगों में दिखाई देती है। नगर के लोगों मे ये नगरीय विशेषताएं उनके रहन–सहन, बातचीत, शिष्टाचार, प्रदर्शन के तौर–तरीके, खान–पान, वेशभूषा आदि में दिखलाई पडती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से नगर वह मानव समुदाय है, जिसका संबंध विशिष्ट प्रतीकात्मक स्वरूप के साथ, संबंधों का स्वरूप भी विशिष्ठ हो एवं जहाँ का सगंठनात्मक व मानव जीवन, नगर के लक्षण प्रकट करते हों वह नगर हैं।

5. व्यक्तियों का ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रीय निवास क्षेत्र की ओर से गतिशील होना :

नगरीय सुविधाएं मानव को सुखी व व्यवस्थित बनाती हैं। प्रमुख रूप से नगरीय कारक राजनैतिक रहे हैं। ऐतिहासिक काल से साम्राज्यों की राजधानियाँ हमेशा नगरों में ही रही हैं एवं आकर्षण का केन्द्र रही

हैं। जहाँ आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा आदि की प्रर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। विभिन्न आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए अनेक प्रकार के उद्योग धन्धे स्थापित किए गए, जिससे वृहद नगर का निर्माण हुआ।[19]

6. कृषि के स्थान पर गैर कृषि कार्य करना :

मनुष्य द्वारा आवश्यकता से अधिक नगरों का विकास किया । प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के साथ–साथ अतिरिक्त साधनों का एकीकरण हुआ है। मैकाइवर के अनुसार नगरों के विकास का मौलिक कारण कृषि क्रांति है। कृषि क्रांति से मजदूरो की कम आवश्यकता ने ग्रामीणों को नगरों की ओर आकृष्ट किया है। भारत मे नगरीकरण की प्रक्रिया का तेजी से विकास, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हुआ, औद्योगीकरण की प्रक्रिया तीव्रतर होने से नगरीकरण की प्रक्रिया का भी तीव्र गति से विकास हुआ। आज प्रत्येक व्यक्ति नगरों की ओर गतिमान है, जिसका मुख्य कारण औद्योगिक विकास है। यातायात के साधनो का विकास तथा विकास के साधनो का नगरों में केन्द्रीकृत होने के कारण लोग नगरों की ओर हमेशा से ही आकर्षित रहे हैं, साथ ही साथ राजधानी क्षेत्र व औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सुविधाजनक जीवन ने जनमानस को नगर मे रहने हेतु प्रेरित किया। आधुनिक युग में नगरीकरण की प्रक्रिया की गति तीव्रतर हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप जातीय बंधन भी शिथिल पड गए हैं।

नगरो से हमें आधुनिक सुविधाएं जैसे बैंकिग सेवाऐ, साख, पूंजी, श्रम, पानी, बिजली आदि प्राप्त होते हैं, इन विभिन्न सुविधाओं के कारण ही नगरो में रहन–सहन एवं उद्योग–धन्धे स्थापित किए गए हैं। मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता जैसे नगरों में विभिन्न उद्योगों की स्थापना, वहाँ पाये जाने वाली सुविधाओं के कारण ही की गई है।[20] नगर विविधता के केन्द्र होते हैं, जहाँ पर गतिशीलता के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं । नगरों की जीवन–शैली, खान–पान वेशभूषा आदि में विविधता पायी जाती है, वहाँ जातीय सस्तरंण, अंतर्जातीय–अर्न्तधार्मिक विवाह पाये जाते हैं एवं व्यक्तिवादिता के प्रभाव में कमी परिवार के सदस्यो में दिखलाई पडती है।

परिवार का उद्‌भव एंव विकास :

परिवार मानव की एक प्राचीन संस्था होने के कारण आदिकाल से ही मानव के लिए एक आवश्यक संस्था रही है। परिवार का परम्परागत ढाँचा, पूर्वजो की पूजा पर आधारित सरंचना था, जहाँ परिवार में वयोवृद्ध पुरूष ही परिवार का कर्ता–धर्ता होता था, जो पूजा आदि अवसरों पर धार्मिक क्रियाएँ सम्पन्न किया करते थे। परिवार मे बडों की आज्ञा का पालन करना ही एक मात्र आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कर्तव्य था। परिवार के कर्ता की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य संभव नही हो पाता था। परिवार का वही एक मात्र

सत्ताधारी शासक हुआ करता था। प्राचीनतम परिवार में यह व्यवस्था युवक–युवतियों को अनुशासन में रखने एवं उन्हें सन्मार्ग लाने हेतु की गयी थी।

इरावती कर्वे[21] (1953 : 21) ("Kinship organization in India") के अनुसार प्राचीन भारत (वेद और रामायण–महाभारत युग) में परिवार निवास सम्पत्ति और प्रकार्यो के आधार पर संयुक्त था, उन्होनें ऐसे परिवार को परम्परागत या "संयुक्त परिवार कहा। कपाडिया[22] (1966 : 220) का मानना है कि, हमारा आदि परिवार केवल संयुक्त या पितृसत्तात्मक हीं नही था, बल्कि साथ–साथ हमारे परिवार एकाकी भी होते थे। प्लेटो एवं अरस्तु ने प्राचीन ग्रीक, रोमन और यहूदी परिवारों का उदाहरण देते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि, परिवार का आदिम स्वरूप पितृसत्तात्मक था, ऐसे परिवारों मे पुरूष की प्रधानता थी।[23] सर हेनरीमेन ने 1861 में विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर अपने शास्त्रीय सिद्धांत को आगे बढाते हुए कहा कि, परिवार का प्रारंम्भिक रूप पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय एवं पितृवंशीय भी था।[24]

परिवार :

प्राणीशास्त्रीय संबधो के आधार पर बने समूह में परिवार को एक ईकाई माना गया है। यह सामाजिक संगठन की एक मौलिक ईकाई है। परिवार के बिना हम किसी भी समाज की कल्पना नही कर सकते। प्रत्येक मनुष्य किसी–न–किसी रूप में परिवार का सदस्य रहा है। समाज में परिवार एक महत्त्वपूर्ण समूह है, संस्कृति के विभिन्न स्तरों में से चाहे व उन्नत हो या निम्न, किसी–न–किसी रूप मे पारिवारिक संगठन अवश्य होता है। विभिन्न विद्वानों ने परिवार के अर्थ का विस्तृत विवेचन किया है।

मेकाइवर एवं पेज[25] (1959) नें "Society" में परिवार, पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित ऐसा समूह है, जो बच्चों के जनन एवं लालन–पालन की व्यवस्था करता है।

परिवार की परिभाषा :

हेराल्ड[26] (1982:12) ने परिवार की परिभाषा, दो भिन्न लिंगो के वयस्क लोगो के समूह के रूप में बताई है, जो कि सामाजिक मान्यता प्राप्त यौन संबंध स्थापित करते हुए रहते हैं, ओर साथ ही उनके अपने बच्चे या गोद लिए बच्चे भी होते हैं। मुरडॉक[27] (1949), ने परिवार को परिभाषित करते हुए कहा कि, परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है, जिसका एक सामान्य निवास होता है। आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पायी जाती है। रॉस[28] (1961: 31) की पुस्तक "The Hindu Family in the Urban Settings" में बताया कि परिवार नातेदारी के आधार पर एक दूसरे से जुडे लोगों का समूह है, जो एक घर मे रहते हैं और जिनमें अधिकार, कर्त्तव्यों, भावनाओं एवं आधिपत्यों का एक निश्चित आदर्श प्रतिमान प्रदान करने से एकता का भावना बनी रहती है।

भारतीय सामाजिक संरचना की एक विशेषता के रूप में संयुक्त परिवार का प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। भारत में परिवार का शास्त्रीय स्वरूप, परिवार का रहा है। इरावती कर्वे का भी मत है कि "भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से ही है।"[29] भारतीय दर्शन, अर्थव्यवस्था, जाति प्रथा, वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था यहाँ के सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन सभी मे ंपरिवार महत्वपूर्ण संस्था है। यह हिन्दू संस्कृति का संचालक सूत्र रहा है। हिन्दुओं मे विवाह एवं परिवार को धर्म का अंग माना गया है। वैदिक काल से अब तक भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली कही–न–कही विघमान है, चाहे इसके स्वरूप एवं संरचना में परिवर्तन आते रहे हों।

परिवार मानव संरचना की एक छोटी ईकाई है, जहा वंश वृद्धि के साथ साथ संतान का पालन व समाजीकरण ही नहीं, वरन् सन्तांनो की समुचित शिक्षा सामाजिक परम्पराओं का संरक्षण व व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण भी परिवार से ही होता है। विभिन्न मनौवैज्ञानिकों ने व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्तियों की उत्पत्ति परिवार से ही मानी है। इन सामान्य विश्वासों का पालना करना, एक हिन्दू का अनिवार्य एवं आवश्यक कर्त्तव्य भी है।

हिन्दू परिवार :

हिन्दू को हिन्दू, बनने मे कई संस्कारों, धार्मिक, रीति–रिवाजों, परम्परागत व्यवसाय, हिन्दू विवाह–विधानों, हिन्दू जातिगत निषेधों, सामाजिक अर्न्तक्रिया के नियमों एवं सामान्य विश्वासों की पालना करनी पडती है। हम यहाँ हिन्दू परम्परा से संबधित विभिन्न निषेधों एवं संस्कारो का अवलोकन करेंगें, जो हिन्दू के हिन्दू होने का प्रमाण देती हैं।

हिन्दू परिवार की विशेषताएँ :–

हिन्दू परिवार अत्यतं गतिशील एवं सुसंगठित सामाजिक संस्था है। हिन्दू परिवार की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार से हैं :–

– हिन्दू परिवार में संयुक्त परिवार की प्रधानता होती है।
– परिवार के सभी सदस्य अधिकार एवं कर्तव्य–परायणता से बंधे होते हैं।
– परिवार के समस्त सदस्य भावात्मक बधंन से बंधे होते हैं।
– हिन्दू परिवार समस्त सदस्यो को उनके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के द्वारा समुचित पुरूषार्थ करने का अवसर देता है।
– हिन्दू परिवार में स्त्रियों को एक उच्च स्थान प्रदान किया गया है, उनको माता एवं देवी के समान पूज्य माना गया है।

– हिन्दू परिवार में पितृसत्तात्मक प्रमुखतया उत्तर भारत में, दक्षिण भारत मे मातृसत्तात्मक परिवार पाये जाते हैं।

– हिन्दु परिवार में प्रेम, सद्भावना की भावना रहती है। हिन्दू परिवार का आधार धर्म एवं आध्यात्मिकता, पुनर्जन्म, कर्म, संस्कार, संस्कृति, पुरूषार्थ और मोक्ष की अवधारणा प्रमुख हैं।

– हिन्दू परिवार में शास्त्रीय नियमों की भी प्रधानता है, जो परिवार के प्रत्येक सदस्य को कर्तव्य निर्वाह की प्रेरणा देते हैं।

हिन्दू परिवार अपनी व्यापकता एवं विधि–विधानों को लेकर हमेशा से ही चर्चा में रहे है। हिन्दू परिवार, वैदिक काल से ही कई चरणों से गुजरा है। आज भी हिन्दू परिवार की आधारभूत विशेषताएँ समान रूप से बनी हुई हैं।[30] हिन्दू परिवार का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी संयुक्त प्रकृति है, जहाँ पति–पत्नि ,माता–पिता, उसके भाई और बहनें एवं अन्य सगे–सबंधी एक साथ, एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, जहाँ परिवार व्यवस्था का संचालन, परिवार का वयोवृद्ध पुरूष करता है। पी.एन.प्रभू[31] (1963) के अनुसार, हिन्दू परिवार पर विचार करते समय जो प्रथम वस्तु अवलोकित होती है, वह उसकी संयुक्त प्रकृति है। किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे नगरों में सयुंक्त परिवार में विघटन की प्रवृति बढ़ी है। राजेन्द्र शर्मा[32] (2003) ने नगरीय परिवार की विभिन्न विशेषताओं को निम्न रूप से बताया है।

नगरीय परिवार की विभिन्न विशेषताएँ :

1) **केन्द्रीकृत परिवार :** समाजशास्त्रीय आधार पर ग्रामीण एवं नगरीय परिवार की पृष्ठभूमि में अंतर स्पष्ट परिलक्षित होता है। गाँव में अधिकतर संयुक्त परिवार हैं, एवं नगरों में केंन्द्रिय परिवार पाए जाते हैं। रोजगार की तलाश में, गाँव से शहर की ओर आने वाले व्यक्ति, नगरों में ही अपने एकाकी परिवार के साथ बस जाते हैं। नगरों की महंगी जीवन–शैली के कारण संयुक्त परिवार का नगरों में रहना सम्भव नहीं हो पाता। नगरों में भी यदि सयुंक्त परिवार में विघटन की प्रवृति बढ़ी है, तो इसका मुख्य कारण व्यक्तिवादी विचारधारा, भोगवादी, स्वार्थ, भौतिक संसाधन, स्वतन्त्रता एवं स्त्री शिक्षा है।

2) **स्त्रियों की प्रस्थिति :**

नगरीय परिवारों में स्त्री की सामाजिक स्थिति, ग्रामीण महिला की अपेक्षा अधिक ऊँची होती है, लेकिन पारिवारिक विघटन की प्रवृति भी बढ़ जाती है। नई पीढ़ी के नगरीय परिवार की व्यक्तिवादीता एवं स्वतंत्रता की प्रवृति, पारिवारिक विघटन को जन्म देती है। पति–पत्नी में आपसी समरसता की प्रवृति की कमी के कारण वैवाहिक सम्बध श्रृण हो जाते हैं।

3) **<u>परिवार का महत्व कम होना</u>** : नगरीय समाज में व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संबंधों में पारिवारिक हस्तक्षेप की कमी होने से परिवार का महत्व कम हो जाता है।

4) **<u>औपचारिकता की भावना</u>** : नगरीय जीवन–शैली में लोगों की प्रवृति, आत्मकेन्द्रीत होने से उन्हे, अन्यों के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। तीव्र रूप में बढती नगरीय जीवन शैली इसका एक कारण है।

5) **<u>अनुशासन एवं नियंत्रण का कम होना</u>** : नगरों की बढ़ती नगरीय जनसंख्या में परिवार में माता–पिता का बच्चों पर नियंत्रण नही रह पाता । नगरीय परिवार में बच्चों के माता–पिता से सबंध औपचारिक ही रह जाते हैं। नगरीय परिवेश में बढ़ती स्वतन्त्रता एवं भौतिकवादी प्रवृति ने परिवार में नियंत्रण को कम किया है।

6) **<u>परम्परा एवं विश्वास की कमी</u>** : ग्रामीण परिवारों में परम्परागत विधि–विधानों का प्रमुख स्थान होता है। जो नगरीय परिवारो में अपेक्षाकृत कम होता है। नई पीढ़ी के युवाओं में परम्परा को बनाए रखने के स्थान पर उनको तोड़ने में ही विश्वास करते हैं। वे स्वयं की मर्जी से जीवन जीने में अधिक विश्वास करते हैं।

7) **<u>धार्मिक भावना की कमी</u>** : भौतिकवाद व प्रकृति से निकटता की कमी से नगरीय परिवारों की धार्मिक गतिविधियां, ग्रामीण समाज की अपेक्षा कम होती हैं। धर्मशास्त्रीय आधार पर हिन्दू समाज में विवाह को, एक धार्मिक संस्कार माना गया है। विवाह आदि अवसरो पर ब्राह्मणों की उपस्थिति, अनिवार्य मानी जाती थी। हिन्दू समाज में विवाह मात्र शरीर का भौतिक संबंध न बनकर, सन्तानोत्पति का धार्मिक आधार है। हिन्दू विवाह, धार्मिक आधार पर एवं आध्यात्मिक रूप से पुरूष एवं स्त्री के संबंधो को स्थायी संबंधो में बांधता है। इस तरह हिन्दू विवाह एक समझौता ना होकर धार्मिक संस्कार माना गया है।

हिन्दू विवाह :

- हिन्दुओं में विवाह को एक संस्कार माना जाता है। विवाह का आयोजन घर के बुर्जगों के द्वारा किया जाता है।
- हिन्दू परिवार मे विवाह की अनिवार्यता जरूरी है।
- हिन्दुओ मे एक विवाह की प्रथा पायी जाती है।
- हिन्दुओं मे परिवार का स्वरूप संयुक्त होता है।
- हिन्दुओ में परिवार, पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक एवं पितृनिवासीय होते है।
- हिन्दुओं में जाति में अर्न्तर्विवाही नियम का कठोरता से पालन किया जाता है।

- धार्मिक कर्मकाण्डों को पूर्ण करने के लिए लडके का होना आवश्यक है।

हिन्दू परम्पराओं में विवाह, आदर्श के साथ–साथ अन्य पक्षों पर कठोर नियम व कुछ निषेध बनाए गए हैं, जो हिन्दु परम्परा को अन्यों से अलग दर्शाती है, वह है जाति। जाति–व्यवस्था में परम्परा से चले आ रहे नियमों एवं निषेधों का पालन करना एक आवश्यक कर्तव्य माना गया है। हर जाति के अपने परम्परागत व्यवसाय होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक से दूसरे को हस्तातंरित होते आए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ जाति की संरचना एवं व्यवस्था का उल्लेख करेंगे

<u>जाति व्यवस्था</u> :

जाति एक भारतव्यापी रूप है, जो हर स्थान पर आनुवांशिक समूह के रूप में देखी जा सकती है। इनमें भी परस्पर एक–दूसरे से व्यापारिक आधार पर संबंध होता है। हर जगह ब्राह्मण, किसान, दस्तकार, व्यापारी, सेवक एवं अछूत, जातियों में व्याप्त हैं। इन जातियों में भी परस्पर पवित्रता एवं अपवित्रता के सबंध होते हैं, जो जातियों में एक सस्तरंण बनाए रखते हैं। जाति व्यवस्था में चार वर्णों को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ प्रमुख रूप से हैं। आज भारत में भाषा एवं समूह के आधार पर सैकड़ों जातियाँ हैं, जो वर्ण आधारित होती है। वर्ण आदर्श (मॉडल) के अनुसार, हरिजन या अछूत जाति–व्यवस्था के बाहर है। हरिजनों को अछूत माना गया है, क्योंकि इनसे सम्पर्क, अन्य चारों वर्णों के सदस्यों को अपवित्र करता है। कर्मकांडीय आधार पर हरिजनों का कार्य मेहतर, सेवकों, हरकारों का हुआ करता था, जो उत्सवों व त्यौहारों पर ढ़ोल पीटते थें एवं सामुदायिक भोज के समय झूंठी पत्तलें उठाते थे।[33] वर्ण आदर्शों व स्थानीय सोपानों की ओर देखें, तो शूद्रों एवं द्विज के मध्य एक अंतर देखा जाता है, जिसमें एक ओर तो प्रभुता सम्पन्न भू–स्वामी किसान जातियाँ हैं, जिनका वेश्यों व ब्राह्मणों के ऊपर शासन एवं अधिकार व्याप्त है, वहीं दूसरी ओर गरीब अछूत समूह है, जो अपवित्रता रेखा में जीवित है। इसके अन्तर्गत दस्तकार एवं सेवक जातियाँ सम्मलित हैं, जिनमें सुनार, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, तेली, बसोर, जुलाहे, नाई, धोबी, कहार, भडभुजे, ताड़ी, चुआने वाले, गड़रिये, शूकरपाल आदि शामिल हैं। उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों से एक संरचनात्मक दूरी बनायी रखी जाती थी। निम्न जातियों द्वारा कई निषेधों का भी पालन करना पड़ता था, जिसमें यज्ञोपवीत धारण करने की मनाही होती थी। उच्च जातियों के कुछ परम्परागत नियम होते थे, जो एक पुरोहित द्वारा संरक्षित होते थे। पुरोहित, हिन्दू ब्राह्मण हुआ करता था, जो धार्मिक कार्य सम्पन्न करता था।[34]

धुरिये[35](1950) के अनुसार उत्तर–वेदिक काल में विभिन्न वर्णों की आचार–संहिता का विकास हुआ। इस समय ब्राह्मणों की स्थिति सुदृढ़ हुई और शूद्रों की स्थिति और अधिक खराब होती चली गई। क्षत्रियों का प्रभाव होने एवं वेश्यो द्वारा शूद्रों के अधिक समीप में आने से ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा और तीनो वर्णों

(क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रों) को आदेश हुआ कि वे ब्राह्मणीय उपदेशों के अनुसार रहकर अपने कर्तव्यों का निर्धारण करें।

शाह[36](1994) के अनुसार, हिन्दुओं द्वारा हम और वे, जैसे विचार अपने समुदायों को अन्य से ऊँचा उठाने हेतु दिए गए, ताकि हिन्दू अन्य सभी समुदायो से श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त कर सके। हिन्दू समाज में सर्वप्रथम उच्च एवं निम्न जातियों में एकता की भावना पायी जाती थी, जो उनकी शक्ति एवं समाज में उनके वर्चस्व को उजागर करती थी, किन्तु उच्च हिन्दू जातियों द्वारा निम्न हिन्दू जातियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा। ब्राह्मण, वैद्य, कायस्थों व बनियों के द्वारा पश्चिमी शिक्षा ग्रहण की जाती थी, जबकि दस्तकार, सेवक या भूमिहीन श्रमिकों, जैसी निचली जातियों के लोग धोबी, नाई, घरेलू नौकर, चपरासी, टोकरी बनाने वाला, तेली, कुम्हार, और सब्जी–फल तथा दूध बेचने वाले बन गए। इन जातियों द्वारा निम्न दर्जे के व्यवसाय किये जाते थे। जब एक निम्न जाति अत्यंत सम्पन्न बन जाती थी, तो वह अपनी जीवन–शैली व कर्मकाण्ड़ो का संस्कृतिकरण कर ऊँची होने का दावा करने लग जाती थी। इनमें नोनिया, अहीर, कलाल, ऐसी कई जातियाँ रही हैं। उच्च एवं निम्न जातियोँ में व्यवसायिक भिन्नता के अलावा एक सस्तरंण भी था, जो परस्पर अन्तक्रिया करने से रोकता था। यह सस्तरंण कुछ विधान व कठोर नियम प्रणाली पर आधारित होता था, जिसमें ऊँची जातियों के उच्च लोगों से ही सम्पर्क कर सकती थी एवं निम्न जातियाँ, निम्न लोगो से।

सामाजिक अर्न्तक्रिया :

हेराल्डगोल्ड[37](1961) के अनुसार, ब्राह्मण और राजपूत जैसी उच्च जातियाँ पूर्णतया सक्षम व गतिशील हैं। इनका पश्चिमीकरण हो रहा है, लेकिन निम्न जातियों के पास समुचित साधन न होने से, वह लाचार एवं बेबस हैं। उनके पास न तो धन है, ना ही प्रेरणा। वे गरीब एवं आश्रित होने से नगरों की ओर पलायन भी नहीं कर सकते थे।

जातियो मे परस्पर दूरी का एक मात्र कारण, उसकी पवित्रता और अपवित्रता की धारणा थी। उच्च जातियाँ, स्वंय को निम्न की तुलना में श्रेष्ठ समझती थी और निम्न जातियों से सम्पर्क करने में हमेशा बचती थी। मुख्यतयाः उनके हाथ का बना भोजन नहीं खाना, उनसे विवाह, यौन सबंध स्थापित न करना। एक–दूसरे से अस्पृश्य, अथवा उनके समीप जाना भी प्रतिबन्धित था। इन नियमों को मानना, उच्च जाति के व्यक्तियों का कर्तव्य हुआ करता था और पवित्र रूप से प्रायश्चित करने का भी विधान था, अगर कोई इन कर्मकाण्ड़ों को ना माने तो, उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था।[38]

विभिन्न वर्णों में पहले तीन वर्णों, जिनमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य को द्विज की संज्ञा दी गई है। इन्हे द्विज कहा गया है, क्योंकि उपनयन संस्कार के समय यज्ञोपवीत धारण करना एवं वैदिक कर्मकाण्डो में इन्हें

ही सम्मलित होने का अधिकार प्राप्त है। कर्मकाण्ड, अर्थवेद से संबंधित विभिन्न संस्कार की पालना करना इन्ही वर्णों का कार्य एवं धर्म है। द्विज वर्ण में ब्राह्मण को सर्वाधिक संस्कारो के ज्ञाता एवं आग्रही होने के कारण, अन्यों से श्रेष्ठ माना गया है।[39]

धार्मिक संस्कार :

विभिन्न संस्कारो का तात्पर्य हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया से लेते हैं। भारतीय समाज एवं संस्कृति में, व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने में यह संस्कार आवश्यक एवं उपयोगी माने गये हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक हैं। यह संस्कार शुद्धिकरण के लिए बनाए गए हैं।

इनमें कुछ संस्कार हैं :– गर्भाधान, पुसवंन, सीमान्तोन्नयन, नामकरण, जातकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चुड़ाकरण, कर्णभेदन, विधारम्भ, उपनयन, समावर्तन, विवाह एवं अंतिम अन्त्येष्ठि हैं, जो जीवन के बाद का संस्कार है। हिन्दु धर्म में यह संस्कार व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक चलते हैं।

हिन्दु समाज व्यवस्था में धार्मिक आधार पर कुछ नैतिक लक्ष्य बताए गए हैं, इन्हीं के आधार पर व्यक्ति का जीवन काल का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की विवेचना की गई है। इनमे से प्रथम, काम को माना गया है, जो इन्द्रिय सुख एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक माना है। दूसरा, अर्थ जो आर्थिक साधनों की प्राप्ति हेतु आवश्यक माना है, तीसरा, धर्म है जो सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक आधार पर कर्तव्य करने की शिक्षा देता है एवं अंतिम है, मोक्ष जो मुक्ति एवं जीवन–मरण की अंतिम सीढ़ी मानी गयी है। इनमे से धर्म, अर्थ एवं काम को सामाजिक आधार पर एवं मोक्ष को बाद में एक लक्ष्य अभिविन्यास के रूप में सम्मलित किया गया है।

सभी धर्मों से सर्वप्रमुख धर्म हिन्दू धर्म है, जिसकी विशालता के कारण यह 'सनातन' धर्म भी कहलाता है। ईसाई, बौद्ध, इस्लाम, जैन, आदि धर्मों की तरह हिन्दू धर्म, किसी पैगम्बर या मौलवी द्वारा स्थापित न होकर धर्मों, मतान्तरों, आस्थाओं एवं विश्वासों का एक युग्म है। हिन्दू धर्म महान परम्पराओं का एक उत्तम समवन्य होने के कारण, इसमें वैदिक तथा पुराणकालीन देवी–देवता पूजे जाते हैं, दूसरी ओर कर्मकाण्डो की व्यापकता है। हिन्दू धर्म को सर्वथा विरोधी सिद्धांतो का उत्तम व सहज समवन्य भी कहा जाता है, क्योंकि हिन्दू धर्मावलम्बियों की उदारता, सर्वधर्म समभाव, समवन्यशीलता तथा धार्मिक सहिष्णुता को यह धर्म, अपने में समेटे है।

हिन्दुओं में शिक्षा के क्षेत्र में भी एक सस्तरंण दिखलाई पड़ता था, जिसमे उच्च जाति के साथ निम्न जातियों द्वारा शिक्षा न ग्रहण करना सम्मलित था। शिक्षा व्यक्ति की आर्थिक उन्नति, उच्च व्यवसाय, शक्ति एवं पद को प्राप्त करने में अत्यंत उपयोगी है, परिवार में शिक्षा का महत्व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक एवं उपयोगी हो गया है।

J-Blondel[40] के अनुसार, ''जितना ही कोई सामाजिक संरचना में ऊपर जाता है, व्यवसाय की अपेक्षा समूहों की सीमाओं और व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक संबंधों को पारिभाषित करने में अधिक सहायता मिलती है।'' एडवर्ड शिल्स[41] के ब्राह्मण प्रमुखता के विचारो में, अंग्रेजो के शासन के समय से ही ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मणों द्वारा अंग्रेजी सभ्यता का पूर्णतयाः स्वागत किया गया। सिविल सर्विसेज जैसी नौकरियों में ब्राह्मणों को प्रमुखता दी जाती थी, प्रशासनिक सेवाओं हेतु ब्राह्मणों को अग्रणी समझा जाता था एवं अन्य जातियों की उपेक्षा की जाती थी।

उपनयन संस्कार एक शिक्षा का संस्कार होने के कारण द्विज जाति द्वारा शिक्षा ग्रहण की जाती थी, यह उनके लिए एक अनिवार्य नियम था। इसी के आधार पर वे अपने नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान हेतु प्रयत्नशील होते थे।[42] धर्मशास्त्रों के अनुसार शिक्षा–व्यवस्था में नियमित एवं औपचारिक शिक्षा, उपनयन संस्कार से ही प्रारंभ होती थी। इस हेतु विभिन्न जाति वर्ग हेतु उपनयन संस्कार के पालन के लिए निशचित अवधि तय कर रखी थी, जो ब्राह्मण के लिए यह 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, वेश्य के लिए 12 वर्ष मानी गयी है। इस अवधि तक उपनयन संस्कार का पालन करना आवश्यक माना गया है। हिन्दुओं में शिक्षा, जातिय, व्यवसायिक एवं संस्तरण के अन्य प्रकारों के साथ, ये परस्पर संतानो में भी परिलक्षित होते हैं, जिसमे लड़के एवं लड़कियों में अंतर देखा जाता था।

लैंगिक असमानता :

कई हिन्दू परिवारों में पुत्री जन्म पर उत्सव नहीं मनाया जाता, जबकि पुत्र जन्म पर उत्सव मनाया जाता है। लड़की को कई अधिकारों से वंचित रखा गया है। चाहे वह अच्छा भोजन, वस्त्र, शिक्षा और योग्यता की बात हो, हर रूप में, हर स्थान पर लड़की के अधिकारों का हनन हुआ है। यहाँ तक कि विवाह सबंधो में भी लड़की की स्वीकृति को आवश्यक नहीं माना जाता था, और विवाह उपरांत पति के घर उसकी स्थिति और अधिक दुखदायी हो जाया करती थी। सास–ससुर एवं परिवार के अन्य सदस्य, बहु को अपने आदेशों का पालन करवाने हेतु बाध्य करते थे, उसके अधिकारो का हनन व शोषण किया जाता था एवं कई अवांछित नियमों में उसे बांध दिया जाता था। हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के नियम पुरूष द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें स्त्री को सामाजिक जीवन में पुरूष के समान अधिकारो से वंचित रखा गया है।[43]

हिन्दू समाज हमेशा से ही गतिशील रहा है, इसमे महिलाओं की प्रस्थिति हर काल में परिवर्तित रही है। यह तथ्य महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता को दर्शाता है, साथ ही साथ हिन्दू सामाजिक व्यवस्था की गतिशीलता को भी इंगित करता है। प्रत्येक काल में महिला प्रस्थिति अलग–अलग रही है, इसमे कहीं न कहीं उनके अधिकारों का हनन भी हुआ है एवं उनका शोषण भी किया गया तो कुछ काल ऐसे भी रहे हैं, जो महिला सम्मान के घोतक रहे हैं।

हिन्दु समाज में महिला प्रस्थिति :

प्राचीन काल में महिला प्रस्थिति :

प्राचीन समाज में महिलाओं को पुरूषो के समान अधिकार प्राप्त थे, वह उच्च शिक्षा, राजनीतिक विचार विमर्श, पुरूषों के साथ दार्शनिक विचारों को प्रकट करना, आदि गतिविधियों में पुरूष के समान सहभागी थी। वेद, महाभारत, उपनिषद, आदि पुराणों में कई साहसी एवं जागरूक महिलाओं के नाम उल्लेखित हैं। महाभारत काल में महिला को पुरूष के समान माना गया है। 'दम्पत्ति' (Dampati) शब्द का प्रयोग भी पति–पत्नि के लिए किया गया है। धर्म के महत्व का प्रमुख आधार, पति–पत्नि होते हैं, इन्ही के द्वारा धार्मिक क्रियाएँ सम्पन्न की जाती हैं।

मध्यकाल में महिला प्रस्थिति :

इस काल में महिला प्रस्थिति अत्यंत निम्न रही है, विभिन्न ग्रंथ एवं पौराणिक कथाएं बाल विवाह का उल्लेख करते हैं, जो विधवाओं की संख्या में बढोत्तरी को दर्शाता है। इस समय में बाल विवाह के परिणामस्वरूप, कम समय में विवाह होने से बालिकाएं अनेक प्रकार के शोषणों से युक्त हो गई और विधवाओं का स्तर बढ़ा। इस समय विधवाओं के लिए कई निषेध बनाए गए एवं उन्हें प्रताड़ित किया गया।

विधवा पुर्नविवाह निषेध :

वह स्त्री, जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, एवं जो दूसरा विवाह न कर सके, विधवा है। यदि वह स्त्री पुनः विवाह करती है, तो उसे विधवा पुर्नविवाह की संज्ञा दी जाती है, किन्तु हिन्दु समाज में स्त्री पुर्नविवाह की अधिकारी नहीं होती, यद्यपि एक पुरूष स्त्री की मृत्यु उपरांत पुर्नविवाह कर सकता है। धार्मिक कार्यों की पूर्ति हेतु पति–पत्नि का साथ होना आवश्यक होने के कारण हिन्दु समाज में पति को पत्नी की मृत्यु के पश्चात पुर्नविवाह की स्वीकृति प्राप्त है। दूसरी ओर स्त्री को कई निषेधों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। बाहरी आड़म्बर, कर्मकाण्डों, परम्परागत नियमों ने स्त्री की सहनशीलता की सीमा ही पार कर दी। उसे हर ऐसी सुविधा एवं अधिकारों से वंचित किया गया जो जीवन जीने हेतु आवश्यक है। एक विधवा स्त्री को भी कई कर्मकाण्डों एवं प्रतिबन्धों को मानना पड़ता था, जिसमें अच्छा भोजन न करना, अच्छे वस्त्र न पहनना, तेल फूल, इत्र एवं सुगन्धित वस्तुओं से परहेज आदि निषेध थे। जिससे विधवा स्त्री का जीवन नारकीय हो गया।

प्राचीन भारतीय आदर्श जो महिला–पुरूष को समान मानता था, वह आदर्श मध्यकाल में आते–आते समाप्त हो गया एवं महिला को पुरूष का दास समझा जाने लगा एवं महिला की स्थिति ओर अधिक बिगड़ने लगी। बौद्ध धर्म एवं मुस्लिम काल में तो महिला प्रस्थिति पहले की अपेक्षा और अधिक निम्नतर होती चली गयी। मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा के प्रचलन ने महिलाओं के अधिकारों का हनन किया। बाल–विवाह के प्रचलन ने एवं पुरूष की मृत्यु के बाद स्वयं को अग्नि में अर्पण करने की प्रथा ने महिला प्रस्थिति के स्तर को अत्यंत निम्न स्तर पर ला दिया।

भारत में आधुनिक समय में परिवर्तन की विभिन्न प्रवृतियाँ समाज में देखी जा सकती हैं। समाज में इस तरह के परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। यद्यपि प्रकृति प्रदत्त ये परिवर्तन, समाज में विभिन्न परिस्थितियों में अलग–अलग होते हैं। ये परिवर्तन समाज द्वारा अपनाए जाने पर निर्भर होते हैं। परम्परागत भारतीय समाज, प्रारम्भ से ही गतिशील समाज रहा है और स्वभाविक रूप से परिवर्तन को नकारता आया है। नगरीकरण, औद्योगिकरण पश्चिमीकरण ने भी पिछले कुछ दशकों से समाज को प्रभावित किया है।

हिन्दु परिवारों पर नगरीकरण का प्रभाव :

नगर निरंतर गतिशील हैं, रोजगार की उपलब्धता व भौतिकवादी साधनों का आसानी से उपलब्ध होना नगरों की ओर व्यक्ति को प्रेरित करता है। नगर की चकाचौंध व्यक्ति को वहाँ रहने व उच्च जीवन शैली जीने हेतु प्रेरित करती है। इसके लिए नगर में उपलब्ध समुचित साधन व शिक्षा, रोजगार की सम्भावनाएं, पर्याप्त धन, उच्च शिक्षा की उपलब्धता आदि कारण, व्यक्ति को नगरीय जीवन जीने हेतु प्रेरित करते हैं। बाहरी ताकतों व प्रशासकों द्वारा राजधानी क्षेत्रों में आने व विभिन्न लोगों से अन्तक्रिया का प्रभाव समाज पर पड़ा है। सरचनांत्मक परिवर्तन ने भी समय–समय पर भारतीय परम्परागत नियमों को प्रभावित किया है। कुछ दशकों से भारतीय समाज में परिवर्तन के दौर में परिवार भी अछुते नहीं रहे। हिन्दू परिवार में परिवर्तन, मनु के समय से ही देखे जा सकते हैं।

रघुवीर सिन्हा[44](1975) के अनुसार, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नगरीकरण, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण ने सयुंक्त परिवार व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है।

परिवार का मुख्य आधार विभिन्न सदस्यों का एक ही घर में निवास करना, साथ भोजन करना, साथ–साथ पुजा करना, परिवार में सम्पत्ति को समान रूप से विभाजित करके रहना, परिवार में सामान्य निवास, सामान्य भोजन, साथ भोजन करना, परिवार की परम्परा का प्रतीक रहा है। आज की परिस्थितियों में देखे तो भारतीय सयुंक्त हिन्दू परिवार में इन विशेषताओं का बड़े स्तर पर पतन हुआ है। एक व्यक्ति अब एक घर में रहकर भी अलग से निवास करता है, उसका अपना एक व्यक्तिगत रसोईघर होता है, जो संयुक्त उत्तराधिकारी को प्रभावित नहीं करता। वह व्यक्ति परिवार में पूजा में भाग लेना भी नकार सकता है, पर फिर भी वह उसी सयुंक्त परिवार का एक सदस्य रहता है।[45]

इस प्रकार ये परिवर्तन व नगरों में हो रहा विकास, हिन्दू परिवार में भी सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करता है। जिससे वह अपने पैतृक निवास स्थान को छोड़कर नए निवास में बस जाते हैं और वैज्ञानिक व तार्किक जीवन को प्राथमिकता देते हैं।

हिन्दू परिवारों में सामाजिक परिवर्तन एवं महिलाओं की परिवर्तित स्थिति :

प्राचीन हिन्दू समाज की हिन्दू व्यवस्था में विवाह के विधि–विधान, स्वरूप एवं उद्धेश्य जो परम्परागत रूप में प्रस्थापित थे एवं कठोर बंधनो से युक्त थे। वर्तमान समय में नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा; संस्कृति एवं विचारधारा के फलस्वरूप परिवर्तन के दौर में हैं, अब विवाह में व्यक्तिवादिता का महत्व बढ़ा है एवं विवाह की अनिवार्यता कम हुई है, जो प्राचीन हिन्दू समाज में धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता था साथ ही साथ धर्म का महत्व भी कम हुआ है। धार्मिक संस्कारो की अनिवार्यता कम हुई है एवं विलम्ब विवाह को प्रोत्साहन मिला है। विवाह संबंधी निषेधो में अंतर आया है एवं जाति की जगह शिक्षा पद्धति एवं शैक्षणिक अभिरूचियों के दौरान बौद्धिकता को उच्च स्थान प्राप्त हुआ है।

विभिन्न कालों में ऐसे संतो ने जन्म लिया है, जो अंधविश्वासो एवं विवेकहीन धार्मिक विधियों के आलोचक रहे हैं इनमे से कई सम्प्रदाय जाति विशेष व्यवस्था के भी समर्थक रहे हैं एवं अस्पृश्यता के आलोचक रहे हैं। मूल हिन्दू संत सच्चिदानंद[46] (1988) ने दलित वर्गों के उत्थान हेतु कार्य किया। इन्होंने जाति वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, छुआछूत का घोर विरोध किया एवं वर्ण पर आधारित संस्कृति, सम्पति के मुद्धों पर शुद्रों, अस्पृश्य लोग एवं महिलाओं के साथ भेदभाव की आलोचना की। जातीय भेदभावों के विरोध की नयी सोच एवं नए विचार ने शिक्षा के नए आयामों को स्थान दिया जो सभी जातीय एवं समुदायो ने स्वीकार किया। भक्ति संतो ने सभी धर्मों की समानता पर बल दिया एवं एक ईश्वर का रूप माना। मनुष्य को जन्म के आधार पर न मानकर, कर्म के आधार पर जाना। भक्ति सन्तों ने धर्म में अत्याधिक कर्मकाण्डों और औपचारिकताओं एवं पुरोहितों की प्रधानता के विरूद्ध आवाज उठाई एवं मुक्ति मार्ग हेतु सहज भक्ति व आस्था को महत्वपूर्ण माना।[47]

डेनियल इगाल्सँ[48] के अनुसार, पहले समय से ब्राह्मण धन प्राप्ति का स्त्रोत शिक्षा संकुल, संस्कृत शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा आदि के माध्यम से प्राप्त किया करते थे। आज संस्कृतज्ञों के लिए यह जानना दुविधापूर्ण है कि विद्या द्वारा अब सांसारिक सुखों को प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य प्रतीत होता है।

विभिन्न खान–पान संबंधी परिवर्तनों के फलस्वरूप बड़े–बड़े शहरों के शिक्षित युवा व पश्चिमीकृत समूह के व्यक्ति प्रमुख रूप से मेजो पर खाना–खाना पसंद करने लगे हैं। इस परिवर्तन की विशेषता यह रही, कि अब कुर्सियां, मेज, बर्तन, चम्मच आदि सामग्री उपलब्ध होने से प्रतिष्ठासूचक एवं सुविधाजनक रूप से उपयोगी हो गई है। इससे ब्राह्मणीय कर्मकाण्डों का प्रभाव कम हुआ है।

हिन्दू व वैष्णव धर्म के बारे में एलिन कारपेन्टर[49] ने लिखा है कि, किसी भी कर्मकाण्ड हेतु ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, यह तो ईश्वरीय देन है। हर जाति, हर समूह समान है, तो प्रत्येक के लिए समान विशेषाधिकार भी होने चाहिए।

ज्योतिबा राव फूले ने विवाह के समय पुरोहित की उपस्थिति को नकारा और जातीय भेदभाव के बिना मानव के महत्व पर बल दिया। इस प्रकार उन्होंने विवाह संस्कार के सरलीकरण पर जोर दिया। अब समाचार पत्रों में भी विवाह संबंधी विज्ञापन छपने लगे हैं जो सुलभता से वर–वधु को ढुंढने का एक सरल माध्यम बनता जा रहा है। पश्चिमीकृत आधार पर वर–कन्या की तलाश होने लगी है। नगरीकरण की बढ़ती गतिशीलता ने पश्चिमीकृत आचार–विचार को अपना लिया है एवं परम्पराओं का पतन हुआ है। विवाह के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो दहेज की घृणित प्रथा के कारण लोग परम्परागत ढाँचे से बाहर विवाह को प्राथमिकता देने लगे हैं। दहेज की बढ़ती मांग, नौकरियां की उच्चता पर निर्भर करने लगी है। उच्च प्रतिष्ठित सेवा वाला व्यक्ति अधिक दहेज मांगेगा आदि।

आधुनिक भारत में महिला प्रस्थिति कुछ कम हुई है, लेकिन मध्यकाल तक तो महिला प्रस्थिति अपेक्षाकृत अधिक दुखदायी थी। महिला पर अत्याचार की सीमा आधुनिक काल में रूकी है, लेकिन पूर्ण रूप से आज भी महिला अत्याचारों का कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, पर्दापण हो रहा है। हिन्दू स्त्रियों की पारिवारिक स्थिति में हो रहे परिवर्तन ने स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन तो लाया है, लेकिन फिर भी उनकी तुलना वैदिक युग की नारी प्रास्थिति से नही की जा सकती है।

सन् 1955 में ''हिन्दु विवाह तथा विवाह–विच्छेद अधिनियम'' पारित होने से विवाह के सम्बन्ध शिथिल हुए एवं कठिन विवाह नियमों में हिन्दू स्त्रियों को विवाह–विच्छेद का अधिकार प्राप्त हुआ है। इस अधिकार ने स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवार के कर्ता पुरूष की आशाओं को न तो अंतिम कहा जा सकता है, और ना ही उसे ईश्वरीय सत्ता माना जाता है। आयु के स्थान पर व्यक्तिगत योग्यता का परिवार में प्रमुख स्थान बन गया है। किसी भी समस्या का समाधान एक व्यक्ति द्वारा न होकर परिवार के सभी सदस्यों द्वारा सम्पादित होता है। परिवार की परम्परागत व्यवस्था में ह्रास होने से सभी सदस्यों के अधिकार व कर्तव्यों की प्रमुखता बढी है और परिवार व्यवस्था प्रजातांत्रिक आदर्शों की ओर अग्रसर हुई है।[50]

सन् 1939 में हिन्दू स्त्रियों का सम्पति अधिकार कानून बनने से स्त्रियों को संयुक्त परिवार में सम्पति का आर्थिक अधिकार मिला एवं उनके शोषण का स्तर कम हुआ है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक परिवर्तन की नवीन परिस्थितियों से परिवार में केन्द्रिय भूमिका निभाने वाली स्त्रियों को भी पारिवारिक स्थिति ने प्रभावित किया है। शिक्षा का प्रसार, स्त्रियों की जागरूकता, आर्थिक स्वावलम्बन, विवाह–विच्छेद जैसी कानूनी स्वीकृति एवं सम्पति के कानूनी विचारो ने परिवार में स्त्री की स्थिति को प्रभावित किया है। सन्

1956 के हिन्दू उत्तराधिकार के अधिनियम के द्वारा संयुक्त परिवार के विभिन्न परिवार सम्बन्धी भेद दूर हुए एवं स्त्री–पुरूष समानता का उद्‌भव हुआ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद संविधान ने स्त्री शिक्षा को मान्यता एवं अधिकार दिला कर उसकी स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान की है। स्त्रियाँ घर से बाहर जाकर कार्य करने लगी हैं एवं विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाने लगी हैं। स्त्रियाँ व्यवसायिक जीवन में प्रवेश कर समाज की विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा ले रही हैं, जो समाज में वृहद परिवर्तन को इंगित करता है। स्त्रियाँ घर की चारदीवारी को त्यागकर पुरूषों के समान कंधे से कंधा मिला कर चलने लगी हैं। परिवार एवं समाज में सामाजिक परिवर्तनों ने विभिन्न पारिवारिक ईकाइयों को परिवर्तित कर दिया है।[51] हिन्दू विश्वास कर्मकाण्डों का सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव से धीरे–धीरे प्रभाव कम हुआ एवं परिवर्तन का दौर प्रारंभ होने से नियम व कठोर बंधन से व्यक्ति मुक्त वातावरण में सांस लेने लगा।

<u>सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य</u> :

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को कुछ विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है : थियोडोरसन एवं थियोडोरसन ने बताया है कि मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति को सन्दर्भ एवं दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं, जिनके अनुसार वह परिस्थिति का निरीक्षण या अवलोकन करता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है।

किसी भी घटना, स्थिति या वस्तु का अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। किसी भी विषय की परिभाषा, अध्ययन क्षैत्र, इसकी प्रकृति, सिद्धांत, अवधारणाएं आदि उसके परिप्रेक्ष्य को तय करती है। प्रत्येक विज्ञान में घटना के सभी पक्षों पर ध्यान केन्द्रित नहीं करके केवल एक पक्ष पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। सभी वैज्ञानिक अपने अपने विषय के विशिष्ठ परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, किसी एक ही घटना या तथ्य का अध्ययन करते हैं और ज्ञान की वृद्धि में योग देते हैं।

समाजशास्त्रीय समाज समूह सामाजिक अन्तःक्रियाओं, सामाजिक संबंध, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक सरंचना, सामाजिक व्यवस्था एवं इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। इन परिवर्तनों से सामाजिक व्यवस्था, सहयोग, एकाकीकरण आदि घटते हैं या बढते है एवं यह पता लगाने का भी प्रयास करते हैं कि अन्य घटनाएं तथ्य या वस्तुएं मानव समाज, समूह, सामाजिक व्यवस्था, एवं सगठन को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं।

<u>संरचनात्मक प्रकार्यवादी उपागम</u> :

सरंचनात्मक प्रकार्यवादियों की प्रमुख रूचि संरचनाओं के कारणों एवं प्रकार्यों में रहती है, जो समाज में स्थापित है एवं परिवार व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हैं। ये प्रकार्य परिवार में बच्चों का लालन–पालन,

सुरक्षा एवं समाजीकरण के रूप में होते हैं। यदि परिवार में यह सरंचनाएं न हो तो, हम समाज में जीने की कल्पना भी नही कर सकते ।

पारसन्स[52](1943) "The Kinship system of the Contemporary United States" सरंचनात्मक प्रकार्यवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में पारसन्स ने अमेरिका शहर में अमेरिकन एकाकी परिवार से सबंधित विचारधारा दी। इसके अतंर्गत नातेदारी व्यवस्था एवं प्रकार्यवादी समस्याओं की चर्चा की सामान्यतः अमेरिकन परिवारों में पति–पत्नि और बच्चे वृहद परिवारों से अलग निरपेक्ष जीवन जीते हैं एवं भौगोलिक आधार पर भी परिवारों से दूरी बनाये रखते हैं। पारसन्स 1943 ने अमेरिकन समाज में विभिन्न पारिवारिक संस्थाओ के अध्ययन मे शिक्षा, धर्म, राजनीतिक और आर्थिक आदि प्रकार्यों को शामिल किया। परिवर्तित परिस्थितियों में इन प्रकार्यो का स्थान चर्च, स्कूल, पादरी, राजनीतिक दलों, स्वंय सेवी संस्थाओं एवं औपचारिक व्यवसायिक समूहों ने ले लिया । अब परिवार के प्रकार्य इन्ही संस्थाओं द्वारा सम्पन्न किए जाने लगे हैं।

पारसन्स और बेल्स[53] 1955 ने "Family socialization and Interatcation Process" में एकाकी परिवार की विशेषताओं पर बल देते हुए उन्हें औद्योगिक नगरीय परिप्रेक्ष्य से जोडा है जो व्यवसायिक रूप से आधुनिक समाज में स्वतन्त्रतापूर्वक कहीं भी निवास कर सकते हैं एवं परम्परागत बंधनो से मुक्त होते हैं।

<u>मार्क्सवादी उपागम</u> :

सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता के रूप में मार्क्सवादी विचारधारा स्थायित्व की तुलना में परिवर्तन को अधिक महत्व देती है। मार्क्सवादी विचारक सामजिक घटनाओं की खोज व व्याख्या करने के साथ–साथ आर्थिक कारकों की भूमिका, वर्गों के संबंध और अन्तर, सामूहिक संघर्ष, जैसे विषयों में रहती है। मार्क्स ने परिवार के व्यवहार को विलक्षण एवं सार्थक रूप से समझाया, वहीं हेलेन ने इसे एक अलग उपागम के रूप में माना।[54]

<u>संघर्ष उपागम</u> :

परिवार संस्था सहयोग पर आधारित सरंचना है और यह सरंचना प्रेम, स्नेह, त्याग, मेल मिलाप पर आधारित होती है। लेकिन हम इस वक्तव्य को नही नकार सकते कि किसी भी परिवार में, चाहे वह संयुक्त परिवार हो या केन्द्रकृत परिवार, सहयोग के साथ–साथ, संघर्ष, झगड़ा, मनमुटाव भी हो जाया करते हैं और इनके बिना हम एक समाज की कल्पना भी नही कर सकते हैं। समाज में परिवार रूपी संस्था में इन सभी तत्वों का होना सामान्य बात है।[55]

एजिंल[56] (1884/1992) “The Origin of the Family Private Property and The State” ने परिवार को एक छोटा संघर्ष वर्ग माना जिसमें एक वर्ग पुरूष एवं दूसरा महिला वर्ग को माना, जो परस्पर अधिकारों एवं दायित्वों को लेकर संघर्षरत हैं। स्प्रे[57](1979) “Conflict Theory and The Study of Marriage and The Family in Wesley ने संघर्ष उपागम को सभी सामाजिक व्यवस्थाओं एवं अन्र्तक्रिया का एक भाग माना, उन्होने परिवार के सदस्यों में संघर्ष के कारणों मे अधिकारिता, स्वायत्ता एवं विशेषाधिकार को माना। परिवार की सरंचना में अन्र्तक्रियात्मक संबंधों की महत्ता, समझौता, समस्या का समाधान एवं संघर्ष प्रबंधन, प्रमुख रूप से परिलक्षित होते हैं।

<u>अन्र्तक्रियावादी उपागम</u> :

इस परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत परिवार, अपने सदस्यों से अन्र्तक्रियात्मक रूप से एक दूसरे से संबधित होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से अन्र्तक्रियात्मक रूप से सबंधो के रूप में सबंधित होते हैं। इसमें कर्त्ता की क्रिया का परिवार के सदस्य क्या अर्थ लगाते हैं इन अन्र्तक्रियात्मक सबंधो का मुख्य महत्व होता है एवं परिवार के सदस्य किस प्रकार अन्य के व्यवहार भाषा, तरिकों या संकेतों को समझते हैं, जो परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। अन्र्तक्रियावादी परिवार में व्यक्तिगत तथा वैवाहिक सामजंस्य की प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हैं, अर्थात् पारिवारिक तनाव जैसी स्थितियों से मुक्त होने के तौर–तरीकों पर भी विचार करते हैं।

भारतीय परिवार का विश्लेषण संरचनात्मक एवं अन्र्तक्रियावादी रूप से किया गया है। यह मूल्यांकन मुख्य रूप से जिन समाजशास्त्रियों पर आधारित है, वह है आई पी देसाई, के एम कापडिया, एलिन रास, एम एस गोरे, सचिदानन्द, ए एम शाह। अन्र्तक्रियावादी उपागम एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम है, जो परिवार के विभिन्न पारस्परिक आदर्शों पर जोर देता है। कूले (1902/1964), मीड (1943/थामस (1928) एवं बर्जेस और लॉक (1945) ने परिवार के विभिन्न ंआदर्शो का वर्णन किया है।

बर्जेस एवं लॉक (1945)[58] ने परिवार के प्रकार्यों आर्थिक, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं परिवार के धार्मिक प्रकार्यो को एक से दूसरी संस्था में स्थानान्तरण के रूप में देखा। परिवार मे यह स्थानान्तरण सुख–शांति एवं सदस्यों के व्यक्तिगत विकास हेतु आवश्यक है।

<u>आधुनिकीकरण उपागम</u> :

आधुनिकीकरण का उपागम परम्परागत स्थायित्व के स्थान पर प्रगति को महत्व देता है। गुडे (1963)[59] World Revolution and Family Patterns के अन्तर्गत औद्योगिकरण और नगरीकरण के होने से वृहद परिवार ,एकाकी वैवाहिक जीवन की और अग्रसर हो रहे हैं। आधुनिकीकरण अधिकाधिक रूप से उच्च

शिक्षा एव जनंसचार के साधनों के विकास पर बल देता है, जो एक उच्च प्रजांतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह पहली आवश्यक शर्त होती हैं । आधुनिकीकरण द्वारा यातायात व सम्प्रेषण की सामाजिक व्यवस्था परिष्कृत एवं सुलभ है। यह सुलभता जनसंख्या की गतिशील प्रवृति सामाजिक, भौगोलिक, दोनो रूपो में नगरीयता की प्रवृति को आधार प्रदान करती है। सयुंक्त परिवार एकाकी मे बदलने लगते हैं। धर्म का प्रभाव कम होता जाता है एवं धर्म निरपेक्ष प्रवृति, व्यावसायिक एवं मुद्रा व्यवस्था से बाजार व्यवस्था का आर्विभाव होता है।

समाजशास्त्रियों ने नगरों के परिस्थितिकीय तंत्र एवं सामाजिक सरंचना का विश्लेषण विभिन्न सैद्धांतिक उपागमों के आधार पर किया है।

नगरीय सामाजिक–सांस्कृतिक परिप्रेक्षय :

मैक्सवेबर (1958)[60] "The City" पुस्तक में नगर की संस्कृति का विश्लेषण पूर्व एवं पाश्चात्य देशों की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया है तथा धार्मिक एवं आर्थिक व्यवहार के पारस्परिक संबंधो का विश्लेषण किया व पूर्व व पाश्चात्य देशों के नगरीय आदर्श प्रारूप की सास्कृतिक व सामाजिक मूल्यों की नगरीय परिस्थितिकी से तुलना करते हुए प्रमुखता प्रदान की। वेबर का मानना है कि, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था एक स्वतंत्र चर है एवं नगरों की सामाजिक सरंचना अपेक्षाकृत निर्भरता पर आधारित परिर्वतन हैं।

नगरीय सम्प्रदाय परिप्रेक्षय का विश्लेषण :

इस उपागम के विभिन्न समाजाशास्त्रियों में सिमेल (1965) “The Metropolian and mental life व दुर्खीम (1912) “Elementay froms of religious life प्रमुख है। पूर्व औद्योगिक नगर से औद्योगिक नगरीय जीवन शैली मे होने वाले परिवर्तन व प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया। यह नगर को एक मुख्य घटक मानकर भारत की परिस्थितिकीय व सामाजिक सरंचना का विश्लेषण करते हैं।[61]

प्रौद्योगिकीय विश्लेषण :

इस उपागम के समर्थक नगरीय सामाजिक एवं पारिस्थतिकीय संरचना को प्रौद्योगिकी आधार पर बतलाते हैं। आगबर्न (1964)[62] “On Culture and the Social Change पुस्तक में व सजोबर्ग (1960) “Industrial City में नगर में निवास क्षेत्रों के विकास एवं सगंठनात्मक सरंचना के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी प्रभाव की व्याख्या की है व नगरीय समाज पर पडने वाले प्रौद्योगिकी प्रभावों का विश्लेषण किया है।

विभिन्न सैद्धांतिक उपागमों से यह परिलक्षित होता है, कि नगरो की सामाजिक स्थिति के विश्लेषण हेतु तीनो तत्व, संस्कृति, नगर एवं प्रौद्योगिकी अति आवश्यक है। नगर की दशाएं, अस्थिर एव निरतंर

परिवर्तनशील व विविधतापूर्ण है। इसके अध्ययन हेतु नगर के पारिवारिक सबंधो व उसके सामाजिक जीवन पर पडने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

औद्योगिक प्रगति के साथ–साथ भारत में नगरों की जनसंख्या भी बराबर बढ़ती चली आ रही हैं। जनंसख्या की वृद्धि से नगर की धरती पर बोझ बढ़ता जा रहा है। नए– नए कल कारखानों, मकानों, दुकानों, बाजारों, दफ्तरों आदि के बढते जाने से नगर की भीड़–भाड़ बढती जाती है। भूमि का मूल्य बराबर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली जैसे बड़े नगर में भूमि का मूल्य पाँच सौ रूपये प्रति वर्ग गज से लेकर हजारों रूपये प्रति वर्ग गज हो गया है। कलकत्ता एवं मुम्बई जैसे शहरो में यह ओर अधिक विकराल रूप ले रहा है। भविष्य मे उत्पन्न होने वाली ज्ञात एवं अज्ञात कठिनाईयों का सामना करने के लिए योजना बनाना आवश्यक हो गया है।

नगर नियोजन :

नियोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र को अपने नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि, उन्हें अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए, वर्तमान साधनों को इस प्रकार से प्रयोग करना है, जिससे इनका और समाज का अधिक से अधिक हित हो इसके साथ ही समाज व्यवस्थित रूप से प्रगति कर सके, जिससे समाज के अधिकतम व्यक्तियों का हित हो सके।

काल मानहिम[63] (1997) में अपनी पुस्तक "Man and Society in an age of Reconstruction" में नियोजन की अवधारणा का अध्ययन करने को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा है। इस पुस्तक में न केवल नियोजन की ऐतिहासिक पुष्ठभूमि को स्पष्ट किया है, बल्कि अर्थ एवं उद्देश्यों पर भी प्रकाश ड़ाला गया है। नगर नियोजन में विभिन्न मास्टर प्लान योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य किए जा रहे हैं। दिल्ली के चारों ओर नेशनल केपिटल रीजन प्लान के अन्तर्गत विकास हो रहा है, जिसमे दिल्ली संघ के क्षेत्र के अतिरिक्त, हरियाणा और उतर प्रदेश के कुछ भाग सम्मिलित है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, पं0 बंगाल, बिहार,, उडिसा, एवं मध्यप्रदेश मे हो रहा है।

साहित्य की समीक्षा :

बर्गल ई.ई.एवं थियोडोरसन एवं थियोडोरसन ने (1955)[64] “Urban Sociology पुस्तक में अपने अध्ययनों के निष्कर्ष में पाया कि, समाज में तीव्र परिर्वतन होने के लिए नगरीय मूल्य उत्तरदायी रहे हैं, साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि परिर्वतन का प्रभाव समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन के विविध पक्षो पर पडा है।

लुई वर्थ ने (1938)[65] "Urbanism As a way of life पुस्तक में अपने अनुभावात्मक अध्ययन के दौरान यह देखा कि ग्रामीण जन, नगरीय मूल्यों को एक जीवन विधि के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, साथ ही उन्होनें लोगों को व्यवहारों तथा दृष्टिकोणेां में उत्पन्न हुए परिवर्तनो को बताया है।

Faris robert E.L. (1948)[66] नें "Social Disorganization" में अपने अनुभवात्मक अध्ययन में सामाजिक परिवर्तन में उत्पन्न हो रही बाधाओ को इंगित किया है। तेजी से हो रहे परिवर्तनों के कारण समाज में एक असंतुलन की स्थिति जन्म ले रही है, परिणामस्वरूप प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है।

आई.पी. देसाई (1956)[67] "Joint Family in India ;An Analysis" पुस्तक में गुजरात के महुवा नगर के नगरीय परिवारों मे परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में, अपने प्रमुख निष्कर्ष दिये। उनमें बताया कि (1) एकाकीकता बढ रही है एवं परिवार की संयुक्ता कम हो रही है एवं आवासीय एवं सगंठनात्मक प्रकार के परिवारों मे पति– पत्नि व बच्चों को प्रमुखता दी गई है। (2) व्यक्तिवाद की भावना में कमी हो रही है और इस कारण परिवार का आवासीय एवं संगठनात्मक रूप से एकाकी होना है। (3) संयुक्ता वाले नातेदारी सबंधो की परिधि सकुंचित होती जा रही है।

के.एम. कापडिया (1956)[68] "Rural Family Patterns पुस्तक में गुजरात के सूरत जिले के नगर नवसारी व इसके आसपास के 15 ग्रामों का अध्ययन किया। यह एक तुलनात्मक अध्ययन था, जिसमें 18 प्रतिशत नवसारी नगर एवं 82 प्रतिशत समीप गाँवो के थे, जिसमें कापडिया ने पाया कि ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार भी एकल परिवारों के समान थे एवं जातीय आधार पर प्रधानता परिलक्षित होती है। संयुक्त व एकाकी परिवार का अनुपात 5 : 3 है। निम्न जातियों मे एकाकी परिवारों की प्रधानता एवं संयुक्त परिवार कृषि कार्य से जुडे हैं। निष्र्कतः नगरीय समुदाय में भी एकाकी परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवार संख्या में अधिक है एवं बडे नगरो में एकाकी व छोटे शहरो में संयुक्त परिवार अधिक निवास करते है।

एडविन ड्राईवर (1962)[69] "Family structure and Soico-Economic Status in Central India" में बंबई राज्य के नागपुर जिले का अध्ययन किया जिसमें यह पाया कि नगरीय क्षेत्र में एकाकी परिवार की अधिकता व ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार की अधिकता है।

सी.एच. कूले (1962)[70] "The Theory of Tansporatation" के अनुसार, नगरीय विकास के अध्ययन से यह परिलक्षित होता है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के भौतिक कारक, जैसे यातायात की सुविधा, आवास व गृह निर्माण की व्यवस्था, भोजन, वस्तु एवं सामाजिक सामर्थ्य आदि नगर निर्माण व जनसंख्या की गतिशीलता के अनुकूल कारक रहे है। एण्डर्जन (1964)[71] "Over Industrial Urban Civilization" का अध्ययन भी इसी दृष्टिकोण की पुष्टि करता है, कि औद्योगिक विकास के कारण भी नगरीय मूल्य ग्रामीण परिवार, विवाह नातेदारी आदि जैसी संस्थाओं में परिवर्तित आया है, साथ ही इसके प्रसार हेतु उन्होंने संचार साधनों, विशेषकर रेड़ियो टेलीविजन आदि को उत्तरदायी माना है। जाल बलसारा

(1965)[72] “Problems of rapid urbanization in India ने बंबई के संयुक्त व केन्द्रीय परिवारों के अध्ययन के अनुसार केन्द्रीय परिवारों का अनुपात बढ़ रहा है।

रास ;1967[73] “The Hindu Family in Its Urban setting” के समीक्षात्मक अध्ययन में रास ने भारत में परिवार पर अध्ययन किया ओर नमूने के तौर पर हिन्दू मध्यम व उच्च वर्गीय शहरी परिवार में परिवर्तन को इंगित किया है। जिससे परम्परागत संयुक्त परिवार स्वंय के रचनात्मक तत्व को त्याग कर केन्द्रीय पारिवारिक ईकाई का और अग्रसर है। खान (1968)[74] “Changing urban family patterns" कें अध्ययन को नगरीय परिवारों में परिर्वतन के प्रतिमान के नाम से जाना जाता हैं। इस अध्ययन मे उन्होने पाया कि नगरीय क्षेत्रों में परिवार सस्ंथा परिवर्तन के दौर में है। अपने शोध में उन्होने पाकिस्तान का आजिमपुर शहर को अध्ययन क्षेत्र बनाया ओर पाया कि 1947 के बाद से इस क्षेत्र मे तीव्र गति से परिवर्तन दिखाई दे रहे है। खान ने 1968 उघोगो के विकास औद्योगिक ईकोईयों, मिल आदि की औद्योगीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप परिवार में परिवर्तन की प्रक्रिया को पाया एवं शोध निष्कर्ष यह बताते हैं कि परिवार की संरचना मे भी यह परिर्वतन परिलक्षित होते हैं। ए .एम. शाह (1973)[75] “The Household Dimension of the family of India" के भारत में किए गए अध्ययनों मे पारस्परिक संबंधों को औद्योगीकरण, शहरीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखने की प्रवृति दिखायी देती हैं। इस आधार पर तीन परस्पर आधारभूत मान्यताएं परिलक्षित होती हैं।

(1) भारत का परम्परागत समाज ग्रामीण समाज था ओर संयुक्त गृहस्थ जीवन, भारतीय समाज की एकमात्र विशेषता थी।

(2) शहरी समाज नवनिर्मित समाज है ओर एकाकी परिवार उसकी विशेषता है।

(3) शहरीकरण के परिणामस्वरूप, संयुक्त गृहस्थ जीवन का विघटन होता है तथा प्राथमिक गृहस्थ जीवन का आर्विभाव होता है।

सुब्राता लाहिरी (1972)[76] "Preference for sons ideal family size:the Indian urban situation" के अनुभावात्मक अध्ययन में नगरीय जनंसख्या के बढते कदम और उसके प्रभावों की विस्तार से चर्चा की है। उन्होनें अपने अध्ययन में परिवार नियोजन के परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है और उसे ग्रामीण जीवन मे हो रहे संगठनात्मक परिर्वतन का एक आवश्यक साधन माना है। <u>Dhirendra Narain</u> 1975[77] “Explorations in the family and other eassys” में प. बंगाल के 4210 परिवारों का अध्ययन किया एवं यह निष्कर्ष पाया कि संयुक्त परिवार की संरचना समय के साथ एकाकी परिवारों में परिवर्तित हो रही है। संयुक्त परिवार का स्थान एकाकी परिवारों ने ले लिया है।

जेदी (1976)[78] “Decision making in family life" में परिवार के एक अध्ययन में सामाजिक वर्ग में परिवार के मुखिया को प्राथमिकता दी है। मध्यम व निम्न वर्ग मे माता–पिता अपने बच्चो पर पूर्ण नियंत्रण

रखते हैं, जबकि उच्च वर्ग में माता–पिता का अपने बच्चों पर पूर्ण नियत्रंण नही पाया जाता है। अपने अध्ययन में जेदी नें, उच्च व मध्यम वर्गीय परिवार के उत्तरदाताओ में, परम्परा एवं वृद्धो के सम्मान व वृद्धों के प्रति सम्मान की भावना कम परिलक्षित होती है। अध्ययन के निष्कर्ष यह भी बताते हैं कि, करांची के परिवार जो प्रवजन के दौरान भारत आए, वह अपनी परम्परा एवं मूल विचारों का परित्याग करके यहाँ आए, यह स्थिति उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के प्रति एक अपवाद है।

नायिक ने 1979[79] "Some structure aspects of urban family" में संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में परिवारों का अध्ययन किया। इसके अन्तर्गत भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था, नगरीकरण एवं औद्योगीकरण के फलस्वरूप परिवर्तन के दौर में है, इन्होने परिवार के अन्य संरचनात्मक पहलुओं जिनके अन्तर्गत परिवार का आकार, परिवार की सरंचना , आश्रितता प्रतिमान, व्यवासायिक आदर्श एवं पारिवारिक आय से सबंधित विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन किया इनके अवलोकन के अनुसार नगरीकरण एवं औद्योगीकरण का कारण एकाकी परिवार का आनुपातिक रूप से पतन होना नही है, जो भारतीय समाज के केन्द्रीय तत्व हैं। इसी रूप में शिक्षा, जाति और धर्म परिवार के प्रकार को प्रभावित करता है, यद्यपि कुछ सामूहिक व्यापारिक एवं उद्यम संयुक्त परिवार व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ओलसन (1983)[80] "Families What Makes them Work" पुस्तक में सामान्य परिवारों की जीवन–शैली एवं संघर्ष का अध्ययन किया। अपने अध्ययन को ओलसन ने पाँच सैद्धातिंक आयामों, जिनमे परिवार का आकार, पारिवारिक साधन, पारिवारिक तनाव एवं परिवर्तन, पारिवारिक संघर्ष, वैवाहिक तुष्टिकरण में बाँटा। इस आधार पर यह निष्कर्ष परिलक्षित होते हैं, कि परिवार के सदस्यों में अलग–अलग आधार पर विभाजन हैं। पारिवारिक सामर्थ्य एवं पारिवारिक तनाव भी परिवार की विभिन्न सरंचना में विभिन्ता लिए होते हैं, उन्होने अपने अध्ययन मे वैवाहिक संबंधों एवं पारिवारिक संबंधों में एक मजबूत संबंध देखा।

एम. एस गोरे[81] 1990 ने 1960 मे "Urbanzation and Change" हरियाणा में निवासित अग्रवाल परिवारो का अध्ययन किया और पाया कि प्रथम श्रेणी के एकाकी परिवारों में (व्यक्ति, उसकी पत्नि एवं अविवाहित बच्चे) हैं एवं दूसरी श्रेणी ने (व्यक्ति, उसकी पत्नि, एवं अविवाहित बच्चे, भाई, भाई की पत्नि एवं उसके अविवाहित बच्चे) एवं तीसरी एवं चौथी श्रेणी में संयुक्त परिवार सम्मिलित है। ए के लाल (1990)[82] "The Urban Family: Study of Hindu Social System" में हिन्दू परिवार पर हुए अपने अध्ययन में सामाजिक व्यवस्था के तीन आवश्यक रूप परिवार, ग्राम व जाति बताए हैं। यद्यपि, जाति व ग्राम का समग्र रूप से भारतीय व विदेशी समाजशास्त्रीयों को हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं। किन्तु, परिवार के अध्ययन अभी भी गहन व विस्तार से करने की आवश्यकता है।

रघुवीर सिन्हा (1993)[83] "Dynamic of change in the modern hindu family" के अपने उत्तर आधुनिक समाज के अध्ययन में भोपाल शहर के अध्ययन में, संयुक्त परिवार का एकाकी परिवार मे परिर्वतन का उल्लेख किया हैं, जहाँ उन्होंने पाया कि संयुक्त परिवार व्यवस्था में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे है। ए. एम. शाह (1998)[84] "The family in India" ने सैद्धांतिक पद्धतिशास्त्रीय आधार और कूटनीतिक तथ्यों को आधार मानते हुए भारत में परिवार पर निबंध की रचना की। प्रो0 शाह के कार्य, भारत में परिवार व्यवस्था में अत्यंन्त चुनौतीपूर्ण रहे हैं।

सुषमा चतुर्वेदी (2003)[85] ने "हिन्दू परिवारो के बदलने प्रतिमान" में पारिवारिक स्वरूपों, आदर्शों, मूल्यों, प्रतिमानों आदि की परम्परागत स्वरूपों में हो रहे प्रवाहमान परिवर्तनों को बतलाया है। हिन्दू परिवारो के बदलते प्रतिमान में सुषमा चतुर्वेदी ने 9 अध्यायों को अपनी अध्याय योजना में सम्मिलित किया है। पहले में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हिन्दू पारिवारिक जीवन, द्वितीय अध्याय में, हिन्दू परिवार एवं परिवार, तृतीय अध्याय मे, हिन्दूत्व की लघु एवं दीर्घपरम्पराएं तथा परिवर्तन, चतुर्थ अध्याय में, पारिवारिक सत्ता व मुखिया की स्थिति, पंचम अध्याय में, भारतीय परिवार एवं नगरीकरण, छठे अध्याय मे, ंभारतीय परिवार में सरंचनात्मक परिवर्तन, सातवें अध्याय में, हिन्दू स्त्रियों की पारिवारिक एवं सामाजिक प्रस्थिति, आठवें में पारिवारिक संबधो एवं प्रतिमानों की गतिशीलता, नवें अध्याय में हिन्दू संयुक्त परिवार का भविष्य एवं संदर्भ ग्रंथ सूची।

लीना कश्यप (2004)[86] The impact of modernization on Indian Families में भारत को तीव्र रूप से नगरीकरण की प्रक्रिया का एक अंग माना है, जिसमें सामाजिक राजनीतिक व आर्थिक रूपों में परिवर्तन इतिहास से चला आ रहा है। समाज में परिवार व्यवस्था में एक स्थायित्व दिखाई पडता है, किन्तु तेजी से हो रहे सामाजिक परिवर्तन के कारण उसमें भी एक अस्थायित्व व ग्रहण करने की स्थिति जन्म लेने लगी है। तुलसी पटेल (2005)[87] ने पुस्तक "Family in India,Structure and Practice Themes in Indian Sociology" में भारतीय हिन्दू परिवार का विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया है। भारत के दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र के दिल्ली एवं गुजरात राज्य का अध्ययन किया है। जिसमें भारतीय हिन्दु परिवार मे हो रहे परिवर्तनों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उल्लेख किया है। जिसमे जाति, पारिवारिक सरंचना प्रकृति, समायोजन, बदलते प्रतिमानो का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। तुलसी पटेल ने अध्याय योजना को 13 अध्यायो में विभक्त किया है। जिन्हे 3 वर्गो में बाटँकर विस्तारित किया है। पहले अध्याय में, प्रस्तावना फिर **प्रथम वर्ग** में, परिवार की प्रकृति एवं विस्तार, द्वितीय अध्याय में परिवार की प्रकृति, तृतीय अध्याय में भारत में परिवार : उपेक्षित, उपागम एवं समस्याएं, चतुर्थ अध्याय में भारतीय परिवार में प्रस्तुत शोध से सबंधित कुछ समस्याएं एवं भारतीय परिवार में परिर्वतन। **द्वितीय भाग** में, भारतीय संयुक्त परिवार आनुमानिक अध्ययन में पंचम अध्याय में भारत में हिन्दू परिवारः एक विश्लेषण छवें अध्याय में जाति एवं हिन्दू परिवार, सातवें अध्याय में बादलपुर मे परिवार के प्रकार एवं महाराष्ट्रीय ग्राम में परिवर्तित संस्थाओं का एक विश्लेषण, आठवें अध्याय में बदलते

परिवार, नवें अध्याय में केन्द्रीय भारत में परिवार संरचनो एवं प्रशासनिक, आर्थिक परिस्थिति, दसवें अध्याय में, हिन्दू परिवार की प्रक्रिया। **तीसरें भाग** में व्यक्तिगत अध्ययन का उल्लेख में ग्यारहवें अध्याय में दक्षिण पश्चिम भारत में परिवार, संस्था, बारहवें अध्याय में, दिल्ली में खत्री परिवार के नातेदारी समूहो का अध्ययन, एवं तेहरवें अध्याय में उत्तरी गुजरात के कस्बे के ठाकुर परिवार के परिवार एंव घरेलु अध्याय का उल्लेख किया है।

अमित अग्रवाल[88] ने 2010 में भारत में नगरीय समाज के अन्तर्गत भारत में नगरीय समाज के विकास एवं उनकी समस्याओं का परिचय एवं नगरों से सबंधित अन्य जानकारी प्रदान की है। अमित अग्रवाल ने दो सेमेस्टर के माध्य से अध्याय योजना तैयार की है। **प्रथम सेमेस्टर** मे नगरीय समाजशास्त्र की अवधारणा और इसके अध्ययन का महत्व, नगरीय समुदाय, भारत में नगरीय समाज, नगरीय केन्द्रों का वर्गीकरण—नगर और कस्बे, भारतीय नगर और उनका विकास, नगरीय समाज का बदलता व्यवसायिक ढाँचा, प्रवास की समस्या, निर्धनता तथा पर्यावरणीय समस्या से सबंधित विषयों पर आधारित अध्याय सम्मिलित किए हैं। **सेमेस्टर–2** में भारतीय नगरों का विकास एवं समस्याएं कस्बे, नगर महानगर तथा विराटनगर मे अन्तर, नगरो की सामाजिक समस्याएं नगरो मे राजनीति नगरो में शैक्षणिक केन्द्र, मास मीडिया, कम्प्युटरों एवं सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबधित विषयों पर आधारित अध्याय सम्मलित किए हैं।

Reference

1. Wirth lui(1938) "Urbanism as way of life", Vol-44, No.-1, American Journal of Sociology, the University of Chicago press.
2. सिंह, जे. पी., (2005), आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, प्रिटंर्स हाल आफ,इण्डिया, नई दिल्ली पेज–276
3. Devis lui ,(1965) The Urbanization of human population vol.-213. no.3 scientific american
4. अग्रवाल अमित, (2010), भारत मे नगरीय समाज, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पेज–41
5. Ibid पेज–42
6. Ibid पेज–46
7. भार्गव अरूणा (1996), ग्रामीण नगरीय सरंचना, प्रिटवेल, जयपुर, पेज–8
8. Ibid पेज– 3
9. गोयल सुनील, (2000), नगरीय समाजशास्त्र की अवधारणा, R.B.S.A. पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, पेज–43
10. Devis kingsly (1951), "Population of India and Pakistan" princeton university press.
11. Encyclopedia of sociology(2011), rawat publication jaipur pp-42.
12. Rao M.S.A.,(1991),"Reader in urban sociology", orient longman,New Delhi,
13. Gore M.S.(1990),Urbanization and Family change bombay popular publication
14. India Govt. cencus of india,(1971) Vol.-1, part-I-A
15. गोडवाल, गौरव (2010)''महानगरीय परिसीमा अभिवृद्धि का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' (Thesis), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
16. C.N.A.S. Journal(2001)july 188 vol.-28 no.2
17. Paul & Meadows, (1965), Urbanism, Urbanization and Change, addition wesley hardcover
18. सिंह महेन्द्र नारायण, (1987), नगरीय परिवेश और हिन्दु परिवार के बदलते प्रतिमान,विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज–170
19. Maclver & page, (1962), "Society: An introductory analysis", Newyork, holt, rinehart and Winston, pp-301
20. अग्रवाल अमित, (2010), भारत मे नगरीय समाज, विवेक प्रकाशन दिल्ली
21. Karwaỳ, Irawati (1953 : 21) Kinship organization in india,asia publishing house bombay,

22. Kapadia K.M.(1966 :220) " Marriage and Family in india",oxford university press)
23. Ibid..
24. John Murray, 1861"Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society, and Its Relation to Modern Ideas". London:)
25. Maclever & Page (1959), Society , macmillan & co LTD london
26. Leslie Geralad R.(1982 The family in social, Context oxford university press london
27. Murdock George p.(1949) "Social structure", oxford, England macmillion xvii pp-387
28. Ross Aileen D. (1961) "The hindu Family in its Urban Settings", oxford university press, toronto
29. Karway Irwati (1953) "Kinship organization in india", Deccan college, asia publishing house Dehli
30. Sharma Ravindra (2004) "Indian Society", Institution and change, Atlantic publishers Dehli, pp-99
31. Prabhu, P.N.,(1963),"Hindu Social Organization;A Study in Social psycological and Ideological foundation", Popular Prakashan,Bombay pp-217.
32. शर्मा राजेन्द्र (2003),"नगरीय समाज", एटलांटिक पब्लिशर्स पेज-51,52,53.
33. श्रीनिवास , एम. एन.(2009) "आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन" , राज कमल प्रकाशन दिल्ली पेज-18.
34. Ibid...pp-441
35. Ghurye G.S.(1950) "Caste And Race in India",Bombay,pp-57
36. Shah(1994)"Identity,Commual Conciousness and politics ";Economic and political weekly 29(19)may7
37. H.A.Gold (1961)"Sanskritilization And westernizatio"economic weekly , vol.13,no.15,june 24,pp-947.
38. Sriniwas,M.N.(2009)Ibid..pp-108-109
39. Ibid...pp-23
40. Blondel j.(1963),"Voters ,Parties and Leaders", social fabric of british politics(pelican)penguin books, pp-38.
41. शिल्स. ई (1961)"परम्परा व आधुनिकता के बीच बुद्धिजीवी भारतीय प्रस्थिति", द हेग, पेज -20
42. अग्रवाल गीताजंली (2008) "भारतीय सामाजिक दर्शन", धर्मशास्त्रो के परिप्रेक्ष्य में, न्यू भारतीय बूक कॉरपोरेशन पेंज नं -144
43. शर्मा रविन्द्र के (2004)Ibid.. pp-124
44. Sinha Raghhuvir(1975)"Social change in Indian society",Progress publishers, Bhopal,pp-III-IV.
45. Kapadia K.M.(1966)"Marriage and family in India" ,Oxford University Press Bombay,PP-309.

46. सच्चिदानंद स्वामी (1988) "अधोगति मूलवर्ण व्यवस्था", समन्वय प्रकाशन अहमदाबाद
47. Majumdar R.C.(1963)"Caste in India",Oxford,pp-403,404.
48. Singer M.(1959)" Traditional india:Structure and change"American folklore society,bibliographical series .pp-7
49. कारपेन्टर, जे. ई. (1926), "मध्यकालीन भारत में ईश्वरवाद" लंदन पेज 448, 452
50. Mowrer R.(1932)"The Family",University of Chicago press p-274,275
51. Chatturvedi, Sushma(2003)"Ibid.. p-12-13
52. Parsons T., (1943) "The kinship system of the contemporary united .states, American Anthropologist, Indian polisInd, Bobbs-merrill college division, blackwell publishing, Vol-45,issue-1,pp-45,22-8
53. Parsons T. & Bales R.,(1955), "Family socialization and interaction process, Gelncoe free press.
54. Hallen G., (1981), "Family Researcher in india,Approches towards theory building ,India journals of social research 22-1-57,Merton,R.K. (1957)"Role-Set problems in sociological theory british journal of sociological 8;106-120)
55. मुखर्जी आर. एन. (2009) समाजशास्त्र का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य विवेकप्रकाशन नई दिल्ली पेज 139
56. Engels, F.(1884/1902)"The Origin of the family private property and the state",New york ,Path finder,Press in wesley R.B.
57. Sprey J.(1979)"Confict Theory and the study of marriage and the family in wesley R.burr. Rebun Hill F.Ivan nye and Ira.L Reiss (eds.) Contemporary theories about family vol.2 New york free press.
58. Burgess, E.W.and Locke,H.J.(1945)"The family form Institution to companionship, New york American book.
59. Goode,W.J.(1963)"World Revolution and family patterns",New york,Free press.Berger,P.and Kellener,H.(1973)"The Homeless Mind:Modernization and Consciousness" New york Random House and Chodak,S.(1973)'Societical development:Five approches with conclusions from comparative analysis'New york ,oxford university press.
60. Weber,Max(1958)"The city"Colleir book edition the free Glunco.
61. Simel,(1965)"The metropolis and mental life",Cities and Society:free press of Glunco ;Tonnis'Fundamental concept of sociology (trans) G.P.Lumis American book Com. New york,1941,Dhurkheim"Elementry forms of Religious Life",Free press.1947.
62. Orgburn(1964)"On culture And social change",University of Chicango press.
63. Mannheim Karl (1997) Man and Society in an age of Reconstruction:studies in modern social structure ,Re-printed by routledge

64. Bergel, E.E. (1955)'Urban sociology',Mcgraw-hill Book, Co. INC, New york,pp-14
65. Worth Loi(1938)"Urbanism as a way of Life",American Journal of Sociology.
66. Faris Robert E.L.(1948)"Soial Disorganization"New york :Ronald press Co..
67. Desai I. P. (1956) The Joint Family in India—An Analysis Journal Article *Sociological Bulletin* Vol. 5, No. 2 (September,), pp. 144-156 Published by: Indian Sociological Society
68. Kapadia K. M. (1956) RURAL FAMILY PATTERNS: A STUDY IN URBAN-RURAL RELATIONS *Sociological Bulletin*, Vol. 5, No. 2 (September,), pp. 111-126 Journal Article
69. Edwin D. Driver (1962) Family Structure and Socio-Economic Status in Central India *Sociological Bulletin* Vol. 11, No. 1/2, Decennial Celebrations Symposium (October 1961) (March and September), pp. 112-120 Published by: Indian Sociological Society Journal Article
70. Cooley,C.H.(1962)"The theory of transportation", Collier Booker, New york, Park and Bergs(1925)"The city"Chicango university press. Weber Max.(1938)"The city ",free press of Glunco.
71. Anderson Nels (1964) Over Industrial urban civilization New York : Asia Publishing House
72. Bulsara J.(1965)"Problems of Rapid Urbanization in India", popular prakashan.
73. Ross Aileen(1967)"The hindu family in its urban setting", Canada, University of Toronto
74. Khan,S.H.(1968)"Changing urban family patterns",Dacca college of social welfare and research centre.
75. Shah A.M.(1973)"The household dimension of the family in india",orient longmen ltd.
76. Lahiri S. (1972) "Preference for sons ideal family size:the Indian urban situation",Asia Southern | Asia | India
77. Narain Dhirendra (1975) explorations in the family and other eassys, Hardcover)
78. Zaidi,S.M.H.(1976)"Decision making in family life",Lahore, Training research and evolution centre.
79. Naik, R. (1979) " Some Structure aspects of urban family", Bombay,somaliya publications.
80. Olson,D.H. & Mccubbin H.Larson,Muxen,M. and Wilson M.(1983)"Families what makes then work",London, sage publications.
81. Gore M.S. (1990)"Urbanization & family change,bombay popular publication)
82. Lal, A.K.(1990)"The Urban family, A study of hindu social Systam, concept publishing company,
83. Sinha Raghuvir(1973)"Dynamic of Change in the modern hindu family",Concept publishing Company,
84. Shah A.M.(1973)"The household dimension of the family in india",orient longmen ltd.
85. चतुर्वेदी, सुषमा (2003) ''हिन्दू परिवारों के बदलते प्रतिमान'', ज्योति प्रकाशन, जयपुर

86. Kashyap,Lina(2004)"The impact of Modernizatiion on Indian families",International journal for the advanced of counselling , Spring,Vol.-26,No.4 Dec.pp-341-350.
87. Patel Tulsi , (2005), "Family in India,structure and practice themes in Indian sociology", Vol.-6, sage publication
88. अग्रवाल अमित (2010) भारत मे नगरीय समाज, विवेक प्रकाशन दिल्ली

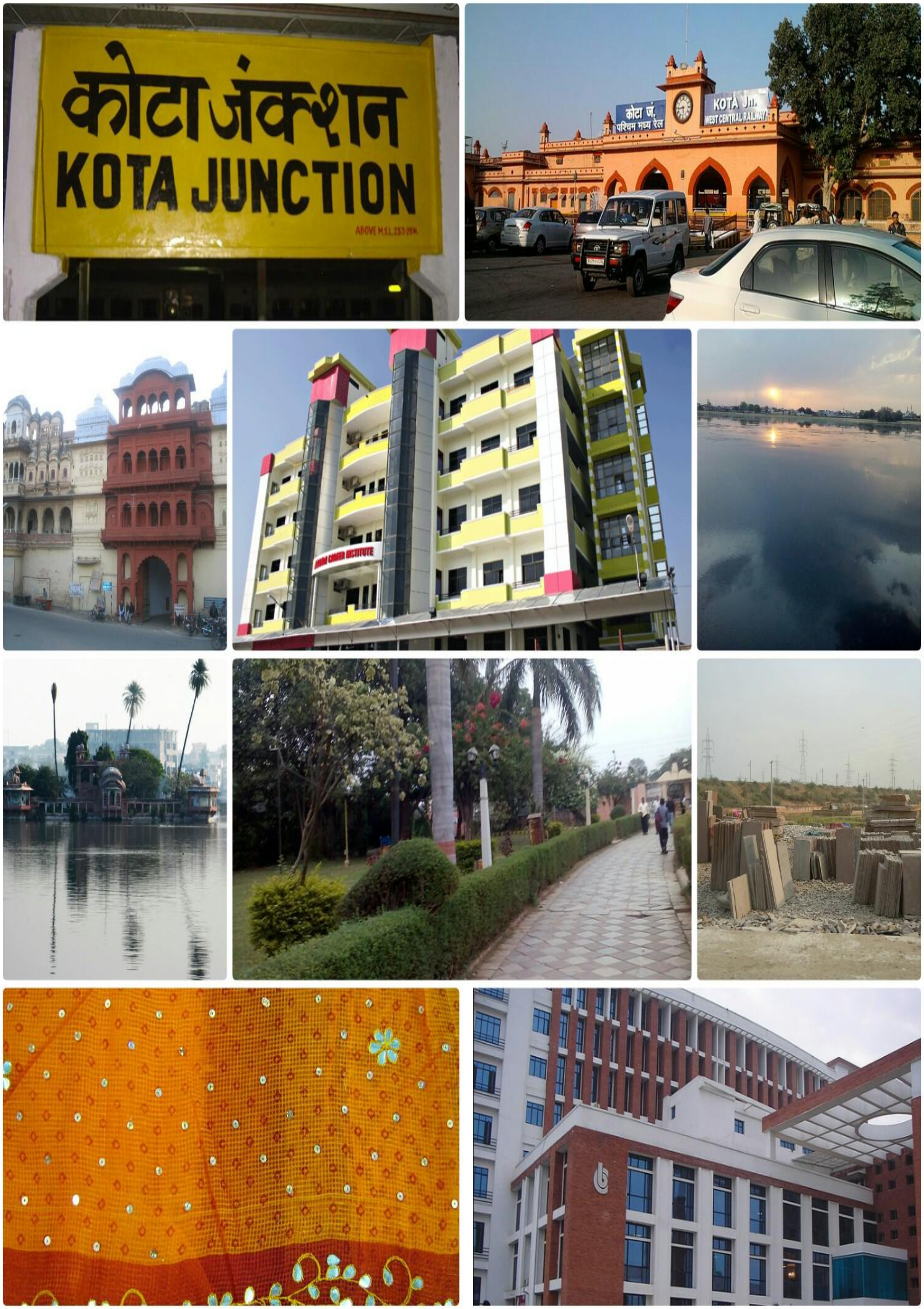
कोटा जंक्शन
KOTA JUNCTION
KOTA Jn.

अध्याय – 2

अध्याय – 2

अध्ययन क्षेत्र एवं अनुसंधान प्रविधि

नगरीय परिवेश में हिन्दू परिवारों में हो रहे परिवर्तनों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना ही प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य है। समकालीन भारतीय समाज में नगरीकरण के दौरान परिवार नवीन मूल्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, किन्तु उनके परम्परागत मूल्य अभी भी कुछ क्षेत्रों में व्याप्त हैं। परम्परा एवं आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य का यह द्वन्द्व एक नवीन प्रतिमानों को जन्म दे रहा है जो परम्परा एवं आधुनिकता के बीच की एक कड़ी है एवं भारतीय समाज पर अपना प्रभाव डाले हुए है। यह ज्ञात करना ओर भी अधिक चुनौतीपूर्ण होगा कि नगरीकरण के फलस्वरूप इन परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह किस प्रकार परिवर्तित हुए हैं। भारत में हिन्दू धर्म का सर्वाधिक प्रतिशत पाए जाने के कारण हिन्दु परिवार के अध्ययन का महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है।

''परिवार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन पिछले कुछ वर्षों से तीव्र हुआ है क्योंकि दिन–प्रतिदिन परिवार संस्था परिवर्तन की तीव्रधारा में बह रही है, जहाँ न कोई ठहराव है और न ही कोई दिशा, न जाने आगे कहाँ जाकर रूकेगी। परिवार का भविष्य क्या होगा ? यह निश्चित तौर पर ठीक–ठीक बता पाना असंभव है, लेकिन जिस तरह परिवार आज बदलते परिवेश के साथ सामंजस्य करने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इस संबंध में अधिक व्यापक जन–चेतना जगाना कम से कम अनिवार्य कदम अवश्य है।''[1]

प्रस्तुत शोध में अवधारणाओं का स्पष्टीकरण व महत्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करने को भी उल्लेखित किया गया है, जो विज्ञान के वैज्ञानिक नियमों व ज्ञान पर आधारित होने से वैज्ञानिक पद्धति को स्पष्ट करता है। स्टूअर्ट चेज[2] के अनुसार ''विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से''

प्रस्तुत शोध में वैज्ञानिक तत्वों को सम्मिलित करते हुए अनुसंधान की योजना बनायी गयी है, जो निम्न चरणों द्वारा उल्लेखित है।

---

1. विषय की रूपरेखा एवं चुनाव

2. अध्ययन के उद्देश्य

3 अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन ईकाइयों का निर्धारण

4. अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों का चुनाव

5. उपकल्पनाओं का निर्माण

6. अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन

7. तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या

8. सामान्यीकरण

9. अध्ययन के महत्व का निर्धारण

10. जाँच एवं पुनःपरीक्षण

11. भविष्यवाणी

1. विषय की रूपरेखा एवं चुनाव.

प्रस्तुत शोध कार्य के अध्ययन का प्रकार अन्वेषणात्मक शोध है। अन्वेषणात्मक शोध अध्ययन को अधिक विश्वसनीय एवं सटीक बनाने हेतु उपर्युक्त प्रकार है, यह शोधार्थी को अनुसंधान हेतु उपर्युक्त विधि को चुनने में मदद करता है एवं शोध से संबंधित विभिन्न समस्याओं को कम करता है। प्रस्तुत शोध कार्य में अन्वेषणात्मक शोध के चयन का एक प्रमुख कारण यह भी है कि शोध का यह प्रकार अज्ञात तथ्यों की खोज कर तथ्यों के बारे में नवीन अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है, ताकि शोध में यथार्थता लायी जा सके।

अनुसंधान के प्रमुख प्रकार अन्वेषणात्मक शोध को जानने से पूर्व प्रस्तुत शोध कार्य में 'अनुसंधान' का क्या अर्थ लिया गया है, यह जानना आवश्यक है। अनुसंधान से तात्पर्य खोज या ढूँढने से लिया जाता है। मनुष्य द्वारा किन्हीं ऐसी घटनाओं को जानने की उत्सुकता रहती है, जो उसे विचलित कर देती है,

सत्यता की खोज घटना के कारण का पता लगाना भी एक अनुसंधान है। पी.वी. यग[3] के अनुसार ''सामाजिक अनुसंधान को एक ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उसके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्य–कारण की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है।''

प्रस्तुत शोध कार्य हिन्दू परिवारों पर केन्द्रीत है, इसमें हिन्दू परिवारों पर नगरीकरण की प्रकिया के दौरान होने वाले सामाजिक परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत समाजशास्त्रीय अध्ययन हिन्दू परिवारों पर केन्द्रीत है। नगरीकरण के दौरान हिन्दू परिवारों में कई सामाजिक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में अध्ययन के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं –

1. नगरीकरण की प्रक्रिया का ज्ञान एवं हिन्दू परिवारों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का अध्ययन करना।
2. हिन्दू परिवार की संरचना एवं संगठन का अध्ययन करना।
3. हिन्दू परिवारों में होने वाले संरचनात्मक–प्रकार्यात्मक परिवर्तन का अध्ययन करना एवं नगरीकरण के संदर्भ में हिन्दू परिवारों पर पड़ने वाले प्रभावों के परिवर्तित प्रतिमानों का मूल्यांकन करना ।
4. नगरीय हिन्दू परिवार में जातिगत वास्तविकता का पता लगाना।
5. नगरीकरण के दौरान हिन्दू परिवार के धार्मिक विश्वासों व रीति–रिवाजों को समझना एवं परिवर्तन का अध्ययन करना।
6. नगरीकरण के फलस्वरूप लैंगिक विभेदीकरण का अध्ययन करना और परिवार में अर्न्तनिहीत महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए एक समझ विकसित करना।
7. हिन्दू परिवारों के विभिन्न पहलूओं, जैसे आय, शिक्षा, आयु, लिंग, वैवाहिक प्रास्थिति, जाति, व्यवसाय आदि में नगरीकरण के दौरान परिवर्तन का अध्ययन करना ।

3. अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन ईकाई का निर्धारण

प्रस्तुत शोध कार्य राजस्थान के कोटा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से हिन्दू परिवारों पर नगरीकरण के दौरान हुए सामाजिक परिवर्तन को जानने से संबंधित है।

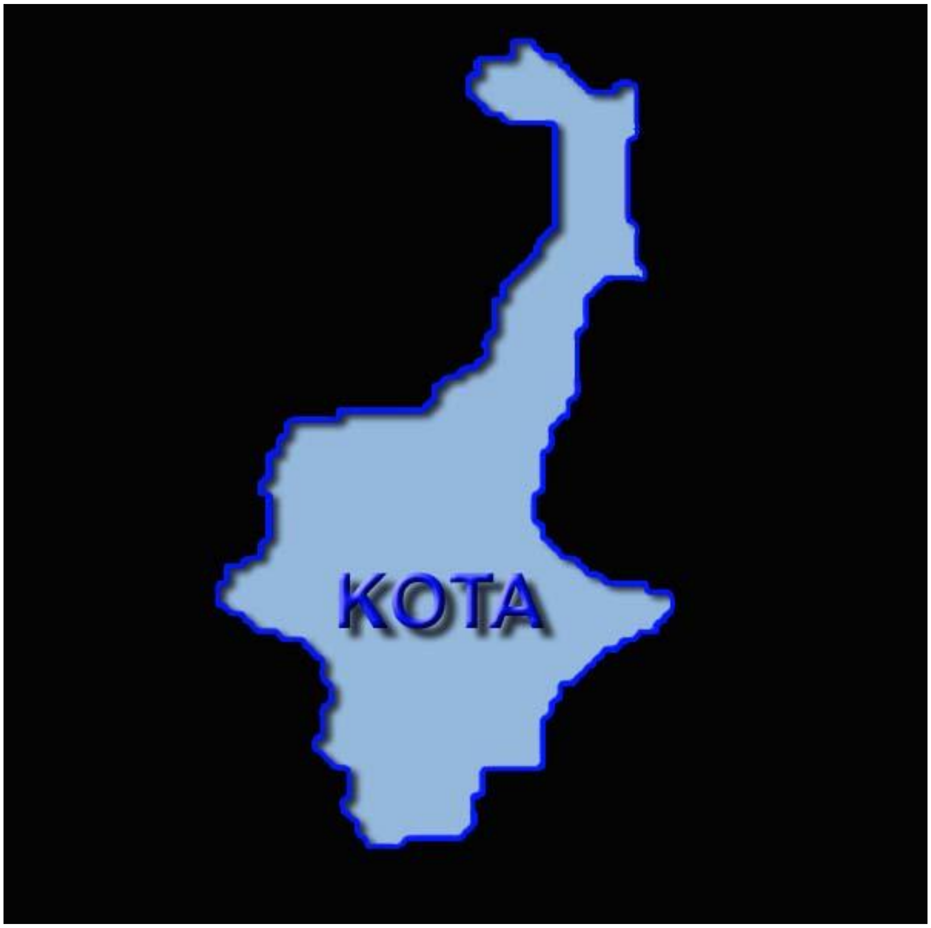

शोध हेतु राजस्थान के शहर कोटा का चयन किया गया है। शोध कार्य की कार्य योजना जानने से पूर्व अध्ययन क्षेत्र की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। आर.एन. मुखर्जी[4] के अनुसार एक सामाजिक शोध का अध्ययन क्षेत्र ही समस्त सामाजिक जीवन व सामाजिक जीवन से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं एवं उसके विद्यानों तक विस्तृत है।

सारणी–2.1

राजस्थान का धर्म के आधार पर वर्गीकरण

Sr.no.	State/	Religious Community	Persons	Males	Females
1.	Rajasthan	All Religious Communities	68,548,437	35,550,997	32,997,440
2		Hindu	60,657,103	31,485,832	29,171,271
3		Muslim	62,153,77	31,935,30	30,218,47
4		Christian	96,430	48,887	47,543
5		Sikh	8,72930	4,59406	4,13524
6		Buddhist	12,185	6,382	5,803
7		Jain	62,2023	31,7614	30,4409
8		Other Religious Community	4,676	2,399	2,277

(Ref:- Cencus of India gov in/ceacus –Data 2011/cencus –data-finder/c-series/ population-by Religious-communities ltm)[5]

उपरोक्त सारणी में हिन्दु धर्म की बाहुल्यता को दर्शाया गया है । राजस्थान एक हिन्दू बाहुल्य राज्य है जहाँ अन्य धर्म की अपेक्षा हिन्दू धर्मो की जनसंख्या में अधिकता पाई गई है। सम्पूर्ण राजस्थान में धार्मिक समुदायों की संख्या 68.54 करोड़ है जिनमें 35.55 करोड़ पुरूष व 32.99 करोड़ महिलाएँ हैं एवं हिन्दु समुदायों में कुल 60.65 करोड़ लोगों में 31.48 करोड़ पुरूष व 29.17 करोड़ महिलाएँ है। जिसमें मुस्लिम 9.0 प्रतिशत, सिख 1.2 प्रतिशत, जैन 0.90 प्रतिशत जनसंख्यात्मक रूप से विस्तुत हैं।

राजस्थान संस्कृति व कला की एक मिसाल है, यहां धार्मिक रूप से भी अनेक जन–आस्थाएं, ईश्वर धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं । यहां विशाल सांस्कृतिक क्षेत्र है, उनमें विभिन्न खान–पान, वस्त्रभूषा, रहन–सहन, रीति–रिवाज, भाषा का विभिन्न आधार पर एक समवन्य मिलता है।[6] राजस्थान भारत का

सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ राज्य है, जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत के पश्चिम दिशा में स्थित राज्य है। यहाँ पर रेगिस्तान व्याप्त है, जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, जहाँ सतलज नदी बहती है। राजस्थान के दक्षिण–पश्चिम में गुजरात, दक्षिण–पूर्व में मध्य प्रदेश एवं उत्तर–पूर्व में उत्तर प्रदेश व हरियाणा व उत्तर में पंजाब राज्य स्थित है। यहाँ की राजधानी जयपुर शहर है।[7]

सन् 1829 में जेम्स टॉड के समय से ही इस राज्य का राजस्थान नाम पड़ा। इससे पूर्व इसे राजपुताना के नाम से जाना जाता था।[8] राजस्थान में प्रशासनिक रूप से 33 जिलों व 7 संभागों में विभाजित है। ये सात संभाग – जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एवं भरतपुर हैं ।[9]

सारणी–2.2

राजस्थान एक वर्गीकरण

क्र.स.	विषय	कुल	ग्रामीण जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या
1	जनसंख्या	68,548,437	51,500,352	17,048,085
2	पुरूष	35,550,997	26,641,747	8,909,250
3	महिला	32,997,440	24,858,605	8,138,835
4	लिंगानुपात	976	933	914
5	बाल लिंगानुपात (0–6वर्ष)	888	892	894
6	साक्षरता	66.1	61.4	79.7
7	पुरूष साक्षरता	79.2	76.2	87.9
8	महिला साक्षरता	52.1	45.8	70.7

(www.Rajcencus.gov.in/PLA-FINAL-DATA/PCA-2011Highlights)[10]

राजस्थान में कुल जनसंख्या 68,5 करोड निवास करती है। राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक संख्या हिन्दुओं की है, जिसमें कुल जनसंख्या के 88.8 प्रतिशत लोग हिन्दु हैं।

राजस्थान में अध्ययन हेतु कोटा शहर का चयन शोध की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किए गया है। कोटा शहर राजस्थान के वृहद जिलों में सर्वाधिक नगरीकृत शहर है, जहां 53.42 प्रतिशत वृद्धि के साथ जनसंख्या नगरों में निवास करती है।[11]

कोटा नगर : एक परिचय

हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत कोटा एक औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। जहां देश का दूसरा परमाणु रिएक्टर, चंबल घाटी परियोजना इसके अंतर्गत कोटा बैराज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, व जवाहर सागर बांध निर्मित हैं, ये सभी कोटा शहर को मध्यवर्ती व आधुनिक की समीक्षा करते हैं।[12]

हाडौती सांस्कृतिक क्षैत्र के अंतर्गत, कोटा एक औद्योगिक एवं शैक्षणिक नगरी है जो राजस्थान के कानपुर के नाम से भी जानी जाती है । यहाँ दूसरी सदी से 19वीं सदी के बीच एक–एक स्मारक अपनी स्वयं की कहानी भी कहते हैं । नगर मे नगरीकरण की प्रक्रिया भी तीव्र गति से आगे बढ रही है। देश का दूसरा परमाणु रिएक्टर, चबंल घाटी परियोजना, इसके अन्तर्गत कोटा बैराज, गांधीसागर, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर बांध बनाये गये हैं, ये सब मध्यवर्ती एवं आधुनिक युग के बीच एक कडी जोडते हैं।

कोटा नगर की प्रशासनिक व्यवस्था को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है :–

सारणी–2.3

प्रशासनिक व्यवस्था

S. N.	Head	No.	Details
1.	Subdivision	6	Kota, Digod, Itawa, Sangod, Kanwas and Ramganj Mandi
2.	Tehsil	6	Ladpura, Digod, Pipalda, Sangod, Ramganj Mandi, Kanwas
3.	Sub-Tehsil	3	Madana, Sultanpur and Chechat
4.	I.L.R. Circle	26	

5.	Patwar Circle	210	
6.	Revenue Village	791	
7.	Panchayat Samiti	5	Ladpura, Sultanpura, Itawa, Sangod and Khairabad
8.	Gram Panchayat	155	
9.	Nagar Nigam	1	Nagar Nigam Kota
10.	Nagar Palika	4	Kaithoon, Sangod, Itawa and Ramganj Mandi
11.	Assembly Area	6	Kota (North), Kota (South), Ladpura, Sangod, Pipalda, Ramganj Mandi

(District Profile kota 2011)[13]

कोटा की प्रशासनिक व्यवस्था की विभिन्न आधार पर तहसील, उप–तहसील, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत समिति एवं संसदीय क्षेत्र में बांटा गया है।

सारणी–2.4

कोटा : एक वर्गीकरण

क्र.स.		कुल	ग्रामीण	नगरीय जनसंख्या
1	कुल जनसंख्या	1,951,014	774,410	1,176604
2	महिला	929,853		
3	पुरूष	10,21,161		
4	जनसंख्या वृद्धि	24.39ः		
5	लिगांनुपात	911	930	898
6	बाल लिगांनुपात	899	910	890

7	साक्षरता	76.6	68.6	81.7
8	महिला साक्षरता	65.9	54.0	73.7
9	पुरूष साक्षरता	86.3	82.2	88.9

(Sourcewww.rajcencus.gov.in/PCA-FINAL DATA/ PLA-2011-HIGHLIGHTS.PD.F.)[14]

2011 के अनुसार कोटा शहर की कुल जनसंख्या 19.51 करोड है जिसमें 10.21 करोड पुरूष व 9. 29 करोड स्त्रियाँ हैं एवं ग्रामीण जनसंख्या 774,410 करोड व शहरी 1,176604 करोड है। यहाँ कुल जनसंख्या घनत्व 374 प्रतिवर्ग किमी है एवं कुल परिवार 3.95 लाख उल्लेखित है।

कोटा राजस्थान के दक्षिण–पूर्व भाग में स्थित जिला है, जो 800 वर्ष पूर्व कोट्या मील के नाम से जाना जाता था। यह उत्तर में सवाई माधोपुर, पूर्व में बारां, दक्षिण में झालावाड़ एवं पश्चिम में चित्तौड़–बूंदी से घिरा है, कोटा का कुल क्षेत्रफल 5480.6 वर्ग कि.मी. है। [15] कोटा में हिन्दू मंदिरों में मथूराधीश जी का मंदिर, नीलकंठ मंदिर, जगन्नाथजी का मंदिर है एवं यहां का प्रमुख त्यौंहार गणगौर, दिवाली, रक्षाबन्धन बहुत धूमधाम से मनाएं जाते हैं। यहां साक्षरता का प्रतिशत 76.6 प्रतिशत है।[16] इस प्रकार कोटा हिन्दु बाहुल्य क्षेत्र एवं राजस्थान में सर्वाधिक नगरीकृत जिला होने के कारण शोध का प्रमुख क्षेत्र रहा है।

अनुसंधान कार्य के विषय के अनुसार सही क्षेत्र का चयन ही सटीक सिद्धान्तों एवं वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति में योग देता है एवं तभी परिणामों में विश्वसनीयता आएगी एवं प्रमाणित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं।

<u>अध्ययन समस्या का परिचय</u> :–

वर्तमान शोध नगरीकरण एवं हिन्दू परिवारों में सामाजिक परिवर्तन के अन्तर्गत आधुनिक युग में निरन्तर सामाजिक मूल्यों का विघटन एवं उस पर नगरीकरण के परिवर्तित प्रभाव का मूल्यांकन हैं, कि किस प्रकार ये भारतीय संस्कृति के आधार स्तम्भ सामजिक मानवीय मूल्यों पर अपना प्रभाव दिखाई देते परिलक्षित हो रहे हैं। सम्पूर्ण सामाजिक सम्बन्धों व पृष्ठभूमि में जीवन मूल्य कही परस्पर विरोधी हैं, तो कहीं उनमें एकरूपता है। व्यक्ति मूल्यों का सृजनकर्ता और उसे पूर्ण करने वाला एक प्राणी है, उसका यही विशेष लक्षण, व्यक्तित्व की संरचना एवं सामाजिक सबंधो को प्रभावित करता है।

प्रस्तुत शोध में हिन्दू परिवार में सामाजिक परिर्वतन, सरंचनात्मक परिवर्तन, भारतीय सामाजिक मूल्यों का विघटन, वर्तमान युग में बढ रहा नगरीकरण एवं आधुनिक पाश्चात्य मूल्यों का उद्भव के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। नगरीकरण से अनेक प्रकार की आर्थिक, सामजिक और सांस्कृतिक समस्याऐं उत्पन्न

होती हैं। उससे लोगो की प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है, परिवार और विवाह प्रतिमानो में अंतर आता है और अपराध, व्याभिचार, विघटन आदि एवं आवास की विकट समस्या जन्म लेती हैं। परिणामस्वरूप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होती है।

प्रस्तुत शोध कार्य का विषय **''नगरीकरण एवं हिन्दू परिवारों में समाजिक परिवर्तन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''** है, जिसका अध्ययन क्षेत्र राजस्थान राज्य का शहर कोटा है। कोटा शहर नगरीकरण कि प्रक्रिया में होने से एवं हिन्दू बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण अध्ययन की दृष्टि से एक उपयुक्त क्षेत्र प्रतीत होता है।

प्रस्तुत शोध कार्य में अध्ययन की सम्पूर्ण ईकाईयों का अध्ययन करना संभव नहीं होने के कारण निदर्शन द्वारा ईकाईयों को चयन किया गया है। शोध अध्ययन में कुल 250 उत्तरदाताओं से शोध हेतु सुचनाएँ प्राप्त की गई। प्रस्तुत शोध अध्ययन से उद्देश्यपुर्ण निदर्शन पद्धति का प्रयोग करते हुए कोटा शहर के श्रीनाथपुरम, स्वामी विवेकानन्द नगर, रंगबाडी, प्रेम नगर एवं नयापुरा क्षैत्र चुने गए। प्रत्येक नगरीय क्षैत्र से 50–50 हिन्दू परिवार से सम्बद्ध उत्तरदाताओं का चयन किया गया।

निर्धारित इकाईयो की संख्या :

अध्ययन क्षैत्र – 01

नगर निगम – 01

उत्तरदाता – हिन्दू परिवार

स्वतंत्र चर – आयु, लैंगिक सरचंना, पारिवारिक सरंचना, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, आय, जाति

क्र.स.	शोध प्रक्रिया	प्रयुक्त साधन	कालक्रम
1	विभिन्न आकंडो का सग्रंहण	साक्षात्कार अनुसूची	17 से 18 माह (अप्रेल 2012 से जनवरी 2014)
2	सारणी निर्माण एवं संख्यात्मक विश्लेषण	सारणीयन	28 से 29 माह (जनवरी 2014 से जून 2016)
3	तथ्यों का विश्लेषण	शोध अध्ययन का सामाजिक	4 से 6 माह

	एवं प्रतिवेदन	विश्लेषण एवं प्रतिवेदन	(जून 2016 से जून 2017)

उपरोक्त स्वतंत्र चरों के अन्तर्गत प्रभावशाली कारकों के दौरान हुए सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन हिन्दू परिवार सें सबंद्ध उत्तरदाताओं की नगरीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया है।

कोटा, राजस्थान में एक मुख्य शैक्षणिक शहर के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है।

कोटा में कोटा विश्वविद्यालय, वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित हैं । कोटा उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु पूरे देश में प्रसिद्ध है, जिससे कोटा का शैक्षणिक केन्द्र के रूप में तेजी से विकास होने की महत्ती संभावनायें हैं ।

कोटा नगर का विस्तार मुख्यतः दक्षिण दिशा में हो रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन से कोटा नगर के दक्षिण क्षेत्र में विकसित योजनाओं की दूरी कम होती जा रही है । विभिन्न आवासीय क्षेत्र एवं कार्य–स्थलों का नगरीकरण हो रहा है । नयापुरा, गुमानपुरा, रामपुरा प्रमुख बाजार हैं, यहाँ खरीददारी के लिए कोटा डोरिया की साडियाँ प्रसिद्ध हैं।यहाँ मसूरिया भी प्रसिद्ध है, इसमें एक तार सूती और एक तार रेशमी होताहै। विवेकानन्द नगर के अन्दर पुराने शहर की सबसे प्रमुख सड़क सघन व्यवसायिक एवं आवासीय क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं ।

श्रीनाथपुरम क्षेत्र हाल ही में विकसित नगरीय क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो नवीन आवासीय कॉलोनियों के रूप में नगरीकरण के दौर में है । ये सभी क्षेत्र आवासीय एवं व्यवसायिक गतिविधियों एवं कृषि भूमि पर विकसित कॉलोनियों से परिपूर्ण हैं, जहाँ तीव्रतम नगरीकरण हो रहा है ।

-

रंगबाड़ी क्षेत्र में नव–विकसित मेडिकल कॉलेज, आवासीय कॉलोनियाँ, व्यवसायिक गतिविधियाँ, कोचिंग संस्थान, रंगबाड़ी बालाजी मंदिर प्रमुख रूप से हैं। नयापुरा सड़क (नेहरू पार्क से विवेकानन्द सर्किल तक) में प्रमुख गतिविधियाँ अस्पताल, कलेक्ट्रेट व कोर्ट परिसर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान होने से शहर का प्रमुख केन्द्र के रूप में यह क्षेत्र विकास की ओर उन्मुख हैं, किशोर सागर के समीप सेवन वडर्स हाल ही में विकसित क्षेत्र हैं ।

प्रेम नगर सरकारी आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के परिवारों के लिए न्यूनतम मूल्य पर आवास उपलब्ध करवाये गए हैं। गाँव से नगर में आने के उपरांत विभिन्न तबके के लोगों हेतु इस आवासीय योजना को कार्यरूप दिया गया।

बौद्धिकता, ज्ञान, कला, साहित्य, चिन्तन, प्रविधि आदि आधुनिक संसाधनों का ज्यों–ज्यों विकास होता है, विभिन्न संस्कृति एवं सम्प्रदायों के लोग इसी की ओर बढ़ने लगते हैं ।[17] राजस्थान का कोटा नगर भी उक्त संसाधनों के विकास का प्रेरक तत्व है ।

प्रस्तुत शोध कार्य में उत्तरदाताओं को चुना गया, जिसमें आयु, आय, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, लैंगिक सरचंना, व्यवसाय, पारिवारिक सरंचना को स्वतंत्र चर के रूप में लेकर समायोजन व समन्वयात्मक आधार पर सम्बन्धित पहलुओं को संलग्न करते हुए इनका विश्लेषण किया गया है। आगामी अध्यायों में इन्हीं चरों को ध्यान में रखकर सारणीयन एवं विश्लेषण करते हुए वर्णन किया गया है ।

4. अध्ययन पद्धति एवं यत्रों का चुनाव

शोधार्थी के लिए अपने क्षैत्र विशेष की सम्पूर्ण ईकाईयों को शामिल करना संभव नही होता है, अतः शोधकर्ता सम्पूर्ण ईकाईयों का अध्ययन न करके उन्हीं ईकाईयों का चयन करता है जो सम्पूर्ण क्षेत्र का उचित प्रतिनिधित्व करे।

प्रस्तुत शोध हेतु भी कोटा शहर को समग्र मानते हुए उद्देश्यपूर्ण निर्दशन विधि का प्रयोग करते हुए कुल 250 उत्तदाताओं का चयन किया गया जो कि सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें 125 उत्तरदाता स्त्री एवं 125 उत्तरदाता पुरूष सम्मिलित हैं, जिसमें सभी जाति वर्ग के उत्तरदाता है। अनुसूची के माध्यम से साक्षात्कार कर, प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया, साथ ही दैतीयक तथ्यों इसी में क्षेत्रीय तथ्य एवं सामग्री का उपयोग किया गया जो पूर्व में किसी अनुसधांनकर्ता या किसी संस्थान द्वारा प्राप्त की हुई है। तथा विभिन्न प्रकाशित एवं अप्रकाशित प्रलेख एवं साहित्य पूर्व अध्ययन, सरकारी आंकडे जर्नल्स में प्रकाशित शोध पत्र, पत्रिकाओं व समाचार पत्रों में प्रकाशित तथ्यों का प्रयोग किया गया है।

प्राथमिक तथ्यों के संकलन में साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा उन सभी चरों एवं कारकों में सम्बन्धित प्रश्न निर्मित किए गए जिनसे समाजिक मूल्यों की वास्तविक स्थिति पर आधुनिकता के प्रभाव की सही सूचना प्राप्त की जा सके। साक्षात्कार अनुसूची में सूचनादाताओं के पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक नैतिक, आर्थिक आदि विभिन्न चरों से संबधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया।

निदर्शन का चुनावः—

शोधार्थी द्वारा ईकाईयों का चयन निदर्शन विधि द्वारा किया गया है। समग्र से कुछ ईकाईयों को चुनकर उनका अध्ययन निदर्शन की श्रेणी में आता है। शोधार्थी द्वारा यह भी ध्यान रखा गया कि वह ईकाईयाँ शोध कार्य के अनुरुप हो। गुडे और हाट[18] के अनुसारः ''एक निदर्शन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है''। अध्ययन के उपकरण – प्रस्तुत शोध में निम्न तथ्यो से जानकारी एकत्रित की गई हैः

अध्ययन पद्धति एवं यंत्रो का चयन

प्राथमिक आंकडे : → साक्षात्कार अनुसूची

द्वितीयक आकंडे : सरकारी आकडें → दस्तावेज

पत्र पत्रिकाएं → पूर्व साहित्य

प्राथमिक तथ्यो को एकत्रीकरण का स्त्रोत :—

(1) साक्षात्कार अनुसूची

द्वितीयक तथ्यों के एकत्रीकरण का स्त्रोत :.

(1) जिला सांख्यिकी कार्यालय

(2) भारतीय जनगणना रिपोर्ट

(3) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र

(4) पूर्व अध्ययन

साक्षात्कार अनुसूचीः—

नगरीकरण के दौरान हिन्दू परिवारों पर पड़ने वाले प्रभावों को विस्तृत रुप से जानने हेतु साक्षात्कार अनुसूची को प्रयोग में लिया गया है, जिससे शोध अध्याय योजनानुसार विभिन्न खण्डों में विभक्त किया गया

है, जिससे भिन्न–भिन्न पहलुओं की सही व सटीक जानकारी व परिणाम प्राप्त हो सके। साक्षात्कार अनुसूची में कुल 97 प्रश्नों का समावेश किया गया है। एवं उत्तरदाताओं से साक्षातकार किया गया। प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न पुछने में 40 से 50 मिनट का समय लगा।

जिसमें व्यक्तिगत जानकारी नगरीय हिन्दु परिवारो की संरचना व संसर्ग (Composition) अर्थात सामाजिक आर्थिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानने से संबंधित नगरीय हिन्दु परिवार की जातीय संरचना का, वर्तमान, भूतकालीन परिप्रेक्ष्य, धार्मिक विश्वासों व नगरीय हिन्दू परिवार में महिला प्रस्थिति व अधिकारों में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित भागों में बांटा गया है। शोध कार्य हेतु खुले बन्द दोनो प्रकार के प्रश्नों को सम्मलित किया गया है, इस प्रकार नगरीय हिन्दू परिवार से शोध कार्य हेतु विभिन्न तथ्य एकत्र किए गए।

साक्षात्कार अनुसूची में शिक्षित के साथ–साथ अशिक्षित उत्तरदाताओं कि मानसिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को सम्मलित किया गया है, शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची नगरीय हिन्दू परिवारों के निवास क्षेत्रों में जाकर आमने–सामने की स्थिति में उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी लेकर भरी गयी है।

5. उपकल्पनाओं का निर्माण

अध्ययन की उपकल्पनाएँ :

1. नगरीकरण की प्रक्रिय से तीव्रगती से संयुक्त परिवार के ढांचे में सरंचनात्मक–प्रकार्यात्मक विघटन होता है ।
2. नगरीकरण के फलस्वरूप जाति प्रथा का प्रभाव कम होने लगा है।
3. नगरीकरण से हिन्दू परिवारों के धार्मिक विश्वासों, मूल्यों एवं मान्यताओं में कमी आती है।
4. नगरीकरण से शिक्षा का प्रसार होता है।
5. नगरीकरण से महिलाओं की प्रस्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आता है।
6. नगरीकरण के फलस्वरूप उदारवादी मूल्यों, व्यक्तिवाद, एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रसार होता है।

6. अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन

शोध कार्य में अवलोकन सहभागी एवं असहभागी के आधार पर किया गया है।

शोधार्थी सम्मलित होकर अवलोकन को विभिन्न तरीके से और विभिन्न स्तरों से देखता है यह घटनाओं के व्यवहार का स्वाभाविक अध्ययन है जिसमें शोध कर्त्ता अवलोकन समूह के व्यवहारो को प्राकृतिक रुप से लेखनबद्ध करता है।

शोध कार्य को वैज्ञानिकता प्रदान करने हेतु शोध में सांख्यिकीय आंकड़ो को सम्मलित किया गया है । प्रश्नों के प्रत्येक खण्ड़ एवं प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक आगामी अध्यायों में प्राप्त आकड़ों का सारणीयन किया गया है, जो अध्ययन से प्राप्त होने वाले तथ्य है। शोध में विषयवार एवं अध्यायों के अनुरुप सारणीयन कर आंकड़ों को दर्शाया गया है।

7. तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में सहसम्बंधनात्मक सारणीयन, तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण ग्राफ, पाई चार्ट के माध्यम से किया गया है।

8. सामान्यीकरण

एक व्यवस्थित शोध के अध्ययन क्षेत्र की दो मुख्य प्रवृत्तियाँ होती हैं, पहली देखना, (Observe), गणना (Measure) और सूचना एकत्र करना, अन्य शब्दों में इन तथ्यों को एकत्र कर व्यवस्थित किया जाता है, ताकि हम उनका अभिप्राय व उनका सामान्यीकरण कर उनके अर्थों को जान सके । इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध में तथ्यों का सामान्यीकरण, उपर्युक्त आधार पर प्राप्त तथ्यों के अनुरुप किया गया है।

9 अध्ययन का महत्व का निर्धारण

प्रस्तुत शोध कार्य के महत्व निम्नलिखित हैं।

1. यह शोध कार्य समाज की नयी प्रवृतियों को समझाने में सहायक होगा एवं समाजशास्त्रीय ज्ञान संस्थाओं नयी दिशा व नवीन आयाम उजागर करने में सिद्व होगा।

2. प्रस्तुत समाजशास्त्री शोध से हिन्दू परिवारों पर पडने वाले नगरीकरण के प्रभावों को समझने में समाज को एक नई दिशा प्रदान करने की ओर अग्रसर हैं।

3. नगरीकरण की प्रक्रिया के दौरान हिन्दू परिवार व्यवस्था में लोगो की परम्परागत संयुक्त परिवार व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे हैं गांव के संयुक्त परिवार नगरों की ओर पलायन करने लगे हैं

शहरी सीमा क्षेत्र के लोग शहर को एक केन्द्र बिन्दू के रूप में मानते हैं जहा उन्हें आवश्यकतानुसार साधन सुलभता से प्राप्त होते है।

4. तीव्र नगरीकरण की प्रक्रिया के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव एवं परिणामों की जानकारी मिलेगी।

5. नगरीय शिक्षा, प्रोधोगिकी, औद्यौगिक ईकाईयां, गतिशीलता, नए—नए आविष्कार, महिला प्रास्थिति, सुरक्षा की भावना आदि बहुत से कारणों से परिवार विशषतः हिन्दू परिवार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा जिससे परम्परागत बंधनों को क्षीण कर एक नए युग की शुरूआत होगी।

6. नगरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वैचारिक एवं व्यवसायिक रूप से वैश्विक स्तर पर गतिशीलता आएगी।

7. नगर नियोजन, नगरीय विकास एवं वृद्धि योजनाओं में नगरों को प्राथमिकता, आदि देने हेतु प्रस्तुत शोध कार्य से सहयोग प्राप्त होगा।

8. नगरीय एवं पारिवारिक समस्याओं के समाधान में यह शोध कार्य उपयोगी हैं।

9. नगरीकरण की प्रक्रिया ने समाज की कई सामाजिक समस्याओं जैसे :— पर्दाप्रथा, बाल विवाह, महिला शोषण उत्पीडन, अधंविश्वास को समाज से बहिष्कार करने में महती भूमिका निभाने के साथ लोगो में चेतना का संचार किया हैं जिससे लोगो की में परम्परागत सोच को बदलने में यह शोधकार्य सिद्व होगा।

10. प्रस्तुत शोध कार्य भविष्य के प्रति एक नयी दिशा प्रदान करने का प्रयास करेगा एवं शोर्धार्थियों, सरकारी योजना का निर्माण करने, नगर नियोजको का शोधकार्य से सहायता प्राप्त होगी।

10. जाँच एवं पुनः परीक्षण_:

प्रस्तुत शोध कार्य में प्राप्त निष्कर्षो में सत्यापन की जाँच हेतु उनकी पुनः परीक्षा की गई है, ताकि सार्वभौमिक एवं सही तथ्य प्राप्त हो सके।

11. भविष्यवाणी करना_:

पूर्ण रुप से परिष्कृत तथ्यों के निष्कर्षो के आधार पर प्रस्तुत शोध में भविष्य की घटनाओं का पुर्वानुमान लगाया गया है, जो सिद्धांतों के निर्माण में उपयोगी है।

इस प्रकार प्रस्तुत शोध कार्य में अध्ययन वस्तु में उल्लेखित वैज्ञानिक पद्वतियों का कार्यरुप प्रदान किया गया है, जिससे प्रस्तुत शोध में वैज्ञानिक आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किए जा सके। क्योंकि सही ज्ञान के संचय का आधार ही वैज्ञानिक पद्वति है।

कार्ल पियर्सन ने भी लिखा है कि ''सत्य के लिए लघु (संक्षिप्त) मार्ग नहीं है, विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्वति के द्वार से गुजरने के अतिरिक्त ओर कोई मार्ग नहीं है।''[19]

Reference

1. चतुर्वेदी. सुषमा, 2003; ''हिन्दु परिवारो के बदलते प्रतिमान'' ज्योति प्रकाशन,जयपुर, पेज–1
2. Chase Stuart, 1956 "The Proper study of mankind"new york, P-6
3. Young P.V., "Scientific Social Survey and Research", P-44
4. मुखर्जी आर एन ; 2009; सामाजिक शोध एवं साख्यिंक, विवके प्रकाशन, दिल्ली Vivek Prakashan, Delhi, P-5
5. Cencus of India gov in/ceacus–Data 2001/cencus–data-finder/c-series/ population-by Religious-communities ltm
6. World Heritage Centre, 1992-2014 United Nation
7. www.Rajcencus.gov.in /PLA-FINAL-DATA/PCA-2011 Highlights- Ref
8. फ. के. कपिल ;1990 राजपुताना स्टेट ए 1817.1950ए बुक टेजरए पेज .1 ए पुन प्रकाशित जुन 24 .2011
9. State Primary Census Abstract, 2011, State Govt. of Raj. India, raj.gov.in. Official website of Govt. of Raj.
10. Sudhir k. thakur, & Thakur baleshwar 2007"City Society and Planning", City Concept, Publicity Company, 2007
11. राव, बालकृष्ण राजस्थान के भ्रमण, (2012), वाङ्मय प्रकाशन, जयपुर, P.279
12. District Profile kota 2011
13. www.rajcencus.gov.in/PCA-FINAL DATA/ PLA-2011-HIGHLIGHTS.PD.F.)
14. राव बालकृष्ण, राजस्थान के भ्रमण, (2012), वाङ्मय प्रकाशन, जयपुर, पेज. 279
15. District Profile kota
16. Sudhir k. thakur, thakur baleshwar 2007"City Society and Planning", City Concept, Publicity Company, 2007.
17. Ibid..
18. Goode and Hatt; Methods in Social Research, mcgraw hill, social science, P-209
19. Pearson Karl,1892 "The Grammer of Science",cosimo inc. PP-1

अध्याय – 3

अध्याय–3

नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ

नगर में निवास करने वाले लोग विभिन्न प्रदेशों, गाँवों एवं नगरीय क्षेत्रों से आते हैं, जो मात्र कृषि पर निर्भर नहीं रह सकते, इस कारण अनेक प्रकार के वेतनभोगी नौकरियाँ, व्यवसाय या उद्योग करते हैं, उनके अपने कुछ विशिष्ठ हित होते हैं, जिनकी पूर्ति हेतु वह नगर में पलायन करते हैं । नगर में विभिन्न जाति, उपजाति एवं संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, जिससे भिन्न–भिन्न प्रदेशों, सांस्कृतिक वर्णसंकरों में व्यक्तिगत विभेदों को भी सर्वोत्तम पर्यावरण मिलता है।[1]

नगरों में अनेक नई प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती है, अब नगरीय परिवार के भी समक्ष कई नवीन परिवर्तित प्रवृत्तियाँ जन्म ले रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों में ये नगरीय परिवार अस्थिर एवं विघटित हैं। इनमें कुछ नई प्रवृतियाँ निम्न प्रकार से हैं

ग्रामीण समाज का नगरीय समाज की ओर गमन विभिन्न प्रक्रियाओ को सम्मिलित करता हुआ चलता है। यदि क्षेत्र छोटा है, तो वह ग्रामीणीकरण की संज्ञा से जुड़ जाता, और वृहद हुआ तो नगरीकरण माना जाता है। ग्राम में 5000 ये अधिक जनघनत्व होने से वह नगर की श्रेणी में आ जाता है। तत्पश्चात् ग्राम में सामाजिक परिवर्तन का क्रम प्रारम्भ होता है और धीरे–धीरे कस्बो से नगरो में परिवर्तन होता है। नगरीकरण की यह प्रक्रिया लाखों जनसख्ंयात्मक आकंड़ो के साथ प्रारम्भ होती है और फिर ग्राम, नगरों की सुख–सुविधाएँ, व्यवहार, परिस्थितियों में धीर–धीरे सम्मिलित होना प्रारम्भ करते हैं।[2]

भारतीय सदंर्भ में नगरीकरण की दर बढ़ी है। नगरीय जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारक निम्न हैः–

1) जनसंख्या का कृषि भूमि पर लगातार बढ़ता दबाव

2) औद्योगीकरण का प्रभाव

3) गाँवों में रोजगार की कमी

4) नगरों में रोजगार के सुलभ अवसर

5) यातायात एंव संचार के साधनों की पर्याप्तता

6) नगरीय जीवन के प्रति आकर्षण

7) सुरक्षात्मक भावना

8) जाति व धर्म पर आधारित भेदभाव का अभाव

9) नगरों के केन्द्र बिन्दू

10) धर्म एवं संस्कृति के प्रमुख केन्द्र

नगरीकरण की प्रक्रिया ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। इस आधार पर नगरीकरण की प्रक्रिया व्यवसायिक रूप से परिवर्तनशील है।[3]

उपर्युक्त नगरीकरण की प्रवृतियाँ, विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनों के परिणाम को उजागर करती है। नगरीकरण की विभिन्न प्रक्रियाएँ भिन्न–भिन्न रूप से प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त हैं। जो बात पाश्चात्य देशों पर लागू होती है, वही भारतीय सदंर्भ में लागू हो, आवश्यक नही है। इस प्रकार, नगरों का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर अलग–अलग रूपों में पड़ता है। इन्हीं प्रक्रियाओ का विस्तृत अध्ययन करना शोध की कसौटी है।

सरकारी नीतियों के फलस्वरूप नयी–नयी गतिविधियों पर आधारित नगरों का विकास हो रहा है। उदारीकरण व वैश्वीकरण ने भी भारत की नगरीकरण की नवीन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया है। भारत में उदारीकरण से आर्थिक सुधारों के कारण विभिन्न राज्यों में निर्यात प्रसंस्करण केन्द्र, निर्यात सवंर्धन औद्योगिक पार्कों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा कृषि क्षेत्रों की स्थापना से नगरीकरण की प्रक्रिया को बल मिला है।[4]

विश्व में नगरीकरण की प्रक्रिया का सबधं औद्योगीकरण के साथ जुड़ा हुआ है। यह दोनों प्रक्रियाएं अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं एवं उद्योगों के नगरों में होने से नगरीकरण, औद्योगीकरण की प्रक्रिया का एक सहायक कारक है।[5]

सारणी – 3.1

विश्व में नगरीकरण

An overview of World Urbanization Trends Total Urban and Rural populations by development group selected periods 1950 -2050

	Population (Billions)						**Average annual rate of change percentage**				
Developm-ent group	1950	1970	1990	2014	2030	2050	1950. 1970	1970. 1990	1990. 2014	2014. 2030	2030. 2050
Total popluation											
world	2.53	3.69	5.32	7.24	8.42	9.55	1.90	1.83	1.29	0.94	0.63
More developed regions	0.81	1.01	1.15	1.26	1.29	1.30	1.08	0.65	0.37	0.18	0.04
Less developed regions	1.71	2.68	4.17	5.99	7.13	8.25	2.24	2.21	1.50	1.09	0.73
Urban population											
world	0.75	1.35	2.29	3.88	5.06	6.34	2.96	2.63	2.21	1.66	1.13
More developed regions	0.44	0.67	0.83	0.98	1.05	1.11	2.08	1.06	0.69	0.45	0.27
Less developed regions	0.30	0.68	1.45	2.90	4.00	5.23	4.04	3.82	2.88	2.02	1.33

Rural population											
world	1.78	2.34	3.04	3.36	3.37	3.21	1.37	1.30	0.43	0.01	0.23
More developed regions	0.37	0.34	0.32	0.28	0.24	0.19	-0.47	-0.28	-0.58	-0.87	-1.18
Less developed regions	1.41	2.01	2.72	3.09	3.13	3.02	1.76	1.52	0.53	0.08	-0.17

(United nations department of econonic and social affairs population division world urbanzation prospects the 2014 Revision)[6]

विकसित एवं कम विकसित क्षेत्रों में नगरीकरण के विभिन्न प्रतिमान अवलोकित किए जा सकते हैं, जो इन विभिन्न क्षेत्रों को संघटित करते है।

<u>भारत में नगरीकरण</u> :

भारत का प्राचीन साहित्य इस बात को इंगित करता है कि हजारों वर्षों पूर्व भी, नगरों का भारत में आस्तित्व था। भारत के विभिन्न प्राचीन नगर, उद्योग, वाणिज्य व प्रशासनिक ईकाईयों के केन्द्र बिन्दू थे।

भारत में स्वतंन्त्रता से पहलें आर्थिक व्यवस्था के स्तर की गति अत्यन्त धीमी थी, और नगरीकरण भी कम था, नियोजित अर्थव्यवस्था आने के बाद से आर्थिक व्यवस्था एवं नगरीकरण का विकास हुआ और जनसंख्या वृद्धि को गति मिली। नगरों की जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या का ग्राम से नगरों की ओर पलायन होने लगा, गाँव से नगरों की ओर जनसंख्या के गमन के बहुत से कारक उत्तरदायी थे उनमें कृषि पर बढ़ता दबाव,

कुटीर एंव लघु उद्योगों का पतन, नगरों में उद्योगों व बडे व्यवसायों का केन्द्रीत होना, यातायात के साधनों का समुचित उपयोग, शिक्षा का स्तर, सुविधा के साधनों का नगरों में होना, उचित रोजगार, मशीनीकरण, कानून व्यवस्था का होना एवं सुरक्षा, शहरीकरण की तरफ ग्रामीण आकर्षण का होना आदि है। ।

भारत में नगर की ऐतिहासिक सभ्यता कई शताब्दियों पुरानी है। पहले हस्तकलाएं व व्यापार प्राचीन नगर व्यवस्था के ही अंग थे। ये नगर सस्तंरण, जाति व पूर्ण औद्योगिक ईकाईयों पर आधारित थे।[7]

दामले[8] ने नगरीकरण की प्रगति को सामान्यीकृत करना, एक बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने भारत में नगरीकरण के विभिन्न कारण बताए हैं, जिनमें :–

1) व्यापार व उद्योगों के केन्द के रूप में नगरीकरण
2) धार्मिक केन्द्र के रूप में नगरीकरण
3) उद्योग एवं व्यापार के रूप में नगरीकरण
4) नगरीकरण के पाश्चात्य प्रभाव से उभरे केन्द्र

भारत सरकार की नगर की नीति के अनुसार सभी पंजीकृत कस्बे, जो नगर–निगम, कैन्टोन्मेंट बोर्ड तथा नोटीफाइड जो एशिया में आते हैं, नगर हैं। इसमें 75 प्रतिशत जनसंख्या का गैर कृषि कार्य में एवं जनसंख्या का घनत्त्व 400 व्यक्ति प्रति कि.मी. या अधिक एवं जनसंख्या 5,000 या इससे अधिक हो, नगर की श्रेणी में आते हैं।[9]

सारणी – 3.2

भारत में कस्बो एवं नगरों की संख्या–2001, 2011

	2001	2011	Increase
No. of states/Distt	35	35	-
No of distrtics	593	640	47
No of sub distrtics	5,463	5,924	461
No of towns	5,161	7,935	2,774
No of statutary town	3,799	4,041	242
No of census towns	1,362	3,894	2,532

No of villages	6,38,588	6,40,867	2,279

(Ref :- census of India 2011 data on rural and urban areas figures at a glance India)[10]

उपरोक्त आधार पर यह परिलक्षित होता है कि:

- भारत में 2001 कस्बों एवं नगरों की संख्या 5,161, वं 593 है, जहां नगरीकरण की गति धीमी है। 2011 में कस्बों एवं नगरों की संख्या 7,935 व 640 में, नगरीकरण की गति कुल वृद्धि को दर्शाता है।
- 2011 तक के आकड़े सर्वाधिक नगरों की संख्या में नगरीकरण की गति आकार को दर्शातें हैं। जिसमें एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं।

सारणी – 3.3

<u>भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया 1901–2011</u>

वर्ष	नगरों की संख्या	नगरीय जनसंख्या (हजारों में)	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	दशकीय वृद्धि (प्रतिशत)
1901	1827	25851.9	10.84	.
1911	1815	25941.6	10.29	0.35
1921	1949	28086.2	11.18	8.27
1931	2072	33456	11.94	19.12
1941	2250	44153.3	13.86	31.97
1951	2343	62443.7	17.29	41.42
1961	2365	78936.6	17.97	26.41
1971	2590	109113.9	19.19	38.23
1981	3378	159462.5	23.34	46.14
1991	3768	217611.0	25.71	36.47

2001	4000	285354.9	27.78	31.13
2011	7935	3771057	37.7	31.16

(Ref-rural urban distribution of populatin census of India 2011, provisional population totals)[11]

उपरोक्त सारणी से भारत में नगरीकरण की तीव्र प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। उपरोक्त आधार पर

- 1901 में जहाँ नगरों की संख्या 1827 थी, नगरीय जनसंख्या को देखे तो वर्ष 1901 में नगरीय जनसंख्या 25.85 हजार थी।
- 2011 में यह नगरों की संख्या 7935 हो गई थी, नगरीय जनसंख्या बढ़कर 37.71 करोड़ हो गई। इस प्रकार नगरीय जनसंख्या 100 वर्षो में 10 गुना वृद्धि के साथ तीव्र रूप से बढ़ गई है।

भारत में कुल आबादी की ग्रामीण जनसंख्या अभी भी 75 प्रतिशत है। पश्चिमी नगरों की औद्योगिक, व्यापारिक विशिष्ठताओं के समान भारत में नगरों की विशिष्टताएं, अपेक्षाकृत सुस्पष्ट नहीं हैं। भारतीय नगरों में ग्रामीण एवं नगरीय विशिष्टताओं का परस्पर समन्वय है। इस कारण अभी भी कई नगर ऐसे हैं जो कृषि कार्य करते हैं, पिछले कुछ वर्षों में, नगरीकरण की तीव्र वृद्धि ने, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या के अनुपात को बढ़ा दिया है। यद्यपि सन् 1921 के पश्चात् नगरीकरण की प्रक्रिया की वृद्धि आनुपातिक रही किन्तु, स्वंतत्रता प्राप्ति के बाद से, अर्थात् 1947 में इसमें उछाल आया और नगरों–कस्बों की जनसंख्या, घनत्व, क्षेत्रफल में विस्तार के साथ–साथ सैकड़ों नए नगर भी बसाए व विकसित किए गए।[12] सन् 1991 में 3768 स्थान नगरीय कहलाएं, वही 2001 में नगरों की संख्या 4000 तक पहुंच गई।[13]

पिछले कुछ सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी आने से लोगों का शहरों की ओर गमन हो रहा है। भारत में ग्रामीण एवं नगरीय दोंनो क्षेत्रों में नगरीकरण के साथ–साथ, पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण ने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया है। नगरीकरण की प्रवृत्ति को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं :

भारत में शहरों का एक भाग तो वर्तमान सुख–सुविधाओं से परिपूर्ण है। जिसमें कम्प्युटर, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मस्युटिकल, बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में विश्वस्तरीय सम्भांवनाएं हैं। वहीं, दुसरी ओर शहर से सटे क्षेत्र अभावग्रस्त हैं।

बिट्रिश शासन के समय से ही भारतीय समाज में ग्राम से नगर की ओर प्रस्थान की प्रक्रिया चली आ रही है। ग्रामीण समाज के लोग अपनी आजीविका, पालन हेतु शहर की ओर पलायन करते हैं। नगरों की अपेक्षा ग्राम में विकास कार्यक्रमों की कमी है। इस कारण वहाँ के लोग शहरों की ओर आते हैं।

स्वतन्त्रता के काल से ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहर की ओर प्रतिस्थापन हो रहा है। यद्यपि 1967 से ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्य राष्ट्रीय योजना के रूप में शुरू हुए।[14]

शहरीकरण, विकास तथा प्रगति का प्रमुख आयाम है। भारत में नगरीकरण को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ये स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आगामी कुछ दशकों में 50 प्रतिशत आबादी नगरों में रहने लगेगी, अभी शहरों में लगभग 28 प्रतिशत आबादी रह रही है। केवल नगरीकरण के तरीकों में भिन्नता दिखायी पड़ती है। पूर्व दशकों में यदि भारत की आर्थिक व्यवस्था की ओर देखे तो, भारत ने नगरीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। इनमें बेहतर बुनियादी ढाँचा व सार्वजनिक सेवाएं नगरों में मिलती हैं। नगरों की उभरती हुई आर्थिक महत्ता में देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उनका प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक योगदान है।[15]

बिट्रिश शासन ने अपनी नयी तकनीकी विचारधारा से भारतीय समाज व्यवस्था में परिवर्तन ला दिया, उन्होंने आर्थिक व औद्योगिक सस्थांओं के विकास में अपना योगदान दिया है एंव सचांर के साथ–साथ नया नगरीय जीवन प्रदान किया। तकनीकी व नए विचारों के माध्यम से गांवों का सम्पर्क शहरों से होने लगा और रेल यातायात व सड़कों के मिलने से नगरीय क्षेत्रों का ग्रामों से सम्पर्क और अधिक बढ़ गया। इस तरह नयी विचारधारा ने नगरीय जीवन को आधुनिक व सुगम, एक नयी दिशा प्रदान की।[16]

समकालीन परिप्रेक्ष्य में भारत में नगरीकरण :

भारत सामाजिक परिवर्तन के समकालीन परिप्रेक्ष्य में तीव्र नगरीकरण के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में शहर एक केन्द्र के रूप में आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों से सम्बधित कार्यो का निष्पादन करते हैं। शहरी क्षेत्रों का वर्गीकरण सामान्य रूप से सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आधार पर किया जाता है। समाजशास्त्र में नगरीकरण का वर्गीकरण जनसाख्यिकीय, स्थानिक, आर्थिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक आधार पर किया जाता है। भारत में नगर को सही रूप में व्याख्या करने में यह वर्गीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है।[17]

भारत भले ही गाँवों में बसता हो, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी–बड़ी बातें अक्सर शहरों के कायाकल्प पर ही होती हैं । प्रधानमन्त्री से लेकर मुख्यमन्त्री एवं अन्य तमाम राजनेता–अधिकारी इसी विषय पर खूब राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय गोष्ठियाँ करते हैं । लेकिन किसी भी गोष्ठी में आज तक यह तय नहीं हुआ कि आखिर शहर है क्या ? उसकी परिभाषा, और सीमा क्या है ? क्या शहर में मेट्रों और मेट्रों से प्रदेश और दुनिया के देशों की तरह बड़े–बड़े आकार लेते जाने वाले ही शहर हैं ? क्या दिल्ली–मुंबई जैसे 40 बड़े और बेकाबू शहर ही भारत का भविष्य हैं, या फिर सुनियोजित विकास और बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल एवं अच्छी परिवहन तथा कानून–व्यवस्था वाले कम आबादी के 50 हजार शहर दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे ।

यूरोप में कुल शहरी आबादी में मात्र 7 प्रतिशत लोग ऐसे शहरों में रहते हैं, जिनकी आबादी 50 लाख से अधिक हैं । दुनियाँ में यह प्रतिशत 15 है । एशिया में यह 22 प्रतिशत है, जबकि भारत में यह प्रतिशत 23 है अर्थात हमारे देश के 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, दुनिया में सबसे अधिक घने हैं । ग्रामीण एवं शहरी आबादी के मध्य सुविधाओं और बुनियादी ढाँचें का इतना असंतुलन संभवतः दुनिया में और कहीं नहीं है । चीन ने भी अपने को संभाला है । शंघाई शहर जरूर बेहद घना हो गया है, पर अब उनका जोर भी छोटे शहरों पर ही है । अभी मुबंई और दिल्ली के बीच कॉरीडोर बनने जा रहे हैं । इस कॉरीडोर में दस लाख से अधिक आबादी वाले 7 शहरों के विकास की योजना है । यह संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ।

शहरी विकास भारत के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से नई अवधारणा ही माना जाना चाहिए । जे.एन. एन.यू.आर.एम. देश की एक मात्र शहरी विकास दर केन्द्रित बड़ी योजना रही है । जिन देशों ने पिछले कुछ दशकों में तेजी से विकास किया है, उनमें तेज शहरीकरण का अहम योगदान रहा है । अब लगभग सभी इस पर सहमत हैं कि शहर देश के विकास का इंजन है ।[18]

छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहरों का विस्तार अधिक तेजी से हुआ है या यूं भी कहा जा सकता है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के साथ ऐसे शहरों की संख्या बढ़ती गई है, जिनकी जनसंख्या पहले एक लाख से कम थी, लेकिन अब एक लाख से ज्यादा हो गई है ।

नगरों के अनियमित एवं अनियन्त्रित विकास एवं जनसंख्या के बढ़ते दबाव ने नगरों की नागरिक अधोसरचंना–प्रणाली, जलापूर्ति, गन्दे पानी की निकासी, कचरा निस्तारण, पार्कों एवं खुली जगहों, नगरीय परिवहन पर दबाव बढ़ाया है । इसी से ही शहरी पर्यावरण, प्रदूषण, गरीबी, आवास–समस्या, अपराध एवं सामाजिक उथल–पुथल खतरे के स्तर तक पहुँच गई है । भारत के अधिकतर बड़े शहर, किसी–न–किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं । नदियों के किनारे बसे शहरों में पीने के पानी की आपूर्ति इन्हीं नदियों के पानी से होती है । इसके ऊपर लगातार दबाव बढ़ने से नदियों का जलस्तर गिरता जा रहा है एवं शहरों में गन्दा पानी एवं द्रव्य कचरे को बिना किसी उपचार के इन नदियों में फेंक दिया जाता है । शहरों में स्थित विनिर्माणी इकाइयों द्वारा अपना कचरा इन्हीं नदियों में गिराया जाता है, जिसके फलस्वरूप नदियों का जल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है ।

<u>भारत में शहरी क्रान्ति</u> :

वर्ष 2031 तक भारत में शहरों एवं कस्बों में आबादी 60 करोड़ तक पहुँचने की संभावना है । संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 20 साल के दौरान शहरी आधारभूत सरचंना में 827 अरब डॉलर निवेश करने की जरूरत एवं इसके बीच के अंतर का जिक्र किया गया है । न्यू

क्लाइमेट इकोनॉमी रिपोर्ट में कहा गया है कि दो दशकों के दौरान भारत की नगरीय जनसंख्या 21 करोड़ 70 लाख से 37 करोड़ 70 लाख हो चुकी है ।[19]

स्वतन्त्रोत्तर मौजुद नगरीय सरंचना, प्रशासनिक सरंचना को दृढ़ता से पकडे हुए है। दिल्ली की तरह राजस्थान भी महानगर बनता जा रहा है। यह नगरीय विकास राजस्थान में भी दिखायी देता है। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुम्बई, राजमार्ग नगरीय गतिविधियों के महत्वपूर्ण बिन्दू हैं, जो महत्वपूर्ण केन्द्र साबित हुए हैं। राजस्थान 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है। जिससे नगरीय प्रक्रिया मन्थर हो गई है। किन्तु 3.16 मिलियन जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में तीव्र गति से सुनिश्चित रूप से बढ़ रही है।

इस प्रकार शहरों का केन्द्रीकरण समाज नियोक्ताओं ने महत्वपूर्ण माना है ताकि नगर नगर नियोजन सही व प्रभावी ढंग से हो सके।[20]

सारणी – 3.4

राजस्थान में नगरीकरण

Rajasthan Urban Population

Year	Total Urban Population	Percentage of Urban Population
1901	1,550,656	15.06
1941	2,117,101	15.27
1971	4,543,761	17.63
1991	10,067,113	22.88
2001	13,205,444	23.88
2011	17048085	29.09

(Rajasthan Urban Population-2011)[21]

- 2001 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या 13.20 मिलियन की बढ़ोतरी के साथ तीव्रता से बढ़ी है, जो 1991 में 10.06 मिलियन उल्लेखित थी। यह नगरीकरण की तीव्रगति जो 3.16 मिलियन के अन्तर से हुई है।

राजस्थान में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के स्तर को इंगित करती है। यद्यपि 1971–1991 तक के वर्ष में नगरीकरण की गति अत्यन्त तीव्र रही थी, जो 2001 की तुलना में सर्वाधिक थी। लेकिन अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें, तो सन् 2001 में 23.88 प्रतिशत एवं 1991 में जनगणना में यह 22.88 प्रतिशत उजागर होती है। इस प्रकार 1991 से 2011 तक की अवधि में नगरीय जनसंख्या में 6 प्रतिशत की वृद्धि

उल्लेखित है। उपरोक्त सारणी में वर्ष 1901 से ही जनसंख्या वृद्धि का स्तर परिलक्षित होता है, जो 15.6 प्रतिशत से वर्ष 2001 में 23.88 तक पहुँच गया है। वर्ष 2011 में 29.09 नगरीय जनसंख्या राजस्थान में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के स्तर को इंगित करती है।

राजस्थान सामन्तवादी रियासतों का प्रांत रहा है। इन विभिन्न रियासतों में सामन्तवाद का स्वरूप भी अगल–अलग था, जिससे विभिन्न रियासतों में सामन्तवाद अलग–अलग रूपों में देखा जा सकता है। सामाजिक अनुकूलन की ऐसी ही परिस्थितियों में नगरों का अनुकूलन हुआ। फिर भी तत्कालिक पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का योगदान है।[22]

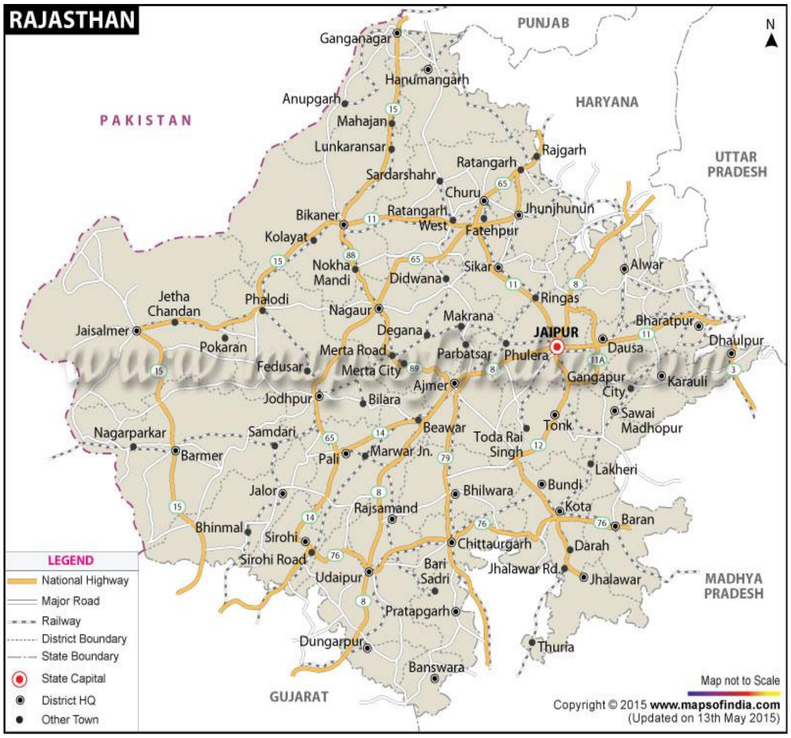

सारणी – 3.5

<u>**जिला स्तर पर नगरीकरण**</u>

<u>Highly Urbanized</u>	Population
Kota	53.42
<u>More Urbanized</u>	
Jaipur	49.38
Ajmer	40.09
Bikaner	35.52
<u>Less Urbanized</u>	

Barmer	7.40
Durgarpur	7.24
Banswara	7.15
Rajasthan	23.88

(Ref:- City Society and Planing City Concept Publishing Company2007)[23]

- कोटा जिला 53.42 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सर्वाधिक नगरीय जिला उल्लेखित है।
- वही जयपुर जिला 49.38 प्रतिशत और अजमेर 40.09 प्रतिशत के साथ नगरीय जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है।

यह तीनों शहर बड़े शहरों के रूप में अपनी जगह बनाए हुए हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक व पर्यटन के क्षेत्र में ये जिले केन्द्रीय आधार रहे हैं। कोटा और अजमेर शहर तो व्यापक पैमाने पर व रेल विभाग के अगं है।

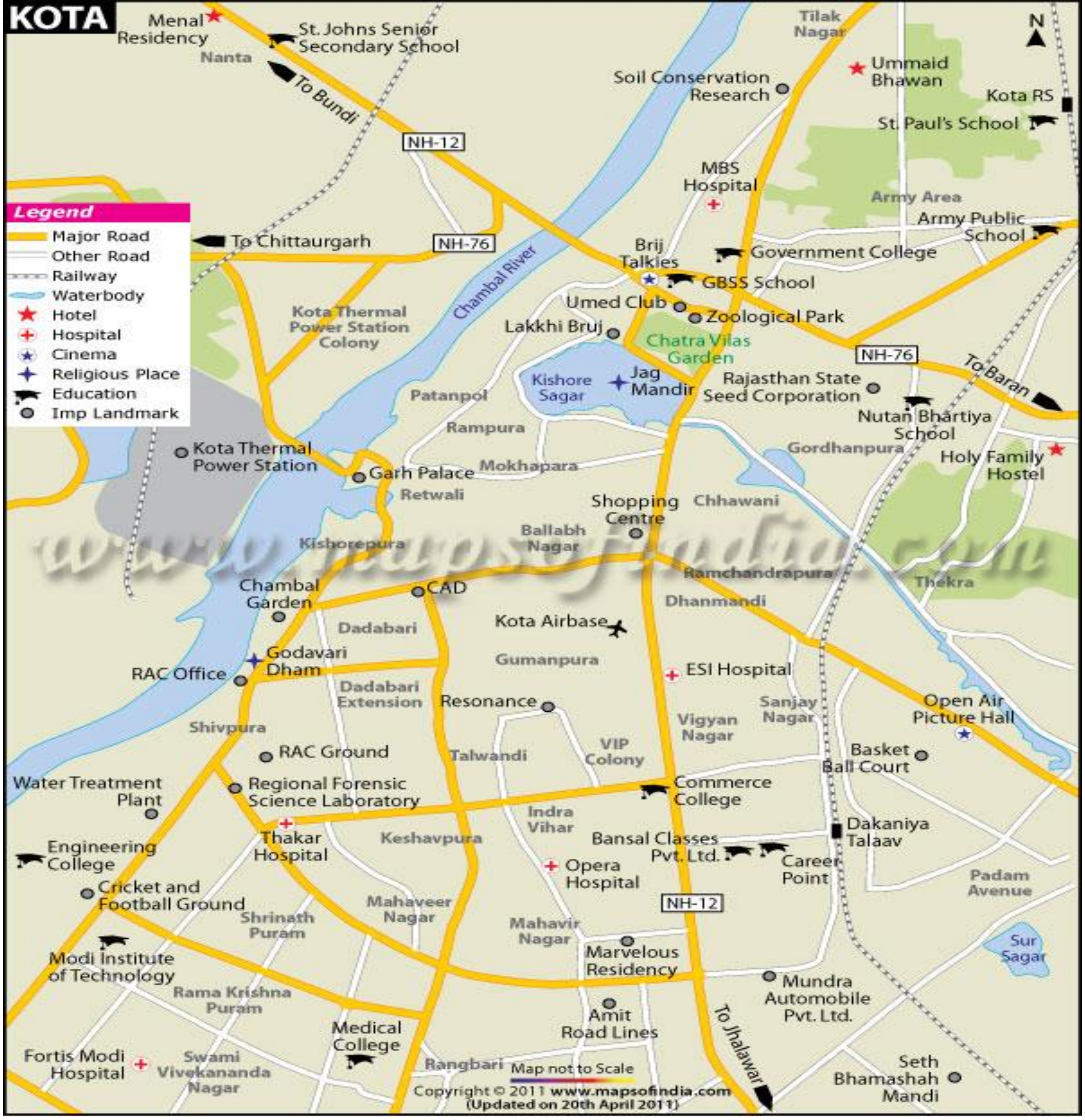

सारणी – 3.6

उत्तरदाताओं की नगर निवास की अवधि के आधार पर वर्गीकरण

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	जन्म से	20	29	49	19.60
2	1 से 10 वर्षों तक	17	7	24	9.60
3	11 से 20 वर्षों तक	70	43	113	45.20
4	21 से 30 वर्षों तक	10	39	49	19.60

5	31 से अधिक वर्षों तक	8	7	15	6.60
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

उपर्युक्त तथ्यों से परिलक्षित होता है कि

- बहुसंख्यक 45.20 उत्तरदाता विगत 20 वर्षों से नगर में प्रवासित हैं ।
- 19.60 प्रतिशत उत्तरदाता 30 वर्षो से जन्म से मूल निवासी के रूप में पाए गए।
- 31 वर्षों से अधिक वर्ष तक निवास वाले 6.60 प्रतिशत उत्तरदाता हैं।

साराशतः यह निष्कर्ष निकलता है कि बहुसंख्यक उत्तरदाता, विगत 2 दशकों से कोटा के नगरीय क्षेत्र में निवासित है

सारणी – 3.7

उतरदाताओ का सामाजिक श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण

क्र0 स0	सामाजिक श्रेणी	महिला	पुरूष	कुल	प्रतिशत
1	अनु जाति	21	17	38	15.20
2	अनु जनजाति	8	8	16	6.40
3	अन्य पिछडा वर्ग	24	30	54	21.60
4	सामान्य क्षैणी	72	70	142	56.80
5	योग	125	125	250	100.00

उपर्युक्त तथ्यों से परिलक्षित होता है कि :

- बहुसंख्यक 56.80 उत्तरदाता सामान्य क्षैणी से हैं ।
- 6.40 प्रतिशत उत्तरदाता अनु जनजाति के पाए गए।

साराशतः यह निष्कर्ष निकालता है कि बहुसंख्यक उत्तरदाता सामान्य क्षैणी से हैं जो नगरीय क्षेत्र में निवासित हैं ।

<u>जन्म स्थान के आधार पर वर्गीकरण</u> : — समाज के व्यक्ति का परिचय उसके जन्म स्थान से ही माना जाता है । जन्म स्थान के द्वारा ही परिवार की पृष्ठभूमि एवं व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है । प्रस्तुत अध्याय में उत्तरदाताओं के जन्म स्थान से सम्बन्धित विवेचन निम्न प्रकार से किया गया है :

सारणी — 3.8

उत्तरदाताओं की जन्म स्थानत जानकारी

	मापदण्ड	**उत्तरदाताओंकी संख्या**		**योग**	**प्रतिशत**
		म0	**पु0**		
1	नगर	37	62	99	39.60
2	गाँव	88	63	151	60.40
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि

➢ बहुसंखयक उत्तरदाता 60.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का गाँव में जन्म स्थान रहा है ।

➢ 39.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का नगर में जन्म स्थान रहा है

<u>पाई चार्ट /स्तंभ सख्या –1</u>

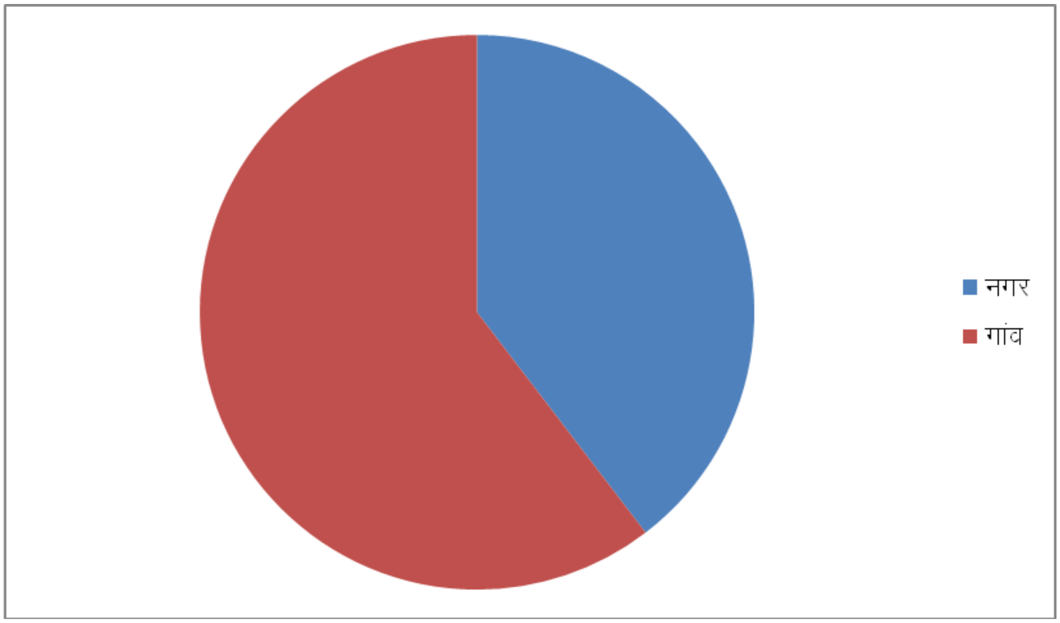

सारांशतः अधिकतर उत्तरदाता का जन्म स्थान गाँव रहा है ।

सारणी संख्या – 3.9

पारिवारिक सदस्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण

क्र0स0	परिवार के सदस्यों की संख्या	कुल उत्तरदाता	प्रतिशत
1	4–5	170	68.00
2	6–7	40	16.00
3	7 से अधिक	40	16.00
	कुल	250	100.00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि :

- बहुसंख्यक उत्तरदाता प्रतिशत 68.00 उत्तरदाताओं में परिवार के सदस्यों की संख्या 4–5 है।
- 16.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं में परिवार के सदस्यों की संख्या 6–7 व 7 से अधिक है। सारांशतः अधिकतर उत्तरदाता में परिवार के सदस्यों की संख्या 4–5 है जो एकाकी परिवार की बहुलता को स्पष्ट करता है ।

नगर में निवास के कारण :– नगर में निवास करने के पीछे व्यक्ति की कई मनोभावनाएँ छिपी होती है, जो व्यक्ति को नगर में निवास करने हेतु प्रेरित करती हैं । इन्हीं के आधार पर परिवार या परिवार के कुछ सदस्य नगरों की ओर पलायन करते हैं । नगर में निवास के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शिक्षा, रोजगार, पश्चिमीकरण, सुविधापूर्ण जीवन आदि हो सकते हैं । इसी परिप्रेक्ष्य मे हम यहाँ नगर में निवास के प्रति कारणों का विवेचन करेंगे, जिसे निम्न प्रकार से दर्शाया गया है :–

सारणी – 3.10

नगर में निवास करने एवं आकर बसने के कारण के उत्तरदाता संचेतना

	मापदण्ड	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	शिक्षा	16	40	56	22.40

2	रोजगार	45	46	91	36.40
3	संचार साधन	16	11	27	10.80
4	विलासितापूर्ण जीवन	5	6	11	4.40
5	उपरोक्त सभी	43	22	65	26.00
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

उपर्युक्त सारणी से परिलक्षित होता है कि

- बहुसंख्यक उत्तरदाता 36.40 प्रतिशत रोजगार को अधिक महत्त्व प्रदान करते हैं
- शिक्षा को लगभग 22.40 प्रतिशत उत्तरदाता, जिनमें अधिकतर उत्तरदाता शिक्षा को अधिक महत्त्व प्रदान करते हैं,
- संचार साधन को 10.8 प्रतिशत, विलासितापूर्ण जीवन को 4.40 प्रतिशत उत्तरदाता एवं सभी कारणों को 26 प्रतिशत उत्तरदाता महत्त्व देते हैं ।

पाई चार्ट /स्तंभ सख्या –2

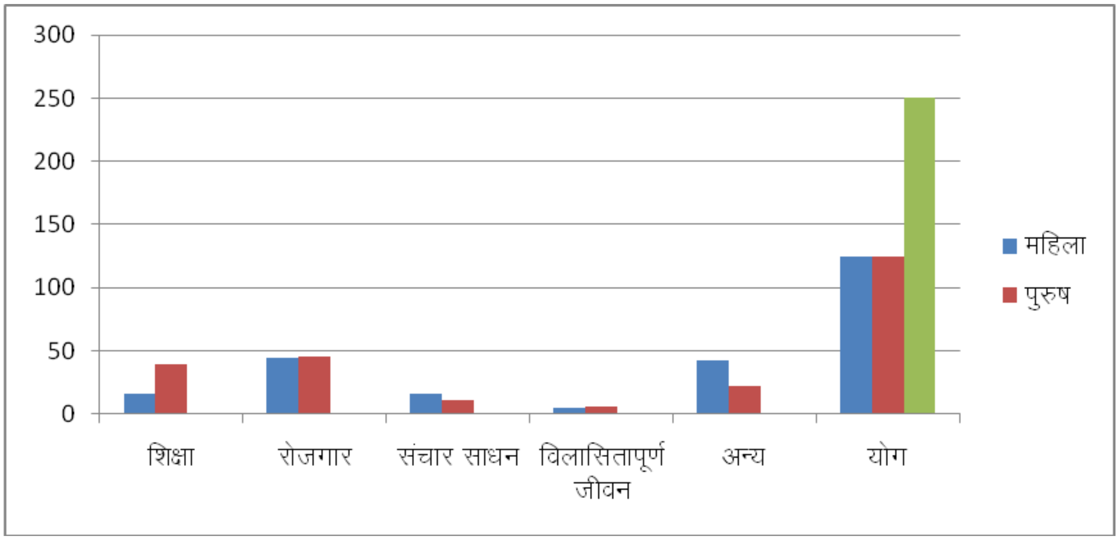

अतः अधिकतर उत्तरदाता शिक्षा व रोजगार को अधिक महत्त्व प्रदान करते हैं, जो नगर में आने के विभिन्न कारणों में से प्रमुख कारण हैं । नगर में निवास करने वाले एवं गाँव से शहर की ओर पलायन करने वाले उत्तरदाता नगर में ही निवास को प्राथमिकता देते हैं ।

आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण :– सम्पूर्ण सुविधा एवं साधनों के उपलब्ध होने से व्यक्ति नगर में निवास को प्राथमिकता प्रदान करते हैं । इसका कारण रोजगार की उपलब्धता एवं कम समय में अधिक मुनाफा रहा है । शिक्षा व रोजगार के समुचित साधनों की उपलब्धता ने नगरीय परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है ।

सारणी – 3.11

नगरीकरण के दौरान परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	हाँ	74	114	188	75.20
2	नहीं	51	11	62	24.80
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि नगर में रहने से परिवार में आर्थिक आधार पर स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ हुई है ।

- परिवार में आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता को मानने वालों में लगभग 75.20 प्रतिशत उत्तरदाता पक्ष उत्तर देते हैं
- लगभग 24.80 प्रतिशत उत्तरदाता विपक्ष में उत्तर देते हैं ।

नगर में अपराधों के बढ़ने के कारण :– जहाँ जनसंख्या की अधिकता होगी, वहाँ अपराधों के बढ़ने की भी संभावना प्रतीत होती है । अधिक जनसंख्या, साधनों की कमी व उपलब्धता को भी कम करती है, जिससे समाज में असमानता व अपराधों में वृद्धि होती है । नगरों में जिनमें बेरोजगारी, गन्दी बस्तियाँ, दुर्बल मानसिकता, गरीबी, मद्यपान का सेवन एवं टेलीविज़न का प्रभाव प्रमुख है । शिक्षा के अभाव में व्यक्ति गलत आदतों का शिकार होता है, किन्तु नगर के शिक्षाप्रद वातावरण में तो शिक्षित व्यक्ति भी इन सभी अपराधों की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि वह बेरोजगारी व गरीबी एवं गन्दी बस्तियों में जीवन–यापन जैसे दौर से गुजर रहे हैं । अपराध के बढ़ने के कारण निम्न प्रकार से दृष्टिगोचर होते हैं :–

सारणी – 3.12

नगरीकरण से नगर में अपराधों के बढ़ने के कारणों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	बेरोजगारी	67	26.80
2	गरीबी	37	14.80
3	दुर्बल मानसिकता	34	13.60
4	मद्यपान	52	20.80
5	गन्दी बस्तियाँ	23	9.20
6	टेलीविज़न का प्रभाव	32	12.80
7	असहमत	5	2.00
	योग	**250**	**100.00**

उपर्युक्त आधार पर नगरीकरण से नगरों में अपराधों में वृद्धि हुई है ।

- नगर में सर्वाधिक अपराध बढ़ने के कारणों में बेरोजगारी 26.80 प्रतिशत, गरीबी 14.80 प्रतिशत, व मद्यपान 20.80 को माना गया है ।

इसके अतिरिक्त कुछ उत्तरदाता नगरीकरण से नगरों में अपराध बढ़ने के कारणों को नकारते हैं । नगर में अपराधों के बढ़ने का कारण, नगरीकरण को न मानने वाले 2 प्रतिशत उत्तरदाता इसके प्रति असहमत हैं, अर्थात अधिकांश उत्तरदाता नगरीकरण से नगर में अपराध बढ़ने का कारण उपर्युक्त मापदण्ड़ों को मानते हैं ।

नगर के विस्तार के आधार पर वर्गीकरण :– नगर का आकार, उसकी बनावट व सुख–सुविधाओं की उपलब्धता ने नगरों का विस्तार किया है । अब नगर धीरे–धीरे गाँव को स्वयं में समाहित करते जा रहे हैं एवं गाँव, नगरीय गाँव बन गए हैं । नगर के विस्तार के प्रति उत्तरदाता के विचार निम्न हैं :–

सारणी – 3.13

नगरों के विस्तार के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	सहमत	213	85.20
2	असहमत	37	14.80
	योग	**250**	**100**.00

स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता नगरों के विस्तार को प्रमुखता देते हैं।

- जिनमें 85.20 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत परिलक्षित होते हैं । एंव 14.18 प्रतिशत उत्तरदाता असहमत परिलक्षित होते हैं ।

नगरीकरण के दौरान प्रदूषण के विस्तार के आधार पर :– जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ, विभिन्न कारणों ने नगर में पर्यावरण के स्वरूप को विध्वंस किया है । नगर में पर्यावरण को विध्वंस करने में प्रमुख कारण पेड़ों का काटना व यातायात के साधन एवं उद्योगों का बढ़ना रहा है । वृहृद औद्योगिक–फैक्ट्रीयों, प्रयोगशालाओं ने नगर का वातावरण दूषित किया है ।

सारणी – 3.14

नगरीकरण से पर्यावरण प्रदूषण के विस्तार के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	सहमत	140	56.00
2	असहमत	50	20.00
3	तटस्थ	60	24.00
	योग	**250**	**100**.00

स्पष्ट है कि :

➢ अधिकांश उत्तरदाता नगरों में प्रदूषण के विस्तार को प्राथमिकता देते हैं जिनमें 56.00 प्रतिशत उत्तरदाता पक्ष में परिलक्षित होते हैं। नगरीकरण के दौरान पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है जिससे नगर का पर्यावरण भी प्रभावित हुआ है । नगर में पर्यावरण प्रदूषण के कारणों को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं । पेड़ों की कटाई से नगर में पेड़ों कमी हुई है । हरा–भरा वातावरण पेड़ों की कटाई से प्रदूषित होता जा रहा है । वहीं औद्योगिक इकाईयों के दूषित धुएँ ने लोगों में स्वास्थ्य समस्या, व कई नई समस्याओं को जन्म दिया है । नगरीकरण के दौरान नगरीय हिन्दू परिवार नगरों में प्रदूषित वातावरण से प्रभावित हुए हैं । नगर में पर्यावरण प्रदूषण के निम्न कारण रहे हैं :–

सारणी – 3.15

नगरीकरण से पर्यावरण प्रदूषण के कारणों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	**मापदण्ड** जन्म	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
1	पेड़ों को काटना	52	20.80
2	गन्दी बस्तियाँ	32	12.80
3	औद्योगिक ईकाई	64	25.60
4	यातायात के साधन	50	20.00
5	जनसंख्या में वृद्धि	52	20.80
	योग	**250**	**100.00**

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि नगरों का पर्यावरण प्रदूषित हुआ है, जिसके प्रमुख कारण विभिन्न रहे हैं । उत्तरदाताओं की संचेतना के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है जिनमे :

➢ पेड़ों को काटना 20.80 प्रतिशत, औद्योगिक ईकाई 25.60 प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धि 20.80 प्रतिशत, नगरीकरण के दौरान पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण रहे हैं ।

➢ औद्योगिक ईकाईयों का बढ़ना इसके प्रमुख वृहद कारण रहे हैं ।

सारणीयों के विवेचन से समग्र रूप में यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं की नगर में निवास कि अवधि 11–20 वर्षो की रही है। एवं जिनकी सामाजिक श्रेणी सामान्य वर्ग रही है। जो सर्वोच्च रूप से जन्म स्थान के आधार पर ग्रामीण पृष्ट भूमि से ही जुड़े हुए है, जिनमें परिवार के सदस्यों कि संख्या

में भी कमी आई है। अर्थात् एकाकी परिवारों कि संख्या बड़ी है। हिन्दु परिवारों के सदस्यों की सदस्य रोजगार एवं शिक्षा को वरीयता क्रम में नगर में आकर रहने व बसने का कारण मानते है। जिनकी नगर में आने के उपरान्त आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। यद्यपि नगर में अपराधों के बढ़ेने एवं पर्यावरण प्रदूषण को भी एक प्रमुख कारण मानते है। फिर भी अधिकतर उत्तरदाता नगरों के विस्तार को लेकर आकृष्ट है।

वर्तमान के औद्योगिक युग में नए–नए उद्योगों के उद्भव ने आर्थिक और नगरीकरण से सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियाओं को बल प्रदान किया है । विभिन्न उद्योग–धन्धों में पहले की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन दिखाई देने लगे एवं तीव्र गति से उद्योगों में गतिशीलता उत्पन्न हुई, जिसने वृहद परिवर्तन की ओर पर्दापण किया । मानव द्वारा नित होते आविष्कारों व प्रयोगों ने परिवर्तन की धारा में एक नयी दृष्टि को उजागर किया । इस प्रकार वर्तमान आधुनिक नगर की संवृद्धि उद्योगों के विकास पर निर्भर होती गई । उद्योगों के निर्माण ने लोगों को रोजगार हेतु नगर में ही निवास को प्रेरित किया ।

देश में हजारों ऐसे नगर है, जो एक–दूसरे से भिन्न है, प्रत्येक नगर की परिस्थितियाँ, जनसंख्यात्मक विशेषताएँ तथा अन्य विभिन्न लक्षण दूसरे नगरों से विशिष्ठ होते हैं । इन विशेषताओं के होते हुए भी अनेक नगरों में कुछ समानताएँ विद्यमान है । नगरों की समान विशेषताओं के आधार पर उसे निम्न भागों में बांटकर देखा जा सकता है

(1) उत्पादन केन्द्र

(2) व्यापार और वाणिज्य के केन्द्र

(3) राजधानियाँ

(4) स्वास्थ्य और मनोरंजन के केन्द्र

(5) सांस्कृतिक केन्द्र

(6) विविध प्रकार के नगर [24]

नगरों की उत्पत्ति जहाँ एक ओर मानव की जनसंख्या वृद्धि से सम्बन्धित है, वहीं दूसरी तरफ उसकी नींव प्रमुख रूप से उद्योगों व व्यापार पर टिकी है । उत्पादन के बढ़नें के साथ–साथ कल–कारखाने, दुकाने, गोदाम, यातायात एवं संचार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है और गाँव से कस्बे व कस्बों से नगर का निर्माण होता है ।

आधुनिक काल में मानव के दो ही निवास स्थान हैं, या तो गाँव या नगर । उसके क्षेत्र विशेष के प्रति मानव का विशेष लगाव भी होता है । मनुष्य जिस भी क्षेत्र या पर्यावरण में रहता है, उसका उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है ।[25]

नगरीय जीवन का विस्तृत प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर भी देखा जा सकता है । वहाँ पर भी बिजली, विद्यालय, चिकित्सालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना होने लगी है । पत्र–पत्रिकाएँ, रेडियो, डी.टी.एच.सेवा, केबल नेटवर्क, नए–नए शोरूम आदि के साथ–साथ मनोरंजन हेतु सिनेमाघर का भी निर्माण होने लगा है । विकास के इन प्रतिमानों से पता चलता है कि आज धीरे–धीरे गाँव भी शहर में परिणित हो रहे हैं । अब ग्रामीण लोगों की संकीर्णता बदलने लगी है एवं ग्रामीण अब फेक्ट्रीयों आदि से तैयार माल खरीदने लगे हैं । नवीन साहित्य का उद्‌गम हुआ है एवं नवीन विचारों का आर्विभाव हुआ है ।

विकास के इन पायदानों को देखते हुए यह परिलक्षित होता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय जीवन एवं नगरीय शैली के विभिन्न तत्वों का समावेश हो जाएगा एवं गाँव की घिसी–पिटी संकीर्ण प्रथाओं के चलन में परिवर्तन होगा एवं नवीन क्षेत्र नगरीय ग्राम का प्रचलन बढ़ेगा ।

हेराल्ड कार्ड की दृष्टि से जो ग्राम नगर की सीमा पर स्थित हैं, उन्हें नगरीय ग्राम कहा जाता है ।[25] जैसे–जैसे नगरीय क्षेत्र बढ़ेंगे, वैसे–वैसे विभिन्न ग्राम नगर के सीमान्त पर आ जाते हैं । इस परिप्रेक्ष्य में कृषि भूमि का उपयोग भी बदल जाता है । इस प्रकार ग्राम के निवास तुरन्त ही नगर में ना बदलकर ग्राम एवं नगर दोनों विशेषताओं को जीते हैं।[26]

<u>सांराश</u> :– उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आधुनिक समाज में बड़े नगरों की भूमिका निरन्तर तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, वहीं छोटे नगरों में अर्न्तक्रिया केवल अपने ही क्षेत्र तक सीमित होती है, दूसरी ओर बड़े नगरों का प्रभाव बहुत विस्तृत है । बड़े नगरों की विस्तृता उसके विस्तृत सम्बन्धों को दर्शाते हैं । वर्तमान आबादी वितरण की प्रणाली में ''बड़े नगर'' ग्रामीण क्षेत्रों को स्वयं में समाहित करते जा रहे हैं एवं स्थान एवं भूमिका काफी बढ़ गए हैं । नगरीकरण ने समाज में व्यक्ति के मूल्यों को भी प्रभावित किया है ।

Reference

1. सुधाकर प्रसाद तिवारी, (1999) ''नगरीयता का सम्बोघ'' रावत पब्लिकेशंस, जयपुर पृ–127
2. भार्गव, अरूणा, (1996) ''ग्रामीण नगरीय संरचना'' प्रिंट वेल, जयपुर पृ–18.19
3. Malik U.P. (1981),`A Profile of India's Urbanization',Problem and policy,Issue(Edition),Gopal bhargva `Urban problems and policies, prospective, New Dehli,pp-190.
4. गोडवाल गौरव; (2010), 'महानगरीय परिसीमा अभिवृद्धि का समाजशास्त्रीय अध्ययन' राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर pp.10
5. Bilward. E. Moore , "The Impact of Industries",printise hall, New Delhi,pp-81
6. United Nations population Division world Urbanization prospects, The 2001 Revision 2002, United Nation publication,pp-25
7. भार्गव अरूणा, (1996), 'ग्रामीण नगरीय संरचना' प्रिंट वेलएरंपचनतएचच.10ए
8. Damly, Y.B. 1963 `The nature of urbanization in india",Bullatin of the tribal institute Chindwara",Vol.31 ,no. 2 dec.pp-1
9. India,Information and Telecast Ministry, (2006), Govt. of India, publication Department, New Dehli.
10. भारत (2006) सूचना एवं प्रसारण मत्रांलय, भारत सरकार प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
11. भारत (2006) सूचना एवं प्रसारण मत्रांलय, भारत सरकार प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
12. गोडवाल गोरव;(**2010,),** Ibid pp-50
13. Public Economy,NCERT (2003,),
14. बरधा आर मैत्री Bardha, R. Maitreyee ,(2012) ,27-29- **दिसम्बर** गोडवाल गौरव**;,(2010), महानगरीय परिसीमा अभिवृद्धि का समाजशास्त्रीय अध्ययन, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर**
15. **भारत , (2011), सूचना प्रकाशन मंत्रालय, नई दिल्ली ।**
16. Sinha Raghuvir (1973) "Dynamic of Change in the modern hindu family", Concept publishing Company,pp-47
17. राजस्थान पत्रिका, 01/10/2014] p.100
18. प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिक लेख, भारत में शहरी अधोरचना प्रोन्नयन, अक्टूबर, (2010), पृ–499
19. राजस्थान पत्रिका, (18/09/2014), p.10
20. BaleshwarThakur,George Pomeroy, Chris Chsack, Sudhir K. Thakur (2007)" City, Society and planning",Concept publishing co.pp-222
21. Rajasthan Urban Population-2001[24]

22. भार्गव अरूणा_(1996), Ibid `P -1

23. Baleshwar, Thakur, George Pomeroy, Chris Chsack, Sudhir K. Thakur (2007) City, Society and planning",Concept publishing co.pp-214.

24. Singh Jayant, Yadav,Hansraj, Smarandache Florentin (2010) "DISTRICT LEVEL ANALYSIS OF URBANIZATION FROM RURAL-TO -URBAN MIGRATION IN THE RAJASTHAN STATE" ,11 august 2010,Dept. of Statistics,University of Rajasthan, Jaipur, Dept. of Mathematics, University of New Mexico, USA,

25. शर्मा राजेन्द्र कुमार (1996) ''नगरीय समाजशास्त्र'' ,एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली p.39.40

26. सत्यकेतु विद्यालंकार (1997)''समाजशास्त्र'', श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली, पेज 169

27. बर्मन,सावित्री जी.,(1966)','सम जोग्राफीकल एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफी डेटा(सम्पादन),आशीष बोस,गुप्ता राय चौधरी, पापूलेशन स्टेटिस्टिक्स इन इंड़िया,नई दिल्ली,विकास, चण्4

अध्याय – 4

अध्याय–4

नगरीय हिन्दू परिवार की संरचना एवं संगठन

भारतीय परिप्रेक्ष्य में परिवार के विशिष्ठ संस्थागत प्रतिमान परिलक्षित होते हैं जो परिवार को संगठित करते हैं। परिवार में हम भावनात्मक एकता के साथ–साथ कर्तव्य पालन की श्रृंखला को भी देखते हैं । एक परिवार में संयुक्तता सामाजिक आधार पर मदद एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं का समन्वय दिखलाई पड़ता है

संयुक्त जीवन–शैली के प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रतिमान के रूप में परिवार मानव निर्मित संस्था है, जिसने निकट के रक्त–सम्बन्धियों को भौतिक और मानसिक दृष्टि से आत्मीय सम्बन्धों में आबद्ध किया है । संसार के अन्य समाजों की तुलना में भारतीय संयुक्त परिवार एवं इसकी संयुक्त जीवन शैली, सम्बन्धों की पारस्परिकता का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व करता है । भारत में संयुक्त परिवार केवल रक्त सम्बन्धियों का समूह मात्र ही नहीं है और ना ही यह साथ–साथ व्यवसाय, भोजन व निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह है, वरन् ये परिवार आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों, आदर्शों और व्यवहारों का एक सम्मिश्रण है । अपने आदर्श रूप में संयुक्त परिवार धार्मिक लक्ष्यों व सांस्कृतिक दायित्वों की पूर्ति कर रहा है । इस निरन्तरता की व्यवस्था ने भारतीय संस्कृति को अक्षुण बनाए रखा है ।[2]

जहाँ–जहाँ समाज है, वहाँ कोई–न–कोई परिवार अवश्य रहता है । परिवार अपने कार्यों की महत्ता के कारण ही समाज की एक प्रभावी इकाई बना हुआ है । समाज की नींव एक समृद्ध एवं शक्तिशाली परिवार पर ही टिकी होती है । वर्तमान में समाज में परिवार के बहुत से कार्य कार्यकलाप उसी के समान अन्य सामाजिक संस्थाओं को हस्तान्तरित हो गए हैं फिर भी परिवार व्यक्ति की यौन संतुष्टि, संतानोत्पत्ति, परिजनों का पालन–पोषण एवं स्नेह प्रदान करने जैसे मानवीय कार्यों के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है ।

परिवार मनुष्यों का वह समूह है जिनका परस्पर रक्त सम्बन्ध हो, अर्थात् जिनके मध्य निकटवर्ती सम्बन्ध हो तथा जो एक–दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करें। परिवार ही वह स्थान है, जो बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है एवं संस्कारों एवं मूल्यों की स्थापना करता है । परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है । जीवन–निर्माण की आरम्भिक शिक्षा वह परिवार से ही ग्रहण करता है ।

प्राचीन संयुक्त परिवार

प्राचीनकाल में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी । इन परिवारों में माता–पिता, भाई–बहन, चाचा–चाची, ताऊ–ताई, दादा–दादी आदि 3-4 पीढी के सभी सदस्य एक साथ निवास करते थे । लेकिन 8वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप लोगों को रोजगार एवं जीविकोपार्जन के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा । इससे शताब्दियों पुराने संयुक्त परिवार अलग हुए एवं एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा । वर्तमान में इन्हीं एकल परिवारों का प्रचलन है । इन परिवारों में माँ–बाप अपने बच्चों के

साथ रहते हैं । संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत कम प्रचलित है एवं जहाँ भी यह प्रचलित है, वहाँ इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास करने पड़ रहे हैं ।

प्रस्तुत अध्याय में हिन्दू पारिवारिक संरचना एवं मूल्यों व अभिवृत्तियों की वर्तमान स्थिति की जानकारी एकत्र की गई है। इस आधार पर हिन्दू परिवार की संरचनात्मक–सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का आंकलन, विश्लेषण, एवं कालक्रम के आयामों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है । आधुनिक युग में भारत में विभिन्न आधारभूत ढाँचों में परिवर्तन दिखाए देने लगे हैं जिसनें भारतीय सामाजिक ढाँचें को प्रभावित किया है । परिवर्तन की इस श्रृंखला में हिन्दू परिवारों में भी परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं ।

नगरों में निवासित पारिवारिक सदस्यों का जीवन ग्रामीण जीवन से भिन्न होता है । नगर में एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य, चाहे वह स्त्री हो या सन्तानें सभी विभिन्न प्रकार के उद्योग–धन्धों में लगे होते हैं । नगर की व्यस्तम जीवन–शैली में परिवार के इन सदस्यों के पास आपस में घनिष्ठता की कमी होती है । आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने की भावना उन्हें सदैव प्रेरित करती रहती है । समयाभाव के कारण वह मात्र अवकाश के समय ही अपने परिवार के सदस्यों से मिल बैठकर बातचीत कर पाते हैं । परिवार में चली आ रही पुरानी प्रथाओं के प्रति वह तटस्थ होते हैं । नगर में आकर निवास करने से वह गाँव में निर्मित पारिवारिक विरासत की भी परवाह नहीं करते । नगरीय लोग अपने रहन–सहन, खान–पान, विचारों को लेकर स्वतंत्रता बरतते हैं । रीतियों व रूढ़ियों को नगरीय मनोवृत्ति अधिक महत्व नहीं देती है । उन्हें किसी भी बात की परवाह नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे या वह उनके आचरण को किस दृष्टि से देखते हैं । इस प्रकार का भय नगरीय जीवन में दिखाई नहीं देता है ।

नगरीय हिन्दू परिवार की संरचना– नगरीकरण ने परिवार के परम्परागत स्वरूप में परिवर्तन ला दिया है, जो निम्न प्रकार से दृष्टिगोचर होता है :–

नगर में हिन्दू परिवारों की संरचना से सम्बन्धित जानकारी में नगरीय हिन्दू परिवार के प्रकार संयुक्त अथवा एकाकी का विश्लेषण निम्न सारणी 4.1 में प्रस्तुत किया गया है, जो उत्तरदाताओं की पारिवारिक स्थिति को प्रदर्शित करती है ।

सारणी – 4.1

उत्तरदाताओं के परिवार की संरचना का वर्गीकरण

	मापदण्ड	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	संयुक्त परिवार	42	19	61	24.40

2	एकाकी परिवार	83	106	189	75.60
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

सारणी संख्या 4.1 से यह पता चलता है कि

- 75.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पारिवारिक स्वरूप विस्तृत रूप से एकाकी परिवार से जुड़ा हुआ पाया गया है।
- 24.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पारिवारिक स्वरूप संयुक्त पाया गया है।

पाई चार्ट /स्तंभ सख्या –3

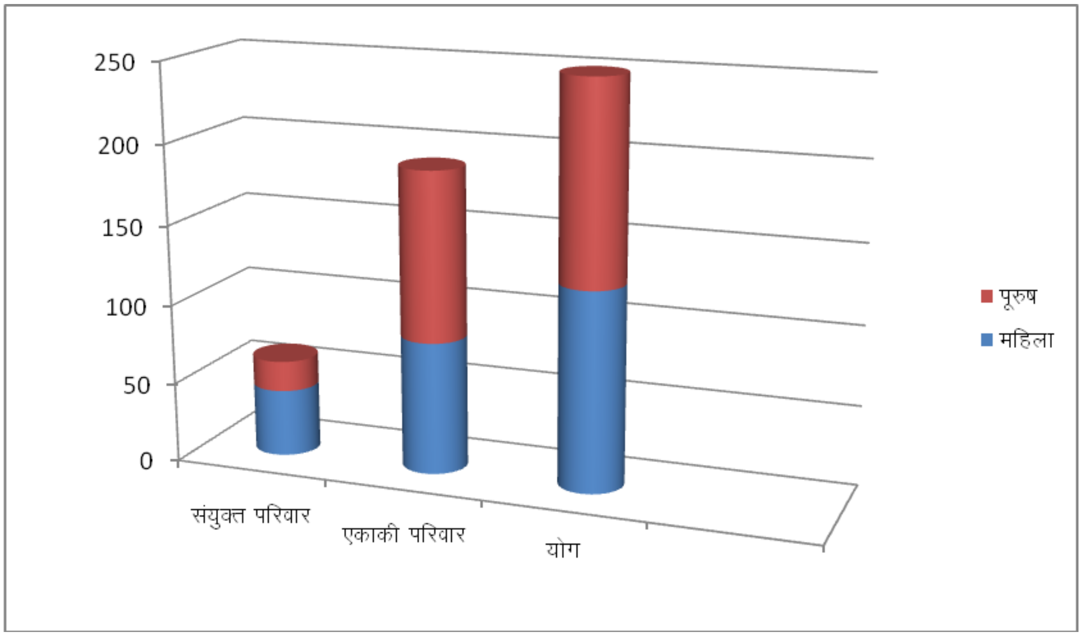

पहले समय में जो संयुक्त परिवार भारत में प्रचलित थे, उनमें परिवर्तन का विस्तृत रूप देखा जा सकता है । नगरीकरण के फलस्वरूप परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आया है । देसाई (1964)[3], कपाड़िया (1966)[4], शाह (1964)[5] आदि समाज–शास्त्रियों ने संयुक्त एवं एकाकी परिवार को विकास चक्र की प्रक्रिया बताया है। गोरे[6] (1968), रास[7] (1967) आदि समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन में संयुक्त से एकाकी परिवार या नाभिकीय परिवार की ओर परिवर्तन माना है ।

निष्कर्षत: यहाँ हम कह सकते हैं कि नगरों में संयुक्त परिवारों का रूपान्तरण एकाकी परिवारों के रूप में हो रहा है एवं परिवार का आकार छोटा हो रहा है ।

शैक्षणिक योग्यता–

किसी भी समाज में शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है जो एक विकसित राष्ट्र की विशेषता है । शिक्षा ही है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करती है, साथ ही व्यक्तियों को समाज में उसकी परिस्थिति का निर्धारण एवं भूमिका निर्धारण में योग देती है । विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि जिनके पिता की उच्च शिक्षा होती है, वह अपने बच्चों को भी उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करते हैं । शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ही सुव्यवस्थित सम्पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना है ताकि नगरीय समाज में अनुकूलन हो सके ।

सारणी – 4.2

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक योग्यता

कमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	निरक्षर	10	5	15	6.00
2	प्राथमिक	10	11	21	8.40
3	इण्टरमीडियट	35	50	83	33.20
4	स्नातक	55	40	95	38.00
5	परास्नातक	15	21	36	14.40
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उक्त सारणी संख्या 4.2 में अवलोकन से ज्ञात होता है कि

- 6.00 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर हैं ।
- बहुसंख्यक 38.00 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक हैं ।

सांराशतः स्पष्ट होता है कि बहुसंख्यक उत्तरदाता 38 स्नातक स्तर के हैं, जो नगर में शिक्षा की उच्चता एवं आवश्यकता को दर्शाता है ।

आयु के आधार पर वर्गीकरण – विभिन्न शोध अध्ययनों में आयु का मापदण्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण है । जैविकीय दृष्टि से आयु व्यक्ति की शारीरिक परिपक्वता की प्रक्रिया का प्रदर्शन करती है । समाजशास्त्रीय दृष्टि से आयु व्यक्ति की सामाजिक स्थिति व भूमिका का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । आयु के आधार पर परिपक्वता व्यक्ति के अनुभवों व विचारों को प्रदर्शित करती है । आयु वृद्धि के साथ–साथ अनुभवों की परिपक्वता समाज में व्यक्ति को एक विशेष स्थिति प्रदान करती है । उदाहरणस्वरूप

युवा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अधिक रूचि रखते हैं । वहीं धार्मिक कार्यक्रमों में मध्यम वर्ग व वृद्ध व्यक्ति अधिक सक्रीय होते हैं । इस प्रकार आयु की परिपक्वता व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति का निर्धारण करती है ।[8]

सारणी – 4.3

उत्तरदाताओ की शैक्षणिक पृष्ठभूमि एवं आयु सरंचना

क्र. स.	मापदण्ड	18–28	प्रतिशत	29–39	प्रतिशत	40–50	प्रतिशत	51 से अधिक	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	परास्नातक	23	63.88	8	22.22	3	8.33	2	5.55	36	14.40
2	स्नातक	22	23.15	47	49.47	19	20.00	7	7.36	95	38.00
3	इण्टरमीडियट	20	24.09	40	48.19	20	24.09	3	3.60	83	33.20
4	प्राथमिक	16	76.19	2	9.52	2	9.52	1	4.76	21	8.40
5	निरक्षर	8	53.33	3	20.00	4	26.66	0	0.00	15	6.00
	योग	**89**	**35.60**	**100**	**40.00**	**48**	**19.20**	**13**	**5.20**	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी के सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश

- 18–28 आयु वर्ग के उत्तरदाता 63.88 प्रतिशत परास्नातक शिक्षा से संबद्ध है।
- 29–39 तक के उत्तरदाता 49.47 प्रतिशत स्नातक तक शिक्षित है।
- 40–50 आयु वर्ग के उत्तरदाता 26.66 प्रतिशत निरक्षर मापदण्ड को पुरा करते है।

व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण :– नगर में व्यक्ति रोजगार हेतु गाँव से पलायन करता है, वहाँ विविध व्यवसायों की उपलब्धता व सुलभ साधन होने से जीविकोपार्जन आसानी से हो पाता है, जो गाँव में सहज उपलब्ध नहीं हो पाता । उत्तरदाताओं के परम्परागत व्यवसाय के सम्बन्ध में जानकारी से हमें निम्न तथ्य प्राप्त हुए हैं जो व्यक्ति के विभिन्न व्यवसायों में सलंग्नता को दर्शाता है ।

सारणी – 4.4

परिवार के आय के स्त्रोत के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	कृषि कार्य	35	30	65	26.00
2	उद्योग	49	41	90	36.00

3	नौकरी	27	43	70	28.00
4	कुछ नही /गृहणी एवं शिक्षण कार्य मे संलग्न	14	11	25	10.00
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपर्युक्त तालिका सारणी–4.4 में :

- अधिकांश उत्तरदाता नगरों में आकर रहकर उद्योग–धन्धों में संलग्न हो गए हैं, उनमें 36 प्रतिशत उद्योगों में, संलग्न है ।
- 28.00 प्रतिशत नौकरी मे संलग्न है ।
- 10 प्रतिशत कार्य कुछ नही करते है ।

नगर आर्थिक कार्यकलापों का एक मुख्य केन्द्र है । उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, सरकारी एवं वैयक्तिक प्रतिष्ठानों में वेतन–भोगी नौकरियाँ, नगरीय समुदाय का आधार प्रस्तुत करती हैं, जहाँ नगरीय उपसंस्कृति के लोग एक–दूसरे से अपनी आवश्यकताओं, कुशलता, योग्यता एवं श्रम कौशल के आधार पर जुड़े रहते हैं । जिससे नगरों में समान स्तर में योग्यता से समानता में वृद्धि की है ।

सारणी 4.5

व्यावसायिक मापदण्ड एवं उत्तरदाताओ की पारिवारिक सरचंना

क्र.स.	मापदण्ड	सयुंक्त परिवार	प्रतिशत	एकाकी परिवार	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	कृषि	8	12.30	57	87.60	65	26.31
2	उद्योग	15	16.60	75	83.30	90	36.00
3	नौकरी	30	42.80	40	57.14	70	28.00
4	कुछ नही/ गृहणी	8	32.00	17	68.00	25	10.00
	योग	**61**	**24.40**	**189**	**75.60**	**250**	**100.00**

सारणी 4.5 के विवेचन से स्पष्ट होता है किः

- 83.30 उत्तरदाता जो उद्योगो मे संलग्न हैं, एकाकी परिवार से सम्बद्ध है।
- सयुंक्त परिवार से सम्बद्ध उत्तरदाताओ में 42.80 प्रतिशत नौकरी मे सलग्न हैं
- एकाकी परिवार में नौकरी में संलग्न उत्तरदाता 57.14 प्रतिशत है।

➢ संयुक्त परिवार के 32.00 प्रतिशत उत्तरदाता किसी भी कार्य के प्रति जागरूक नही है। अर्थात् पारिवारिक सरंचना का व्यावसायिक सरंचना के प्रति अतंर परिलषित होता है।

नगरीकरण ने परिवार के आय के स्त्रोतों में नवीन व्यवसायों व, नौकरियों को जन्म दिया है, जिनमें व्यक्ति की व्यक्तिगत कुशलता एवं योग्यता को अधिक महत्व दिया जाता है। फलस्वरूप निम्न लोगों को भी अपनी योग्यता के अनुसार प्रगति एवं सामाजिक प्रस्थिति को ऊँचा उठाने के अवसर प्राप्त हुए हैं । इस कारण एक धनी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो, यदि उसका पद, योग्यता, आर्थिक स्थिति उच्च है, तो वह एक ब्राह्मण से कई अधिक उच्च है । शहर के निवासी अपनी आजीविका हेतु जमीन पर निर्भर न रहकर नौकरी, कल–कारखाने आदि पर निर्भर रहते हैं। वकील, डाक्टर, अध्यापन आदि कार्यों द्वारा वह शहरी क्षेत्र से जुड़े रहते हैं एवं अपना जीवन निर्वाह करते हैं ।अतः नगरीकरण ने उद्योगों को बढ़ावा दिया है। [9]

आय से सम्बन्धित विवरण :–जीवन में आय ही व्यक्ति की प्रस्थिति एवं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होती है। नगरीय समाज में व्यक्ति के जन्म से अधिक उसकी आर्थिक स्थिति का महत्व होता है, जो व्यक्ति के रहन–सहन को प्रभावित करती है।

सारणी – 4.6

उत्तरदाताओं की पारिवारिक वार्षिक आय का विवरण

कमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
1	50,000–1,00,000	76	30.40
2	1,00,000–1,50,000	83	33.20
3	1,50,000–अधिक	91	36.40
	योग	**250**	**100.00**

उपर्युक्त सारणी के अनुसार नगर में आने के पश्चात् परिवार की वार्षिक आय बढ़ी है, जो बेहतर जीवन हेतु आवश्यक है ।

➢ अधिकतर उत्तरदाताओं की वार्षिक आय रूपये 1,50,000 से अधिक अर्थात 36.40 प्रतिशत रही है। अतः नगर में आकर रहने से परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है ।

सारणी – 4.7

उत्तरदाताओ की आय के आधार पर शैक्षणिक पृष्ठभूमि

क्र. स.	मापदण्ड	500000–100000	प्रतिशत	100000–150000	प्रतिशत	150000 –से अधिक	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	परास्नातक	8	22.22	8	22.22	20	55.55	36	14.40
2	स्नातक	25	26.31	40	42.10	30	31.57	95	38.00
3	इण्टरमीडियट	40	48.19	13	15.66	30	36.14	83	33.20
4	प्राथमिक	2	9.52	11	52.38	8	38.09	21	8.40
5	निरक्षर	1	6.66	11	13.33	3	20.00	15	6.00
	योग	**76**	**30.40**	**83**	**33.20**	**91**	**36.40**	**250**	**100.00**

उपयुर्क्त सारणीयन के विश्लेषण से स्पष्ट है कि –

- 50,000–1,00,000 वार्षिक आय तक के 48.19 प्रतिशत उत्तरदाता जो इण्टरमीडियट है।
- 100000–150000 वार्षिक आय तक के 52.38 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक जो शिक्षित है।
- 1,50,000 से अधिक वालो में 55.55 प्रतिशत उत्तरदाता परास्नातक हैं।

अर्थात् अधिक शिक्षित व्यक्तियों मे आय की अधिकता परिलक्षित होती है।

सारणी – 4.8

उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	विवाहित	81	70	151	60.40
2	अविवाहित	40	54	94	37.60
3	विधवा/विधुर	2	1	3	1.20
4	विवाह–विच्छेद	2	0	2	0.80
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उत्तरदाता की वैवाहिक स्थिति को उनके द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर निम्न प्रकार से दर्शाया गया है । सारणी के तथ्य इंगित करते हैं :

- बहुसंख्यक 60.40 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित हैं ।
- 37.60 प्रतिशत अविवाहित, हैं ।
- विधवा एवं विधुर में 1.20 प्रतिशत उत्तरदाता व विवाह–विच्छेद में भी महिलाएँ 0.80 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।

निष्कर्षतः बहुसंख्यक उत्तरदाता विवाहित पृष्ठभूमि से है ।

सारणी – 4.9

विवाह के स्वरूप के चयन के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	परम्परागत	47	40	87	34.80
2	बिना विवाह साथ रहना	2	10	12	4.80
3	कोर्ट मैरिज	26	20	46	18.40
4	प्रेम विवाह	50	55	105	42.00
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपर्युक्त सारणी 4.9 के अनुसार :

- अधिकांश उत्तरदाता प्रेम विवाह के पक्ष में मत देते हैं, जिनमें 42 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- परम्परागत विवाह में 34.8 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- कोर्ट मैरिज का 18.4 प्रतिशत उत्तरदाता ,
- बिना विवाह साथ रहना से सम्बन्धित उत्तरदाता 4.8 प्रतिशत हैं ।

अर्थात समाज में अधिकांशतः प्रेम–विवाह का प्रचलन बढ़ा है ।

परम्परागत रूप में प्रत्येक जाति अपने सदस्यो को अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करने का निर्देश देती है अर्थात जातीय आधार पर प्रत्येक उपजाति अन्र्तविवाही समूह है और अपनी उपजाति से बाहर

विवाह–सम्बन्ध स्थापित करने की आज्ञा नहीं देती है । लेकिन वर्तमान में इन प्रतिबन्धों में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं । देर से विवाह एवं प्रेम–विवाह करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और ऐसे विवाहों में प्रायः जाति–पाति का बन्धन टूटता हुआ प्रतीत होता है ।

सारणी – 4.10

वर-वधु चयन में साधनों के चयन के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	वैवाहिक विज्ञापन	22	34	56	22.40
2	सगे–सम्बन्धियों द्वारा	50	23	73	29.20
3	इन्टरनेट मेट्रोमोनियल	40	34	74	29.60
4	जातीय परिचय सम्मेलन	8	27	35	14.00
5	उपरोक्त सभी	5	7	12	4.80
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपर्युक्त सारणी संख्या–4.10 के अनुसार

- 29.60 प्रतिशत इन्टरनेट मेट्रीमोनियल रिश्तों को अधिक प्राथमिकता दी गई है।
- परिवार में विवाह सम्बन्धों हेतु सगे–सम्बन्धियों द्वारा लाए गए रिश्तों को 29.20 प्राथमिकता दी गई है ।
- 22.40 प्रतिशत उत्तरदाता वैवाहिक विज्ञापनों द्वारा वैवाहिक सम्बन्धों को पूर्णता प्रदान करते हैं ।
- 14.00 प्रतिशत उत्तरदाता जातीय परिचय सम्मेलन पक्ष में है ।

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इन्टरनेट मेट्रीमोनियल रिश्तों को अधिक प्राथमिकता दी गई है । सगे–सम्बन्धियों द्वारा लाए गए रिश्तों व इन्टरनेट मेट्रोमोनियल को प्रमुखता दी जाती है । अर्थात हिन्दू परिवार में सगे–सम्बन्धियों एवं रिश्तेदारों से मधुर सम्बन्ध परिलक्षित होते हैं, चाहे रिश्तेदार ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो या नगरीय क्षेत्र से सम्बद्ध हों ।

सारणी – 4.11

उत्तरदाताओं का ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ाव प्रति उत्तरदाता संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	पक्ष	100	89	189	75.60
2	विपक्ष	25	36	61	24.40
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

स्पष्ट है कि अधिकतर उत्तरदाताओं के सगे–सम्बन्धी ग्रामीण समाज से जुड़े हुए हैं, जिनमें :

- 75.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं के सगे–सम्बन्धी गाँव में निवास करते हैं ।
- 24.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं के सगे–सम्बन्धी नगर में ही निवासित हैं ।

अर्थात अधिकांश उत्तरदाताओं का ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी जुड़ाव है ।

सारणी – 4.12

नगरीकरण से गाँव से सम्पर्क टूटने के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	सहमत	32	22	54	21.60
2	असहमत	12	23	35	14.00
3	तटस्थ	81	80	161	64.40
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

सारणी संख्या–4.12 के आधार पर यह परिलक्षित होता है कि

- नगरीकरण से गाँव से सम्पर्क टूटने के प्रति पूछे जाने पर अधिकांश 64.40 उत्तरदाता सामान्य सम्बन्धों को अधिक महत्व देते हैं व ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं ।
- ग्रामीण क्षेत्रों से सम्पर्क टूटने के प्रति पूर्णतया सहमत मापदण्ड़ को प्राथमिकता देने में 21.60 प्रतिशत उत्तरदाता पक्ष में हैं ।

सारणी– 4.13

ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुडाव के प्रति उत्तरदाताओ की पारिवारिक सचेतना

क्र. स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	सयुंक्त परिवार	16	26.22	10	16.34	35	57.37	61	24.4
2	एकाकी परिवार	38	20.10	22	11.64	129	68.25	189	75.6
	योग	**54**	**21.60**	**32**	**12.80**	**164**	**65.60**	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से विदित होता है कि :

- एकाकी परिवार के 68.25 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीण पृष्ठभूमि से कम जुडाव रखते हैं।
- एकाकी परिवार के 20.10 प्रतिशत उत्तरदाता ग्प्रमीण पृष्ठभूमि से जुडे हैं।
- सयुंक्त परिवार के 26.22 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुडाव के पक्ष में मत देते हैं। अर्थात् ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुडाव कें प्रति नगर में आने के उपरांत अधिकाशंतः कमी प्रदर्शित होती है। गाँव से शहर की ओर पलायन ने परिवारों का विघटन किया है । नगरों में परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों से आपसी सम्बन्ध घनिष्ठ न होने का कारण परिवार के सदस्यो का शिक्षा, नौकरी आदि हेतु नगर में जाना है, इस कारण परिवार के सदस्यों से सम्पर्क कम हो पाता है ।

सारणी – 4.14

परिवार के स्वरुप के प्रेरक तत्वों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

	मापदण्ड	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	परम्परागत नियम	45	52	97	38.80
2	बाध्यता	36	23	59	23.60
3	एकता	32	35	67	26.80
4	सुरक्षा	5	10	17	6.80
5	उपरोक्त सभी	7	5	10	4.00
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है :

- अधिकांश 38.80 पारिवारिक सदस्यों ने परम्परागत नियम को परिवार का प्रेरक तत्व बताया है ।
- लगभग 23.60 उत्तरदाता परिवार के प्रेरक तत्वों को बाध्यकारी मानते हैं ।
- लगभग 6.80 प्रतिशत सुरक्षा मापदण्ड़ में परिवार को सम्मिलित करते हैं ।
- 4 प्रतिशत उपरोक्त सभी आधार पर मत देते हैं ।

पाई चार्ट /स्तंभ सख्या –4

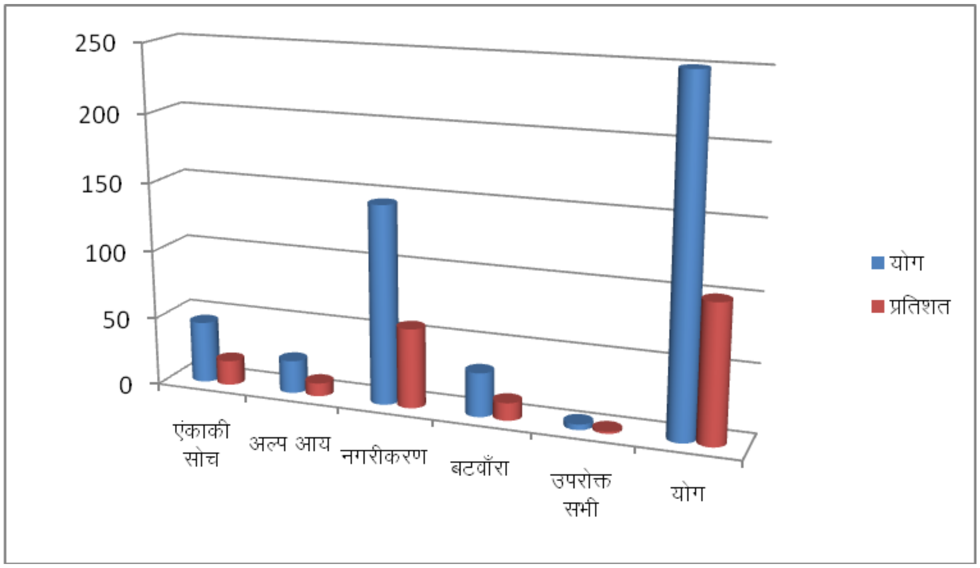

सारणी – 4.15

संयुक्त परिवार के टूटने के कारणों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	एकांकी सोच	25	20	45	18.00
2	अल्प आय	8	16	24	9.60
3	नगरीकरण	75	70	145	58.00
4	बटवाँरा	15	17	32	12.80

5	उपरोक्त सभी	2	2	4	1.60
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपरोक्त तालिका संख्या–4.15 से स्पष्ट होता है कि :

- संयुक्त परिवार के टूटनें के कारणों के प्रति अधिकांश 58.00 उत्तरदाता नगरीकरण को उत्तरदायी मानते हैं ।
- बटवाँरा के कारण संयुक्त परिवार टूटने के प्रति 12.80 प्रतिशत उत्तरदाता पक्ष में मत देते हैं ।
- लगभग 18.00 प्रतिशत उत्तरदाता एकांकी सोच को इसका एकमात्र कारण मानते हैं,
- उपरोक्त सभी कारणों के प्रति 1.60 प्रतिशत उत्तरदाता शामिल हैं जो सुविधाओं की उपलब्धता एवं आर्थिक आधार को भी महत्व देते हैं ।

  अर्थात अधिकांश पारिवारिक सदस्य नगर में आने के उपरांत संयुक्त परिवार से एकाकी परिवारों में परिणित हो गए हैं।

संयुक्त परिवार में पारिवारिक सम्पति का बहुत महत्व होता है एवं प्राचीन समय में सम्पत्ति के बँटवारे होने की प्रवृत्ति कम पाई जाती थी, किन्तु वर्तमान में लोगों में सम्पत्ति के बँटवारे को लेकर वृद्धि होने लगी है । आजकल परिवार में दो पीढ़ी के सदस्य भी निवास करने लगे हैं अर्थात परिवार में बँटवारे का प्रचलन चला है । पारिवारिक सदस्यों से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि आज नहीं तो कल बँटवारा तो होना ही है, तो आज क्यों नहीं । अधिकतर उत्तरदाता बँटवारे के कारणों में पारिवारिक मतभेद को उत्तरदायी मानते हैं ।

सारणी – 4.16

परिवार के स्वरूप के चयन के कारण के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	**मापदण्ड**	**म0**	**पु0**	**योग**	**प्रतिशत**
1	सामाजिक रूप से आत्म–निर्भर	52	17	69	27.60
2	आर्थिक गतिशीलता	13	60	73	29.20
3	सही समाजीकरण	21	19	40	16.00
4	अधिक सुरक्षा	12	13	25	10.00
5	जागरूकता	27	13	40	16.00
6	उपरोक्त सभी	0	3	3	1.20

	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपरोक्त तालिका संख्या–4.16 से स्पष्ट होता है कि :

- परिवार के स्वरूप के चयन के कारणों में सर्वाधिक पारिवारिक सदस्य आर्थिक गतिशीलता को महत्व देते हैं, जिसमें 13 महिलाएँ व 60 पुरूष सम्मिलित हैं, जो लगभग 29.20 कुल प्रतिशत का है ।
- सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर मापदण्ड़ के प्रति लगभग 27.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं में 52 महिलाएँ व 17 पुरूष, हैं ।
- सही समाजीकरण के प्रति 21 महिलाएँ व 19 पुरूष, लगभग 16 प्रतिशत हैं ।
- जागरूकता मापदण्ड़ को प्रमुखता देने में 27 महिलाएँ व 13 पुरूष जो कुल प्रतिशत की 16 ही पाया गया है ।

इनमें परिवार के स्वरूप का चयन करने के कारणों में सर्वाधिक रूप से आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा व जागरूकता को महत्व दिया गया है । यद्यपि सर्वाधिक उत्तरदाता एकाकी परिवार के चयन को प्रमुखता देते हैं ।

भारतीय सामाजिक संरचना में परिवार एवं विवाह का अत्यन्त महत्व है । सभी समाजों में परिवार एवं विवाह को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था माना गया है । सोरोकिन, जिमरमेन एवं गालपिन के अनुसार उन समाजों में जो खेती–बाड़ी (ग्रामीण समाज) पर आधारित होते हैं, में परिवार का महत्व अन्य समाजों की अपेक्षा सर्वाधिक होता है । हल की खेती पर आधारित समाजों के परिवारों में न केवल प्रकार्यों की विस्तृता होती है । बल्कि इस प्रकार के समाजों की अन्य महत्वकांशी संस्थाएँ भी परिवार के संरचनात्मक ढाँचें में ढली होती हैं । भारतीय समाज एक ग्रामीण समाज रहा है, जहाँ के पारम्परिक परिवार के लक्षणों एवं प्रकार्यों में इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था वाले सरचंनात्मक परिवारों में समानता परिलक्षित होती है ।[10]

सारणी – 4.17

परिवार के सगे–सम्बन्धियों से सम्बन्धों के स्वरूप के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	म0	पु0	योग	प्रतिशत
1	औपचारिक	69	59	128	51.20
2	अनौपचारिक	56	66	122	48.80
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**

उपरोक्त सारणी संख्या–4.17 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि :

- परिवार में सगे–सम्बन्धियों के प्रति सम्बन्धों के स्वरूप के प्रति अधिकांश 51.2 प्रतिशत उत्तरदाता औपचारिक मापदण्ड़ को प्राथमिकता देते हैं ।
- अल्पसंख्यक उत्तरदाता 48.8 प्रतिशत परिवार से सगे–सम्बन्धियों से अनौपचारिक सम्बन्धों को अधिक महत्व देते हैं ।

अतः नगरीकरण नें परिवार के पारिवारिक रिश्तों में पारस्परिक औपचारिकता को अधिक महत्व दिया हैं ।

सारणी – 4.18

परिवार के सगे सम्बधियों सें घनिष्ठता में कमी के प्रति उत्तरदाताओं की पारिवारिक सरचंना सचेतना

क्र. स.	परिवार की संरचना	सहमत	प्रतिशत	असहमत	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	संयुक्त परिवार	30	49.18	31	50.81	61	24.40
2	एकाकी परिवार	143	75.66	46	24.33	189	75.60
	योग	**173**	**69.20**	**77**	**30.80**	**250**	**100.00**

सारणी सख्या 4.18 के उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि :

- सर्वाधिक एकाकी परिवार के 75.66 प्रतिशत उत्तरदाता सम्बंधो की घनिष्ठताओ की कमी के प्रति सहमत है।
- संयुक्त परिवार के 50.81 प्रतिशत उत्तरदाता इसके प्रति असहमत है।
- एकाकी परिवार के 24.33 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार में सम्बन्धित घनिष्ठता में कमी के प्रति असहमत है।

सारणी सख्या 4.19

सगे–सम्बधियों में घनिष्ठता में कमी के प्रति उत्तरदाताओं की शैक्षणिक एवं पारिवारिक सचेतना

क्र. स.	शैक्षणिक पृष्ठभूमि	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	परास्नातक	20	55.55	5	13.88	11	30.55	36	14.40

2	स्नातक	55	57.89	7	7.36	33	34.73	95	38.00
3	इण्टरमीडियट	55	66.26	6	7.22	22	26.50	83	33.20
4	प्राथमिक	12	57.14	3	14.28	6	28.57	21	8.40
5	निरक्षर	8	53.33	2	13.33	5	33.33	15	6.00
	योग	**150**	**60.00**	**23**	**9.20**	**77**	**30.80**	**250**	**100.00**

सारणी संख्या 4.19 से स्पष्ट होता है कि :

- पारिवारिक रिश्तेदारो एवं सगे सम्बन्धियों से घनिष्ठता में कमी के पक्ष में सर्वाधिक इण्टरमीडियट शैक्षणिक पृष्ठभूमि से संबद्ध 66.26 प्रतिशत उत्तरदाता है।
- घनिष्ठता में कमी के विपक्ष मे न्यून रूप से 26.50 प्रतिशत इण्टरमीडियट शैक्षणिक पृष्ठभूमि से संबद्ध उत्तरदाता है।
- स्नातक में 34.73 प्रतिशत उत्तरदाता इस के विपक्ष में मत देते है।
- परास्नातक 55.55 प्रतिशत इसके पक्ष में है।

स्पष्ट होता है कि अधिकांश उच्च शैक्षणिक पृष्ठभूमि से संबद्ध पारिवारिक रिश्तेदारो एवं सगे सम्बन्धियों से घनिष्ठता में कमी से संबद्ध उत्तरदाता है।

सारणी 4.20

पारिवारिक सम्बन्धों में समीपता में कमी के प्रति उत्तरदाताओ की आयु सचेतना दृष्टिकोण

क्र.स.	आयु	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	18—28	50	56.17	2	2.24	37	41.57	89	35.60
2	29—39	65	65.00	3	3.00	32	32.00	100	40.00
3	40—50	42	87.50	2	4.16	4	8.33	48	19.20
4	51 से अधिक	8	61.53	1	7.69	4	30.76	13	5.20
	योग	**165**	**66.00**	**8**	**3.20**	**77**	**30.80**	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से विदित होता है कि :

- पारिवारिक सरंचनात्मक संबंधो में कमी के प्रति पक्ष में 29—39 आयु वर्ग के उत्तरदाता 65 प्रतिशत है।
- पारिवारिक संबधो में घनिष्टता की कमी के प्रति 41.57 प्रतिशत 18—28 आयु वर्ग के उत्तरदाता विपक्ष में मत देते है उनके अनुसार परिवार में आज भी घनिष्टता विद्यमान है।
- 51 से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाता 30.76 इसके प्रति विपक्ष दर्शाते है।

अर्थात् अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाता पारिवारिक संबधो की घनिष्टता में कमी के विपक्ष में व कम आयु वर्ग के पारिवारिक संबधो में समीपता में कमी के पक्ष में है।

सारणी – 4.21

परिवार में वैवाहिक सम्बन्धों की प्रकृति के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
1	सामंजस्यपूर्ण	77	30.80
2	दिखावा मात्र	105	42.00
3	तटस्थ	68	27.20
	योग	**250**	**100.00**

नगर में निवास से पारिवारिक एवं वैवाहिक सम्बन्ध प्रभावित हुए हैं ।

- ➢ अधिकांश उत्तरदाता 42 प्रतिशत उत्तरदाता सम्बन्धों के स्वरूप को दिखावा मात्र मानते हैं ।
- ➢ 30.8 प्रतिशत उत्तरदाता सम्बन्धों को सामन्जस्यपूर्ण एवं 27.2 प्रतिशत उत्तरदाता वैवाहिक सम्बन्धों में तटस्थता को बतलाते हैं ।

उनके अनुसार नगर में आकर बसने से समयाभाव के कारण परिवार के लोग एक–दूसरे को समय नहीं दे पाते एवं उनमें परस्पर सामंजस्यता में कमी आई है । विवाह मानव के जीवन की एक प्रमुख आवश्यकता है, जो मानव के परिवार का निर्धारण भी करती है । इसी सन्दर्भ में विवाहित, अविवाहित, विधवा/विधुर एवं विवाह विच्छेद वाले उत्तरदाताओं को प्रबन्ध कार्य में सम्मिलित किया गया है ।

बोगार्डस (1950) ने भी विवाह द्वारा व्यक्ति को पाँच प्रकार के प्रस्थिति मिलने की चर्चा करते हुए कहा है कि, विवाह के बाद वैयक्तिक दायित्वों में वृद्धि होती जाती है जिससे व्यक्ति की अभिवृत्तियाँ एवं व्यवहार प्रभावित होते हैं ।[11]

इस प्रकार हिन्दू परिवार का परम्परागत भावात्मक आधार धीरे–धीरे समाप्त होता जा रहा है । हिन्दू परिवार में सम्बन्ध औपचारिक रूप लेने लग गए हैं । विवाह उपरान्त पति–पत्नि के बीच जन्म–जन्मान्तर का सम्बन्ध अब क्षीण होता जा रहा है । अब पति–पत्नी के सम्बन्ध सिर्फ नाम मात्र के हो गए हैं एवं दिखावे को अधिक महत्व दिया जाने लगा है । परिवार में पिता–पुत्र, भाई–भाई, पति–पत्नी के सम्बन्धों में निरन्तर बदलाव आ रहा है । हिन्दू परिवार की परम्परागत धारणा अब बदलाव की ओर उन्मुख है । इस प्रकार नगरीकरण के दौरान परम्परागत हिन्दू परिवार प्रभावित हुए हैं ।

सारणी – 4.22

नगर में पड़ौसी वर्ग से सम्बन्धों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	औपचारिक	98	39.20
2	अनौपचारिक	69	27.60
3	तटस्थ	83	33.20
	योग	**250**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि :

- नगर में पड़ौसी वर्ग से औपचारिक सम्बन्धों का अधिकांश रूप से महत्व उजागर होता है । लगभग 39.2 प्रतिशत उत्तरदाता औपचारिक सम्बन्धों के पक्ष में उत्तर देते हैं ।
- तटस्थ सम्बन्धों के मापदण्ड़ के प्रति लगभग 33.2 प्रतिशत उत्तरदाता एवं
- अनौपचारिक सम्बन्धों के प्रति 27.6 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।

अतः पारस्परिक सम्बन्धों का ताना बाना नगरीय जीवन शैली में बदल गया है ।

नगरीय समाज में वर्तमान में हिन्दू–परिवार का स्वरूप बदला है । भावनाएँ व सम्बन्धता के तत्वों में अब कमी आई है । पारस्परिक सम्बन्धों में अब जटिलता के भाव आते जा रहे हैं, नगर में पड़ौसी वर्ग से सम्बन्ध मात्र औपचारिक रह गए हैं । फिर भी कुछ मात्रा में यह सम्बन्ध अनौपचारिक एवं आत्मीय भी प्रतीत होते हैं ।

इस प्रकार वर्तमान में नगरीय जीवन–शैली में में एक पड़ौसी दूसरे पड़ौसी के प्रति परस्पर अनभिज्ञता के भाव रखते हैं । समयाभाव एवं निजी जीवन में समय देने के कारण अधिकतर व्यक्ति पड़ौसी या कॉलोनी, समुदाय के लोगों से घनिष्ठता अपेक्षाकृत कम रखते हैं ।

सामाजिक रूप से नगरीय निवासी गतिशील होते हैं । देहाती व्यक्ति जिस कुल, परिवार व जाति में जन्म लेते हैं, वही उनकी सामाजिक स्थिति का भी निर्धारण करते हैं, पर नगर में व्यक्ति अपने कार्य को स्वेच्छापूर्वक चुन सकता है एवं साथ–ही–साथ अपनी योग्यता, कार्यक्षमता एवं शक्ति द्वारा सामाजिक स्थिति में परिवर्तन भी ला सकता है ।[12]

सारणी – 4.23

नगर में निवास करने से व्यक्तिगत हितों को महत्व देने के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	सहमत	159	63.60
2	असहमत	46	18.40
3	तटस्थ	45	18.00
	योग	**250**	**100.00**

उपर्युक्त विवेचित आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि :

- नगर में व्यक्तिगत हितों को महत्व देने के प्रति लगभग 63.60 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित है ।
- लगभग 18.40 प्रतिशत उत्तरदाता नगर मे व्यक्तिगत हितों के महत्व के प्रति असहमत पाए गए हैं।
- नगर में निवास करने वाले बहुसंख्यक उत्तरदाता इस मत से सहमत पाए गए हैं कि नगरीय सरचंना एवं नगरीकरण से व्यक्तिवादी हितों को बढ़ावा मिला है एवं अल्पसंख्यक उत्तरदाता इस मत से असहमत पाए गए एंव 18.00 प्रतिशत तटस्थ उत्तरदाता सम्मिलित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नगर में व्यक्तिगत हितों का महत्व बढ़ा है । नगरीकरण की प्रक्रिया भी इसके प्रति एक उत्तरदायी कारक है ।

सारणी – 4.24

नगर में निवास करने से परिवार में विभिन्न खर्चों में बढ़ोतरी के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	मापदण्ड	म0	पु0	योग	प्रतिशत
1	घरेलू	9	33	42	16.80
2	मनोरंजन के क्षेत्र में	31	27	58	23.20
3	शिक्षा	60	46	106	42.40
4	त्यौहारों में	15	13	28	11.20
5	उपरोक्त सभी	10	6	16	6.40

	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उल्लेखित सारणी संख्या 4.24 से स्पष्ट होता है कि :

- सर्वाधिक 42.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं में 60 महिलाएँ एवं 46 पुरूष उत्तरदाताओं का सर्वाधिक व्यय शिक्षा में हुआ है ।
- मनोरंजन के क्षेत्र में लगभग 23.2 प्रतिशत पारिवारिक सदस्यों में 31 महिलाएँ एवं 27 पुरूष सम्मिलित हैं ।
- घरेलू खर्चों में व्यय के प्रति 16.8 प्रतिशत पारिवारिक सदस्यों में 9 महिलाएँ एवं 33 पुरूष उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- उपरोक्त सभी आधार पर व्यय के प्रति 6.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं में 10 महिलाएँ एवं 6 पुरूष शामिल हैं। ये अन्य छोटे–मोटे खर्च जैसे चिकित्सा, आपातकालीन व्यय को भी स्थान देते हैं ।

नगर में निवास करने वाले अधिकतर पारिवारिक सदस्यों के घरेलू एवं परिवार के विभिन्न खर्चों में बढ़ोत्तरी हुई है। महँगाई एवं नगरीय दिखावटी जीवनशैली ने परिवार के खर्चों को बढ़ा दिया है । इन खर्चों में सर्वाधिक व्यय शिक्षा के क्षेत्र में परिलक्षित होता है, जो नगर में आकर बसने का एक प्रमुख कारण भी है ।

इस प्रकार नगर में पुरूष की अपेक्षा सर्वाधिक महिला उत्तरदाताओं का मानना है कि नगर में आने के पश्चात् सर्वाधिक व्यय बच्चों की शिक्षा पर हुआ है ।

सारणी – 4.25

नगर में निवास से परिवार के कार्यों के बढ़ने के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
1	बढ़े हैं	158	63.20
2	कम हुए हैं	35	14.00
3	यथावत	57	22.80
	योग	**250**	**100.00**

सारणी संख्या–4.25 में नगर में निवास के उपरांत कार्यों के बढ़ने के प्रति पूछे जाने पर अधिकांश उत्तरदाताओं के उत्तर इसके बढ़ने के पक्ष में थे;

- जिनमें लगभग 63.2 प्रतिशत पारिवारिक सदस्य सम्मिलित हैं ।
- कार्यों का यथावत मापदण्ड़ देने के प्रति 22.8 प्रतिशत सम्मिलित हैं एवं
- कम होने के प्रति अल्पसंख्यक 14 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।

इस प्रकार नगरीकरण ने पारिवारिक सदस्यों के कार्यों को बढ़ाया है । चाहे वह घरेलू, शैक्षणिक, आर्थिक, व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य हों, नगर की व्यस्तम जीवन–शैली में अनगिनत कार्यों ने मानव को पूर्णतः व्यस्त बना दिया है ।

सारणी – 4.26

नगरीकरण से समस्याओं में विस्तार के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
1	वृद्धावस्था	36	14.40
2	निवास	28	11.20
3	परिवार का टूटना	67	26.80
4	बेरोजगारी	41	16.40
5	असुरक्षा	28	11.20
6	अपराधों में वृद्धि	21	8.40
7	वैवाहिक समस्या	17	6.80
8	उपरोक्त सभी	12	4.80
	योग	**250**	**100.00**

उपरोक्त विश्लेषित सारणी संख्या 4.26 से स्पष्ट होता है कि :

- 26.8 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार का टूटना नगरीकरण की एक प्रमुख समस्या मानते हैं ।
- 16.4 प्रतिशत बेरोजगारी, एक प्रमुख समस्या मानते हैं ।
- 11.2 प्रतिशत असुरक्षा की भावना को नगर की समस्या मानते हैं ।
- उपरोक्त सभी समस्याओं के प्रति 4.8 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं । इसमें चोरी, डकैती, लूटपाट आदि के अतिरिक्त विभिन्न पारिवारिक समस्याएँ, जिनमें परिवार में आपसी मनमुटाव आदि हैं ।

नगरीकरण से पारिवारिक सदस्यों की समस्याएँ बढ़ी हैं । जिनमें सबसे अधिक सामाजिक समस्या, परिवार के टूटने की रही है । संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में परिवर्तन होना उपर्युक्त तथ्य को बतलाता है ।

इस प्रकार नगरीकरण ने संयुक्त परिवार को एकाकी परिवार में परिवर्तित कर दिया है एवं संयुक्त परिवारों को तोड़ा है जिससे परिवार में एकता की भावना में कमी आई है ।

सारणी – 4.27

विभिन्न उत्सवों व त्यौहारों पर मूल–निवास पर गमनागमन के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	सहमत	153	61.20
2	असहमत	97	38.80
	योग	**250**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि :

- अधिकतम उत्तरदाता केवल विशेष त्यौहारों या कर्मकाण्ड़ों में ही अपने पैतृक आवास में आते हैं । लगभग 61.20 प्रतिशत पारिवारिक सदस्य विभिन्न कर्मकाण्ड़ों, समारोह, त्यौहार, उत्सवों के अवसर पर अपने पारम्परिक निवास में जाते हैं ।
- लगभग 38.80 प्रति उत्तरदाता किसी भी अवसर या त्यौहारों पर अपने पारम्परिक निवास में जाने के प्रति असहमति देते हैं ।

उन्होंने बताया कि नगर में व्यस्ततम जीवनशैली के कारण अब उनका गाँव में जाना नही हो पाता है । इस प्रकार अधिकतर पारिवारिक सदस्यों का अपने पारम्परिक आवास की ओर आगमन हेतु किसी विशेष अवसर की आवश्यकता होती है, तभी वह अपने पारम्परिक आवास की ओर गमन करते हैं, अन्यथा नहीं । नगर में निवास स्थान का चुनाव करते समय पारिवारिक सदस्य विभिन्न मापदण्ड़ों को महत्व देते हैं, जो नगर निवास के प्रेरक तत्व भी हैं ।

सारणी – 4.28

नगर में निवास स्थान के चयन में प्राथमिकता के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	रिश्तेदार	51	20.40

2	जातीय समुदाय	36	14.40
3	वातावरण	41	16.40
4	सुविधाओं की पर्याप्तता	100	40.00
5	उपरोक्त सभी	22	8.80
	योग	**250**	**100.00**

उपर्युक्त सारणी संख्या–4.28 के अनुसार :

- नगर में निवास के चयन में अधिकांश उत्तरदाता लगभग 40 प्रतिशत सुविधाओं की पर्याप्तता को अधिक महत्व देते हैं ।
- रिश्तेदार को महत्व देने में 20.4 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- वातावरण मापदण्ड़ को महत्व देने में लगभग 16.4 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित है ।
- जातीय समुदायों को निवास स्थान चयन में प्राथमिकता देने में लगभग 14.4 प्रतिशत उत्तरदाता हैं एवं
- उपरोक्त सभी को महत्व देने में 8.8 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।

नगरों के विशाल जमघट और वहाँ के निवासियों की विशेषीकृत सेवाओं से व्यक्ति के सामाजिक सम्बन्ध चुनाव के आधार पर स्थापित होते हैं । नगर निवासियों की आवश्यकताएँ अपने परिवार या पड़ौस से पूरी नहीं हो पाती फलस्वरूप उसे सामाजिक सम्बन्धों की एक श्रृखंला बनाना पड़ता है । नगरवासी अपना सम्बन्ध किसी के भी साथ बनाने के लिए स्वतन्त्र होता है ।

सारणी – 4.29

नगर में निवास के उपरांत स्वतन्त्रताओं में वृद्धि के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	सहमत	172	68.80
2	असहमत	60	24.00
3	तटस्थ	18	7.20
	योग	**250**	**100.00**

सारणी संख्या–4.29 से स्पष्ट होता है कि नगरीकरण ने व्यक्ति की स्वतन्त्रता में वृद्धि की है ।

- 68.80 प्रतिशत उत्तरदाता इसके प्रति सहमति प्रदान करते हैं एवं
- 24.00 प्रतिशत उत्तरदाता इसे नकारते हैं ।

➢ 7.20 उत्तरदाता इसके प्रति तटस्थ सहमति प्रदान करते हैं ।

सारणी 4.30

नगरीकरण से स्वतन्त्रता में वृद्धि के प्रति उत्तरदाताओ की पारिवारिक सचेतना

क्र. स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	सयुंक्त परिवार	30	49.18	6	9.83	25	40.48	61	24.40
2	एकाकी परिवार	160	84.65	4	20.11	25	13.22	189	75.60
	योग	**190**	**76.00**	**10**	**4.00**	**50**	**20.00**	**250**	**100.00**

प्रस्तुत सारणी के सामान्य विश्लेषण से स्पष्ट हे कि :

➢ एकाकी परिवार के पारिवारिक सदस्य नगर मे ंआने के उपरांत अधिक स्वतन्त्रता पाते हैं, जो सर्वाधिक 84.65 प्रतिशत है।

➢ सयुंक्त परिवार मे नगरीकरण के फलस्वरूप स्वतन्त्रता में वृद्धि का पैमाना 49.18 प्रतिशत है।

इस प्रकार अधिकतर उत्तरदाताओं का मानना है कि गाँव से शहर में आने के उपरांत उनकी स्वतन्त्रताएँ बढ़ी हैं, चाहे वह खान–पान, वेशभूषा, निर्णय–निर्माण या अन्य किसी प्रकार का अधिकार हो । महिलाएँ नगर में आने के उपरांत स्वयं को अधिक स्वतन्त्र एवं सक्षम पाती हैं, वहीं पुरूषों द्वारा निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं को सहभागिता देने से उनमें कार्यों का समान बटवाँरा हुआ है ।

सारणी – 4.31

उत्तरदाताओं की भोजन सम्बन्धी अभिरूचि के प्रति संचेतना

क्रमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
1	शाकाहारी	94	69.60
2	माँसाहारी	29	11.60
3	दोनों	47	18.80
	योग	**250**	**100.00**

- इस प्रकार लगभग 69.6 प्रतिशत उत्तरदाता भोजन सम्बन्धी अभिरूचि में शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता देते हैं ।
- लगभग 18.8 प्रतिशत उत्तरदाता, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन को प्राथमिकता देते हैं; एवं
- माँसाहारी भोजन को प्राथमिकता देने में 11.6 प्रतिशत उत्तरदाता शामिल हैं।

सारणी –4.32

शाकाहारी भोजन संबधी अभिरूचि के प्रति उत्तरदाताओ की शैक्षणिक सचेतना

क्र. स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	परास्नातक	13	36.11	7	19.44	16	44.44	36	14.40
2	स्नातक	30	31.57	25	26.31	40	42.10	95	38.00
3	इण्टरमिडीयट	40	48.19	34	40.96	9	10.84	83	33.20
4	प्राथमिक	10	47.61	0	0.00	11	52.38	21	8.40
5	निरक्षर	5	33.33	2	13.33	8	53.33	15	6.00
	योग	**98**	**39.20**	**68**	**27.20**	**84**	**33.60**	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी के सामान्य अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :

- शाकाहारी भोजन संबधी अभिरूचि के प्रति 48.19 प्रतिशत उत्तरदाता इण्टरमीडियट है।
- 42.10 प्रतिशत उत्तरदाता शाकाहारी भोजन के प्रति अभिरूचि नही दर्शाते हैं, वह स्नातक है।
- 52.38 प्रतिशत प्राथमिक रूप से शिक्षित भोजन संबधी अभिरूचि के प्रति निरूत्तर रहे हैं एवं विपक्ष में मत देते हैं।

अर्थात् नगरीकरण के फलस्वरूप भोजन संबंधी अभिरूचित में परिवर्तन आया है।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्तमान समय में भी हिन्दू परिवार के अधिकांश सदस्य शाकाहारी भोजन को ही प्राथमिकता देते हैं । नगर में निवास करने के उपरांत भी हिन्दू परिवार में माँसाहारी भोजन करना एक अपराध माना गया है, जो हिन्दू धर्म को भ्रष्ट करता है ।

इस प्रकार उपरोक्त आधार पर देखा जा सकता है, कि आज भी हिन्दू परिवार अपने खान–पान को लेकर धार्मिक प्रवृत्ति रखते हैं, किन्तु हिन्दू परिवार में खान–पान के प्राचीन स्वरूप अर्थात जमीन पर बैठक कर खाना एवं चम्मच आदि का प्रयोग करना अब वर्जित नहीं रहा है । वर्तमान में अधिकतर हिन्दू नगरीय

जीवन शैली को अपना रहे हैं एवं जमीन के स्थान पर टेबल पर भोजन करना उचित एवं सुविधाजनक मानते हैं । आजकल पश्चिमी भोजन जैसे फास्टफूड, चाउमीन, मैगी, डोसा, इटली जैसे व्यजंनों का भी प्रचलन बढ़ा है जो नगरीय जीवन शैली के खान–पान का एक हिस्सा बन गया है ।

सारणी – 4.33

उत्तरदाताओं की रूचियों का वर्गीकरण

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	टी.वी., रेड़ियों	106	42.40
2	सांस्कृतिक गतिविधियों में	65	26.00
3	सिनेमा, इंटरनेट, मोबाईल	39	15.60
4	उपरोक्त सभी	40	16.00
	योग	**250**	**100.00**

उपर्युक्त तालिका संख्या–4.33 में दिए गए समंकों को देखने पर यह स्पष्ट होता है

- लगभग 42.40 प्रतिशत उत्तरदाता टी.वी., रेड़ियों आदि में अधिक रूचियाँ प्रदर्शित करते हैं ।
- 26.00 प्रतिशत उत्तरदाता सांस्कृतिक गतिविधियों सम्मिलित हैं एवं
- सिनेमा, इंटरनेट, मोबाईल मापदण्ड़ के प्रति 15.60 सम्मिलित हैं एवं
- उपरोक्त सभी गतिविधियों में 16.00 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।

व्यस्त नगरीय जीवन में मनोरंजन का महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो मनोरंजन सभी वर्गों, समुदायों के व्यक्तियों हेतु महत्वपूर्ण है, फिर भी परिवर्तनशील नगरीय समुदायों में इसका महत्व और भी अधिक है । मनोरंजन केवल संगठित सामाजिक जीवन का ही एक अनिवार्य तत्व नहीं है, बल्कि इसमें समन्वय एवं एकीकरण की भी अद्भूत शक्ति पाई जाती है । यदि मनोरंजन के साधनों का नगरों में विकास नहीं होगा तो व्यक्ति अलगाव की ओर अग्रसर होगा व अनेक प्रकार के वैयक्तिक विघटन के लक्षणों का शिकार हो सकता है । अतः नगरों में व्यक्तियों के समुचित विकास के लिए मनोरंजन की प्रबल आवश्यकता है ।

नगरों में सिनेमा, वीडियो, टी.वी. का प्रचलन बढ़ा है । यह कार्यक्रम मनोरंजन के साथ–साथ व्यावसायिकता के भी उदाहरण है; टी.वी. पर इतने अधिक आयोजित कार्यक्रम आने लगे हैं कि इससे मनोरंजन भी होता है और साथ–ही–साथ आयोजित करने वाली कम्पनी के उत्पादन का प्रचार भी होता रहता है । अतः नगरीय मनोरंजन अपनी विशिष्ठताओं के कारण अत्यधिक व्यावसायिक होता जा रहा है ।

उपरोक्त विवेचन में स्पष्ट हैं कि अधिकांश उत्तरदाता, टी.वी., रेड़ियों आदि देखने एवं सुनने में महत्ता प्रदान करते हैं । व्यस्तम नगरीय जीवनशैली में टी.वी. आदि के माध्यम से देश–विदेश की सूचनाएँ, विविध कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण होने से अधिकतम उत्तरदाता इसके पक्ष में हैं, वहीं सिनेमा, इंटरनेट व मोबाईल के चयन ने भी नगरीय जीवन–शैली को प्रभावित किया है । व्हाट्सअप, फेसबुक, आदि के माध्यम से लोग एक–दूसरे से जुड़े रहना पसंद करते हैं एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्तरदाताओं की रूचि कम हुई है जिनमें कवि सम्मेलन, काव्य–गोष्ठी आदि में जाने में नगरीय व्यस्तम जीवन–शैली के कारण अपेक्षाकृत कम रूचि दिखलाई पड़ती हैं एवं अन्य आधार पर रूचियों में उत्तरदाता पत्र–पत्रिकाएँ पढ़ने में महत्ता देते हैं ।

सारणी – 4.34

परिवार में अवकाश के क्षण सामूहिक व्यतीत करने के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
1	असहमत	103	41.20
2	सहमत	111	44.40
3	तटस्थ	36	14.40
	योग	**250**	**100.00**

उपरोक्त तालिका संख्या–4.34 से स्पष्ट है कि :

- परिवार में अवकाश के क्षण सामूहिक रूप से व्यतीत करने के प्रति अधिकतर 44.40 सम्मिलित हैं; एवं
- 41.20 उत्तरदाता परिवार में अवकाश के क्षण सामूहिक रूप से व्यतीत करने के प्रति असहमत हैं ।
- 14.40 प्रतिशत उत्तरदाता तटस्थ हैं ।

परिवार में अवकाश के क्षणों के व्यतीत करने के प्रति अधिकतर पारिवारिक सदस्य शनिवार एवं रविवार के समय एक साथ, ताश के पत्ते खेलना एवं सिनेमा देखना, पिकनिक आदि स्थानों पर भ्रमण करते हैं । कई पारिवारिक सदस्य अवकाश के क्षण, परिवार में गपशप भी करने मे व्यतीत करते हैं एवं एक साथ में बैठकर परिवार के सुख–दुख बाँटतें हैं ।

सारणी – 4.35

परिवार में बच्चों की शिक्षा के माध्यम को प्राथमिकता के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	अंग्रेजी	50	50	100	40.00
2	हिन्दी	13	39	52	20.80
3	दोनो	62	36	98	39.20
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

परिवार में बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने में;

- 40.00 प्रतिशत उत्तरदाता नगर में आने के उपरांत अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम को अधिक महत्ता देते हैं ।

वर्तमान समय की माँग एवं रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए अधिकांश उत्तरदाता बच्चों की शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी रखने को ही प्राथमिकता देते हैं । इस हेतु वह अपनी ओर से हर संभव अच्छी से अच्छी शिक्षा देने हेतु प्रयत्नरत रहते हैं ।

नगर में आने के उपरांत अधिकतर माता–पिता अपने बच्चों के भविष्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं एवं हिन्दी माध्यम में प्राथमिकता के प्रति 20.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं जिनकी संख्या 52 है, को महत्ता देते हैं । ये वे उत्तरदाता हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं एवं जो मजदूरी आदि करके अपने परिवार का पालन–पोषण करते हैं । ऐसे हिन्दू परिवार हिन्दी माध्यम में ही मँहगाई के कारण अपने बच्चों को बढ़ाते हैं।

सारणी – 4.36

पत्र–पत्रिकाओं के पाठन को प्राथमिकता के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	अंग्रेजी, दैनिक पत्रिका	35	14.00
2	हिन्दी, दैनिक पत्रिका	98	39.20
3	दोनों	117	46.80
	योग	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी संख्या–4.36 से स्पष्ट है कि :

- 46.8 प्रतिशत बहुतसंख्यक उत्तरदाता हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों प्रकार की पत्र–पत्रिकाओं में रूचि रखते हैं, हिन्दी, अंग्रेजी बुलेटिन को महत्ता देते हैं।
- 39.2 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दी पत्र–पत्रिकाओं एवं
- 14 प्रतिशत उत्तरदाता अंग्रेजी पठन–पाठन के पक्ष में हैं ।

अर्थात नगर में आने के उपरांत अंग्रेजी भाषा पर पकड़ बनाने एवं आधुनिक समाज की माँग ने अंग्रेजी दैनिक पत्रिकाओं के पाठकों में वृद्धि हुई है ।

सारणी – 4.37

भाषा के प्रयोग के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	अंग्रेजी	66	26.40
2	हिन्दी	99	39.60
3	दोनों /हाड़ौती	85	34.00
	योग	**250**	**100**.00

उपर्युक्त तालिका के अनुसार

- 34 प्रतिशत उत्तरदाता भाषा के प्रयोग का आधार दोनों को मानते हैं ।
- 39.6 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दी को अधिकतम रूप में नगर में बोलते हैं एवं
- 26.4 प्रतिशत उत्तरदाता अंग्रेजी भाषा को भी प्रयोग में लाते हैं ।

इस प्रकार अधिकतम रूप से नगर में हिन्दी भाषा का प्रचलन बढ़ा है, जो नगरीय शैक्षणिक वातावरण व समझ को दर्शाता है 26.4 प्रतिशत उत्तरदाता अंग्रेजी भाषा को भी प्रयोग में लाते हैं ।

वर्तमान पारिवारिक संरचना में हम वृहद परिवर्तन देख सकते हैं कि, आज हम खान–पान, अंग्रेजी भाषा, आचार–विचार, वेशभूषा तक में पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं । हमारे खान–पान में ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड शामिल हो गए हैं । दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ने से हम हमारे भारतीय संस्कारों एवं मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं । पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण से हमारे परिवारों की संरचना में एवं सोच में बदलाव आया है । हमारे परिवार छोटी–छोटी बातों में टूट रहे हैं

सारणी – 4.38

नगरीय लक्षणों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	निर्भरता	78	31.20
2	दिखावा	30	12.00
3	व्यक्तिवादिता	80	32.00
4	औपचारिक सामाजिक सम्बन्ध	62	24.80
	योग	**250**	**100.00**

उपर्युक्त सारणी–4.38 में वर्गीकृत नगरीय सांस्कृतिक लक्षणों के प्रति उत्तरदाताओं के विचारों में

- ➢ अधिकांश 32.00 प्रतिशत उत्तरदाता नगरीय सांस्कृतिक लक्षणो में व्यक्तिवादिता को महत्व देते हैं ।
- ➢ 31.20 प्रतिशत नगरीय संस्कृति को निर्भरता के रूप में देखते हैं ।
- ➢ 24.80 प्रतिशत औपचारिक सामाजिक सम्बन्धों के रूप में एवं
- ➢ 12.00 प्रतिशत नगरीय सांस्कृतिक लक्षणों को दिखावा मात्र मानते हैं ।

स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता नगरीय सांस्कृतिक लक्षणों को व्यक्तिवादिता की संज्ञा देते हैं ।

नगरीय लोग समस्याओं के समाधान के लिए नगरीय जीवन में व्यवहार एवं प्रवृत्तियों के कुछ निश्चित प्रतिमान रखते हैं, जिसे दिखावापन के रूप में जीवन की नगरीय प्रणाली कहा जाता है ।[13]

वृहद जनसंख्या का प्रभाव व्यक्ति के सामाजिक सम्बन्धों पर भी पड़ता है । हर व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता के कारण एक–दूसरे से परस्पर पृथक होता है । जनसंख्या की अधिकता होने से एक व्यक्ति दूसरे से पूर्णतः परिचित नहीं हो पाता है एवं केवल अंश मात्र सम्बन्ध ही रखता है । इससे प्रभावित लोग एक दूसरे से विविधतापूर्वक जुड़े रहते हैं एवं जिससे उनके सम्बन्धों में सीमितता एवं स्थायित्वता की कमी पाई जाती है । नगरीय व्यक्ति नए सम्बन्धों को बनाता है एवं उन्हें तोड़ता जाता है । इस प्रकार यहाँ व्यक्ति अपने भौतिक हितों की पूर्ति तक की सीमित अवधि तक निवास करते हैं एवं पुनः नए स्थान पर जाकर सम्बन्धों का निर्माण करते हैं ।

नगर में द्रुतगति से चलने वाले यातायात एवं परिवहन के साधन तथा अभिकरणों –जैसे मोटर, बस, ट्रेन एवं संचार के विविध साधनों की सेवाएँ नगरीय जीवन को बहुत तीव्र, व्यस्त एवं समयानुकूल नियमित करती है ।

वर्थ[14] ने नगर की विस्तुता को महत्व देते हुए कहा है कि "जितना अधिक विस्तृतः घना बसा हुआ और अधिक बेमेल समुदाय होगा, उतना ही उसकी विशेषताएँ नगरीय जैसी होगी । नेल्स एण्डरसन[15] ने विर्थ द्वारा बतलाए अभिसूचकों, अस्थिरता, को कृत्रिमता एवं व्यवसायिक औपचारिक सम्बन्ध कहा है, तो मित्रता, गुमनामता को महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है । नगरीकरण के प्रभाव में ग्रामीण जीवन नगरों की ओर उन्मुख है, जिससे ग्रामीण जनजीवन प्रभावित हुआ है । वर्तमान में परिवार एवं विवाह संस्था में परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं । विभिन्न समाज–शास्त्रियों के अनुसार संयुक्त परिवार टूट नहीं रहे हैं, बल्कि उनके स्वरूप एवं प्रकार्यों में परिवर्तन आ रहा है । मुख्यतः परिवार का आकार एवं संरचना निरन्तर बदल रही है । परिवार के मुखिया की सत्ता में कमी आई है । नयी पीढ़ी के विचारों के कारण व्यक्तिवादी भावना को प्रोत्साहन मिल रहा है । औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के संयुक्त रूप से होने से पारिवारिक व्यवसाय बदल गया है । अब परिवार के कार्य अन्य समितियाँ व संस्थाएँ करने लगी हैं । संयुक्त परिवार के सरचंनात्मक एवं सांस्कृतिक तत्वों में वृहद परिवर्तन आया है।[16]

आधुनिक युग में हिन्दू परम्परागत विवाह संस्था के विविध प्रतिमान भी परिवर्तित हो गये हैं । विवाह के मानदण्ड़ों एवं आदर्शों में परिवर्तन के अतिरिक्त विवाह अब परम्परागत आधार पर न होकर आधुनिक रीति से होने लगे हैं, जिसमें दिखावे का वृहद रूप देखा जा सकता है । नगर में विवाह अवसरों आदि में अधिक से अधिक धन का व्यय किया जाता है, जो नगरीय समाज में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है एवं हिन्दू परिवारों का परम्परागत विवाह का विधान जिसमें पीले चावल या सुपारी के द्वारा विवाह आदि अवसरों पर आमंत्रित किया जाता था, में भी परिवर्तन आ गया है । अब मेहमानों का कार्ड द्वारा निमन्त्रण पत्र भेजे जाते हैं, जिसमें विवाह स्थल, प्रीतिभोज एवं वैवाहिक कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण होता है ।[17]

हाल ही में अखबारों में जारी एक सूचना में वैवाहिक निमन्त्रण पत्र में वर–वधु की आयु का उल्लेख करना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे बाल–विवाह में कमी आ सकेगी । तथापि, नगर में वर–वधु की आयु पहले की अपेक्षा बढ़ी है । बारात में वाहन, दुल्हा–दुल्हन वेशभूषा, खान–पान, दहेज की राशि आदि परिवर्तन के दौर में हैं । जिसके विभिन्न कारण रहे हैं, नगरों में बढ़ती मँहगाई, नवीन विचार, आदर्श, बेरोजगारी आदि । इसके अलावा वैवाहिक सम्बन्धों में भी क्षीणता आ गई है । पति परमेश्वर की धारणा के स्थान पर अब पति–पत्नि में सहचर्य का विचार घर कर रहा है ।

नगरीय जीवन शैली में विवाह के स्वरूप भी बदले हैं । हिन्दू परिवारों में जाति के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता था तथा स्वजाति में विवाह का प्रचलन था किन्तु नगरीकरण से विवाह में जातिगत बन्धन भी शिथिल हो गए हैं । हिन्दू लोग भी अब अपनी जाति से बाहर विवाह करने लगे हैं । वंशवाद के स्थान पर अब परिवार में व्यक्ति के गुणों व उपलब्धियों को स्थान मिलने लगा है ।

वर–वधु द्वारा विवाह हेतु जीवन साथी के चुनाव में नगरों में पंसद को अधिक वरीयता दी जाने लगी है । पहले यह कार्य परिवार का मुखिया एवं सगे–सम्बन्धियों द्वारा किया जाता था, किन्तु अब यह वर–वधु स्वयं ही चयनित करने लगे हैं कि उन्हें किससे विवाह करना है, किससे नहीं । नगरों में हिन्दुओं में विवाह विच्छेद का प्रचलन भी बढ़ा है, जो न्यायालय द्वारा तय किए जाते हैं ।[18]

वर्तमान पारिवारिक संरचना में परिवर्तन का समाज पर प्रभाव :

परिवार एवं समाज अभिन्न हैं । परिवारों में हो रहे परिवर्तनों का समाज पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, इनमें से कुछ परिवर्तन तो सुखद है, तो कुछ दुखद है । भौतिकवाद के इस युग में हमने मात्र पैसे को ही सब–कुछ मान लिया है । पैसे के लिए ही मानव अब यान्त्रिक जीवन जी रहा है । जिससे प्रेम, सौहार्द, सहयोग, संवेदनशीलता, त्याग, करूणा, जैसे गुणों में कमी आई । समाज में संवेदना बढ़ी है, अपराधों के बढ़ने के साथ महिलाओं के प्रति हिंसा, बलात्कार, दहेज हत्याओं की संख्या बढ़ी है । पाश्चात्य सभ्यता के अन्धानुकरण ने विभिन्न समस्याएँ भी उत्पन्न की है । कन्या–भ्रूण हत्या जैसी समस्या हमारे समक्ष है । हमारे समाज में स्त्रियों का प्रतिशत तेजी से गिरता जा रहा है , भ्रष्ट्राचार एवं गरीबी बढ़ी है । गरीबों एवं अमीरों के मध्य खाई और अधिक बढ़ती जा रही है ।

समाज में पारिवारिक संरचना में परिवर्तन के बाद भी अनेक स्तर दिखते हैं, फिर भी जनसंख्या की वृद्धि में कमी दिखाई पड़ती है । लोग परिवार नियोजन की ओर बढ़े हैं एवं संयुक्त परिवार की आवश्यकता अनुभव की जा रही है । साथ ही साथ सुखद तथ्य यह है कि वर्तमान में माता–पिता अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं । अब वह अपने बच्चों के केरियर के बारे में सोचने लगे हैं । समाज में जाति–प्रथा में कमी आई है । कुरूतियाँ, अंधविश्वासों में कमी के साथ स्त्री साक्षरता बढ़ी है । विधवा–विवाह को अब हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता । लड़कियों की सुरक्षा के प्रति समाज की सोच बदली है । दुनिया ग्लोबल हो गई है । अब हम एक विश्व के नागरिक बन गए हैं । पर्दा प्रथा, छुआछूत में कमी आई है ।[19]

आज वर्तमान में भारतीय संस्कारों के नाम पर हम दोहरा जीवन जी रहे हैं । दोहरे मापदण्ड बन गए हैं । विदेशों में तो संस्कारों की बात तक नहीं होती है । वहाँ पर अधिकतर लोगों को पहले से ही पता होता है कि उन्हें रिटायर होने के बाद परिवार से अलग ही रहना है । यह परिवर्तन का दौर है । जिस तरह आज समाज निरन्तर बदल रहा है, तो संस्कारों में परिवर्तन होना तो निश्चित है । बदलती शिक्षा प्रणाली ने भी इस पर बहुत प्रभाव डाला है । पहले नैतिक शिक्षा की पढ़ाई पर अधिक जोर दिया जाता था बड़े एवं बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाया जाता था, लेकिन अब काफी बदलाव देखा जा सकता है ।[20]

वर्तमान युग नगरीकरण का युग है जिसके प्रभाव से भारतीय समाज के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक पहलुओं में परिवर्तन आ रहा है ।[21] नगरीय हिन्दू परिवारों के विवाह एवं परिवार, संस्था में होने वाले परिवर्तनों को बतलाया गया है कि किस प्रकार नगर में निवास के उपरांत इनमें तीव्र सामाजिक परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है।

उपर्युक्त सारणीयन में नगरीकरण के फलरूवरूप एकाकी परिवारों कि संख्या में वृद्दि हुई है। नगरों में एकाकी परिवारों में उद्योगो की संख्या में वृद्दि हुई है एवं उनकी वार्षिक आय में वृद्दि हुई है एवं आय वृद्धि सर्वाधिक शिक्षित उत्तरदाताओं में देखी गई है, सर्वाधिक विवाहित उत्तरदाता नगरों में निवास करते है। एवं प्रेम विवाह को महत्व देते है। एवं इंटरनेंट मेट्रीमोनियल को वर–वधु चयन में वरीयता देते है। नगरीय परिवार आज भी ग्रामीण पृष्ट भूमि से जुड़े हुए है। जिनमें एकाकी परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार अधिक है एवं जो इसे (संयुक्त/एकाकी परिवार) एक परम्परागत परिवार के स्वरूप के प्रेरक नियम मानते है एवं संयुक्त परिवार के टूटने का कारण नगरीकरण को मानते है जिससे सगे सम्बन्धियों में घनिष्ट संबंधो में कमी आई है एवं ऐसा ही प्रभाव नगरीय वैवाहिक संबंधो पर भी पड़ा है। अब महज औपचारिता का महत्व एवं व्यक्तिवादिता का महत्व बड़ा है। नगरों को शिक्षा हेतु सर्वोत्तम पर्यावरण माना गया है। किन्तु स्वच्छन्द वातावरण के साथ सामाजिक समस्याऐं भी बढ़ी है।

सांराश –सारणीयन से निष्कर्ष निकलता है कि उपर्युक्त नगरीय हिन्दू परिवार के स्वरूप, कार्यपद्धति, प्रकृति, सदस्यों के कार्यों, सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में काफी बदलाव आया है । एकाकी परिवार में जीवन बिताने वाले व्यक्ति पुनः संयुक्त परिवार के पक्ष में नहीं लौटना चाहते, क्योंकि इससे उनकी स्वतन्त्रता इससे प्रभावित होगी एवं उन पर परम्परागत बन्धनों का प्रभाव पड़ेगा ।

सभ्यता के विकास के कारण अब यह सम्भव नहीं रहा है कि ग्रामीण एवं नगरीय जीवन पूर्णतया एक दूसरे से पृथक रह सके । उनमें अन्तर में निरन्तर कमी होती जा रही है । गाँवों में भी अब शहरी जीवन–शैली को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ।

Reference

1 भार्गव, अरूणा, ;1996, ग्रामीण नगरीय संरचना, प्रिंट वेल, जयपुर p.74.–75

2. चतुर्वेदी, सुषमा, हिन्दू परिवारो के बदलते प्रतिमान, ज्योति प्रकाशन, जयपुर p.6

3. Desai, I.P. 1964 “Some Aspects of Family in Mahwa: A Sociological Study of Jointness in Small Town”, Asia Publishing House, Bombay, 1964.

4. Kapadia, K.M., 1966"Marriage and Family in India, Oxford University, Press London,

5. Shah A.M., “Basic Terms of Concepts in the Study of Family in India” Indian Economic and Social History Recview, 1(3): 1964

6. Gore,M.S. “Urbanization And Family Change, Popular Prakashan,Bombay 1968

7. Ross, A.D. “The Hindu Family Units Urban Setting, University of Toronto Press, 1967)

8. सुधाकर प्रसाद तिवारी, (1999) नगरीयता का सम्बोघ, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, p.79–80

9. हरिदत्त वेदालंकार, हिन्दू परिवार–मीमांसा, सरस्वती सदन, दिल्ली, 1973, च्22

10. Sorokin P.A. (C. Zimmerman and C.J. Galpin, Systematic Source Book in Rural Sociology, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1930-32, Vol.-II, p-41FF

11. Bogardus, E.S.1950, Sociology, The Macmillon Co Newyork)

12. सम्यकेतु विद्यालंकार (1997) समाजशास्त्र, श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली, p.-209.–210

13. सुधाकर प्रसाद तिवारी, (1999) नगरीयता का सम्बोघ, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, p.31

14. Wirth Louis, Urbanism as a way of Life American Journal of Sociology, 4 July 1938, Reprinted in Hatt and Rairs (ed.), Cities and Society, Newyork, Free Press of Wencoe 1957

15. Anderson Nels, The Urban Community, Newyork, 1959

16. शर्मा प्रमोद, कुमार (2010) परिवार और विवाह के बदलते प्रतिमान सिंघई पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, रायपुर (छ.ग.), p.2

17. राजस्थान पत्रिका, कोटा पत्रिका, 17.04.2015 p.-4

18. शर्मा, प्रमोद कुमार (2010), परिवार और विवाह के बदलते प्रतिमान, सिंघई पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, रायपुर (छ.ग.), p.2-3

19. प्रतियोगिता दर्पण, वर्तमान पारिवारिक संरचना में परिर्वतन और समाज, श्रीमती ज्योति माहेश्वरी, अक्टूबर, 2010, चण्633

20. राजस्थान पत्रिका, कोटा पत्रिका, दि. 12.08.2014 चण्10

21. शर्मा, प्रमोद कुमार (2010) परिवार और विवाह के बदलते प्रतिमान, सिंघई पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, रायपुर(छ.ग.)ए p.-2

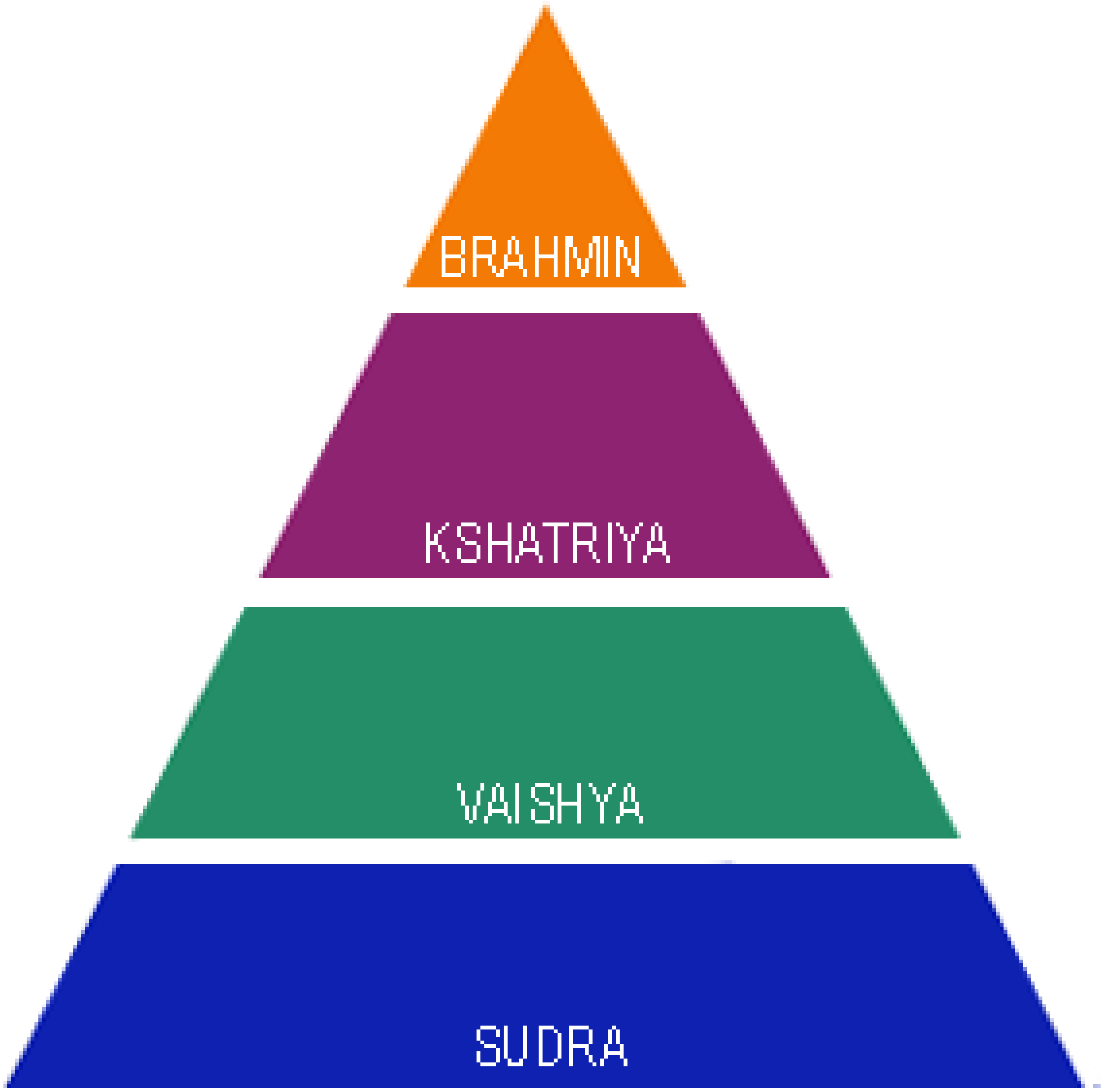
BRAHMIN
KSHATRIYA
VAISHYA
SUDRA

अध्याय – 5

’

अध्याय–5

नगरीय हिन्दू परिवार में जातिगत वास्तविकता

भारतीय सामाजिक संरचना में संयुक्त परिवार का प्राचीनतम् महत्व रहा है। हिन्दुओं के अलावा अहिन्दु लोग भी संयुक्त परिवार व्यवस्था के पक्ष में रहे हैं। सामान्यतः संयुक्त परिवार हिन्दुओं का प्रमुख लक्षण माना गया है, फिर भी सर्वत्र भारत में इसका विशाल रूप देखा जा सकता है।[1] Barnabas[2] (1957) के अनुसार परम्परागत परिवार केवल उच्च हिन्दूओ के ही रहे हैं, जो सम्पत्ति धारक एवं संयुक्त परिवार व्यवस्था के आधार पर बताए जाते हैं। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही निचले स्तर की जातियों में एकाकी परिवार देखे जाते थे । धार्मिक क्रियाओं के साथ–साथ हिन्दुओं में जाति व्यवस्था का भी अपना एक विधान, एक नियम है, जो कठोर नियमों पर आधारित होने से सम्पूर्ण हिन्दू समुदाय के लिए आवश्यक रूप से मान्य हैं।

जाति व्यवस्था की ऐतिहासिक विवेचना देखें, तो इसके 6 परिवर्तित रूप विविध कालों में दिखलाई पड़ते हैं।

1. **वैदिक काल** – इस काल में ऋग्वेद ग्रंथ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, तीनों का उल्लेख है एवं चार जातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्रों) की उत्पति ब्रह्मा के विभिन्न अंगो से हुई मानी जाती है। इस काल में इतने अधिक प्रतिबंध नहीं थे, लेकिन उच्चता एवं निम्नता का क्रम यथावत रूप से जारी था, जिसमे ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि माना गया है।

2. **उत्तर वैदिक काल** – यह काल रामायण महाभारत का काल भी कहलाया जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति और उच्च एवं शुद्र और अधिक निम्न स्तर तक आ गए।

3. **धर्मशास्त्र काल** – विभिन्न धार्मिक सहिंताओ के आधार पर जाति का निर्धारण हुआ। वैश्य व शुद्रो को एक ही निम्न जाति का माना गया। इस काल में बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय हुआ।

4. **मध्यकाल** – इस काल में जाति व्यवस्था पर मुसलमानों का आर्विभाव हुआ, क्षत्रियों का भी पतन हुआ एवं निम्न वर्गों के सुधार हेतु प्रयत्न किए गए।

5. **बिट्रिश काल** – इस काल को भारत की स्वतंत्रता का काल भी कहा जाता है, इसमें कई उपजातियाँ, जातियाँ बनी, जिसमे ईसाई धर्म का आर्विभाव हुआ। अंग्रेजी कानूनो ने समानता का नारा दिया।

अर्न्तजातीय–विवाह हुए, प्रेम–विवाह एवं जाति–पंचायतो का प्रभाव कम हुआ, तलाक एवं न्याय के कार्य कोर्ट तक पहुंचे।

6. आधुनिक काल – स्वतंत्रता के बाद से इस युग की शुरूआत मानी जाती है, जिसमे जातिगत प्रजातंत्र का आर्विभाव हुआ। जातीय भेद समाप्त हुए, निचली जातियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संरक्षण प्राप्त हुआ, जिससे निम्न जातियों का महत्व भी बढ़ा।

मनुष्य के जन्म से उसकी जाति का निर्धारण हो जाता है। जाति जो समाज का एक सामाजिक समूह है, जिसकी सदस्यता जन्म से ही निर्धारित होती है। जाति व्यवस्था में विभिन्न प्रतिबंधो की पालना करना भी आवश्यक है, जो जाति के प्रमुख निषेध होते हैं, जिनमें खान–पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास सबंधी निषेध प्रमुख है।

G.S. Ghurye (2008)[3] ने अपनी पुस्तक Caste and Race in India में विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो निम्न है :–

1. समाज का खण्डात्मक विभाजन (Segmental Division of Society)

समाज के अन्तर्गत जाति–व्यवस्था ने समाज को विभिन्न खण्डों में बाँट दिया है, ये विभाजन सदस्यों की स्थिति, पद तथा कार्यों के अनुसार विभाजित किया गया है। धुरिये के अनुसार, इस विभाजन का तात्पर्य किसी जाति समुदाय के प्रति सामुदायिक भावना न होकर, जाति विशेष के आधार पर विभाजन से है। जाति विशेष में रहने वाला व्यक्ति स्वंय की जाति के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा की भावना रखता है एवं विभिन्न खण्डों में प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है, जो जाति विशेष के प्रति न्यायिक कार्य करती है एवं नियत्रंण व व्यवस्था बनाए रखती है। उसके भी कुछ नियम व विधान होते हैं, जो जाति के सदस्यों को मानने पडते हैं एवं नियमो के प्रति लापरवाही या उल्लघंन करने पर यही जाति पंचायत उस सदस्य को जाति से बहिष्कृत कर देती है या जुर्माने का प्रावधान करती है। इस प्रकार जाति का यह खण्डात्मक विभाजन एक जाति को दूसरी से पृथक करता है।

2. सस्तंरण (Hierarcy)

जाति का खण्डों में विभाजन ही, एक जाति को दूसरी से अलग करता है, जिससे ऊँच–नीच की भावना को बल मिलता है। यह जातीय सस्तंरण मुख्यतः ब्राह्मणों व शुद्रों में पाया जाता है, जिसका एकमात्र कारण ब्राह्मण जाति का उच्चतर एवं शुद्रों का निम्नतर होना है। क्षत्रिय एवं वेश्यों का स्तर मध्यम माना गया है।

जन्म पर आधारित यह सस्तंरण स्थिर एवं दृढ़ है, इसी कारणवश निम्न जातीय आसानी से उच्च जातियों में सम्मलित नही हो सकती।

3. भोजन एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध (Restrictions on fooding and social intercourse)

जातियों में खान–पान संबंधित निषेधों में विभिन्न नियम बनाए गए हैं, इन नियमों में किस जाति के साथ भोजन करना है, किसके साथ नहीं करना है, इसका उल्लेख किया गया है। प्रत्येक जाति के अपने विश्वास व नियम हैं, जिनमे कच्चा, पक्का तथा फलहारी भोजन का सेवन, हाथ का बना भोजन, पानी ग्रहण करना इत्यादि। एक ही जाति विशेष जो उच्च जाति के समान हो, उनसे ग्रहण करने का प्रावधान है। जातिगत नियमो में, किस जाति के साथ बैठकर हुक्का–बीड़ी पी जा सकती है या धातु व मिट्टी के बर्तनो का उपयोग किया जा सकता है, आदि नियमो को स्पष्ट किया गया है। ब्राह्मण सर्वोच्च जाति के होने के कारण उनके हाथ का बना कच्चा या पक्का भोजन सभी जातियो के लोग ग्रहण कर सकते थे, लेकिन शुद्रों के हाथ का बना भोजन उच्च जातियाँ स्वीकार नही करती थीं।

4. नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेष अधिकार (Civil and Religious Disabilities and Privileges)

जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को विभिन्न सामाजिक व धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त होते थे, वही दूसरे और निम्न, अछूत व तिरस्कृत जातियों को उनसे वंचित रखा जाता था। विभिन्न क्षेत्रों में जातियों की नियोग्यताएँ निर्धारित थी, दक्षिणी भारत में अछूत जातियाँ अनेक रूप से तिरस्कृत व वंचित थी, वहीं मालाबार के रजावह समुदाय के लोगों को जूते पहनना, छाता लगाना, गाय का दूध निकालने सबंधी निषेध थे।

पेश्वाओ के राज्य पूना में महर व मंग अछूत जातियों को शाम के 3 से प्रातः 9 बजे तक शहर में प्रवेश करने की मनाही थी, क्योंकि उस समय परछाई के लम्बी होने से किसी उच्च जाति पर पड़ जाने से वह जाति अशुद्ध हो जाया करती थी। वही पंजाब में हरिजनो को सड़क पर चलते समय लकड़ी के गंटे बजाने होते थे, ताकि लोग यह जान सके कि कोई अछूत व्यक्ति आ रहा है और वह उच्च जातियों के मार्ग से दूर हट जाएँ। उन्हे सड़क पर थूकने की भी मनाही थी। इसलिए वह थूकने के लिए भी अपने गले में एक बर्तन लटकाया करते थे। अछूतो की बस्तियाँ, उच्च जाति के लोगों से दूर हुआ करती थी, उन्हें स्कूल, मन्दिर तालाब, कुँओ व सार्वजनिक स्थानो के उपयोग पर पाबंदी थी।

इस प्रकार उच्च जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त थे एवं निम्न जातियों को अनेक निषेद्यों का पालन करना पड़ता था।

5. पेशे पर अप्रतिबधित चुनाव का अभाव (Lack of Unrestricted Choice of Occupations)

विभिन्न जातियों के सस्तंरण की प्रक्रिया में उनके व्यवसाय भी पृथक–पृथक हुआ करते थे, जो पीढ़ियों के अनुसार एक से दूसरी पीढ़ी में हस्तांरित होते थे। एक जाति विशेष के सदस्य भी यह चाहते थे, कि जाति के सदस्य अपनी जाति के परम्परागत व्यवसाय ही करें।

6. विवाह सबंधी प्रतिबंध (Restriction of Marriage)

किसी जाति के लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी जाति या उपजाति में ही विवाह करे। जाति के बाहर विवाह करने पर वह जाति तिरस्कृत समझी जाती थी।

7. जन्मजात सदस्यता :

एक जाति का व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, जीवन पर्यन्त वह उसी जाति में बना रहता है, वह चाहे शिक्षा, धर्म, व्यवसाय, गुण के आधार पर कितना ही आगे बढ़ जाए, किन्तु व्यक्ति की जन्मजात सदस्यता एक जाति विशेष के प्रति ही होती है एवं मृत्यु तक भी बनी रहती है।

8. जाति का राजनीतिक रूप :

जाति विशेष की जातीय पंचायतों द्वारा ही जाति के न्यायिक कार्य सम्पन्न किए जाते थे, जाति पंचायत उसके कार्य व संगठन, राजनैतिक आधार पर निशचित थे, जाति पंचायतो में वंश के आधार पर सदस्य होते थे, जो एक निश्चित परम्परा के आधार पर निर्धारित थे। उच्च जातियों की तुलना में, निम्न जातियों में जाति पंचायतों का संगठन अधिक दृढ़ था। निम्न जातियों की अधिकता इसका एक कारण था।[4]

भारत में जाति एक सर्वव्यापी तत्व है, ईसाई, मुस्लिम, जैन और सिख समुदायों में भी विभिन्न जातियाँ हैं, और उनमें भी उच्चता–निम्नता, शुद्ध–अशुद्धता के प्रति जातियों में भेद हैं, लेकिन जाति का जो कठोर रूप व सूक्ष्म भेद हिन्दुओ में है, वैसा अन्य किसी में नहीं है।[5]

श्रीनिवास(2009)[6] ने जाति के खान–पान संबंधित प्रतिबंधो की व्याख्या विस्तारपूर्वक की है। श्रीनिवास के अनुसार, ब्राह्मण शुद्धतावादी आदर्शों को प्रधान रूप से स्वीकारता है। एक ब्राह्मण मदिरापान एवं मांसाहारी जैसे समूह से स्वंय को श्रेष्ठ एवं अलग समझता है। ब्राह्मण द्वारा इनका सेवन करना, धर्म भ्रष्ठ करना माना गया है एवं गौ–मांस खाने वाले को ब्राह्मण द्वारा घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। ब्राह्मणों की मान्यता है कि इस प्रकार का खान–पान निम्न या नीच जातियों द्वारा किया जाता है।

हमारे भारत में हिन्दू परम्परा के अनुसार फर्श पर बैठकर भोजन करना उत्तम माना गया है। भोजन पत्तलों या किसी धातु तथा पीतल व काँसे की थाली में परोसना सही माना जाता था। उच्च जातियाँ, जिनमे प्रमुख रूप से ब्राह्मणों में भोजन एक धार्मिक कृत्य माना गया है। जिनमे धार्मिक कृत्यों मे भोजन बनाने वाली स्त्री का कर्मकाण्डीय आधार पर पूर्णतः पवित्र होना आवश्यक था। प्रथम भोजन परिवार में देवता को समर्पित किया जाता था, जो कि धार्मिक विश्वास का ही एक अंग होता था। तत्पश्चात् घर के पुरूष व बच्चे एवं घर के वयोवृद्ध पुरूष, पवित्र वस्त्र धारण कर भोजन किया करते थे, भोजन के पश्चात् झूंठी पत्तलो को फेंक दिया जाता था एवं भोजन करने वाले स्थान पर गोबर का लीपना कर उसे शुद्ध किया जाता था ।[7]

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का प्रमुख स्थान है । हिन्दू सामाजिक संगठन की यह प्रमुख व्यवस्था है, जो व्यक्ति के जन्म से ही निर्धारित होती है । भारतीय व्यक्ति को, विशेष रूप से हिन्दू व्यक्ति को, जाति संगठन के सम्पर्क में अनिवार्य रूप से आना ही पड़ता है । हिन्दू समाज जो विभिन्न जातियों में विभक्त है, और इसकी भी कई उपजातियाँ हैं एवं उनमें भी अनेक शाखाएँ हैं ।[8]

भारतीय समाज में जाति–प्रथा हिन्दुओं में सर्वाधिक होने के कारण हिन्दू जीवन दूसरों से भिन्न परिलक्षित होता है । इस कारण हिन्दुओं पर शोध कार्य हेतु समाजशास्त्रियों का ध्यान प्रमुख रूप से आकृष्ठ हुआ है । प्राचीन समय में जाति–प्रथा इतनी जटिल नहीं थी जितनी बाद में हुई । समय के साथ जाति–प्रथा का स्वरूप भी परिवर्तित हुआ है ।

समाज में जाति–प्रथा कोई नवीन विषय नहीं है । यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है । जाति, अपने जातीय संगठन के माध्यम से अपनी जाति के व्यक्ति के विकास एवं सुविधापूर्ण जीवन जीने हेतु आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराती है, जिनमें जातीय पंचायत, जातीय परिचय सम्मेलन, जाति संगठन, जातीय क्षेत्र आदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति–प्रथा शिथिल हो रही है । उच्च शिक्षा, प्रेम विवाह एवं आधुनिक सोच से जाति–प्रथा में बदलाव होने लगे हैं । प्रस्तुत अध्याय में, हम नगरीय हिन्दू परिवार में जाति–प्रथा में होने वाल परिवर्तनों पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे ।

जाति व्यवस्था, भारतीय समाज की सामाजिक सरचंना की एक प्रमुख विशेषता है, जो कि हिन्दू धर्म में पूर्ण रूप से अनुमोदित है । रोनाल्डसीगल के अनुसार ''यह जाति का व्यापक महत्व है, जो अन्य किसी भी चीज से कहीं अधिक भारत का चरित्र चित्रण करता है भारत में जाति सार्वभौम है, यह व्यवहार में अत्यधिक हिन्दू है,।''[9]

यह व्यवस्था प्राचीन मेगस्थनीज़ के समय से लेकर आज भी किसी विदेशी का ध्यानाकर्षण का केन्द्र रही है । आर्यों के पूर्वकाल में भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण ही आर्यों के आने के पश्चात् अनेक जातियों में स्थान्तरित हो गए । आज भारत में 3 हजार जातियाँ एवं उपजातियाँ हैं एवं समाजशास्त्रीय दृष्टि से इनका अध्ययन करना अतिआवश्यक है । जाति व्यवस्था भारतीय समाज की विशेषता के रूप में पाई गई है । जाति व्यवस्था एक ओर तो हिन्दू सामाजिक सरचंना को प्रकट करती है, तो दूसरी ओर हिन्दूओं के आचरण को भी निश्चित करती है। भारतीय सामाजिक सरचंना में ऐसा भी विश्वास है कि भारत की वायु में जाति बसी है, यहाँ जो भी सांस लेता है, जाति के तत्व उसमें प्रवेश कर जाते हैं । इसलिए केनिंग ने लिखा है कि ''जाति की प्रतिष्ठित भूमि भारत है ।''[10]

जाति व्यवस्था किसी केन्द्र की वह धुरी है, जिसके चारों तरफ सदियों से भारतीय समाज गतिमान रहा है। बोटोमोर ने उचित लिखा है कि, ''सामाजिक संस्तरण की प्रणालियों में ही भारतीय जाति व्यवस्था अप्रतिम है। ऐसा कहने का तात्पर्य न तो यह है कि संस्तरण के अन्य स्वरूपों से यह पूर्णतः अतुलनीय है और न यह कि जाति के तत्व अन्यत्र कहीं नहीं मिलते।''[11] कहने का तात्पर्य है कि, जब जाति पूर्णतः वंशानुगत एवं पैतृकता पर आधारित हो जाती है, तो वही जाति सदृश संस्थाएँ भी विकसित हो जाती है। कूले के शब्दों में ''जब एक वर्ग पक्के तौर पर पेतृक है, तब हम उसे जाति कह सकते हैं।[12]

मेकाइवर एवं पेज[13] के शब्दों में, जाति व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण हिन्दू समाज में ही देखा जा सकता है, जिसमें उसे अन्त तक रहना पड़ता है। सम्पत्ति की उपलब्धि अथवा प्रतिभा का प्रयोग उसकी स्थिति को बदल नहीं सकता, अपनी जाति के बाहर विवाह निषिद्व है एवं उसे निस्त्साहित किया जा सकता है। मजूमदार एवं मदान[14] ने हिन्दू धर्म एवं जाति का विश्लेषण देते हुए कहा है, कि हिन्दू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हिन्दूवाद ही है जो जाति को इसकी अभिमति प्रदान करता है एवं पूरी व्यवस्था को एक नैतिक अर्थ देता है । क्योंकि हिन्दू सामाजिक सरचंना की सबसे अधिक चर्चित विशेषता जाति की संस्था रही है ।

हिन्दुओं में ही जाति व्यवस्था का अनुपम एवं आदर्श रूप पाया जाता है । इस हेतु प्रस्तुत अध्याय में हम जाति व्यवस्था की नगरीय पृष्ठभूमि में अध्ययन करेंगे ।

सारणी – 5.1

जाति व्यवस्था में छुआछूत की मान्यता के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत

		म	प	योग	
1	सहमत	42	25	67	26.80
2	असहमत	72	71	143	57.20
3	तटस्थ	11	29	**40**	16.00
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

उपरोक्त सारणी संख्या 5.1 से स्पष्ट है कि :

- जातीय भेदभावों के प्रति अधिकांश उत्तरदाता नकारात्मक विचार प्रकट करते हैं। 57.20 प्रतिशत उत्तरदाता जातीय भेदभाव के प्रति असहमतता प्रकट करते हैं,
- लगभग 26.80 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी सहमतता प्रकट करते हैं ।
- 16.00 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी तटस्थतता प्रकट करते हैं ।

इस प्रकार नगर में आने के बाद से विचारों की प्रवृत्ति में बदलाव आया है एवं हिन्दू परिवार में जातीय छुआछूत के बन्धन अपेक्षाकृत कम हुए हैं ।

सारणी 5.2

जातीय बंधनो मे शिथिलता के प्रति उत्तरदाताओ की पारिवारिक संचेतना

क्र. स.	मापदण्ड	विपक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	पक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	सयुंक्त परिवार	23	37.70	3	4.91	35	5737	61	24.40
2	एकाकी परिवार	37	19.57	4	2.11	148	78.30	189	75.60
	योग	**60**	**24.00**	**7**	**2.80**	**183**	**73.20**	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि :

- 78.30 प्रतिशत उत्तरदाता जातीय बंधनो मे शिथिलता के पक्ष मे नकारते हैं, जो एकाकी परिवार से समबद्ध है।

- 4.91 प्रतिशत उत्तरदाता जो संयुक्त परिवार से सम्बद्ध है, इस जातीय बन्धनो में शिथिलता के प्रति अनिश्चित है।

  अतः स्पष्ट है कि 73.20 प्रतिशत सर्वाधिक नगरीय उत्तरदाता जातीय बंधनों को नकारते हैं।

नगरीकरण जातिगत भेद को समाप्त करने की ओर गतिशील एक कारण बन कर उभर रहा है । अतः आज औद्योगिक गतिशीलता एवं नगरीकरण के परिणामस्वरूप, जाति व्यवस्था में छुआछूत के सम्बन्धों में कमी आई है । आज व्यक्ति शिक्षित होने से जातिय भेदभाव की समाप्ति के पक्ष में हो गए हैं ।

सारणी – 5.3

क्लब, संस्था व समुदाय के चयन में प्राथमिकता के चरों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म	प		
1	जातिय समुदाय	11	15	26	10.40
2	मित्र–मण्ड़ली	62	50	112	44.80
3	तटस्थ	52	60	112	44.80
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

- लगभग 44.80 प्रतिशत उत्तरदाता मित्र–मण्डली के आधार पर किसी संस्था या समुदाय को चुनना पसंद करते हैं ।
- तटस्थ उत्तरदाताओं में 44.80 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- जातिय समुदाय के आधार पर 10.40 प्रतिशत उत्तरदाता महत्व देते है ।

उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि किसी क्लब, संस्था या समुदायों में अधिकांश उत्तरदाता, जातीय विशेष की अपेक्षा, मित्र–मण्डली को अधिक महत्व देते हैं एवं लगभग वही उत्तरदाता जातीय समुदायों व मित्र–मण्डली दोनों के प्रति तटस्थता दर्शातें हैं । सारांशतः कहा जा सकता है कि नगरीकरण से जातीय बन्धन कम हुए हैं ।

सारणी – 5.4

वर-वधु चयन में जातीय बन्धनों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म	प	योग	
1	असहमत	25	59	84	33.60
2	सहमत	70	21	91	36.40
3	तटस्थ	30	45	75	30.00
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट रूप से विश्लेषित होता है कि :

- पारिवारिक विवाह समारोह में जातीय बन्धनों के प्रति अधिकांश उत्तरदाता 36.40 प्रतिशत अपनी सहमति प्रकट करते हैं ।
- लगभग 33.60 प्रतिशत असहमत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- 30.00 प्रतिशत उत्तरदाता तटस्थ है ।

उपर्युक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकतर उत्तरदाता स्वयं जातीय सम्बन्धों को अधिक महत्व देते हैं, उनका कहा है कि वैवाहिक रीति–रिवाजों में विभिन्न धर्मों के अपने–अपने नियम व विधान हैं । हिन्दू धार्मिक नियमों के कठोर होने के कारण अधिकांश उत्तरदाता स्वयं की जाति विशेष के समुदायों में ही विवाह करने को प्राथमिकता देते हैं ।

सारणी – 5.5

जातिगत भेदभाव के कारणों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म	प	योग	
1	निम्नता की भावना	20	30	50	20.00

2	छुआछूत	58	38	96	38.40
3	विवाह–निषेध	35	26	61	24.40
4	खान–पान निषेध	10	27	37	14.80
5	असहमत	2	4	6	2.40
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

सारणी संख्या–5.5 से स्पष्ट होता है कि

- समाज में जातिगत भेदभाव में अधिकता के कारणों में अधिकांश उत्तरदाता जातिगत छुआछूत को उत्तरदायी मानते हैं । लगभग 38.40 प्रतिशत उत्तरदाता जातिगत भेदभाव में अधिकता के कारणों में छुआछूत को महत्व देते हैं ।
- 24.40 प्रतिशत उत्तरदाता निम्न जातीय विवाह–निषेध को जातिगत भेदभाव का कारण मानते हैं ।
- 20.00 प्रतिशत उत्तरदाता निम्नता की भावना को जातिगत छुआछूत का कारण मानते हैं
- लगभग 14.80 प्रतिशत उत्तरदाता खान–पान सम्बन्धी निषेध को जातिगत छुआछूत का कारण मानते हैं एवं
- 2.40 प्रतिशत असहमति देते हैं ।

उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट है कि नगरों में रहने वाले व्यक्तियों ने कुछ मात्रा में जाति–भेद बढ़ने के कारणों में छुआछूत सम्बन्धी विचारों को महत्व दिया है, जो एक आश्चर्यजनक साक्ष्य है । अतएव यहाँ हम कह सकते हैं कि हिन्दू समाज के लोगों में छूआछूत, ऊँच–नीच का भेद, पवित्रता व अपवित्रता की भावना में कमी तो आई है, लेकिन इन विचारों की परिशुद्धता का अभी पूर्ण रूप से लोप नहीं हो पाया है ।

पहले एक जाति के सदस्य, एक साधु एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन किया करते थे । ऊँची जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को अपनी पंक्ति में नहीं बैठने देते थे, क्योंकि इससे ऊँच–नीच का भेद बना रहता है । इसी प्रकार का व्यवहार विविध तीज–त्योहारों, उत्सवों, विवाह–समारोह में भी परिलक्षित होता था, किन्तु अब होटलों आदि में ऐसी कोई भी जातीय व्यवस्था, विवाहों में, तीज–त्योहारों आदि में इनका कोई महत्व नहीं होता । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जातियों के सम्बन्धों के स्थापन के प्रतिमान तेजी से बदल रहे हैं ।

सारणी – 5.6

नगर में जातिगत भेद समाप्ति के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म	प	योग	
1	गतिशीलता	30	18	48	19.20
2	शिक्षा	59	58	117	46.80
3	जागरूकता	11	26	37	14.80
4	सही समझ	12	8	20	8.20
5	असहमत	13	15	28	11.20
	योग	125	125	250	100.00

सारणी संख्या–5.6 से स्पष्ट होता है कि

- बहुसंख्यक लगभग 46.80 प्रतिशत उत्तरदाता नगर में जातिगत भेद की समाप्ति के कारणों में शिक्षा को एक प्रमुख उत्तरदायी कारण मानते हैं ।
- 19.20 प्रतिशत उत्तरदाता गतिशीलता को नगर में जातिगत भेद समाप्ति का कारण मानते हैं ।
- 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं में 9 महिला एवं 11 पुरूष उत्तरदाता नगर में जातिगत भेद समाप्ति के प्रति किसी भी कारण को उत्तरदायी न मान कर तटस्थ राय देते हैं ।

पाई चार्ट /स्तंभ सख्या –5

सारणी 5.7

जातीय बंधनो में शिथिलता के प्रति उत्तरदाताओं की शैक्षणिक संचेतना

क्र. स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	परास्नातक	18	50.00	8	22.22	10	22.77	36	14.40
2	स्नातक	48	50.52	7	7.36	40	42.10	95	38.00
3	इण्टरमीडियट	53	63.85	10	12.04	20	24.09	83	33.20
4	प्राथमिक	9	42.85	1	4.76	11	52.38	21	8.40

5	निरक्षर	13	86.66	1	6.66	1	6.66	15	6.00
	योग	**141**	**56.40**	**27**	**10.8**	**82**	**32.80**	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि

- 50.00 प्रतिशत परास्नातक जातीय बन्धंनो मे शिथिलता को मानते है।
- 50.52 प्रतिशत स्नातक भी जातीय बंधनो मे शिथिलता को स्वीकारते है।
- 4.76 प्रतिशत उत्तरदाता इसके प्रति अनिश्चित है जो प्राथमिक रूप से शिक्षित है।
- 56.40 प्रतिशत उत्तरदाता इसके पक्ष में है।

अतः शिक्षा ने जाति बंधनो को शिथिलता प्रदान की है

सारणी 5.8

नगरीकरण के उपरांत जातीय भेद में कमी के प्रति उत्तरदाताओ की संचेनता

क्र. स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	महिला	84	67.20	6	4.80	35	28.00	125	50.00
2	पुरूष	69	55.20	10	8.00	46	36.80	125	50.00
	योग	153	61.00	16	64.00	81	32.40	250	100.00

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है

- नगर में जातीय भेद मे कमी अपने के प्रति 67.20 प्रतिशत महिलाएं सकारात्मक पक्ष रखती है।
- 8 प्रतिशत पुरूष जातिभेद मे कमी के प्रति अनिश्चितता रखते है
- 36.8 प्रतिशत पुरूष जातीय भेद मे कमी नही मानते है उनके अनुसार अभी भी नगर मे जातिगत भेदभाव पाए जाते है।

अतः नगर मे जातीय भेद मे कमी के प्रति 61.2 प्रतिशत उत्तरदाता पक्ष में है।

उपर्युक्त विचारों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन–शैली में छुआछूत सम्बन्धी विचारों का ह्रास दिखलाई पड़ता है । विज्ञान पर आधारित शिक्षा के कारण आज परम्परागत रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का ह्रास हो रहा है एवं व्यक्ति अपने निर्णय विवेक के आधार पर लेने लगे हैं ।

सारणी – 5.9

मताधिकार देने के प्रेरक तत्वो के आधार के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म	**प**	**योग**	
1	योग्यता	68	67	135	54.00
2	पार्टी	10	26	36	14.40
3	धर्म	20	11	31	12.40
4	वर्ग	15	16	31	12.40
5	जाति	12	5	17	6.40
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी के आधार पर

- अधिकांश उत्तरदाता 54.00 प्रतिशत योग्यता के आधार पर वोट देते है ।
- 6.40 जाति आधार को महत्ता देते हैं अर्थात पार्टी गठबन्धन की वरीयता बढ़ी है ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक उत्तरदाता किसी न किसी रूप में राजनीतिक सक्रियता से जुड़े होते हैं । स्पष्ट है कि नगर निवास अवधि के आधार पर विश्लेषण से स्पष्ट है कि व्यवस्थित नगरीय जीवन में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है । यह जागरूकता आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न व्यक्तियों में अधिक देखने को मिलती है ।

किसी भी समाज में राजनीतिक शक्ति एवं सत्ता का प्रमुख स्थान होता है । राजनीतिक शक्ति समाज में स्थायित्व बनाए रखने, इसका संचालन करने तथा समाज में निरन्तरता बनाएं रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है । परम्परागत रूप से भारतीय समाज में शक्ति एवं सत्ता सरंचना में प्रबल जाति का विशेष महत्व रहा है । प्रभु जाति या प्रबल जाति जिनका कृषि योग्य भूमि पर स्वामित्व है, उनकी सदस्य संख्या यथेष्ठ है, परन्तु नगरों में आज यह परिस्थिति पूर्णतः परिवर्तित हो गयी है । आज जाति, वर्ग, शक्ति में साम्यता नहीं रही है । नगरों में सामाजिक स्तरीकरण के परम्परागत आधार में इतना अधिक परिवर्तन हुआ है कि जातीय आधार पर सत्ता सरचंना की व्याख्या नहीं की जा सकती । नगरों में सत्ता सरचंना के लिए

कुछ अर्जित गुण जैसे धन, दौलत, शिक्षा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं । नगरीय शक्ति सरचंना की एक अन्य विशेषता नगरीय लोगों में राजनीतिक प्रभावित–भावना, राजनीतिक–चेतना तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि की है । इसका शक्ति सरंचना पर इतना प्रभाव पड़ा है कि नगरपालिका, विधानसभा एव लोकसभा के चुनावों के लिए प्रत्याशी के चयन में परम्परागत आधारों की अपेक्षा व्यक्तिगत योग्यता तथा दलीय सम्बन्ध अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं ।

सारणी – 5.10

जातीय विशेष के कुल देवता या कुलदेवी दर्शन के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म	प	योग	
1	धार्मिक त्यौहार, समारोह	30	25	55	22 .00
2	परम्परागत नियम	22	21	43	17.20
3	ग्रहों की शान्ति	10	4	14	5.60
4	धार्मिक भावना	58	72	130	52.00
5	असहमत	5	3	8	3.20
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपरोक्त आँकड़ों से प्रदर्शित होता है कि

- जातीय विशेष कुल देवता या कुलदेवी के दर्शनों के प्रति अधिकांश उत्तरदाता लगभग 52 प्रतिशत धार्मिक त्यौहार व समारोह के कारण दर्शन हेतु अपनी जाति विशेष के मन्दिर जाते हैं ।
- धार्मिक भावना के कारण जातीय विशेष कुल देवता के मन्दिर जाने वालों में 22 प्रतिशत उत्तरदाता,
- परम्परागत नियम मानने के प्रति लगभग 17.2 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं एवं
- ग्रहो की शान्ति हेतु जातीय विशेष कुल देवता या कुल देवी के दर्शन हेतु जाने वालों में लगभग 5. 6 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं एवं
- जातीय विशेष कुल देवता के दर्शन हेतु न जाने वालों में लगभग 3.2 प्रतिशत उत्तरदाता प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं ।

अतः स्पष्ट होता है कि नगरीय जीवन–शैली की व्यस्तता के चलते केवल त्यौहार या पारिवारिक विवाह समारोह में ही अधिकांश उत्तरदाता अपने जाति विशेष के कुल देवता या कुल देवी के दर्शन हेतु जाते हैं । पुछे जाने पर उन्होंने बताया कि नवविवाहित जोड़े को दर्शन हेतु वह वहाँ जाते हैं एवं कभी–कभार बड़े त्यौहारों पर वह वहाँ जाना पसंद करते हैं ।

सारणी – 5.11

परिवार के परम्परागत जातीय व्यवसाय का विवरण

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म	प	योग	
1	उद्योग	30	18	48	19.20
2	कृषि	62	67	129	51.60
3	अन्य(सुनार, बढ़ई, मजदूर, मैकेनिक)	33	40	73	29.20
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

उपर्यक्त सारणी संख्या–5.11 के अनुसार परिवार के परम्परागत जातीय व्यवसाय का विवरण दिया गया है ।

- 51.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का परम्परागत जातीय व्यवसाय में कृषि व्यवसाय मुख्य रूप से देखा जा सकता है ।
- 29.2 अन्य व्यवसाय जिनमें सुनार, बढ़ई, मजदूर, मैकेनिक आदि एवं
- उद्योग–धन्धों में 19.2 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं, जिनका परम्परागत व्यवसाय उद्योग का रहा है ।

नगरीकरण के कारण परम्परागत पेशों को छोड़ने, कर्मकाण्डीय स्थिति के महत्व के कम हो जाने एवं आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक शक्ति से सम्पन्न कृषक जातियों के प्रभु जातियों के रूप में उभरने के कारण विभिन्न जातियों के पारस्परिक सम्बन्धों में तीव्र परिवर्तन आए हैं ।

अतः अधिकांश उत्तरदाता ग्रामीण पृष्ठभूमि से सम्बन्धित हैं एवं जिनका परम्परागत व्यवसाय कृषि रहा है । परम्परागत आधार पर जाति प्रथा द्वारा निर्धारित विभिन्न पेशे उच्च एवं निम्न स्तर के हैं । जिनका

प्रमुख आधार धार्मिक दृष्टिकोण या पवित्रता व अपवित्रता की धारणा है । परन्तु आधुनिक समय में पेशों की ऊँचाई व निम्नता नापने हेतु धार्मिक आधारों की अपेक्षा धन सत्ता आदि धर्म–निरपेक्ष पैमाने को स्वीकार किया जा रहा है । परम्परागत पेशों का स्थान बहुधा नीचे उतर आया है । जिन पेशों में धन, सत्ता की प्राप्ति ज्यादा होती है, आज वह ही पेशे उत्तम माने जाते हैं । आज पुरोहित का पेशा एक अफसरगिरी के पेशे से निम्न दर्जे का है । वही ब्राह्मण, यदि पुरोहितों का पेशा छोड़कर व्यापार में लग जाता है और खूब धन कमा लेता है, तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है । इसी प्रकार निम्न जाति का व्यक्ति, जूता बनाने का बड़ा उद्योग या कारखाना खोलता है तो उद्योग–धन्धों के रूप में बुरा नहीं है[15] नगरीकरण ने नवीन व्यवसायों को प्रोत्साहन देकर जाति के परम्परागत व्यवसायों को प्रभावित किया है ।

सारणी – 5.12

मैत्री स्वरूप के चयन के जातीय आधार के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	किसी भी जाति में	100	40.00
2	स्वयं जाति में	79	31.60
3	दोनो	71	28.40
	योग	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी संख्या 5.12 के अनुसार

- मित्रता हेतु जातीय आधार पर व्यक्ति चुने जाने के प्रति प्रश्न पूछे जाने पर अधिकांश उत्तरदाता लगभग 40.00 प्रतिशत किसी भी जाति के व्यक्ति को बिना किसी जातीय भेद के मित्र चुना जाना स्वीकारा है, एवं
- स्वयं जाति में मित्रता करने वालों में लगभग 31.60 प्रतिशत सम्मिलित हैं, वे स्वयं जातिय व्यक्तियों को अधिक महत्व देते हैं, अर्थात नगरीकरण से जातिय भेद अपेक्षाकृत कम हुए हैं ।

अधिकतर उत्तरदाताओं ने भिन्नता के लिए धर्म, जाति एवं सम्पत्ति को स्थान नहीं दिया अर्थात मित्रता के लिए जाति तथा छुआछूत जैसी धारणाओं को अस्वीकार किया है । मित्रता को अधिकांश उत्तरदाताओं ने हृदय से की गई घनिष्ठता को माना है, जो जातिगत बन्धन से नहीं होती है ।

सारणी – 5.13

उत्तरदाताओं की स्वजातीय पृथकता सम्बन्धी विचारों का वर्गीकरण

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म	प	योग	
1	सहमत	39	39	78	31.20
2	असहमति	50	55	105	42.00
3	तटस्थ	36	31	67	26.80
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपर्युक्त सारणी से परिलक्षित होता है कि

- जाति पृथकता सम्बन्धी विचारों के आधार पर अधिकांश लगभग 42 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी असहमति प्रकट करते हैं ।
- जाति सम्बन्धी ऊँच–नीच की भावना रखने वालों में लगभग 31.20 प्रतिशत सम्मिलित हैं।

अर्थात नगरीय समाज में निवास करने वाले अधिकांश लोग सजातीय पृथकता को नकारते हैं एवं सभी जाति के व्यक्तियों को व्यावहारिक जीवन में सजातीय मानते हैं । इस प्रकार नगरीकरण से सजातीय पृथकता सम्बन्धी विचारों में कमी आई है ।

अतः नगरीय समाज में बहुसंख्यक उत्तरदाता स्वयं जातीय पृथकता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं ।

सारणी 5.14

स्वजातीय विवाह के प्रति उत्तरदाताओं की वैवाहिक संचेतना

क्र.स.	मापदण्ड	विपक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	पक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	विवाहित	95	62.91	20	13.24	36	23.84	151	60.40
2	अविवाहित	67	71.27	9	9.57	18	19.14	94	27.60

3	विधवा / विधुर	1	33.33	1	33.33	1	33.33	3	1.20
4	तलाकशुदा	1	50.00	0	0.00	1	50.00	2	0.80
	योग	164	65.60	30	12.00	56	22.40	250	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि –

- अधिकांश उत्तरदाता जो अविवाहित हैं, स्वजातीय विवाह के विपक्ष में उत्तर देते हैं एवं अंतरजातीय विवाह के पक्ष में हैं 71.00 प्रतिशत है।
- विवाहितों में अनिश्चिता पाई गई है, जो 13.24 प्रतिशत है।
- विधुर व विधवा इसके विपक्ष में व कुछ पक्ष में मत देते हैं, जिसमें 33.33 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मलित हैं।
- तलाकशुदा विपक्ष में मत देते है। 50.00 प्रतिशत इसके विपक्ष में हैं अर्थात स्वजातीय विवाह के प्रचलन में कमी आई है एवं अन्तर्राजातीय विवाह बढ़े हैं।

अल्पसंख्यक उत्तरदाता इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं ।

सारणी 5.15

जातीय बन्धनो की शिथिलता के प्रति उत्तरदायी वैवाहिक संचेतना

क्र.स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	अविवाहित	80	85.10	2	2.12	12	12.76	94	37.60
2	विवाहित	120	79.47	6	3.97	25	16.55	151	60.44
3	विधवा / विधुर	1	33.33	1	33.33	1	33.33	3	1.20
4	तलाकशुदा	0	0.00	1	50.00	1	50.00	2	0.80
	योग	**201**	**80.40**	**10**	**4.00**	**39**	**15.60**	**250**	**100.00**

उपरोक्त वर्णित सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि:

➢ जातीय बंघनो में शिथिलता के प्रति 85.10 प्रतिशत उत्तरदाता जो अविवाहित हैं, पक्ष मे मत देते हैं।

➢ 50.00 प्रतिशत तलाकशुदा इसके प्रति विपक्ष में मत देते हैं।

➢ 16.55 प्रतिशत उत्तरदाता जातीय बंधनो की शिथिलता के विपक्ष मे मत देते हैं, जो विवाहित हैं। स्पष्ट है कि नगर मे जातीय बंधनो में कमी आई है।

सारणी 5.16

स्वजातीय समूह मे विवाह के प्रति उत्तरदाताओं की पारिवारिक संचेतना

क्र.स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	संयुक्त	49	80.32	2	3.27	10	16.39	61	24.40
2	एकाकी परिवार	69	36.50	20	10.58	100	52.91	189	75.60
	योग	**118**	**47.20**	**22**	**8.80**	**110**	**44.00**	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि –

- स्वजातीय विवाह के प्रति पक्ष में 80.32 उत्तरदाता सयुक्त परिवार से सम्बद्ध हैं।
- स्वजातीय विवाह के विपक्ष में 52.91 उत्तरदाता एकांकी परिवार से सम्बद्ध हैं।
- 10.58 एकांकी परिवार इसके प्रति अनिश्चित हैं।

स्पष्ट है कि स्वजातीय विवाह के प्रति कमी आई है एवं एकांकी परिवार अर्तजातीय विवाह की ओर बढ़ रहे है।

सारणी – 5.17

नगर में निवास स्थान के चुनाव के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म	प	योग	
1	अपने जातीय समुदाय में	42	33	75	30.00
2	किसी भी जातीय समुदाय में	62	63	125	50.00
3	तटस्थ	21	29	50	20.00

	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

सारणी संख्या 5.17 से यह स्पष्ट होता है कि

- बहुसंख्यक उत्तरदाता नगर में अपने निवास स्थान के चयन हेतु किसी भी जातीय समुदाय को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें लगभग 50.00 प्रतिशत शामिल हैं, एवं
- स्वयं जातीय समुदायों में निवास स्थान को प्राथमिकता देने वालों में लगभग 30.00 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- 20.00 प्रतिशत उत्तरदाता तटस्थ हैं ।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि, नगरीय क्षेत्र में अधिकांश लोगों की मानसिकता बदली है एवं स्वयं जातीय समुदायों के स्थान पर अधिकतर व्यक्ति किसी भी जातीय समुदाय में निवास करने को प्राथमिकता देने लगे हैं, चाहे वह धर्म के आधार पर पृथक ही क्यों न हो, सभी को समान रूप से प्रमुखता देते हैं । इस प्रकार कहा जा सकता है कि, नगरीय क्षेत्रों के लोग अपने मूल निवास स्थान के क्षेत्र के लोगों के प्रति सानिध्य व औपचारिक भाव रखते हैं ।

सारणी – 5.18

नगरीय समुदायों में खान–पान के नियमो की कटट्रता के प्रति उत्तरदाताओं की राय

कमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
1	स्वयं जातीय समुदाय में	89	35.60
2	किसी भी जातीय समुदाय में	161	64.40
	योग	**250**	**100**.00

उपर्युक्त सारणी संख्या 5.18 के अनुसार

- जातीय समुदायों में खान–पान के सम्बन्धों में अधिकांश उत्तरदाता किसी भी जाति के योगदान को उचित मानते हैं । 64.4 प्रतिशत उत्तरदाता किसी भी जाति में खान–पान के सम्बन्धों को बुरा नहीं मानते;
- स्वयं जातीय समुदायों में खान–पान को प्रमुखता देने वालों में 35.6 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं।

अर्थात अधिकांश हिन्दू परिवारों में जातीय बन्धनों में क्षीणता आई है । वर्तमान शिक्षा के आधार पर, समानता के विचार पनपे हैं, यातायात के साधनों में उन्नति, सामाजिक गतिशीलता का बढ़ना, नगरों, विभिन्न जाति, धर्म और राष्ट्र के लोगों के साथ परिचय, मित्रता, होटलों आदि जलपान–गृहों आदि ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिनके फलस्वरूप खाने–पीने के सम्बन्ध में समस्त नियम बहुत ढ़ीले पड़ते जा रहे हैं । इसका प्रमुख कारण शहरों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर जो संगठन बनते हैं, उनमें सभी जाति के सदस्य होते हैं एवं जो सामान्य उद्देश्यों के आधार पर उनमें, जो घनिष्ठ सम्बन्ध या कम से कम जो सामाजिक निकटता पनपती है, वह फिर खाने–पीने के सम्बन्ध में कट्टरपंथी नहीं होने देती हैं ।[16]

नगरीय क्षेत्रों में पवित्रता–अपवित्रता के विचारों के आधार पर ऊँच–नीच रख पाना संभव नहीं है । नगरों में विविध स्थान यथा जलपान–गृह, सिनेमा या रेल के डिब्बे में पवित्रता–अपवित्रता के सम्बन्धों को बनाए रखना भी सम्भव नहीं है । अतः पवित्रता–अपवित्रता सम्बन्धी विशेषता भी प्रायः समाप्त होती जा रही है।

सारणीयों के विवेचन से समग्र रूप में यह स्पष्ट होता है कि अधिंकाश उत्तरदाता जातिय बन्धनों में शिथिलता को स्वीकार करते है। एवं जातिय भेदभाव की समाप्ति के पक्षधर है। जो मित्र–मण्डलीय, निवास स्थान चयन एवं खान–पान संबंधी भेदभाव को अस्वीकार करते है। किन्तु वैवाहिक संबंधो में वर–वधु चयन में जातिय सस्तरणं को स्वीकारते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि, समकालीन भारतीय समाज में जाति में परिवर्तन तो हो रहे हैं, परन्तु जाति का महत्व सामाजिक जीवन में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, यह कहना कठिन है ।

Reference

1. Kapadia K.M., (1966) "Marriage and family in india" oxford university press bombay, pp-243.
2. Barnabas, A.P.(1957) "Patterns of rural family", Bullatin of the christan Institute for the study of society, pp-16-25
3. Ghurye G.S., (1950) "Caste ,and Race in India", popular prakashan, pvt. Ltd. Mumbai,pp-2-18.
4. Wikipaedia, The free Encyclopaedia, 1 june 2013 (10:59))
5. Sriniwas, M.N. (2009), "Social change in Modern india", Rajkamal publishers , Delhi, pp-36.
6. Sriniwas, M.N. (2009),"Social change in Modern india", Rajkamal publishers , Delhi, pp-58.
7. Kapadia K.M.(1966) 220 “Marriage and Family in India”, Oxford University Press, 23 p.. 122
8. शिवानी गुप्ता, (2011), भारत में जाति व्यवस्था, वंदना पब्लिकेशन, नई दिल्ली p-1
9. Ronald Segal, (1971)"The Crisis of India", jaico publishing house .p-35
10. S. Koenig, (1965) "Sociology" an introduction to science of society', barnes and noble, new york, p-216
11. T.B. Bottomore (1962) "Sociology : A Guide to Problems and literature", London george allen and unwin, p-189
12. C.H. Cooley, (1910) "Social Organization" A study of the larger mind', new york: c.scribner's, p-11
13. Maclever & Page (1959) "Society", macmillan & co LTD london p-324
14. Ronald Segal, "The Crisis of India", p-35, D.N. Majumdar and T.N. Madan, An Introduction to Social Anthropology, p-22
15. गुप्ता शिवानी (2011) भारत में जाति व्यवस्था, वंदना पब्लिकेशन,नई दिल्ली,च.121
16. गुप्ता शिवानी (2011), Ibid पेज.121.122

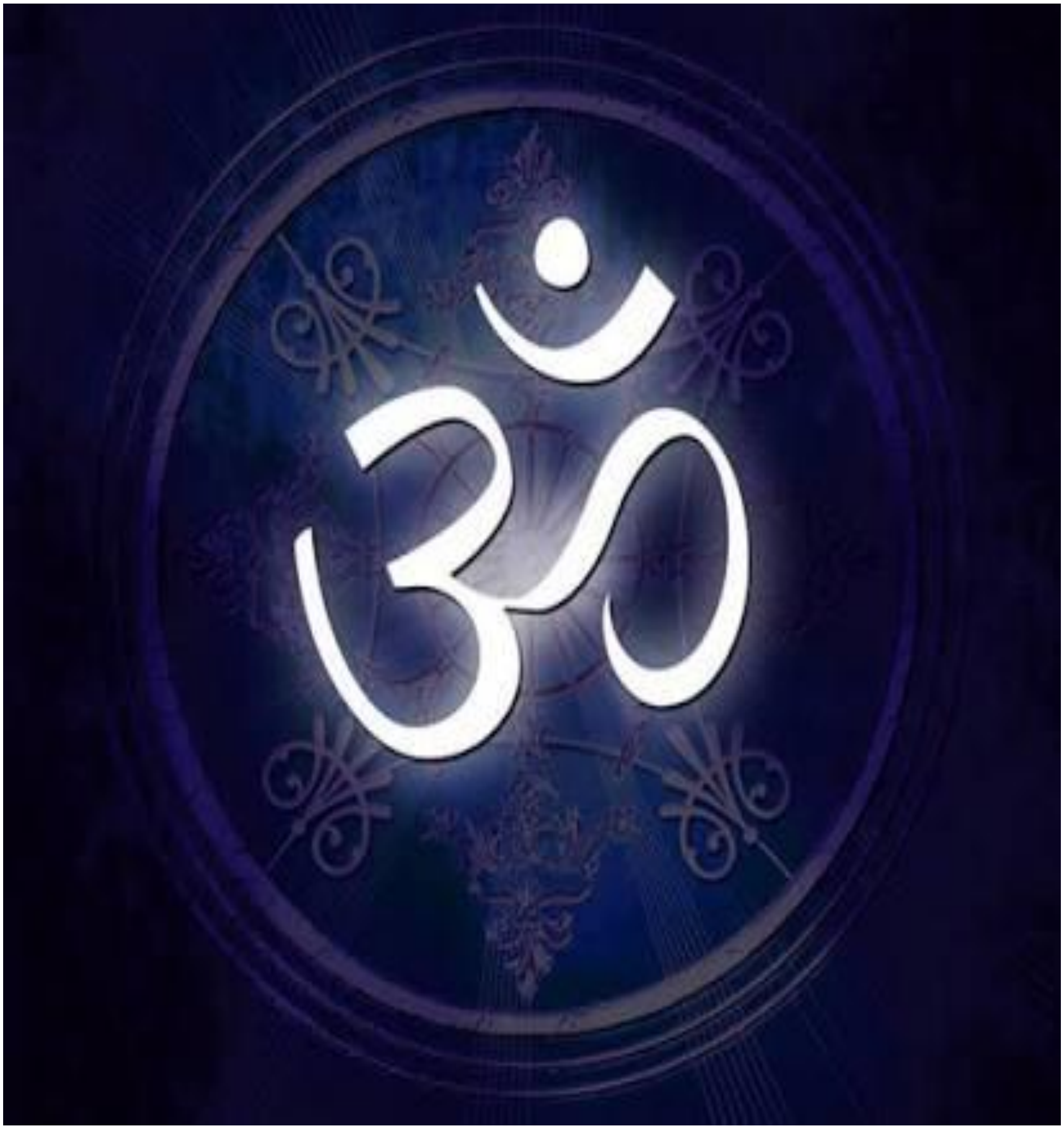

अध्याय – 6

अध्याय–6

नगरीय हिन्दू परिवार में धार्मिक विश्वास एवं रीतियाँ

भारतीय संस्कृति में हिन्दू धर्म एक अभिन्न अंग है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण हिन्दू संस्कृति एवं हिन्दू परिवार को भली–भांति समझा जा सकता है । धर्म व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के व्यवहारों को अनुशासित एवं नियन्त्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

हिन्दुत्व की धारणा के अनुसार हिन्दू धर्म, अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित धर्म नहीं है, यह तो जीवन की एक विधि है, जो व्यक्ति को उसके वास्तविक कर्त्तव्यों का ज्ञान कराती है । हिन्दू समाज में देश–काल की परिस्थितियों एवं सामाजिक पद के अनुसार हमारा जो कर्त्तव्य है, उसी को धर्म की संज्ञा दी जाती है । हिन्दू धर्म रिलीजन का पर्यायवाची शब्द न होकर कई अधिक विशाल एवं व्यापक शब्द है । 'रिलीजन' का तात्पर्य विश्वास एवं उपासना पद्वति से है[1] । धर्म शब्द का अर्थ बहुत विधिक एवं व्यापक है । एक निश्चित अर्थ में धर्म को समझा नहीं जा सकता है । धर्म, भाषा विचार की परम्परा में अनेकों अर्थों को सम्मिलित करता है । धर्म शब्द का सबसे अधिक व्यापक अर्थ, उसके व्याकरणगत मूल धातु 'धु' पर आश्रित है । 'धृ' का अर्थ धारण करना होता है ।[2]

हिन्दू धार्मिक विचारधारा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हिन्दुत्व के चार पुरूषार्थ के तत्व हैं एवं ये सभी हिन्दू सामाजिक जीवन को अनुशासित एवं निर्देशित करने हेतु आवश्यक माने गए हैं । इन पुरूषार्थों में धर्म एवं मोक्ष अंतिम एवं अर्थ एवं काम को प्रथम स्थान दिया गया है । धर्म मोक्ष–प्राप्ति में हमें प्रेरणा एवं बल प्रदान करता है । हिन्दू धर्म ग्रन्थों में हिन्दू के कर्त्तव्यों के उल्लेख में बताया गया है कि प्रत्येक हिन्दू का यह कर्त्तव्य है कि वह धर्म का तत्परता के साथ पालन करे एवं समाज के निर्धारित कार्य पूरी लगन, निष्ठा और नैतिकता के साथ सम्पन्न एवं संपादित करे ।

एक सफल जीवन जीने हेतु अर्थ भी आवश्यक है । भारतीय जीवन में अर्थ का एक अलग महत्व रहा है । एच. तिश्मर के अनुसार, 'अर्थ' का अर्थ वस्तु, चीज और पदार्थ से है । अर्थ की अवधारणा में, समस्त स्पर्शीय एवं भौतिक वस्तुएँ सम्मिलित हैं जिन्हें हम अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, जो परिवार के भरण–पोषण हेतु आवश्यक हैं एवं जिनकी जीवन के कर्त्तव्यों का उचित ढंग से पालन करने के लिए आवश्यकता होती है ।[3] प्रत्येक धर्म में लक्ष्य की पूर्ति के लिए अनेक आचरण निर्धारित होते हैं । इन आचरणों के विभिन्न रूप, विभिन्न धर्मावलम्बियों में देखे जा सकते हैं । मुसलमान द्वारा मस्जिद में नमाज

अदा की जाती है; ईसाई, गिरजाघरों में ईसा की मूर्ति के समक्ष प्रार्थना करते हैं एवं हिन्दू मन्दिरों में पूजा–पाठ व भजन–कीर्तन करते हैं । पूजा–पाठ, आराधना, साधना के अनेक नियम एवं पद्वतियाँ हैं ।[4]

ये धार्मिक कर्मकाण्ड धर्म का कार्यात्मक पक्ष है, जो पारलौकिक तत्वों तथा पवित्र वस्तुओं के संदर्भ में हमारा व्यवहार है, जिससे हमारा विश्वास एवं पवित्रता की भावना जुड़ी हुई होती है । ये व्यवहार संत्रोचारण एवं व्रत, त्यौहार से सम्बद्व है ।[5] किंग्सले डेविस के शब्दों में, ''मानव समाज में धर्म इतना सार्वभौमिक, स्थायी एवं व्यापक है कि धर्म को स्पष्ट रूप से समझे बिना हम समाज को नहीं समझ सकते हैं ।''[6]

हम यहाँ उन सभी संस्कारो का विवेचन करेंगे जो हिन्दु धर्म मे प्रस्थापित हैं।

1. **गर्भाधान :** संस्कार मनुष्य के जन्म से पूर्व का संस्कार गर्भाधान है, यह संस्कार समाज में निरंतरता एवं पितृ–ऋण से उऋण होने हेतु आवश्यक है।

2. **पुसवंन संस्कार :** यह गर्भधारण के उपरांत का संस्कार है, जो तीसरे मास में किया जाता है। पुसवंन का अर्थ होता है, पुत्र की प्राप्ति।

3. **सीमान्तोन्यन संस्कार :** अमंगलकारी बाधाओं से रक्षा हेतु यह संस्कार किया जाता है, यह पुरूष नक्षत्र के समय सम्पन्न किया जाने वाला संस्कार है। मंत्रोच्चारण के साथ यह संस्कार शिशु के जन्म के किसी भी समय किया जा सकता है। सीमन्तोनयन का अर्थ स्त्री के केशों को ऊपर उठाकर विभाजित करना।

4. **जात कर्म संस्कार :** यह बालक जन्म के समय का संस्कार है जो प्रसव पीड़ा से बालक के जन्म तक सम्पन्न किया जाता है। इसी योग को जात कर्म संस्कार कहते है। बालक को पिता की गोद में देकर यज्ञवेदी के पास सलाके पर घी व शहद लगाकर मंत्रोच्चारण किया जाता है एवं बालक को चटाया जाता है।

5. **नामकरण संस्कार :** यह संस्कार शुभ मुहूर्त में बालक को नाम दिये जाने का संस्कार है, यह धार्मिक देवी–देवताओं के नाम पर रखा जाता है।

6. **निष्क्रमण :** इस संस्कार में शिशु को सम्पूर्ण विधि विधान से प्रसूति गृह से बाहर सूर्य के सक्षम लाया जाता है एवं देवताओं का ध्यान किया जाता है।

7. **अन्नप्राशन संस्कार :** बालक के जन्म से 6 माह बाद उसके पोषण हेतु भोज्य पदार्थ देना प्रारंभ किया जाता है, यह संस्कार शिशु की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करता है।

8. **चूड़ाकरण संस्कार :** यह संस्कार बालक के 1 वर्ष के होने के पश्चात् एवं तृतीय वर्ष के प्रारंभ में किया जाता है, जिसमें केश, नखों को काटना, आदि किया जाता है। इससे व्यक्ति के दीर्घ आयु, सौंदर्य व कल्याण की प्राप्ति का संस्कार भी कहते हैं।

9. **उपनयन संस्कार :** विशेष गुणों की प्राप्ति हेतु यह संस्कार आवश्यक है, इसके बिना कोई व्यक्ति द्विज नहीं कहा जा सकता था, इस हेतु यह एक आवश्यक संस्कार है। उपनयन संस्कार को ही द्विजत्व संस्कार एवं सावित्री संस्कार कहा जाता है, जो एक प्रकार का दूसरा जन्म माना गया है, यह द्विजत्व का संस्कार उपनयन गुरू, व्रत, वेद, यम; नियम, एवं देवताओं के साथ सबंध स्थापित करने हेतु मार्ग दिखलाता है।

10. **केशान्त संस्कार :** बालक के यौवनावस्था में प्रवेश का संस्कार है, जिसमे बालक के ढाढी—मूंछ आने लग जाते हैं, इसमें बालक के केशों को काटने की आवश्यकता भी प्रतीत होती है।

11. **समावर्तन संस्कार :** यह संस्कार विद्यार्थी जीवन की समाप्ति का सूचक है, जो व्यक्ति विद्या प्राप्ति के बाद प्रकाण्ड पण्ड़ित बन जाता है, ब्रह्मचारी सवर्ण एवं सुलक्षण युक्त कन्या से विवाह करने हेतु गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है।

12. **विवाह संस्कार :** विवाह संस्कार विभिन्न कृत्यों का समावेश कहा जाता है, यह संस्कारो का सार तत्व है, इसमे पाणिग्रहण, होम, अग्नि प्रशिक्षण तथा सप्तपड़ी आदि सम्मलित है।

13. **अन्तेष्ठि संस्कार :** यह संस्कार व्यक्ति की मृत्यु के बाद का संस्कार है, जो विभिन्न धार्मिक कृत्यों के साथ समाप्त होता है।[7]

इस प्रकार यह सभी संस्कार एक हिन्दू व्यक्ति को अपनी सभी धार्मिक क्रियाएँ करते हुए सम्पन्न करने होते हैं, जो धार्मिक दृष्टि से उपयोगी माने गए हैं। इन संस्कारो का एक मात्र उद्धेश्य व्यक्ति की आयु, विशेष स्थिति के आधार पर उसके कर्तव्यों की याद दिलना है।

हिन्दू धर्म की प्रमुख अवधारणाए व परम्पराए

(1) **ब्रहम्**:– ब्रहम् ही सर्वशक्तिमान, निगुण परम ब्रहम् है जिसका आदि, मध्य व अंत नहीं है जो सम्पूर्ण जगत का पालनकर्ता माना गया है।

(2) **आत्मा**ः— ब्रहम् का दुसरा रुप आत्मा को माना गया है, जो स्वच्छ, मुक्त एवं ब्रहम् स्वरुप है, जो मोक्ष के बाद ब्रहम् में ही लीन हो जाती है।

(3) **पुर्नजन्म**ः— पुर्नजन्म का तात्पर्य फिर से जन्म से है, मानव जन्म पूर्ण कर दूसरे जन्म में आता जाता रहता है।

(4) **योनि**ः— आत्मा के जन्म के द्वारा प्राप्त जीव को योनि कहते हैं, जो किसी भी रुप में हो सकती है, चाहे वह मानव, पक्षी, पशु कीट, पतगैं आदि ही क्यों ना हो।

(5) **कर्मफल**ः— हिन्दू धर्म में यह मान्यता है कि अच्छे कर्मों का व बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में कर्मफल के रुप में भुगतना पड़ता है।

(6) **स्वर्ग—नरक**ः— अच्छा—बुरा ये दोनों कर्मफल से संबंधित लोक हैं, जो अच्छा करेगा वह स्वर्ग एवं जो बुरा उसे नरक में स्थान प्राप्त होता है।

(7) **मोक्ष**ः— हिन्दू धर्म में मोक्ष से तात्पर्य जीवन—मरण मुक्त होकर परमात्मा में लीन होने से लिया गया है।

(8) **चार युग**ः— हिन्दू धर्म में चार युग सत्, त्रेता, द्रवापट तथा कलि युग माने गए हैं, इनमें युगो का विभाजन सर्वेश्रेष्ठ व निकृष्टतम के रुप में किया गया है।

(9) **चार वर्ण**ः— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र चार वर्णो में परस्पर सस्तंरण पाया जाता है, जिसमें विभिन्न विधान, नियम एवं कर्मकाण्डों का पालन किया जाता है।

(10) **चार आश्रम**ः— प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति का जीवन काल का निर्धारण पहले से ही किया गया है, जो मनुष्य को जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ब्रह्मचर्या, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास प्रमुख हैं।

(11) **चार पुरुषार्थ**ः— धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रत्येक हिन्दू के जीवन के आवश्यक उद्देश्य माने गए हैं, प्रत्येक का अपना एक अलग महत्व है।

(12) **चार योग**ः— शरीर की आत्मा को ब्रहम् ज्ञान प्रदान करने हेतु चार योग (ज्ञानयोग, शक्तियोग, कर्मयोग, तथा राजयोग) प्रमुख हैं।

(13) **चार धामः**– हिन्दुओं के तीर्थ स्थल चारो दिशाओं में ही विद्यमान हैं, प्रमुख रुप से बद्रीनाथ, रामेश्वरम्, जगन्नाथपुरी, और द्ववारका ऐसे हैं, जहाँ की यात्रा करना हर एक हिन्दू का परम कर्तव्य माना गया है।

(14) **प्रमुख धर्मग्रंथः**– हिन्दुओं के प्रमुख ग्रंथ हैं, चार वेद (ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद), तेरह उपनिषद, अठारह पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, रामचरितमानस; इसके अलावा विभिन्न कथाएं एवं अनुष्ठान ग्रंथ भी हिन्दु धर्म के प्रमुख धर्मग्रंथ है[8]।

धर्मशास्त्रों में परिवार के जीवन एवं उद्धेश्यों को धर्म के साथ जोड़ा गया है, धर्म, प्रजा, एवं रति को दाम्पत्य जीवन का लक्ष्य स्वीकार किया गया है।[9] भारत में धर्म को जीवन के एक सत्य के रूप में माना गया है । इसके अभाव में हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते । हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस देश को संस्कृति की ऊँचाइंयों तक पहुंचाने में धर्म ने अपनी प्रमुख भूमिका अदा की है। भारतीय धर्म के सन्दर्भ में सबसे अधिक महत्व हिन्दू धर्म को दिया जाता है ।

धर्म एकता की स्थिति को व्यक्त करता है, जो व्यक्ति के रूप में तथा समाज के सदस्य के रूप मे, मनुष्य का विशिष्ट लक्षण हैं । [10]''धर्म की अवधारणा'' के अन्तर्गत हिन्दू उन स्वरूपों और प्रक्रियाओं को लाते हैं जो मानव जीवन का निर्माण करती है और उनको धारण करती है ।[11] हिन्दू धर्म मानव के जीवन से सम्बन्धित है, जिसका उद्देश्य जीवन के आध्यात्मिक स्वरूप को ज्ञानवान बनाना है । धर्म किसी न किसी प्रकार की अति–मानवीय या आलौकिक या सर्वोपरि शक्ति पर विश्वास है । जिसका आधार श्रृद्धा, भक्ति, पवित्रता और भय की धारणा है एवं जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा एवं आराधना है ।[12]

हिन्दी संस्कृति की जीवन्तता हिन्दू धर्म ग्रन्थों में दिखाई देती है । वेदों, पुराणों, उपनिषद, रामायण जैसे दुर्लभ ग्रन्थों में हिन्दू धर्म की अमिट छवि प्रदर्शित होती है । यह ग्रन्थ सम्पूर्ण समाज को चित्रित करते हैं एवं जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं । समाज में परिवार, धर्म, मूल्यों, आचार–विचार आदि के अभ्युदय का पूर्ण विवेचन हिन्दू धर्म ग्रन्थों में दिया गया है, जो हिन्दू जीवन शैली को चरितार्थ करता है ।

हिन्दू धर्म सदा से ही धर्मपरायणवादी रहा है । हिन्दू समाज का संगठन पाश्चात्य समाज की तरह नहीं रहा है । पाश्चात्य समाज अपने कार्यों में अर्थ को अधिक महत्व देता है, वहीं हिन्दू समाज धर्म को प्रमुख रूप से महत्व देता है । हिन्दुओं में किसी भी छोटे–बड़े कार्य को प्रारम्भ करने में धर्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता है ।[13] धर्म का समाज से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । विश्व के सभी समाजों में धर्म का प्रबल महत्व रहा है। भिन्न–भिन्न समाजों में अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के आधार पर धर्म में विश्वास के तरीके एवं क्रियाएँ होती हैं । एक धर्म, अन्य धर्म से अपनी कुछ विशेषताओं के आधार पर भिन्न होता है ।

इस प्रकार हिन्दू धर्म की भी कुछ प्रमुख विशेषताएँ, क्रियाकलाप, मान्यताएँ एवं विश्वास होते हैं। जो उसे अन्य धर्मों से अलग करते हैं । हिन्दू धर्म में परिवार संस्था को भी महत्व प्रदान किया गया है । परिवार में विभिन्न कार्यकलाप एवं धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जो हिन्दू परिवार की प्रमुख विशेषता है ।

नगरो में धर्म की विवेचना इसके प्रमुख लक्षणों के आधार पर की जा सकती है ।

(1) **धार्मिक विविधता :–** नगरो में धर्म विविध प्रकार के सम्प्रदायों में दिखलाई पड़ता है। यहाँ विविध धार्मिक समूहों के लोग निवास करते हैं । लगभग सभी धर्मों के लोग नगरों में निवास करते हैं । इससे धार्मिक सहिष्णुता में वृद्धि होती है ।

(2) **आध्यात्मिकता की कमी :–** नगरो में धर्म में आध्यात्मिकता की निरन्तर कमी होती जा रही है । वास्तव में नगरीय जीवन इतना अधिक भौतिकवादी होता जा रहा है कि व्यक्ति किसी भी तरह सम्पूर्ण आर्थिक सुख–सुविधाओं को पाना चाहता है ।

(3) **धार्मिक संस्कारों की महत्ता में कमी :–**नगरीय धर्म में धार्मिक संस्कारों की महत्ता में कमी, भी एक प्रमुख लक्षण है । बहुत से लोग शिक्षा व आधुनिकीकरण के कारण धार्मिक संस्कारों को नहीं करते एवं करते भी हैं, तो उनका रूप इतना संक्षिप्त होता है जिससे उनका सामाजिक–आर्थिक जीवन प्रभावित न हो।

(4) **भौतिकवाद :–**नगरीय धर्म में भौतिकवाद का महत्व स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । आज व्यक्ति पाप या पुण्य, स्वर्ग या नर्क से इतना चिन्तित नहीं है, जितना कि वह अपनी सुख–सुविधाओं को किसी भी हालत में प्राप्त करने के लिए चिन्तित है । आज धन, वैयक्तिक क्षमता, कुशलता, धार्मिक योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण है ।

(5) **धार्मिक नियत्रंण में कमी :–**आज नगरीय समुदायों में सभी साधन प्रभावहीन होते जा रहे हैं तथा इसमें धर्म कोई अपवाद नहीं रहा है । आज नगरीय व्यक्तियों को नियत्रिंत करने में धर्म इतना शक्तिशाली नहीं रहा है । नगरीय मनुष्य इतना निडर एवं लौकिक हो गया है कि धर्म का भय ही समाप्त हो गया है।[14]

हिन्दू धर्म के कुछ सामान्य विश्वास

हिन्दू स्त्रियाँ मुसलमान स्त्रियों की तरह बुर्का धारण नहीं करती थी, पर फिर भी उन पर कई प्रकार के अवांछित प्रतिबंध थे, वे घनी आबादी वाले स्थानों में घर से बाहर नहीं निकलती थी। शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हिन्दु संस्कृत मंत्रों का पाठन कर अपने बच्चों की शिक्षा मदरसों में मौलवियों से करवाते थे। विवाह के अवसर पर वैदिक संस्कार एक ब्राह्मण पुरोहित द्वारा सम्पन्न होता था। धर्म के संबंध में हिन्दुओं पर इस्लाम एवं सूफी संतो के उपदेशों व विचारों का गहरा प्रभाव था [15]

ब्राह्मणों में जो पूर्ण रूप से कट्टर ब्राह्मण होता था, उसे अपना जीवन धर्म को समर्पित करना होता था। यह प्रवृत्ति उसे अपने सगे–संबधियों से दूर शांतिपूर्ण व एकाकी जीवन जीने हेतु प्रेरित करती थी। वैष्णव ब्राह्मणों की बात करे तो वह अपने निश्चित धर्मगुरू के आदेश पर कई धार्मिक क्रियाओं को सम्पन्न करते थे, जिसमें वह अपनी पत्नी के हाथ का बना भोजन ही ग्रहण करते थे, उपासना, व्रत, ध्यान से, मंदिर जाने में, और हरिकथा सुनने में व्यतीत करना मुख्य कर्मकाण्ड थे।

इससे उस जाति के व्यक्ति को शुद्ध माना–जाता था एवं यह भी मान्यता थी कि इससे भगवतकृपा प्राप्त होती है एवं व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा।[16] समाज निरन्तर परिवर्तनशील है एवं समय के साथ–साथ इसका स्वरूप भी बदला है । परिवर्तन की इस धारा में हिन्दू परिवार का स्वरूप एवं सरंचना में वृहद परिवर्तन हुए हैं । नगरीकरण के प्रभाव से इसकी जीवन–शैली में भी परिवर्तन आया है । नित हो रहे विज्ञान के आविष्कारों एवं वैज्ञानिकता ने व्यक्ति को धर्म से दूर कर दिया है । वर्तमान में मात्र धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी कार्य को नहीं किया जा सकता । इस हेतु किसी सटीक वैज्ञानिक तथ्य का होना आवश्यक माना गया है ।

हिन्दू धर्म में दान देने को सबसे महत्वपूर्ण व पूण्य का कार्य माना गया है । वेदों में भी दान देने को महत्वपूर्ण माना गया है । इसी कारण धार्मिक भावना से व्यक्ति दान करते हैं । पुण्य–प्राप्ति एवं स्वर्ग में स्थान प्राप्ति हेतु दान करना उत्तम माना गया है । वर्तमान युग में विभिन्न लोग अपनी नौकरी–व्यवसाय आदि में जघन्य अपराध करते हैं और फिर प्रायश्चित हेतु दानादि की प्रक्रिया अपनाते हैं व धर्म के भय से दान करते हैं एवं बुरे कृत्य का प्रायश्चित करते हैं । भारत जैसे धर्म–परायण में स्वर्ग–नरक, पाप–पुण्य की धारणा व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति पुर्नविचार करने हेतु विवश करती है । परिणामस्वरूप व्यक्ति दान करता है एवं इसी कारण से लोग चंदा आदि देते हैं ।

धार्मिक कारणों के अलावा प्रतिष्ठा–सूचक प्रश्न की पूर्ति हेतु भी व्यक्ति दान करते हैं जो समाज में उनकी प्रतिष्ठा को ऊँचा उठाता है । कुछ व्यक्ति चन्दा देने को टालने की प्रवृत्ति भी रखते हैं, क्योंकि वह नास्तिक होते हैं या धर्म के प्रति स्वेच्छा भावना से दान को महत्वपूर्ण मानते हैं । इस प्रकार सारणी संख्या–6.1 से स्पष्ट है कि विविध उत्तरदाता दानादि भिन्न–भिन्न धारणाओं को ध्यान में रखकर देते हैं । प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वेच्छानुसार, प्रतिष्ठा पाने एवं विभिन्न कारणों से दान देते हैं ।

सारणी – 6.1

धार्मिक कार्यों हेतु दान देने की धारणा के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	धार्मिक भावना	82	39	121	48.40
2	प्रतिष्ठा	11	37	48	19.20
3	पीछा छुड़ाना	11	10	24	9.60
4	जातीय बन्धन	30	15	46	18.40
5	उपरोक्त सभी	7	4	11	4.40
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपर्युक्त सारणी संख्या 6.1 से स्पष्ट है कि

- धार्मिक कार्यों हेतु दानादि देने की धारणा के प्रति उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण 48.40 प्रतिशत धार्मिक भावना का रहा है ।
- प्रतिष्ठा हेतु दान करने वाले उत्तरदाताओं में 19.20 प्रतिशत सम्मिलित हैं ।
- दान देने का कारण पीछा छुड़ाना मानने के प्रति 9.60 प्रतिशत सम्मिलित हैं ।
- जातीय बन्धन के कारण दानादि देने की धारणा में 18.40 शामिल हैं ।

इस प्रकार धार्मिक कार्यों हेतु दानादि देने की धारणा के प्रति अधिकतर उत्तरदाताओं द्वारा धार्मिक भावना को उत्तरदायी मानते हैं । इनमें सर्वाधिक रूप से महिला उत्तरदाताओं की संख्या परिलक्षित होती है।

भारत में मुहूर्त का भी अत्यन्त महत्व है । प्राचीन वैदिक काल में मुहूर्त के दो अर्थ बतलाये गये थे (1) थोड़ी देर (2) दो घटिका । क्रमशः मुहूर्त का तीसरा अर्थ भी लक्षित हो गया था, वह काल जो किसी शुभ कृत्य के लिए योग्य हो ।[17]

सारणी – 6.2

मुहूर्त के आधार पर कार्य प्रारम्भ करने के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	शुभ कार्य हेतु	50	50	100	30.40
2	धार्मिक परम्परा	17	10	27	10.80
3	ग्रहों का प्रभाव	10	25	35	9.20
4	असहमत	48	40	88	49.60
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

सारणी संख्या 6.2 से स्पष्ट है कि मुहूर्त के आधार पर कार्य प्रारम्भ करने के कारणों के प्रति

- 30.40 प्रतिशत उत्तरदाता शुभ कार्य हेतु मुहूर्त देखना उचित मानते हैं ।
- मुहूर्त के आधार को धार्मिक परम्परा मानने वालों में 10.80 प्रतिशत उत्तरदाता उचित मानते हैं ।
- ग्रहों के प्रभाव के प्रति 9.20 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- असहमत आधार पर 49.60 प्रतिशत मतदाता मुहूर्त के आधार पर कार्य प्रारम्भ करने को उचित नहीं मानते हैं ।

सामान्य जीवन में भी यह देखा जाता है कि महिलाएँ धर्म के बाह्य रूप अर्थात पूजा–पाठ, व्रतादि में रूचि लेती हैं । इन क्रियाओं पर उनका विश्वास होता है । वास्तव में धार्मिक क्रियाओं का भार महिलाएँ अधिक उठाती हैं । पुरूष कार्यवश एवं स्वभाववश भी इनके प्रति आस्था अपेक्षाकृत कम रखते हैं । धार्मिक क्रियाओं एवं दैनिक पूजा का उत्तरदायित्व महिलाओं में अधिक देखा गया है ।

अतः हिन्दू समाज में किसी भी कार्य, पूजा–पाठ एवं यात्रा आदि प्रारम्भ करने से पूर्व मुहूर्त को देखने की प्रवृत्ति भी देखी गई है । व्यक्ति की सफलता की चाह में शुभ मुहूर्त को देखकर किसी भी कार्य को करने लगा है । लेकिन अधिकांशः उत्तरदाता आज नगर में निवास के उपरांत शुभ मुहूर्त को टालने लगा है । अब हिन्दू व्यक्ति इसे मात्र एक औपचारिकता मानने लगा है । अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार

कार्य की सफलता व असफलता मुहूर्त पर नही, व्यक्ति की योग्यता पर अधिक निर्भर है । व्यक्ति जैसा कार्य करेगा, उसे वैसा ही फल मिलेगा, की प्रवृत्ति बलवती हो रही है ।

सारणी – 6.3

धार्मिक संस्कारों के विश्वासों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	मृत्यु–भोज	30	35	65	26.00
2	दान–दक्षिणा	30	21	51	20.40
3	दैनिक पूजा	20	56	76	30.40
4	तीर्थ–यात्रा	20	11	31	12.40
5	कुछ नहीं	25	2	27	10.80
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपर्युक्त सारणी संख्या 6.3 से स्पष्ट है कि :

- धार्मिक संस्कारों के विश्वासों में अधिकांश उत्तरदाता दैनिक पूजा को हिन्दू धार्मिक संस्कारों में सर्वाधिक 30.40 प्रतिशत मत देते हैं ।
- दान–दक्षिणा के प्रति 20.40 प्रतिशत उत्तरदाता मत देते हैं ।
- मृत्युभोज के धार्मिक संस्कारों के 26.00 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- तीर्थयात्रा में 12.40 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- धार्मिक संस्कारों को नहीं मानने वालों में 10.80 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं,
  इस प्रकार हिन्दू परिवार में दैनिक पूजा का महत्व आज भी परिलक्षित होता है ।

हिन्दू परिवार पूजा–पाठ, व्रत–उपवास आदि के द्वारा अपने निवास–स्थान में प्रतिदिन पूजा करते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक पूजा करेगा वह उतना ही अधिक धार्मिक होगा, ऐसी हिन्दू धर्म की मान्यता है। धर्म के बाह्य रूप को अधिक महत्व देने के कारण हिन्दू व्यक्ति धर्म सम्बन्धी क्रियाओं का निष्ठापूर्वक पालन करता रहा है ।

सारणी – 6.4

हिन्दू धार्मिक संस्कारों के पालन के उद्देश्यों के प्रति उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	धार्मिक विधान	70	50	120	48.00
2	परिवार के मुखिया की सलाह	22	30	52	20.80
3	एकता की भावना	19	20	39	15.60
4	उत्सव आदि	12	21	33	13.40
5	उपरोक्त सभी	2	4	6	2.40
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपर्युक्त विवेचित सारणी 6.4 से स्पष्ट है कि :

- हिन्दू धार्मिक संस्कारों के पालन के विभिन्न उद्देश्यों में 48.00 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाता धार्मिक विधानों की पूर्ति मानते हैं ।
- परिवार की मुखिया की सलाह से धार्मिक संस्कारों का पालन करने वाले 20.80 उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- एकता की भावना के उद्देश्य से हिन्दू धार्मिक संस्कारों को मानने वालों में 15.60 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- उत्सव के रूप में हिन्दू धार्मिक संस्कारों को मानने में 13.20 प्रतिशत उत्तरदाता शामिल हैं ।
- 2.40 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धार्मिक संस्कारों का पालन उपरोक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मानते हैं ।

स्पष्ट है कि हिन्दू विचारधारा एक धार्मिक विचारधारा है जो आज भी उसके धार्मिक होने को पुष्ठ करती है ।

सारणी संख्या 6.4 से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में सर्वाधिक महिलाएँ धार्मिक संस्कारों का पालन करना, धार्मिक विधान मानती हैं । ऐसा करने का कारण उन्होंने धर्म में विवेचित कथनों के अनुसार संस्कारों

का पालना करना जरूरी बताया एवं अन्य आधार पर व्यक्तिगत इच्छा ना होने पर भी बुजुर्गों की सलाह पर एवं उनकी सम्मान की भावना से वह इन संस्कारों को मानते हैं । परस्पर मेलजोल व उत्सव आदि के दृष्टिकोण भी संस्कारों का पालन करने में प्रमुख कारक हैं ।

संस्कारों का पालन करना आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी उपयोगी है, लेकिन उसका स्वरूप एवं प्रयोजन में अन्तर आ गया है । धार्मिक भावना से इनका पालन करना आवश्यक नहीं रह गया है । हिन्दू परिवार के सदस्यों की इच्छानुसार सामाजिक रूप से ग्रन्थों में वर्णित होने के कारण एवं धार्मिक विधान मात्र मानने एवं समाज में सामाजिकता का दायरा बढ़ाने में अब यह मुख्य रूप से उपयोगी हो रहा है ।

सारणी – 6.5

परिवार के सदस्यों का धर्म के प्रति दृष्टिकोण

कमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	धर्म के विपक्ष में	34	54	88	35.20
2	धर्म के पक्ष में	60	40	100	40.00
3	तटस्थ	31	31	62	24.80
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपर्युक्त विवेचित सारणी 6.5 से स्पष्ट है कि :

- धर्म के पक्ष में अधिकांश उत्तरदाता 40.00 प्रतिशत मत देते हैं,
- विपक्ष में 35.20 प्रतिशत उत्तरदाता जिनमें 88 उत्तरदाता सम्मिलित हैं, जो हिन्दू धार्मिक दृष्टिकोण को बतलाता है ।

नगरीकरण की प्रक्रिया से व्यक्ति को नगर में विभिन्न संघर्षों का सामना करना पड़ता है । इसके फलस्वरूप व्यक्ति का जीवन संघर्षो व जीवन की दुविधाओं से निरन्तर घिरता जाता है । धर्म की उपस्थिति, व्यक्ति में संघर्ष करने की अपार क्षमता पैदा करती है एवं व्यक्ति के मन में आन्तरिक संतुष्टि एवं आशा का संचार करती है । इस प्रकार व्यक्ति आशावान बनता है एवं मुसीबतों का डट कर सामना करता है । अलौकिक शक्ति का भय भी इसका एक कारण उत्तरदाताओं ने बताया है ।

वैज्ञानिक युग में कई बार ऐसी घटनाएँ भी समाज में घटित हो जाती है जो विज्ञान के नियमों से परे होती हैं । उस समय व्यक्ति धर्म के प्रति निर्भर हो जाता है । यही विश्वास व श्रृद्वा, उसे धर्म के प्रति आसक्ति व धार्मिक दृष्टिकोण होने को बतलाती है । इस प्रकार अधिकांश उत्तरदाता धार्मिक विचारधारा के पक्ष में हैं ।

सारणी – 6.6

धर्म द्वारा व्यक्ति के व्यवहार पर नियत्रंण के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	सहमत	87	67	154	61.60
2	असहमत	20	36	56	22.40
3	तटस्थ	18	22	40	16.00
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

- अधिकतर उत्तरदाताओं, 61.6 प्रतिशत ने अपने विचार प्रकट किए हैं ।
- धर्म को व्यक्ति के व्यवहार को नियत्रंण करने के साधन मानने के विपक्ष में 22.40 प्रतिशत उत्तरदाता रहे हैं । अर्थात स्पष्ट है कि सामाजिक संगठन व व्यवस्था सामाजिक जीवन हेतु आवश्यक है । यह किसी शक्ति द्वारा नियन्त्रित किए बिना अधुरा है ।

धर्म सामाजिक नियत्रंण की प्रमुख ईकाई माना गया है । प्रत्येक समाज की एक सामाजिक व्यवस्था होती है जो समाज में व्यवस्था बनाकर चलती है । धर्म भी उसमें से एक है । धर्म का विश्वास है कि संसार में जीवन उपरांत व्यक्ति को सुख मिलेगा जिससे व्यक्ति धर्म के नियमों को स्वीकारते हैं एवं पालन करते हैं । जानसॅन[18] के अनुसार, जीवन से निराश व्यक्ति, सामाजिक नियमों की अवहेलना करता है । इस स्थिति में धर्म एक ऐसा अभिकरण है, जो व्यक्ति के सामने नैतिक मूल्यों के महत्व को स्पष्ट करता है और व्यक्ति को बतलाता है कि दूसरे लोग उससे कैसे व्यवहार की आशा करते हैं ।

इस प्रकार धर्म सामाजिक नियत्रंण का प्रमुख कारक बन जाता है । धर्म सत्ता का प्रभाव विवाह–विच्छेदों को रोकने में महती भूमिका निभाता है । संस्कार व उत्सव की सत्ता बनाये रखता है।

धार्मिक विचारों का पालन करवाता है, फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार सन्तुलित बना रहता है । वर्तमान समाज में धर्म ने समाज की परिवर्तनशील परिस्थितियों में एक नियन्त्रण ला दिया है।

सारणी – 6.7

उत्तरदाताओं के मन्दिरों में जाने के विश्वास के प्रति संचेतना

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	कभी–कभी दर्शन हेतु	55	62	117	46.80
2	धार्मिक त्यौहार या व्रत	40	44	84	33.60
3	नियमित रूप से	20	13	33	13.20
4	कभी–कभी	10	6	16	6.40
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी संख्या–6.7 से स्पष्ट है कि :

- हिन्दू परिवार में अधिकांश उत्तरदाता समयाभाव के कारण मन्दिर में कभी–कभी दर्शन हेतु जाते हैं । उनमें भी 46.80 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- धार्मिक त्यौहारों या व्रत के समय जाने वाले 33.60 प्रतिशत उत्तरदाता हैं, जिनमें
- नियमित रूप से जाने वालों में 13.20 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- 6.40 प्रतिशत घर में ही पूजा करने में विश्वास रखते हैं ।

इस प्रकार अधिकतर उत्तरदाता कभी–कभी दर्शन हेतु मन्दिर जाते हैं । मन्दिर हिन्दू धर्म के प्रमुख प्रतीक हैं । हिन्दुओं के प्राचीन मन्दिर संस्कृति के केन्द्र होते थे, जिसमें कलाकार अपनी उत्कृष्ठ कृतियों को निर्मित करते थे एवं कवि अपनी, प्रसिद्ध रचनाएँ सुनाते थे और संगीतज्ञ अपनी धुन सुनाते थे, चित्रकार अपने चित्रों द्वारा चमत्कार प्रस्तुत करते थे ।[19]

सारणी 6.8

धार्मिक आस्था में कमी के प्रति उत्तरदाताओं की आयु संचेतना

क्र.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत

स.									
1	18–28	40	44.94	19	21.34	30	33.70	89	35.60
2	29–39	57	57.00	35	35.00	8	8.00	100	40.00
3	40–50	18	37.50	25	52.08	5	10.41	48	19.20
4	51 से अधिक	2	15.38	5	38.46	6	46.15	13	5.20
	योग	**117**	**46.80**	**84**	**33.60**	**49**	**19.60**	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से विदित होता है कि :

- 18–28 आयु वर्ग के 44.94 प्रतिशत उत्तरदाता धार्मिक आस्था में कमी के प्रति पक्ष में मत देते हैं, उनके अनुसार शहर में आने के उपरांत धार्मिक आस्था में कमी आई है।
- 29–39 आयु वर्ग के उत्तरदाता 57.00 प्रतिशत धार्मिक आस्था में कमी को मानते हैं।
- 51 से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाता 46.15 प्रतिशत धार्मिक आस्था में कमी के विपक्ष में मत देते हैं, उनके अनुसार आज भी धार्मिक आस्था पहले जैसे ही विद्यमान है।

अतः नगरीकरण ने धार्मिक आस्था में कमी लाई है। 46.8 प्रतिशत उत्तरदाता धार्मिक आस्था में कमी को नगरीकरण के फलस्वरूप स्वीकारते हैं। सारणी संख्या–6.8 में रोज मन्दिर जाने वाले उत्तरदाताओं में अधिकतर महिलाएँ सम्मिलित हैं । किसी विशेष त्यौहार एवं व्रत आदि के समय घर के आस–पास स्थित मन्दिर में जाती हैं । अधिकतर उत्तरदाता समयाभाव के कारण नियमित रूप से मन्दिर नहीं जाते हैं एवं कुछ उत्तरदाता मूर्ति–पूजा में विश्वास नहीं रखते । मन्दिर जाना अधिकतर उत्तरदाताओं की दिनचर्या, स्वभावों एवं विश्वासों पर निर्भर करता है ।

सारणी 6.9

धार्मिक आस्था में कमी के प्रति उत्तरदाताओं की शैक्षणिक संचेतना

क्र. स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	परास्नातक	10	27.77	2	5.55	24	66.66	36	14.40

2	स्नातक	43	45.26	1	1.05	51	53.68	95	38.00
3	इण्टरमीडियट	50	60.24	3	3.68	30	36.14	83	33.20
4	प्राथमिक	18	85.71	2	9.52	1	4.76	21	8.40
5	निरक्षर	8	53.33	2	13.33	5	33.33	15	6.00
	योग	**129**	**51.60**	**10**	**4.00**	**111**	**44.40**	**250**	**100.00**

उपरोक्त विश्लेषित सारणी 6.9 से स्पष्ट है कि :

- 66.66 परास्नातक उत्तरदाता धार्मिक आस्था में कमी को स्वीकारते हैं।
- 53.68 स्नातक उत्तरदाता धार्मिक आस्था में कमी को अस्वीकार करते हैं।
- 60.24 उत्तरदाता जो इन्टरमीडियट हैं, धार्मिक आस्था में कमी को मानते हैं।

अतः स्पष्ट है कि नगरीकरण के दौरान शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने से पूजा हेतु व्यक्ति के पास समयाभाव है। 51.6 % उत्तरदाता इसके पक्ष में उत्तर देते हैं।

हिन्दू धर्म के अनुसार ईश्वर की साकार प्रतिमूर्ति किसी प्रतिमा को माना जाता है। अधिकांश हिन्दू परिवार अपने पूजा–स्थल, धार्मिक गतिविधियों हेतु अपना निवास–स्थान बनाते हैं । जहाँ हिन्दू परिवार विविध देवी–देवताओं की स्थापना करते हैं । प्राचीन भारतीय धर्म का वास्तविक स्वरूप देव–विद्या है । जिस मूल शक्ति से इस विश्व की रचना हुई है और रचना के बाद जो इसे धारण किये हुए हैं, उस शक्ति की संज्ञा देव है । मूल रूप में वह शक्ति एक है 'एको देवः' – यह वेद का मूल सिद्धान्त हैं ।[20] 'एको देवः' में जो अद्वितीय एवं अखण्ड देव तत्व है वह निष्फल है, किन्तु पुष्टि के लिए एक का अनेक होना आवश्यक है ।[21]

पाई चार्ट /स्तंभ सख्या –6

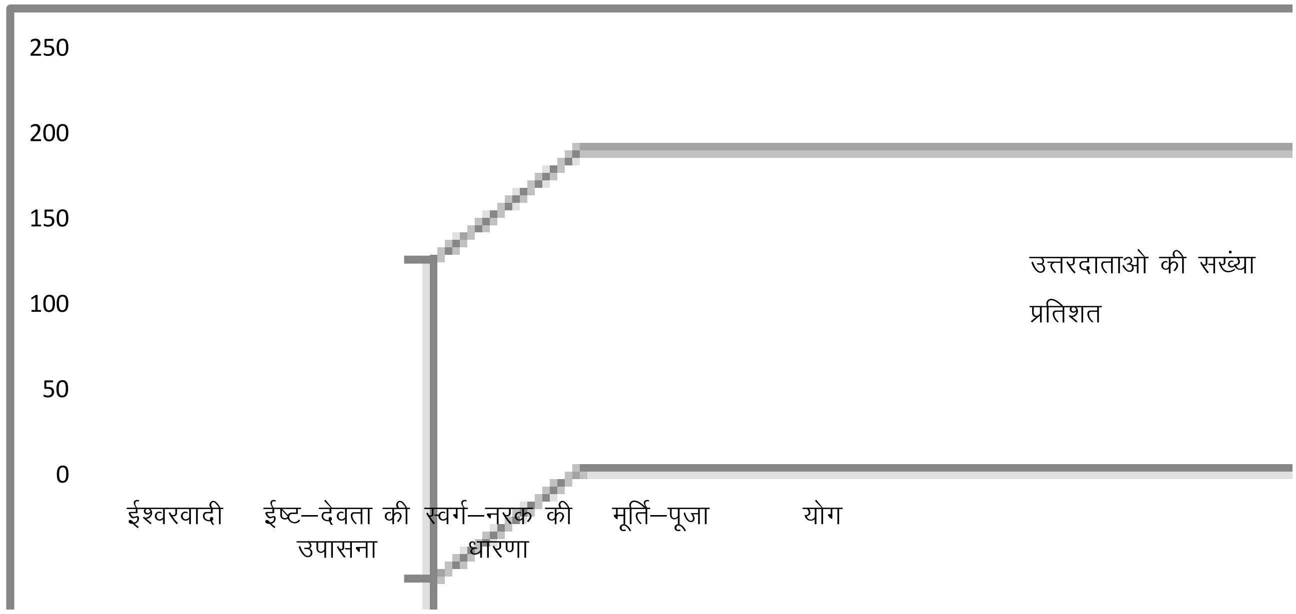

सारणी – 6.10

धर्म में विश्वास के कारणों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

	मापदण्ड	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
1	ईश्वरवादी	111	44.40
2	ईष्ट–देवता की उपासना	58	23.20
3	स्वर्ग–नरक की धारणा	31	12.40
4	मूर्ति–पूजा	34	14.40
	योग	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी संख्या–6.10 से स्पष्ट है कि :

- 44.40 प्रतिशत ईश्वरवादी उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- ईष्ट देवता की उपासना के प्रति विश्वास में 23.20 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं।
- स्वर्ग–नरक की धारणा में विश्वास के प्रति 12.40 प्रतिशत उत्तरदाता शामिल हैं ।

➢ मूर्ति–पूजा में विश्वास के प्रति 14.40 प्रतिशत उत्तरदाता शामिल हैं ।

अधिकतर उत्तरदाता ईश्वरवादी मापदण्ड़ को धार्मिक विश्वास के कारणों में स्वीकारते हैं ।

हिन्दुओं में प्रत्येक क्षेत्र में विभन्न देवताओं का निवास माना गया है । क्षेत्र विशेष, उसी क्षेत्र का देव–प्रधान माना जाता है । धार्मिक विश्वासों के अनुसार विद्या की देवी सरस्वती, शक्ति की देवी दुर्गा और धन की देवी लक्ष्मी आदि है । ब्रह्मा निर्माता है; विष्णु पालनकर्त्ता है, तो शिव संहारक है । प्रत्येक देवता की श्रृद्वा से इच्छानुसार पूजा करता है, इसलिए वह पूजागृह में अनेक देवी–देवताओं की स्थापना करता है एवं सभी का आर्शीवाद प्राप्त करता है । इस प्रकार सभी देवताओं में से किसी एक देवता पर व्यक्ति तथा परिवार का अधिक विश्वास होता है, वह उसे अपना ईश्वर मानता है एवं देवता विशेष के प्रति श्रद्धाभाव रखता है, जो विपत्ति में उसकी सहायता करते हैं ।[22] हिन्दू परिवार एवं ईष्ट देवताओं में वैविध्य है, भिन्नता है एवं परिवार में ईष्ट देवताओं की उपासना में भी परिवार के सदस्य इच्छुक है ।

हिन्दू धर्म में विश्वास रखने वाले विभिन्न प्रकार से पूजा–पाठ आदि क्रियाएँ करके ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं । इन विभिन्न क्रियाओं के लिए एक हिन्दू विभिन्न प्रकार की व्यवस्था करता है । हिन्दू जीवन में धर्म को दैनिक गतिविधि के रूप में लिया जाता है । जीवन के दैनिक कार्यों के समान ही पूजा–आराधना भी की जाती है । अतएव शोधार्थिनी द्वारा अध्ययन के दौरान उत्तरदाताओं से हिन्दू धर्म के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए यह भी जानने का प्रयास किया कि हिन्दू परिवारों में धार्मिक गतिविधियाँ क्या हैं ? हिन्दू धर्म में कुछ विशेष प्रकार के पेड़ों का भी धार्मिक महत्व रहा है । जिनमें तुलसी, पीपल, बड आदि धार्मिक वृक्ष माने गए हैं । इनकी प्रतिदिन पूजा की जाती है। सूचनादाताओं से उनके परिवारों में धार्मिक–वृक्षों की पूजा करने से सम्बन्धित जानकारी भी प्राप्त की गई । पूजा–पाठ हेतु परिवार में एक निश्चित स्थान एवं पूजा–स्थल की भी व्यवस्था पायी गई ।

भगवान की पूजा एवं आराधना हेतु परिवार के सदस्य अपने विभिन्न तौर–तरीकों से पूजा अर्चना करते हैं, वे व्रत, उपवास, निर्जला उपवास आदि के द्वारा ईश्वर के प्रति अपनी श्रृद्धा भावना प्रकट करते हैं। पूजा–पाठ के यह तौर–तरीके दैनिक–जीवन में हिन्दू परिवार में परिलक्षित होते हैं। हिन्दू परिवार में इन विभिन्न तौर–तरीकों को एक विशेष स्थान दिया गया है । ईश्वर आराधना में इनका एक अलग महत्व है ।

पाई चार्ट /स्तंभ सख्या –7

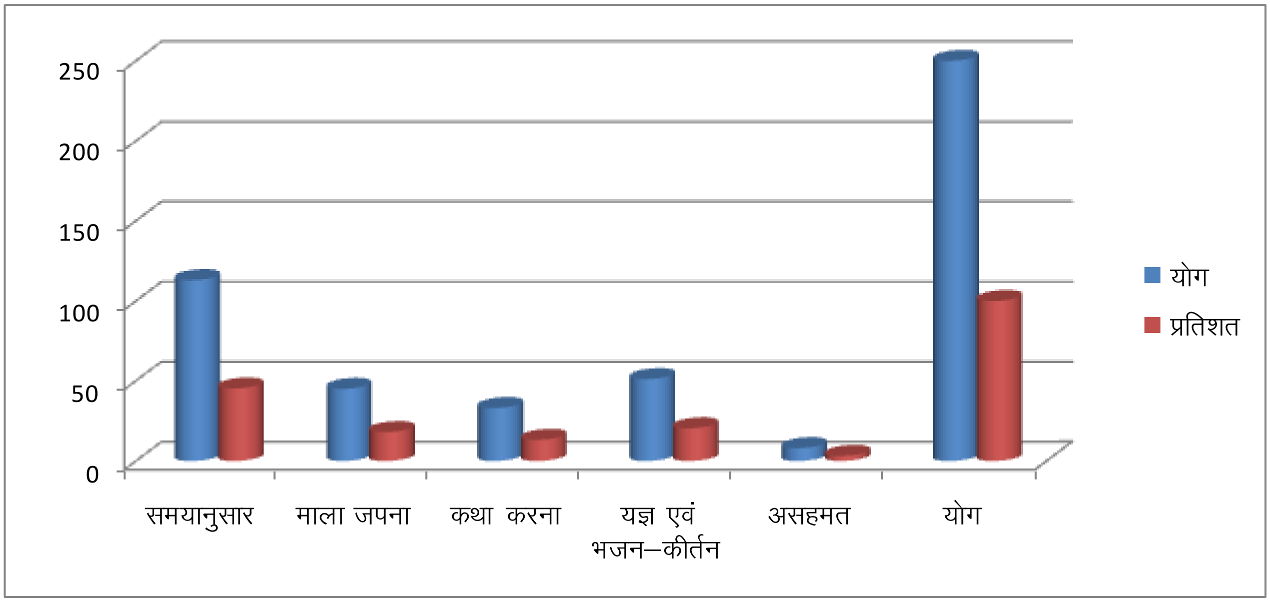

सारणी – 6.11

ईश्वर आराधना हेतु अपनायी जाने वाली विधियों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

	मापदण्ड	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	समयानुसार	43	70	113	45.20
2	माला जपना	30	15	45	18.00
3	कथा करना	25	8	33	13.20
4	यज्ञ एवं भजन–कीर्तन	25	26	51	20.40
5	असहमत	2	6	8	3.20
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

सारणी संख्या–6.11 से स्पष्ट होता है कि :

भगवान की आराधना हेतु अपनाएँ जाने वाले तौर–तरीकों में अधिकांश उत्तरदाता समयानुसार पूजा–अर्चना को महत्व देते हैं ।

- 45.20 प्रतिशत उत्तरदाता समयानुसार पूजा–पाठ करते हैं ।
- माला जपने से सम्बन्धित गतिविधि में 18.00 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- कथा करने से सम्बन्धित गतिविधि में 13.20 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- यज्ञ व भजन–कीर्तन की गतिविधियों में 20.40 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।
- ईश्वर आराधना में किसी भी प्रकार की गतिविधि न अपनाए जाने वाले उत्तरदाताओं में 3.20 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।

इस प्रकार ईश्वर आराधना हेतु विभिन्न तौर–तरीके अपनाए जाते हैं । हिन्दू–परिवार में ईश्वर आराधना हेतु अपनायी जाने वाली गतिविधियों में कमी आई है । वहीं, वर्तमान में नगरीकरण के कारण एवं नगरों में औद्योगिक प्रगति के कारण नगरों में बढ़ती भीड़ एवं विभिन्न समस्याओं ने व्यक्ति में अशांति एवं मानसिक तनाव को जन्म देने के कारण व्यक्ति मन की शांति हेतु माला लेकर ईश्वर का ध्यान करने लगे हैं एवं सामर्थ्यनुसार यज्ञ व भजन–कीर्तन करने लगे हैं ।

पूजा–पाठ करने में भजन–कीर्तन एवं विभिन्न तौर–तरीकों को अपनाने में महिलाओं की अधिकता परिलक्षित होती हैं । सामूहिक ईश्वर आराधना एवं भजन–कीर्तन जैसी विधियों का आयोजन भी विभिन्न उत्सवों एवं त्यौहारों पर किया जाता है । वर्तमान में भजन–कीर्तन विधि अधिकतर महिलाओं में देखने को मिलती हैं ।

सारणी 6.12

धर्म के महत्व में कमी के प्रति उत्तरदाताओं की वैवाहिक संचेतना

क्र.स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	विवाहित	95	62.91	20	13.24	36	23.84	151	60.40
2	अविवाहित	67	71.27	9	9.57	18	19.14	94	27.60
3	विधवा / विधुर	1	33.33	1	33.33	1	33.33	3	1.20
4	तलाकशुदा	1	50.00	0	0.00	1	50.00	2	0.80
	योग	164	65.60	30	12.00	56	22.40	250	100.00

उपरोक्त सारणी 6.12 के विवेचन से स्पष्ट है कि –

- 71.27 उत्तरदाता जो विवाहित है धर्म के महत्व में कमी के पक्ष है।
- 33.33 जो विधवा विधुर है। धर्म के महत्व में कमी के प्रति अनिश्चित हैं।
- 23.84 अविवाहित धर्म के महत्व में कमी के विपक्ष में है।

अतः स्पष्ट है 65.60 % उत्तरदाता नगर में धर्म के महत्व में कमी स्वीकारते है।

सारणी 6.13

धार्मिक रिति रिवाजों के पालन के प्रति उत्तरदाताओं की पारिवारिक सचेतना

क्र.स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	सयुंक्त परिवार	31	50.81	20	32.78	10	16.39	61	24.40
2	एकाकी परिवार	41	21.69	50	26.45	98	51.85	189	75.60
	योग	**72**	**28.80**	**70**	**28.00**	**108**	**43.20**	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि :

- धार्मिक रिति रिवाजो के पालन में सयुंक्त परिवार के 50.81 प्रतिशत उत्तरदाता पक्ष में हैं।
- 51.85 एकाकी परिवार से सबंध उत्तदाता इसके विपक्ष में हैं।

अतः सर्वाधिक एकाकी परिवार से सम्बद्ध उत्तरदाता धार्मिक रीति–रिवाजों के पालन के प्रति विपक्ष मे मत देते है। 43.20 प्रतिशत उत्तरदाता सम्पूर्ण रूप से धार्मिक रीति–रिवाजो के पालने को नकारते हैं।

संस्कार हिन्दू धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है । प्राचीनकाल में धर्म एक सर्वस्पर्शी तत्व था । कर्मकाण्ड जीवन की विभिन्न घटनाओं को शुद्धि एवं स्थायित्व प्रदान करने में योग देते हैं । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार के सभी नैतिक एवं भौतिक साधनों का उपयोग किया जाता है । संस्कारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना रहा था । प्राचीन समय में हिन्दू विविध धार्मिक संस्कारों का पालन किया करते थे। आज स्थिति वैसी नहीं रही है । अब धर्म सम्बन्धी प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है । उत्तरदाताओं से हिन्दू संस्कारों के सम्बन्ध से सम्बन्धित विचारों में विविध संस्कारों के प्रति अब परिवर्तन आ गए हैं । विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार एवं अन्त्येष्टि संस्कार ही अब बचे हैं, जो हिन्दू परिवार में निभाये जाते हैं । जन्म के पश्चात् व्यक्ति का नामकरण संस्कार होता है । हिन्दुओं में प्राचीन समय से ही

नामकरण को आवश्यक माना गया है । डॉ0 राजबली पाण्ड़ेय का कहना है कि आरम्भ में नामकरण धर्म–क्रिया नहीं बल्कि, एक रिवाज़ मात्र था । सामाजिक महत्व के कारण यह संस्कार बना दिया गया ।[23]

वर्तमान समय में भी नामकरण संस्कारों का प्रचलन बढ़ा है । दूसरे प्रकार के हिन्दू संस्कारों का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है । स्पष्ट है कि वर्तमान में प्राचीनकाल के धार्मिक संस्कारों को उतनी प्रमुखता नहीं दी जाती, जितनी पहले दी जाती थी । अब तो परिवार की इच्छा एवं विशेष परम्पराओं के अनुसार विभिन्न संस्कारों का पालन किया जाता है । आज का मानवीय जीवन वैज्ञानिक हो रहा है । प्रकृति के रहस्यों की उत्सुकता से जीवन के क्षेत्र में लौकिकता का उदय हुआ है । परम्परागत जीवन के संस्कारों में कमी आ गई है, फिर भी व्यक्ति धर्म के चक्रव्यूह से मुक्त नहीं हो पाया है । आज संस्कारों की प्राचीन रूपरेखा में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है तथा युग की आवश्यकतानुसार उनके पालने में व्यक्ति की नवीन भावनाएँ बन रही हैं ।

सारांशः– उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि नगरीय जीवन में धर्म का प्रभाव निरन्तर कम होता जा रहा है । इसका अर्थ यह नहीं कि नगरों में धर्म पूरी तरह से समाप्त हो गया है । विभिन्न धर्मों एवं धार्मिक सम्प्रदायों के केन्द्र आज भी अधिकतर नगरों में ही है, परन्तु व्यस्तम नगरीय व्यक्ति तकनीकी विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं परिवार के धार्मिक कार्यों के ह्रास के कारण सामान्य नगरीय परिवारों पर धर्म का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता जा रहा है ।

उपर्युक्त सारणीयों के समग्र विषलेषण से स्पष्ट होता है कि नगरीय जीवन में आत्मानुभूति की प्रकृति सम्बन्धी आँकड़ों से ज्ञात होता है कि बहुसंख्यक उत्तरदाता एक तरफ तार्किक, यर्थाथता, परस्पर मैत्रीभाव, सहयोग, अन्तःधार्मिक–सांस्कृतिक–पारस्परिकता एवं राष्ट्रीयता की भावना की ओर उन्मुख हैं, तो दूसरी तरफ धार्मिक रूढ़िवादिता; अन्ध–विश्वास एवं परमेश्वरवादी दृष्टिकोण को भी मानते हैं चुकि विरोध का साहस उनमें नहीं है ।

Reference

1. भुस्कुट, गो0कृ0, (1982), 'हिन्दू धर्म', मानव धर्म, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली p.14
2. डॉ0 राधाकृष्णन, 'हिन्दुओं का जीवन–दर्शन', Oxford Press 1961, p-74
3. एच. तिश्मर, Philosophy of India, p-35
4. त्रिपाठी शम्भूरत्न, (1964),'गांधी–धर्म और समाज',समाजशास्त्र,संसद पी. रोड़, कानपुर,p17
5. Devis kingsly (1973 "Human society" Kitab Mahal Illahabad p.464
6. डेविस किंग्सले (1949),',"Human Society",Newyork, macmillian company, p-509
7. अग्रवाल गीतांजलि;(2008), 'भारतीय सामाजिक दर्शन, धर्माशास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में, न्यू भारतीय बूक कॉरपोरेशन pp..221.235
8. भारतकोष, ;(2014), April 20
9. ऋगवेद 1/91/20; 10/85/36;10/85/45 मनू 9/29 रघुवंश 1:1; पानीनीय 4,1,133; याज्ञवल्क; 1,89
10. त्रिपाठी, शम्भूरत्न, भारतीय समाज और संस्कृति, p.349
11. डॉ0 राधाकृष्णन, रिलीजन एण्ड सोसाइटी, p-105
12. मुकर्जी, रवीन्द्र नाथ, 'भारतीय समाज और संस्कृति', विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली, p.27
13. मिश्रा, प्रीति, ;(2005), हिन्दू महिलाओं के जीवन में धर्म का महत्व, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, p.106
14. महाजन संजीव (2012), भारत में नगरीय समाज, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, p.121
15. चानना डी आर (1961) "संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और भारत का उत्तर पश्चिम आर्थिक साप्ताहिक, खण्ड 3 मार्च 4
16. श्रीनिवास एम. एन. (2009) " आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन", राजकमल प्रकाशन दिल्ली पेज न. 37
17. काणे, पी.वी., (1973),, धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग–4, लखनऊ, p-269
18. जानसॅन, 'समाजशास्त्र', अनुवादक–योगेश अटल, कल्याणी पब्लिशर्स, लुधियाना, 1970, p-464
19. त्रिपाठी शम्भू रत्न, (1963) 'भारतीय समाज एवं संस्कृति', किताब घर, आचार्य नगर, कानपुर p.354

20. अग्रवाल वासुदेवशरण, (1979), भारतीय धर्म मीमांसा, पृथ्वी प्रकाशन, वाराणसी, p.24

21. अग्रवाल वासुदेवशरण, (1979), भारतीय धर्म मीमांसा, पृथ्वी प्रकाशन, वाराणसी, p.24

22. Sriniwas m.N., (1971), आधुनिक भारत में जातिवाद तथा अन्य निबन्ध, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, म.प्र., p-159

23. पाण्ड़ेय डॉ0 राजबली, (1978), हिन्दू संस्कार, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी., p.296

अध्याय – 7

अध्याय–7

नगरीय हिन्दू परिवार में महिलाओं की बदलती प्रस्थिति

महिलाएँ जनसख्या की आधी आबादी है एंव परिवार एवं समाज में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। अतः महिलाओं की प्रस्थिति का उनके परिवार व समाज के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है।[1] प्रस्तुत अध्याय में महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है ताकि सूक्ष्म स्तर पर उस सामाजिक पृष्ठभूमि एवं परिवेश को समझा जा सके, जिसमें महिलाएँ जीवन यापन कर रही हैं। यह एक सामान्य तथ्य है कि व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का उसके व्यवहार से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण में जैसा सीखता है वैसी ही उसकी जीवन की रीति बन जाती है। व्यक्ति की जीवन–शैली, उसके निवास–स्थान का वातावरण एवं क्षेत्र पर आधारित होती है। यहाँ उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है जो महिलाओं की परिवर्तित प्रस्थिति को दर्शाता है, जो नगरीय हिन्दू परिवार के परिप्रेक्ष्य में हैं।

एक आदर्श नारी में जो गुण होने चाहिए, वे सभी गुण एक भारतीय नारी में मिल जाते हैं। आज की भारतीय नारी अनेक रूपों में अपनी अभिव्यक्ति दे रही है, जहाँ एक ओर वह आदर्श गृहिणी है, वहीं एक माँ भी है, उसमें भगिनी का प्यार भी है एवं सबसे ऊपर वह एक पत्नी भी है जो परिवार एवं समाज में अपना वर्चस्व बनाएं हुए है।[2]

''या देवि सर्वभूतेषु मातृ रूपेण सस्थिता'' तथा ''या देवि सर्वभूतेसु श्रृद्धा रूपेण संस्थिता'' आदि उक्तियों के आधार पर आदर्श वाक्य के रूप में बताई गई है। इन उक्तियो के आधार पर महिलाओं को पुरूष से ऊपर रखा गया है अर्थात नारी की सहभागिता के बिना हम किसी अन्य उच्च शिखर पर नहीं पहुँच सकते। समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका केवल बच्चों के विकास में ही नहीं अपितु, वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक एवं सुरक्षात्मक रूप में भी महत्वपूर्ण है। आज जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएँ उत्कृष्ट भूमिका निभा रही हैं। शहरी महिलाएँ स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों, कारखानों आदि में पुरूषों के साथ मिलकर देश के विकास में संलग्न हैं। शहरी आर्थिक विकास ने महिला प्रस्थिति में परिवर्तन ला दिया है। स्त्री का मानव की सृष्टि में ही नहीं, वरन् समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्री और पुरूष दोनों मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। अनेक परिवारों से समुदाय और अनेक समुदायों से मिलकर एक समाज निर्मित होता है।

यदि इतिहास पर दृष्टि डाले तो पता चलता है कि संस्कृति की नींव डालने का श्रेय सर्वप्रथम स्त्री को ही दिया जाता है, परन्तु स्त्री की प्रस्थिति सभी समाजों में एक समान नहीं है। जिस तरह परिवार में

स्त्री व पुरूषों के कार्य व स्थान भिन्न–भिन्न होते हैं। उसी प्रकार समाज में स्त्री और पुरूष के कार्यों व स्थान में भी भिन्नता पाई जाती है। किसी समाज में यदि स्त्रियों को पुरूषों के बराबर दर्जा दिया जाता है, तो किसी समाज में उन्हें पुरूषों की तुलना में बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं।[3]

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में महिलाएँ

विश्व इतिहास के उल्लेख बताते हैं कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में महिलाएँ अपने अधिकारों को लेकर हमेशा से ही उपेक्षित रही हैं। प्रत्येक समाज में महिला अधिकारों का हनन होता रहा है। इस शोषण के पीछे उनमें व्याप्त अशिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता की कमी, पुरूष प्रधान मानसिकता, रूढ़िवादिता तथा आर्थिक आधार पर पुरूषों पर निर्भरता रही है। विभिन्न विचारशील विद्वानों ने महिला सशक्तिकरण के विचार भी दिए। प्राचीन भारत में विभिन्न विद्वानों ने महिलाओं के प्रति अपने विचार प्रस्तुत किए थे जिनमें मनुस्मृति जैसे गौरव–ग्रन्थ में यह कहा गया कि, 'यत्रं नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता (जहाँ नारियों की पूजा होती है; वहाँ देवता विराजमान होते हैं) प्राचीन काल से मध्ययुग तक, महिलावादी आंदोलनों के आरम्भिक संकेत मिले हैं। उदारवादी परम्परा के अन्तर्गत 'मेरी वॉल्स्टन क्राफ्ट' की कृति 'विडोकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वूमेन, 1975, (महिला अधिकारों की प्रमाणिकता) में महिलाओं को कानूनी राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता प्रदान करने के लिए शानदार पैरवी की गयी थी।[4]

वॉल्स्टन क्राफ्ट ने मुख्य रूप से महिला–पुरूष के लिए पृथक–पृथक सद्गुणों की प्रचलित धारणाओं को चुनौती देते हुए सामाजिक जीवन में महिला–पुरूष की समानता की भूमिका की माँग की। 1970 से शुरू होने वाले दशक में यूरोप और अमेरिका की अनेक जागरूक महिलाओं ने अनुभव किया कि महिलाओं के मताधिकार आंदोलनों और महिलाओं की स्थिति के प्रति उदारवादी एवं समाजवादी दोनों विचार परम्पराओं में इतनी सजगता के बावजूद पश्चिमी संस्कृति के भीतर महिलाओं की पराधीनता का अन्त करने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पायी, तभी से महिला अधिकारों के लिए एक नए आंदोलन का सूत्रपात हुआ।[5]

यूरोपीय समाज में महिला आंदोलन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से तीव्र हुआ और महिलाएँ अपनी स्वायत्तता एवं स्वतन्त्रता हेतु सजग हुई एशिया एवं भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति शोचनीय थी। 17वीं शताब्दी में भारत में भी महिला जागरूकता आंदोलन की हवा चल पड़ी। उसे तीव्र गति प्रदान करने में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और शहर की पढ़ी–लिखी महिलाओं का विशेष योगदान रहा है।

भारत में महिलाओं के इस नए आंदोलन से पहले ब्रिटिश काल में राजा राममोहन राय ने इस आंदोलन को प्रारम्भ किया एवं वह ही ऐसे पहले भारतीय विद्वान थे, जिन्होंने रूढ़िवादी हिन्दू विचारधारा का विरोध किया और महिला सुधार की बात कही। राजा राममोहन राय ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई

एवं हिन्दू परम्परागत स्वरूप को भी परिमार्जित करने का प्रयास किया। राजा राममोहन राय के पश्चात् ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने महिला शिक्षा पर जोर दिया एवं कहा कि महिलाओं को जागरूक किए बिना समाज का विकास नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने महिला स्थिति को सुधारने हेतु प्रयत्न किए एवं बाल–विवाह का विरोध किया। वे विधवा–पुर्नविवाह को उचित मानते थे।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद तक अनेक महिलाएँ राष्ट्रीय जीवन की धारा में पुरूषों के समान हो गई। भारतीय महिला आंदोलनों का विदेशी महिला आंदोलनों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। विदेशी महिला आंदोलनों के मूल कारण वहाँ आधुनिकता, तार्किकता, प्रजातन्त्र एवं तकनीकी शिक्षा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तर आधुनिकवादी महिलाएँ

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तर आधुनिकवादी महिलाएँ स्वंय को पुरूष से मुक्त रखना चाहती है। भारत में 1929 में शारदा अधिनियम ने बाल–विवाह पर रोक लगाई। मुस्लिम महिलाओं के लिए विवाह–विच्छेद का प्रावधान रखा गया। 1955 में हिन्दू विवाह अधिनियम पारित हुआ, लेकिन ये सब केवल कागजी अधिनियम न बन जाएं, इस हेतु महिला आंदोलनों का उद्‌भव हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विशेषतः महिलाओं के दर्जे सम्बन्धी आयोग ने महिलाओं को मानवीय आधार पर विवाह और परिवार, शिक्षा, रोजगार सुरक्षा आदि हेतु प्रयत्न किए। अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में बराबरी के लिए जातीय भेदभाव मिटाने हेतु प्रयास किए गए जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने में कारगर सिद्ध हुए।

महिलाओं की प्रस्थिति समाज के विकास का परिचायक है। महिलाओं की प्रस्थिति जितनी अधिक सुदृढ़ होगी, उस देश का विकास उतना ही अधिक होगा। महिलाओं की प्रस्थिति महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बतलाती है, यह वह धुरी है, जिसके चारों ओर परिवार राष्ट्र एवं समुदाय घूमता है। महिला प्रस्थिति का मूल्यांकन महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, राजनैतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक क्षेत्र में पहुँच से किया जा सकता है।[6] भारतीय नारी का प्रमुख कार्य क्षेत्र सदैव परिवार ही रहा है। परम्परागत जीवन की ओर दृष्टि डालने पर उसका सम्पूर्ण जीवन, परिवार, पति और बच्चों के इर्द–गिर्द ही घूमता रहता था। आज भी भारत में नारी का प्रमुख कार्यक्षेत्र परिवार ही है, भले हीं वह शिक्षित हो या उच्च पद पर आसीन हो, नारी परिवार में उसकी भूमिका को नकार नहीं सकती। आज नारी परिवार की धुरी बन गई है। उसका अधिकांश समय परिवार की देखरेख एवं देखभाल में ही व्यतीत होता है। पारिवारिक मान्यताओं एवं मूल परम्पराओं का कहीं न कहीं नारी पर प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में शिक्षित एवं कम शिक्षित महिलाओं एवं पुरूषों से हिन्दू महिलाओं की बदलती प्रस्थिति

जानने के साथ–साथ परिवार से सम्बन्धित विविध एवं आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की गई। प्रस्तुत अध्याय में नगरीय हिन्दू महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन का विश्लेषण किया गया है।

सारणी – 7.1

महिलाओं हेतु सरकार द्वारा बनाए गए विधानों के ज्ञान के प्रति उत्तरदाता संचेतना

कमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	हाँ	50	49	99	39.60
2	नही	40	33	73	29.20
3	तटस्थ	35	43	78	31.20
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि :

- 39.60 प्रतिशत उत्तरदाता कानून के प्रति अधिकांशतः जागरूक हैं।
- 29.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महिला अधिकार कानूनों के प्रति असमर्थता जताई।
- 31.20 प्रतिशत उत्तरदाता महिला अधिकार कानूनों के प्रति तटस्थ हैं।

कानूनों एवं विभिन्न अधिनियमों के प्रकारों के बारे में पूछे जाने पर उत्तरदाताओं ने तटस्थता बतलाई है। अर्थात कुछ एक कानूनों का उन्हें ज्ञान हैं।

भारत सरकार का कल्याण मंत्रालय भी नगरों में कामकाजी महिलाओं के आवास, गृह निर्माण व विस्तार हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देता है। राज्य सरकारें भी अपनी कार्य योजनाओं के माध्यम से धन प्रदान करती है। ताकि जनसहयोग से महिला मंडल, गृह कल्याण केन्द्र, साक्षरता केन्द्र, ग्रामीण महिलाओं के लिए ट्रेनिंग केम्पों का आयोजन तथा केवल महिला सदस्यों के सहयोग से सहकारी समितियों का संचालन किया जा सके।

वर्तमान में महिला उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से सशक्त किया जाए, तो वह नवीन चुनौतियों के साथ अपने ऊपर हो रहे

अत्याचारों का भी डटकर मुकाबला करने में सक्षम है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा महिलाओं हेतु विभिन्न विधान बनाए गये हैं।

सारणी – 7.2

महिलाओं हेतु विभिन्न विधानों के प्रति उत्तरदाता संचेतना

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	सामाजिक	20	30	50	20.00
2	आर्थिक	56	20	76	30.40
3	धार्मिक	20	27	47	18.80
4	राजनैतिक	11	29	40	16.00
5	समस्त	18	19	37	14.80
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

तालिका संख्या 7.2 में महिलाओं हेतु बनाए गए विभिन्न विधानों में :

- आर्थिक आधार पर बनाए गए कानूनों के प्रति लगभग 30.40 प्रतिशत उत्तरदाता अपने ज्ञान को बतलाते हैं।
- राजनैतिक कानूनों के प्रति 16.00 प्रतिशत उत्तरदाता हैं।
- विभिन्न कानूनों के प्रति लगभग 14.80 प्रतिशत उत्तरदाता सहमति प्रदान करते हैं।

स्त्री–पुरूष को समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने स्त्री कल्याण हेतु विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक विषयों से सम्बन्धित विधान बनाए है। सरकार ने इन विधायी उपायों द्वारा स्त्री की प्रस्थिति में सुधार करने हेतु एवं उन्हें पुरूषों के समान अधिकार दिलाने हेतु प्रयास किया है। स्त्रियों की प्रस्थिति में सुधार से सम्बन्धित कुछ विधायी उपायों में हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1976, बाल–विवाह अवरोधक (संशोघन) अधिनियम 1978, अनैतिक व्यापार(निवारण) कानून 1986, दहेज निषेघ (संशोधन) कानून 1986, महिला का अभद्र चित्रण

(निषेध अधि0 1986) के माध्यम से स्त्रियों का उत्थान किया गया है। परन्तु पुरुष प्रधान समाज में अभी भी काफी कुछ करना शेष है।

इस प्रकार उत्तरदाता महिलाओं के प्रति सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं वैधानिक कानूनों के ज्ञाता है। नगरीकरण से अधिकतर व्यक्ति इन अधिकारों के प्रति सजग हुए हैं। महिलाओं की सुरक्षा हेतु घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधि0 2005 लागू किया जा चुका है, जो एक योग्य पहल है। हर तबके, हर वर्ग की महिलाओं हेतु कानून के विभिन्न प्रावधान है। कानून के प्रावधान ऐसे है कि विधवा, माँ, बहिन, बुआ, परितक्यता एवं बिना शादी के किसी पुरूष के साथ रह रही महिला अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कानून की शरण में जा सकती है। किसी भी स्तर पर हो रही प्रताड़ना एवं अत्याचारों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है।[7]

वर्तमान युग की तुलना यदि प्राचीन युग से की जाए तो आज की स्त्रियों का जीवन प्राचीन स्त्रियों के जीवन से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होता है। प्राचीन भारत में स्त्रियों पर कठोर बन्धन लगे थे, उनकी छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था। बाल–विवाह का प्रचलन था एवं वह घर के अन्दर रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करती थी, किन्तु धीरे–धीरे समाज में तीव्र रूप से परिवर्तन आएं एवं स्त्रियों पर लागू बन्धन क्षीण हुए।

सारणी – 7.3

लड़के–लड़की की विवाह की उम्र के प्रति उत्तरदाता संचेतना

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	15 से कम	4	7	11	4.40
2	16–20 वर्ष	21	20	41	16.40
3	21–25 वर्ष	80	58	138	55.20
4	26 – अधिक	20	40	60	24.00
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपर्युक्त सारणी के आधार पर हिन्दुओं में लड़के–लड़की के विवाह में आयु को महत्वपूर्ण आधार माना गया है।

- 21–25 वर्ष मानने वालों में 55.20 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाता सम्मिलित हैं।
- 26 – अधिक मानने वालों में 24.00 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाता सम्मिलित हैं।
- लड़के–लड़की की विवाह की उम्र के प्रति 15 से कम मानने वालों में लगभग 4.40 प्रतिशत उत्तरदाता हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि हिन्दू समाज में विवाह की आयु में अधिकता आई है। नगरीकरण ने हिन्दू परिवार की मनोवृत्तियाँ बदली हैं। प्राचीन काल से ही यह देखा गया है कि हिन्दुओं में बाल–विवाहों का अत्यधिक प्रचलन था जो आधुनिक युग में पूर्णतया बदल गया है। अब विवाह हेतु आयु का महत्व कम होता जा रहा है एवं अर्थ को महत्व दिया जाने लगा है।

सारणी – 7.4

विलम्ब विवाह के प्रति उत्तदाताओ की आयु संचेतना

क्र.स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	18–28	65	73.03	4	4.49	20	22.47	89	35.60
2	29–39	70	70.00	4	4.00	26	26.00	100	40.00
3	40–50	34	70.83	2	4.16	12	25.00	48	19.20
4	51 से अधिक	10	76.92	1	7.69	2	15.38	13	5.20
	योग	**179**	**71.60**	**11**	**4.40**	**60**	**24.00**	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी संख्या 7.4 के विवेचन से स्पष्ट है कि :

- 73.03 प्रतिशत उत्तरदाता जो 18–28 आयुवर्ग के हैं, विलम्ब विवाह के पक्ष में विचार प्रस्तुत करते हैं।
- 29–39 आयु वर्ग के उत्तरदाता विलम्ब विवाह के पक्ष में 70.00 प्रतिशत मत देते हैं।
- 26 प्रतिशत उत्तरदाता जो 29–39 आयु वर्ग के हैं, विलम्ब विवाह के विपक्ष में मत देते हैं।

अतः सर्वाधिक उत्तरदाता विलम्ब विवाह के पक्ष में हैं।

सारणी – 7.5

विलम्ब विवाह के प्रति उत्तरदाताओं की वैवाहिक संचेतना

क्र.स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	अविवाहित	65	69.14	15	15.95	14	14.89	94	37.60
2	विवाहित	135	89.40	9	5.90	7	4.63	151	60.40
3	विधुर / विधवा	1	33.33	1	33.33	1	33.33	3	1.20
4	तलाकशुदा	2	100.00	0	0.00	0	0.00	2	0.80
	योग	**203**	**81.20**	**25**	**10.00**	**22**	**8.80**	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी के विवचेन से स्पष्ट है कि :

- 89.40 प्रतिशत उत्तरदाता जो विवाहित हैं, विलम्ब विवाह को प्राथमिकता देते हैं।
- 4.63 प्रतिशत उत्तरदाता जो विवाहित हैं, विलम्ब विवाह के विपक्ष में मत देते हैं।
- 69.14 प्रतिशत अविवाहित विलम्ब विवाह के पक्ष में हैं।
- 14.89 प्रतिशत उत्तरदाता जो अविवाहित हैं, विलम्ब विवाह के विपक्ष में मत देते हैं।
- 33.33 प्रतिशत उत्तदाता जो विधवा व विधुर हैं,विलम्ब विवाह के विपक्ष में मत देते हैं।

अतः विलम्ब विवाह के प्रचलन के प्रति सर्वाधिक 81.20 प्रतिशत उतरदाता अपने दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं।

सारणी – 7.6

जीवन–साथी के चुनाव के प्रति उत्तरदाता संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	माता–पिता एवं लड़के–लड़की	60	67	127	50.80

2	लड़के–लड़कियों द्वारा	30	51	81	32.40
3	माता–पिता एवं संगे संम्बधी	35	7	42	16.80
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि :

- 50.80 प्रतिशत उत्तरदाता सर्वाधिक माता–पिता एवं लड़के–लड़की को, विवाह साथी चयन में प्रमुखता देते हैं ।
- विवाह हेतु जीवन साथी चयन में नगरीय पृष्ठभूमि में सर्वाधिक 32.40 प्रतिशत उत्तरदाता, लड़के–लड़कियों द्वारा पसन्द को महत्त्ता देते हैं।
- 16.80 प्रतिशत माता–पिता एवं संगे संम्बधी विवाह साथी चयन में प्रमुखता देते हैं।

स्पष्ट है कि स्त्रियों की प्रस्थिति में ओर भी अधिक सुधार परिलक्षित होता है। सरकार, गैर–सरकारी संगठनों (स्त्री संगठनों सहित) एवं समाज–सुधारकों के प्रयत्नों से भारतीय महिला की प्रस्थिति ऊँची उठी है। आज स्त्रियों को अपने पसंद का जीवन–साथी चुनने का पूरा अधिकार प्राप्त है।

हिन्दू समाज में विवाह हेतु माता–पिता की भूमिका प्रमुख मानी जाती है, किन्तु आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं एवं विवाह हेतु जीवन साथी चयन में लड़के–लड़की की पसंद की भूमिका बढ़ी है एवं माता–पिता सहमति लेना भी जरूरी माना गया है। इस प्रकार हिन्दू समाज में विवाह के प्रति जीवन साथी चुनाव का दृष्टिकोण बदला है।

सारणी – 7.7

वर-वधु चयन में प्राथमिकता के प्रति उत्तरदाताओं की सचेतना

कमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	जन्मकुड़ंली	10	7	17	6.80
2	जाति	25	13	38	15.20
3	परिवार	40	18	58	23.20

4	पसंद	35	35	70	28.00
5	व्यवसाय	15	52	67	26.80
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उल्लेखित विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि :

- वर चयन में प्राथमिकता के प्रति अधिकतर उत्तरदाता, 28.00 प्रतिशत पसंद को एक प्रमुख मापदण्ड़ मानते हैं।
- लगभग 26.80 प्रतिशत उत्तरदाता व्यवसाय को इसके पश्चात् प्राथमिकता देते हैं।
- 23.20 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार को प्राथमिकता देते हैं।
- 15.20 प्रतिशत उत्तरदाता जाति को प्राथमिकता देते हैं।
- 6.80 प्रतिशत उत्तरदाता जन्म–कुडंली को वर चयन करने में प्रमुख मापदण्ड़ मानते हैं।

इस प्रकार वर चयन में वर–वधु की पसंद एवं माता–पिता की पंसद को प्राथमिकता प्रदान की गई है। प्रायः हिन्दू परिवार में विवाह के समय जन्म–कुण्डली का मिलान करते हैं, परन्तु वर्तमान समय में इन सभी प्राचीन विश्वासों में परिवर्तन आ रहा है। नयी विज्ञानपरक शिक्षा एवं नवीन विचारधाराओं के कारण अब विवाह सम्बन्धी मान्यताओं में एवं तरीकों में परिवर्तन आ गया है। इस कारण से जन्म–कुण्ड़ली मिलान से सम्बन्धित मान्यताओं एवं जातिगत छुआछूत जैसी मान्यताओं में परिवर्तन आ गया है।

उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी में अधिकांश उत्तरदाता वर–वधु की जन्म–कुण्ड़ली मिलान को व्यर्थ मानकर उसे नकारते हैं। शिक्षा एवं नगरीय विचारधाराओं से प्रभावित होने से वर्तमान में लड़के–लड़की की इच्छा अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, जो उचित भी है।

नगरों में विवाह में परिवर्तन के कारण

आधुनिक विवाह की संस्था में विविध परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं, इनके कारण निम्न रहे हैं :–

(1) **औद्योगिक गतिशीलता :–**औद्योगीकरण ने परिवार के महत्व को कम कर दिया है। इसका कारण पुरूषों पर स्त्रियों में निर्भरता की कमी है।

(2) **नगरीकरण :–**नगरीकरण के परिणामस्वरूप एकाकी परिवारों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा के कारण विलम्ब विवाह हो रहे हैं। नगरों में विवाह की आयु में वृद्धि हुई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विवाह की आयु से अधिक होती है। नगरों में तलाक की दर भी बढ़ी है।

(3) **कानून :–**वर्तमान में विभिन्न कानून, जैसे बाल–विवाह निषेध कानून, सिविल मैरिज एक्ट की छूट, अर्न्तजातीय तथा विधवा विवाह को वैद्य बनाने वाले कानूनो ने भी विवाह संस्था पर प्रभाव डाला है। उदाहरणस्वरूप हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 ने हिन्दू विवाह के स्वरूप में परिवर्तन सा ला दिया है।

(4) **धर्म के प्रभाव में कमी :–**विविध देशों में धर्मों के प्रभाव की कमी के कारण विवाह संस्था में अनेक परिवर्तन आए हैं।

(5) **स्त्री आन्दोलन :–**वर्तमान में महिलाएँ परम्परावादी ढंग से न रहकर मनोनुकूल आचरण करना चाहती हैं। यह विवाह पर भी लागू होता है। स्त्रियाँ आज अपने पसंद के जीवन साथी के चयन में पहले से अधिक स्वतन्त्र हैं। इसी कारण उनकी स्थिति में भी सुधार आया है।

(6) **वर्तमान शिक्षा :–**वर्तमान शिक्षा ने व्यक्तिवादिता एवं भौतिकवादीता को महत्व देकर पति–पत्नी सम्बन्धों की पवित्रता को कम कर दिया है। इसके कारण विलम्ब विवाहों को प्रोत्साहन एवं तलाक की दर में भी वृहद वृद्धि हुई है।

(7) **औद्योगिक गतिशीलता में वृद्धि :–**यातायात व संचार के साधनों के विकास ने भौगोलिक गतिशीलता में वृद्धि की है, जिससे स्थानीय समूहों का प्रभाव कम हुआ है । विवाह का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है ।

(8) **जनसंख्या में विजातीयता :–**धार्मिक, प्रजातीय एवं जातीय विविधता से समाज में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के मध्य विवाह अधिक हो रहे हैं ।[8]

इस प्रकार नगरीकरण ने हिन्दू विवाह सम्बन्धी नियमों में शिथिलता ला दी है। समाज में तीव्र गति से बदलाव दिखाई पड़ता है। समाज की विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाएँ बदल गई है एवं उनमें एक कान्तिकारी परिवर्तन आ गया है। परिवार एवं विवाह से सम्बन्धित प्राचीन व्यवस्थाएँ बदलाव की ओर उन्मुख है। सरकार द्वारा इस हेतु विभिन्न विधान बनाएं गए हैं। इन विभिन्न विधानों के परिवार एवं विवाह सम्बन्धी संस्थाओं पर गहन प्रभाव पड़ा है।[9]

सारणी – 7.8

अर्न्तजातीय एवं स्वजातिय विवाह के सम्बन्ध में उत्तरदाता संचेतना

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	स्वजातीय विवाह के पक्ष में	50	31	81	32.40
2	अर्न्तजातीय विवाह के पक्ष में	50	40	90	36.00
3	दोनो के पक्ष में	25	54	79	31.00
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि :

- बहुसंख्यक लगभग 36.00 प्रतिशत उत्तरदाता अर्न्तजातीय विवाह सम्बन्धों को स्वीकारने के पक्ष में अपने विचार प्रदान करते हैं।
- लगभग 32.40 प्रतिशत लोग स्वयं जाति में विवाह हेतु प्रमुख रूप से बल देते हैं।
- दोनो के पक्ष में 31.00 उत्तरदातां अपने विचार प्रदान करते हैं।हिन्दू परिवार में जातीय बन्धनों में कमी आई है।

सारणी 7.9

विवाह की उम्र के प्रति उत्तरदाताओ की पारिवारिक सचेतना

क्र. स.	मापदण्ड	संयुक्त परिवार	प्रतिशत	एकाकी परिवार	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	15 से कम	6	54.54	5	45.45	11	4.40
2	16–20 वर्ष	25	60.97	16	39.02	41	16.40
3	21–25 वर्ष	26	18.84	112	81.15	138	55.20

4	26 से अधिक	4	6.66	56	93.33	60	24.00
	योग	61	24.40	189	75.60	250	100.00

उपरोक्त सारणी 7.9 से स्पष्ट है कि :

- विवाह की उम्र के प्रति 26 से अधिक आयु को प्राथमिकता देने में 93.33 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाता एकाकी परिवार से सम्बद्ध है।
- विवाह की उम्र 16–20 वर्ष मानने वालो में 60.97 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाता सयुक्त परिवार से सम्बद्ध है।
- 21 से 25 वर्ष तक की विवाह की उम्र माननेवालों में 81.15 प्रतिशत उत्तरदाता एकाकी परिवार से सम्बद्ध है।

अतः नगरीकरण के फलस्वरूप विवाह की उम्र बढी है।

इस प्रकार हिन्दू परिवारों में नगरों में आने के पश्चात् मनोवृत्ति बदली है। हिन्दू धर्म के जो परम्परागत विधान एवं नियम थे उनमें वृहद रूप से बदलाव आया है। जो वर्तमान में परिलक्षित होता है। परम्परागत हिन्दू परिवारों में, विवाहों में अपनी जाति के अन्तर्विवाह की मान्यता थी, परन्तु आज मूल्य बदल गए हैं तथा अर्न्तजातीय विवाह का प्रचलन हो गया है। आज लोग दूसरी जाति में विवाह करना अधिक प्रगतिशील मानते हैं एवं गौरव का अनुभव करते हैं। इस कारण वैवाहिक मान्यता बदल गई है।

नगरीकरण ने विभिन्न जातियों के सदस्यों को परस्पर नजदीक लाने में सहायता देकर अर्न्तजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया है। आज नगरीय केन्द्रों में अन्तर्विवाह सम्बन्धी निषेधों में शिथिलता आती जा रही है, इससे जातियों में पाई जाने वाली दूरी भी कम हुई है।

नारी शिक्षा – शिक्षा प्राप्त पुरूष से हमारा अभिप्रायः एक व्यक्ति के शिक्षित होने से होता है, परन्तु नारी के शिक्षित होने से हमारा अभिप्रायः सम्पूर्ण परिवार के शिक्षित होने से होता है। शिक्षित नारी ही बच्चों एवं परिवार के सदस्यों के प्रति अपने विभिन्न दायित्वों को निभाती है। स्वामी विवेकानन्द[10] (1982) का कथन है कि हम चाहते हैं कि भारतीय स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जाए, जिससे वह निर्भय होकर भारत के प्रति अपने कर्तव्यों को विभिन्न युगान्ताओं की तरह निभा सके एवं संघमित्रा, लीला, अहिल्याबाई और मीराबाई आदि भारत की विभिन्न देवियों की परम्परा को आगे बढ़ा सके। भारत की स्त्रियाँ त्याग व पवित्रता की मूरत हैं क्योंकि वह एक शक्ति है जो सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों में सम्पूर्ण आत्म–समर्पण से प्राप्त होती है।

महिला–पुरूष समानता एवं सहशिक्षा को सही रूप व दिशा प्रदान करने में नगरीकरण की प्रक्रिया अनेक प्रकार से उचित प्रतीत होती है।

पाई चार्ट /स्तंभ सख्या –8

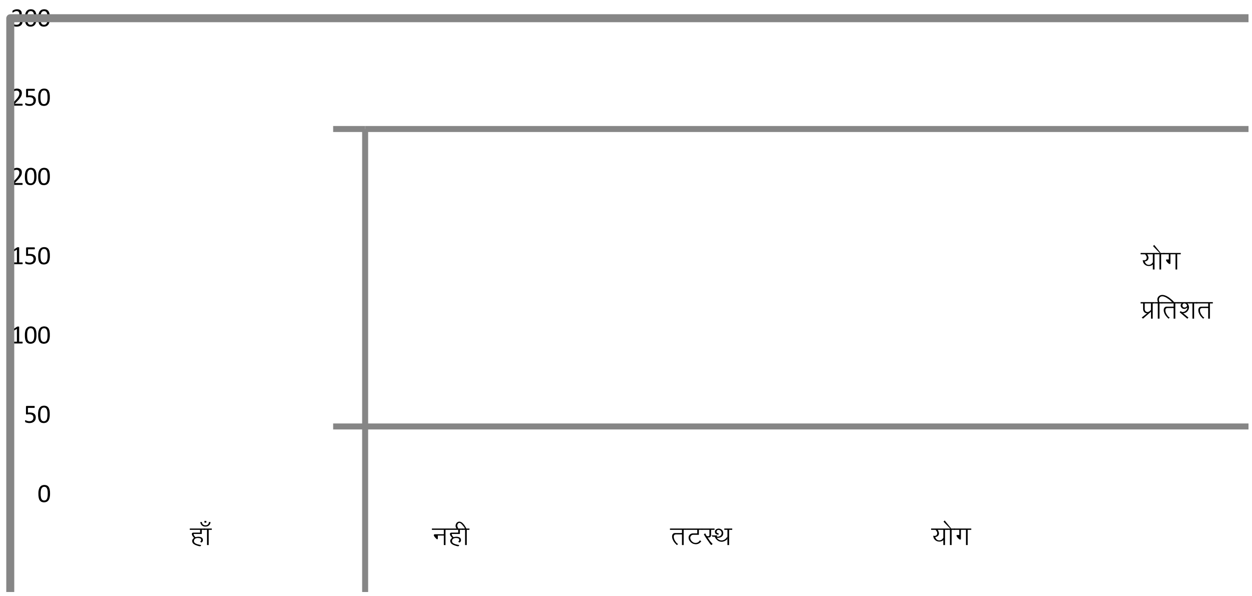

सारणी – 7.10

सहशिक्षा के सम्बन्ध में उत्तरदाता के विचार

	मापदण्ड	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	हाँ	96	90	186	74.40
2	नहीं	4	10	14	5.60
3	तटस्थ	25	25	50	20.00
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपरोक्त विश्लेषित सारणी संख्या 7.10 से स्पष्ट है कि

है।

- सर्वाधिक 74.40 प्रतिशत उत्तरदाता सहशिक्षा को उचित मानते हैं।
- 5.60 प्रतिशत उत्तरदाता सहशिक्षा के प्रति विपक्ष में मत देते हैं।
- 20.00 प्रतिशत उत्तरदाता सहशिक्षा के प्रति तटस्थतता में मत देते हैं।

सहशिक्षा के सम्बन्ध में अधिकांश उत्तरदाता पक्ष में मत देते हैं। स्पष्ट है कि भारतीय समाज में जो प्रारम्भ से ही लैंगिक भेदभाव था, वह अब काफी सीमा तक कम होता जा रहा है। नगरों में सहशिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब विभिन्न परिवार के सदस्य लड़के–लड़कियों की समान स्कूली व कॉलेज शिक्षा के पक्ष में अपने विचार देते हैं। उनके अनुसार वर्तमान में लड़का–लड़की एक समान हैं और यदि सहशिक्षा का माध्यम संचालित होगा तो लड़के–लड़की आत्मनिर्भर एवं सक्षम बन सकेंगे।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सहशिक्षा का प्रसार हुआ है। कई महिलाएँ पुरूषों के साथ मिलकर व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित ट्रेनिंग कॉलेजों एवं विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। महिलाएँ अब कला, विज्ञान, वाणिज्य के क्षेत्र में भी रूचि लेने लगी हैं। सहशिक्षा के व्यापक प्रसार ने महिलाओं को अपने सर्वांगीण विकास करने में समुचित अवसर प्रदान किए हैं एवं रूढ़िवादी बन्धनों से मुक्त किया है।

सारणी – 7.11

दहेज के प्रति उत्तरदाता संचेतना

कमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	पक्ष	10	10	20	8.00
2	विपक्ष	65	60	125	50.00
3	तटस्थ	50	55	105	42.00
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

उपरोक्त विश्लेषित आँकड़ें बतलाते हैं कि दहेज के प्रति अधिकांश उत्तरदाता नकारात्मक विचार प्रदान करते है।

- अधिकांश 50.00 प्रतिशत उत्तरदाता इसके विपक्ष में हैं।
- 42.00 प्रतिशत उत्तरदाता इसके प्रति तटस्थ हैं।
- अल्पसंख्यक 8.00 उत्तरदाता इसके प्क्ष में मत देते हैं।

स्पष्ट है कि अधिकतर उत्तरदाता दहेज के विपक्ष में यथा 50.00 प्रतिशत, इस प्रकार अधिकांश उत्तरदाता दहेज के प्रति विपक्ष में मत देते हैं। दहेज समाज में एक रोग की तरह है, जिन्हें अधिकांश उत्तरदाता नकारते हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रेम–विवाह, शिक्षित व्यक्तित्व एवं नगरीकरण ने दहेज जैसी कुप्रथा का बहिष्कार किया है। हालांकि नगरों में भी दहेज प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। उत्तरदाता अपराध बोध के फलस्वरूप दहेज जैसी कुप्रथा को नहीं स्वीकारते, किन्तु आन्तरिक पहलु को देखें तो पता चलता है कि दहेज के कारण आए दिन महिलाएँ विभिन्न अत्याचारों, घरेलू हिंसा आदि का शिकार हो रही है। अधिकांश उत्तरदाता दहेज को नकारते हैं, लेकिन इसके आदर्श रूप एवं व्यवहार में बहुत अन्तर है।

प्राचीन काल से हिन्दू समाज में विवाह के 8 स्वरूपों का प्रचलन था, जिनमें से मुख्य रूप से विवाह के 4 स्वरूपों को ही शास्त्रों में स्वीकार किया गया है, जो कन्या मूल्य से सम्बन्धित थे। जिसमें कन्या के पिता द्वारा विवाह के समय स्वेच्छा से कन्यादान की धार्मिक रस्म पूरी की जाती थी एवं कन्या को भेंट स्वरूप सामर्थ्यनुसार आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती थी एवं अन्य अनेक वस्त्रालंकारों से सुशोभित किया जाता था, किन्तु इसमें कोई अनिवार्यता नहीं थी कि पिता द्वारा कोई धन या वस्तु दी जाए। साधारणतः कन्या को नवीन वस्त्र एवं कुछ एक आभूषणों के साथ विदा कर दिया जाता था। इस हेतु किसी भी प्रकार का कन्या पक्ष पर दबाव नहीं होता था।

किन्तु धीरे–धीरे यह विवाह की अनिवार्य शर्त में परिणित हो गई, जो दहेज के रूप में हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। हिन्दू समाज की यह कुप्रथा ही दहेज के रूप में जानी जाती है। अतः दहेज से आशय केवल विवाह के समय स्वेच्छानुसार दी जाने वाली भेंट ही नहीं अपितु उस सामग्री एवं धन से है, जो विवाह को तय करते समय पहले ही निश्चित कर ली जाती है एवं यथासंभव दबावपूर्वक वसूल की जाती है [11]

सारणी – 7.12

नगर में महिला अपराधों के प्रकारों के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत

		म0	पु0	योग	
1	बलात्कार	56	56	112	44.80
2	घरेलू हिंसा	27	27	54	21.60
3	व्यवसायिक अपराध	15	20	35	14.00
4	राजनीतिक अपराध	10	9	19	7.60
5	साइबर क्राइम	10	11	21	8.40
6	असहमत	7	2	9	3.00
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

सारणी संख्या–7.12 से यह तथ्य उजागर होते हैं कि :

- नगरों में महिला अपराधों में बलात्कार जैसे अपराध को लगभग 44.80 प्रतिशत उत्तरदाता नगर में बढ़ रहे अपराध को मानते हैं।
- घरेलू हिंसा को 21.60 प्रतिशत उत्तरदाता, व्यवसायिक अपराध के प्रति हैं।
- 8.40 प्रतिशत उत्तरदाता साइबर क्राइम को नगर में तीव्र गति से बढ़ रहे अपराधों में प्रमुख मानते हैं।

नगर में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध के प्रति 3 प्रतिशत नकारात्मक विचार देते हैं। उनके अनुसार अपराध का दायरा मात्र महिलाओं तक ही नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को बराबर मात्रा में प्रभावित करता है। नगर में महिला अपराधों के प्रति अधिकांश उत्तरदाता अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

लड़कियों से छेड़छाड़, बलात्कार जैसे घटनाएँ होना हमारे समाज की एक सामान्य बात हो गई है। वर्तमान में स्कूलों व कॉलेजों, यहाँ तक की धार्मिक स्थलों में भी छेड़छाड़ व उपद्रव करना, गलत बात करना, एक आम बात हो गई है एवं इस तरह की घटनाएँ आए दिन बढ़ती ही जा रही हैं, जिन पर रोक लगाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

भारतीय समाज की महिलाएँ लम्बे समय से अवमानना, यातनाएँ एवं शोषण का शिकार हो रही है। जिसके सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं। महाभारत काल में युधिष्ठिर द्वारा अपनी पत्नी द्रौपदी को जुएं में दाँव पर लगाया गया एवं दुर्योधन ने सारी सभा के समक्ष उसका चीरहरण कर उसे अपमानित किया था। रामायण में रावण ने सीता का हरण किया था । सती प्रथा के नाम पर नारी को जिंदा जला दिया गया। देवदासी प्रथा के नाम पर नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएँ होती रही है।[12] सामान्यतया अत्याचार का अर्थ 'एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर अपनी इच्छा को थोपना या अपनी इच्छा का प्रदर्शन करना है। यह शक्ति प्रदर्शन उन लोगों पर किया जाता है, जो शक्तिहीन हैं।[13] इस प्रकार महिला उत्पीड़न की समस्या वर्तमान में सम्पूर्ण समाज में अपना जाल फैलाती जा रही है। महिलाओं की विविध समस्याओं में बलात्कार, घरेलू–हिंसा, व्यवसायिक अपराध, राजनीतिक अपराध, साइबर काइम, छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना आदि ने समाज में अपना तीव्रतम रूप उजागर किया है। नगरों में इस प्रकार की महिलाओं के प्रति हिंसा होना, अब एक आम बात बनकर रह गई है।

सारणी – 7.13

विधवा विवाह के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	पक्ष	98	98	196	78.40
2	विपक्ष	27	27	54	21.60
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**

उल्लेखित आँकड़े यह बतलाते हैं कि :

- 78.40 उत्तरदाता विधवा विवाह को स्वीकारते हैं। उनके अनुसार विधवा विवाह कोई अपराध नहीं है ।
- 21.60 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा विवाह को अपराध मानते हैं, उनके अनुसार यह अनुचित है।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि नगरीय हिन्दू महिलाओं में विधवा विवाह मे बदलाव आया है। जब पुरूष पुनः विवाह कर सकते हैं, तो महिला भी पुर्नविवाह अर्थात विधवा विवाह कर सकती है। वर्तमान नगरीय परिप्रेक्ष्य में विधवा विवाह के प्रति सर्वाधिक उत्तरदाता पक्ष में मत देते हैं।

हिन्दू विवाह की मान्यता सदैव विधवाओं के पुर्नविवाह निषेध की रही है, इसका कारण हिन्दू रीतियों के अनुसार यह है कि जो वस्तु एक बार दान कर दी जाए, उसका पुनः से दान नहीं हो सकता, परन्तु महिला कानूनों से विधवाओं को अधिकार मिले हैं तथा वह फिर से विवाह कर सकती है। हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार विधवा विवाह मान्य है। अब समय बदल चुका है। हिन्दू धर्म में विधवा विवाह को अब उचित माना गया है। समाज की बदलती हुई चेतना एवं विचार के प्रभाव से हिन्दू महिलाएँ अछूती नहीं है। उनके अंदर भी बदलाव की छटपटाहट है। इसलिए वे दकियानुसी विचारों एवं परम्परागत रूढ़ियों को तोड़ना चाहती है, जो नारी को शारीरिक एवं मानसिक रोगी बनाने हेतु बाध्य करती है।[14]

सारणी – 7.14

निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में महिला भागीदारी के प्रति उत्तरदाता संचेतना

क्रमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	हाँ	100	100	200	80.00
2	नहीं	35	15	50	20.00
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**

उपरोक्त विश्लेषित सारणी संख्या–7.14 से स्पष्ट है कि :

- 80.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि घर के निर्णयों के प्रति महिलाओं की भी राय जाननी आवश्यक है।
- 20.00 प्रतिशत अल्पसंख्यक उत्तरदाता निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिला भागीदारी को नहीं स्वीकारते हैं।

सारणी 7.15

निर्णय निर्माण प्रक्रिया मे महिला भागीदारी के प्रति उत्तरदाताओ की शैक्षणिक सचंतेना

क्र.स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	परास्नातक	26	72.22	6	16.66	4	11.11	36	14.40

2	स्नातक	66	69.47	10	10.52	19	20.00	95	38.00
3	इण्टरमीडियट	198	79.20	2	0.80	50	2.40	83	33.20
4	प्राथमिक	18	85.71	1	4.76	2	9.52	21	8.40
5	निरक्षर	13	86.66	1	6.66	1	6.66	15	6.00
	योग	**202**	**80.80**	**20**	**8.00**	**28**	**11.20**	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी 7.15 से स्पष्ट है कि :

- 69.47 प्रतिशत स्नातक उत्तरदाता निर्णय प्रक्रिया में महिला भागीदारी के प्रति पक्ष में है।
- 79.20 प्रतिशत इण्टरमीडियट निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिला भागीदारी को मानते है।
- 16.66 प्रतिशत उत्तरदाताओ में अनिश्चितता में परास्नातक उत्तरदाता सम्मिलित हैं।

इस प्रकार 80.8 प्रतिशत उत्तरदाता निर्णय निर्माण प्रक्रिया मे महिला भागीदारी को बतलाते है।

निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। उत्तरदाताओं के अनुसार महिलाओं द्वारा बच्चे की शिक्षा हेतु विद्यालय का चयन, घरेलू निर्णयों एवं विवाह से सम्बन्धित निर्णय लेने में सहभागिता बढ़ी है। इस प्रकार महिलाओं का पुरूष के समान निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में वर्चस्व बढ़ा है। नगरों में अधिकांश निर्णय महिलाओं को ही लेने होते हैं, चाहे वह निवास स्थान चयन से सम्बन्धित हो या विवाह हेतु वर–वधु चयन से सम्बन्धित निर्णय हो। अतः निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में महिला भागीदारी बढ़ी है।

सारणी – 7.16

घरेलु कार्यों में पुरूषों की भागीदारी के प्रति उत्तरदाता संचेतना

कमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	बाजार के कार्य	60	40	100	40.00
2	घरेलू कार्य में	50	38	88	35.20

3	असहमत	15	47	62	24.80
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

उपरोक्त विश्लेषित सारणी संख्या–7.16 के अनुसार

- 40.00 प्रतिशत उत्तरदाता बाजार के कार्य में पुरूषों की भागीदारी स्वीकारते हैं,
- लगभग 35.20 प्रतिशत यह मानते हैं कि घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ–सफाई आदि कार्यों में स्त्री–पुरूष समान रूप से कार्य करते हैं।
- 24.80 प्रतिशत इसके प्रति असहमति प्रदान करते हैं।

घरेलू कार्यों में पुरूषों की सहभागिता बढ़ी है। बाजार के कार्यों को करने में अधिकांश पुरूष महिलाओं का सहयोग करते है। इनके अनुसार घरेलू कार्य केवल महिलाएँ ही कर सकती है, पुरूष नही। अतएव बदलते युग में सामाजिक विचारधारा व व्यवस्था में बदलाव आया है। महिलाओं एवं पुरूषों की सोच अब बदल रही है। अब पुरूष महिला को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रहे हैं एवं परिवार में महिलाओं के प्रति उनकी सोच भी रचनात्मक बन रही है। घर के घरेलू कामकाज में पुरूष पत्नी का हाथ बंटा रहे हैं।

सारणी – 7.17

सम्पत्ति के अधिकार में महिला उत्तराधिकारी के प्रति उत्तरदाता संचेतना

कमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	पिता की सम्पत्ति में बराबर	60	60	120	48.00
2	जरूरत नहीं	50	50	100	40.00
3	तटस्थ	15	15	30	12.00
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

उपरोक्त सारणी संख्या–7.17 के अनुसार

- 48.00 प्रतिशत उत्तरदाता पिता की सम्पत्ति में पुत्र–पुत्री के बराबर अधिकार के पक्ष में मत देते हैं

- 40.00 प्रतिशत पिता की सम्पत्ति में पुत्र–पुत्री के बराबर अधिकार के विपक्ष में मत देते हैं जिसमें सर्वाधिक पुरूष उत्तरदाता सम्मिलित हैं।

उत्तरदाताओं में महिलाएँ पिता की सम्पत्ति में अपने अधिकार के प्रति कम जागरूक हुई प्रतीत होती है। सम्पत्ति में स्त्री–पुरूष अधिकार को आवश्यक नहीं मानते हैं। विवाह के उपरान्त पति की सम्पत्ति में ही उनका अधिकार होता है, पिता की सम्पत्ति पर नहीं। इनमें अधिकतर महिलाएँ उत्तरदाता विवाहित होने के कारण इसके विपक्ष में मत देती हैं महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी अंग वित्तीय सुरक्षा एवं सम्पत्ति पर अधिकार है।[15]

हिन्दुओं में महिलाओं को यदि सबसे अधिक अधिकार दिए हैं तो उनमें है–हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956। यह अधिकार महिला को उसकी पैतृक सम्पत्ति पर दावा करना एवं महिला को उसके हक दिलाने से सम्बन्ध है। पुरूष को तो स्वतः ही पिता की मृत्यु के पश्चात् या उससे भी पहले ही सम्पत्ति से सम्बन्धित अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। लेकिन स्त्रियाँ अपने सम्पत्ति से सम्बन्धित अधिकार को लेकर पीछे हट जाती हैं। नतीजा यह होता है कि पुत्र द्वारा सह–उत्तराधिकारी के वारिस के रूप में दोनों की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता है। यद्यपि पिता की सम्पत्ति में पुत्री का भी समान हिस्सा होता है, परन्तु सामान्यतया पुत्रियाँ अपनी सम्पत्ति के प्रति हिस्सा लेने में अनिच्छुक प्रतीत होती हैं। भाइयों से गहरा एवं भावात्मक लगाव व पति पर निर्भरता से पुत्रियाँ पिता की सम्पत्ति पर अधिकार लेने से सामान्य रूप से मना कर देती हैं। इस रूप में स्त्रियों के उत्तराधिकार की वास्तविक स्थिति का निर्धारण नहीं हो पाता। क्योंकि सम्पत्ति का कुछ हिस्सा तो पुत्री के विवाह के समय दहेज के रूप में पिता द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है । इस प्रकार पुत्री को अपना सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त हो जाता है जिससे पुत्री पिता की सम्पत्ति में अपना अधिकार नहीं माँगती।

सारणी 7.18

स्त्री पुरूष समानता के प्रति उत्तरदाताओ की शैक्षणिक संचेतना

क्र. स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	परास्नातक	32	88.88	1	2.77	3	8.33	36	14.40
2	स्नातक	60	63.15	5	5.26	30	31.57	95	38.00
3	इण्टरमीडियट	67	80.72	1	1.20	15	18.07	83	33.20

4	प्राथमिक	18	85.71	2	9.52	1	4.76	21	8.40
5	निरक्षर	13	86.66	1	6.66	1	6.66	15	6.00
	योग	190	76.00	10	4.00	50	20.00	250	100.00

उपरोक्त सारणी 7.18 से स्पष्ट है कि

- स्त्री पुरूष समानता के पक्ष में 88.88 प्रतिशत उत्तरदाता परास्नातक है।
- 9.52 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है। एवं स्त्री पुरूष समानता के प्रति अनिश्चिता रखते है।

  अतः शिक्षित व्यक्ति स्त्री पुरूष समानता के प्रति पक्षघर है। 76 प्रतिशत उत्तरदाता स्त्री पुरूष समानता के पक्षधर है।

नगरीय परिवेश में सम्पत्ति में पुत्री का पुत्र के समान अधिकार को दहेज के रूप में भी देखा जाता है एवं ऐसा माना जाता है कि दहेज के रूप में पुत्री को दी गई राशि या भेंट भी पिता की सम्पत्ति से अंश मात्र भेंट करना है, जो सम्पत्ति के अधिकार को स्पष्ट करता है। अतः महिलाओं का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी सम्पत्ति के अधिकार सम्बन्धित नियमों के प्रति मानसिकता बदलने की आवश्यकता है।

स्त्रियों को अपने अधिकार समझने होंगे तभी स्त्री–पुरूष समानता की सार्थकता है, अन्यथा नहीं। किसी भी समुदाय की निरन्तरता हेतु स्त्रियाँ मौलिक घटक के रूप में मानी गई ह। प्रत्येक समाज स्त्री एवं पुरूष के परस्पर सहयोग से निर्मित होता है, किन्तु नारी की स्थिति, परिस्थिति–जन्य परिवर्तनों के अलावा पुरूष प्रधान समाज के नियामकों द्वारा नित नई व्याख्या करने के कारण सदैव बन्धनों एवं निषेद्यों के अन्तर्विरोधों के चक्रिय–परिभ्रमण तक सीमित रही है।[16]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्रियों की प्रस्थिति में सुधार हुआ है। नगरीकरण, एकाकी परिवारों में वृद्धि, स्त्रियों की सामाजिक चेतना, अर्न्तजातीय विवाह, राजनीतिक चेतना, औद्योगीकरण, वैधानिक सुविधाओं जैसे कारकों ने स्त्रियों की प्रस्थिति को पुरूषों के समान लाने में सहायता प्रदान की है। राजनीति में प्रवेश ने भी स्त्रियों को शक्ति सम्पन्न पदों तक पहुँचाया है। आर्थिक क्षेत्रों में आज स्त्रियाँ पुरूषों से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। आज स्त्रियों को तलाक का अधिकार प्राप्त है । पारिवारिक सम्पत्ति में उन्हें अधिकार मिला है एवं किसी भी क्षेत्र में महिलाएँ, पुरूषों से पीछे नहीं रह गई हैं।[17]

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वर्तमान में प्रजातांत्रिक गतिविधियों के कारण महिलाओं की शिक्षा की ओर, रोजगार की ओर एवं उनकी सामाजिक समस्याओं की ओर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है। शिक्षा के प्रसार एवं नगरीकरण से उनके व्यक्त्तिव के विकास में सहायता मिली है। विधवा विवाह का चलन, बाल–विवाह की समाप्ति, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा प्रेम–विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने में नगरीकरण एवं महिला साक्षरता की महत्ती भूमिका रही है। वहीं स्त्री–पुरूष समानता के अधिकार भी बढ़े हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि नगरीकरण ने महिला प्रस्थिति पुरूषों के लगभग समान ही ला दी है, परन्तु आज भी महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है। फिर भी यह सत्य है कि वर्तमान में महिला समानता एवं स्वतन्त्रता की दृष्टि से निरन्तर आगे की ओर अग्रसर है।

वर्तमान में बदलते युग में भारतीय स्त्रियों की प्रस्थिति में तीव्र परिवर्तन आ गया है। इस कारण से स्त्रियों की वर्तमान प्रस्थिति भी बदली है। वर्तमान में स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, प्रस्थिति में काफी परिवर्तन आ रहा है। इस बदलते स्वरूप को देखते हुए के.एम. पाणिक्कर ने कहा था कि ''आज हिन्दू जीवन के बदलते युग में स्त्रियों का हस्तक्षेप हिन्दू समाज के लिए एक ललकार है।''[18]

फिर भी वर्तमान में नगरों में महिला सशक्तीकरण हेतु जन–जागरण से आम आदमी की मानसिकता बदलने की महत्ती आवश्कता है। आदमी अपने अहंकार को छोड़कर नारी को भी अपने समान समझे एवं उसे पेर की जूती या दासी न समझकर उसे आदर दे एवं बराबरी का दर्जा देते हुए आगे बढ़ने को प्रेरित करे।

सारणी – 7.19

महिला–पुरूष समानता के प्रति उत्तरदाता संचेतना

कमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	पक्ष	116	117	233	93.20
2	विपक्ष	9	8	17	6.80
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

उपरोक्त वर्णित सारणी संख्या–7.19 से स्पष्ट होता है कि

- 93.20 प्रतिशत उत्तरदाता इसके पक्ष में अपने विचार देते हैं।
- विपक्ष में लगभग 6.80 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं, जो स्त्री–पुरूष समानता के विपक्ष में हैं। नगरीकरण के फलस्वरूप महिला–पुरूष समानता में वृद्धि हुई है।

सारणी–7.20

स्त्री पुरूष समानता के प्रति उत्तरदाताओ की पारिवारिक संरचनात्मक संचेतना

क्र. स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	सयुक्त परिवार	58	.95.00	2	3.27	1	1.63	61	24.40
2	एकाकी परिवार	130	68.78	43	22.70	16	8.40	189	75.60
	योग	188	75.20	45	18.00	17	6.80	250	100.00

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि

- .स्त्री पुरूष समानता के प्रति 68.78 प्रतिशत उत्तरदाता पक्ष में मत देते है वह एकाकी परिवार से है।
- स्त्री पुरूष समानता के प्रति 75.20 प्रतिशत उत्तरदाता पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते है।
- .सयुक्त परिवार से सबद्ध उत्तरदाता 95.00 प्रतिशत उत्तरदाता भी स्त्री पुरूष समानता के प्रति अपने विचार देते है।

अतः स्पष्ट है कि नगरीकरण के फलस्वरूप उत्तरदाता स्त्री पुरूष समानता के प्रति सहमत है।

सारणी 7.21

स्त्री पुरूष समानता के प्रति उत्तरदाताओ की लैंगिक सचेतंना

क्र. स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	महिला	99	79.20	0	0.00	26	20.80	125	50.00
2	पुरूष	99	79.20	2	1.60	24	19.20	125	50.00

	योग	198	79.20	2	0.80	50	20.00	250	100.00

उपरोक्त सारणी 7.21 के विवेचन से स्पष्ट है कि

- .स्त्री पुरूष समानता के प्रति 79.20 प्रतिशत उत्तरदाता पक्ष में व 20.00 प्रतिशत स्त्री पुरूष समानता के विपक्ष में मत देते है।

अतः 79.20 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाता स्त्री पुरूष समानता के पक्ष में है।

सारणी 7.22

स्त्री पुरूष समानता के प्रति उत्तरदाताओ की आयु की संचेतना

क्र. स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	18–28	45	50.56	32	35.95	12	13.48	89	35.60
2	29–39	96	96.00	2	2.00	2	2.00	100	40.00
3	40–50	42	87.50	5	10.41	1	2.08	48	19.20
4	51 से अधिक	9	69.23	2	15.38	2	15.38	13	5.20
	योग	192	76.80	41	16.40	17	6.80	250	100.00

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि

- 50.56 प्रतिशत उत्तरदाता स्त्री पुरूष समानता के पक्ष में है का आयु वर्ग 18–28 है।
- 29–39 आयु वर्ग्र के 96.00 उत्तरदाता स्त्री पुरूष समानता के पक्ष में है।
- 15.38 प्रतिशत उत्तरदाता 51 से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाता स्त्री पुरूष समानता के विपक्ष में मत देते है।

अतः सर्वाधिक 76.80 प्रतिशत उत्तरदाता स्त्री पुरूष समानता के पक्ष एवं 6.80 प्रतिशत उत्तरदाता विपक्ष में मत देते है। स्वतन्त्रता के बाद से ही महिला–पुरूष में अन्तर के स्थान पर समानता में वृद्धि हुई है। धीरे–धीरे राष्ट्र सुधार के साथ–साथ महिला स्थिति में भी सुधार आया है । शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं को एक राजनीतिक एवं वैचारिक आयाम प्रदान किया है । आज की स्त्री–पत्रकार, कवियित्री, डाक्टर,

इन्जिनीयर, समाज–सुधारक, शिक्षा–शास्त्री, सांस्कृतिक कलाओं में निपुर्ण, बुद्धिजीवी, व्यवसायी आदि क्षेत्रों में अपना वर्चस्व कायम किए हुए है।

आज वह सार्वजनिक क्षेत्र में पुरूषों के साथ कन्धें से कन्धा मिलाकर प्रत्येक स्तर के कार्यों को अंजाम दे रही है। उद्योग–धन्धे एवं व्यवसायों में प्रवेश कर महिलाओं ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है।[19]

आधुनिक युग में नारी ने पुरूषों के समकक्ष स्थान पाने हेतु विभिन्न महिला आन्दोलनों एवं संगठनों को जन्म दिया है। दुनियाँ के विभिन्न देशों में महिला स्वतन्त्रता आन्दोलन चलाए गए एवं महिलाओं को अपने अधिकारों को पाने हेतु लम्बा संघर्ष करना पड़ा। भारतीय समाज भी एक पुरूष प्रधान एवं पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था को मानने वाला समाज है। जिसमें महिलाओं का कार्यक्षेत्र मात्र घर की चारदीवारी तक ही सीमित रहा है। आर्थिक दृष्टि से वे हमेशा पुरूषों पर ही निर्भर रही हैं। किन्तु पिछले कुछ वर्षों से भारत में कई महिला संगठन बने हैं जो प्रमुख रूप से नगरों में व्याप्त हैं।

इन संगठनों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर आन्दोलन एवं प्रदर्शन किए हैं जिनमें महिलाओं को पुरूषों के समान, समानता का अधिकार प्रमुख रूप से रखा गया। जिसमें महिलाओं ने बाहर ही नहीं परिवार में भी समानता एवं अपने अधिकारों की मांग की है। शिक्षित एवं स्वयं अर्जन करने वाली महिलाएँ अब पहले की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र हैं।[20]

वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो शिक्षा से ही महिला सशक्तिकरण होता है एवं जीवन–पर्यन्त शिक्षा मानव जीवन के स्तर को उन्नत करती रही है। मास मीडिया के प्रभाव, सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ एवं साक्षरता अभियान ने लोगों को स्त्री शिक्षा के विभिन्न लाभों एवं परिणामों से परिचित करवाया है।[21]

भारतीय समाज में जो भी परम्पराएँ रीति–रिवाज धार्मिक अनुष्ठान पाए जाते हैं, वे सभी पुरूषों द्वारा निर्मित हैं। इनके पीछे नारी शोषण की भावना छिपी हुई होती है। किन्तु इनको धार्मिक रूप देकर नारी को इसे स्वीकार करने एवं परम्परागत नियम बताकर मानने पर मजबूर कर दिया जाता ह।[22]

हिन्दू परिवार में लड़के का महत्व अत्यधिक माना गया है। क्योंकि हिन्दू परिवार का मानना है कि परिवार की निरन्तरता एवं पूर्वजों की शान्ति तर्पण, पिण्डदान आदि धार्मिक क्रियाओं के लिए परिवार में पुत्र का होना आवश्यक है। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिन्दू परिवारों में परिवार में पुत्र की उपस्थिति की आवश्यकता के सम्बन्ध में अध्ययन से सम्बन्धित निम्न तथ्य उजागर होते हैं।

सारणी – 7.23

परिवार में पुत्र की उपस्थिति के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	धार्मिक किया में	20	18	38	15.20
2	वंश वृद्धि हेतु	30	19	49	19.20
3	वृद्धावस्था सरंक्षण	11	11	22	8.80
4	पुत्र–पुत्री एक समान	64	77	141	56.40
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

उपर्युक्त सारणी संख्या–7.23 से स्पष्ट है कि

- अधिकांश 56.40 प्रतिशत उत्तरदाता पुत्र–पुत्री को एक समान मानने के पक्षधर हैं क्योंकि वे पुत्र–पुत्री में किसी भी प्रकार के सामाजिक भेद को नहीं स्वीकारते हैं।
- पुत्र की उपस्थिति को अनिवार्य मानने वाले धार्मिक कियाओं में 15.20 प्रतिशत सम्मिलित हैं।
- वंश वृद्धि हेतु 19.20 प्रतिशत उत्तरदाता स्वीकारते ह।
- वृद्धावस्था संरक्षण हेतु पुत्र की उपस्थिति को आवश्यक मानने वालों में 8.80 प्रतिशत सम्मिलित हैं।

स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता पुत्र–पुत्री की समानता के पक्षधर हैं। उनमें महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों के विचारों में अधिकता देखी गई है।

महिला की निम्न प्रस्थिति हेतु भारतीय समाज का संस्थागत ढ़ाँचा भी उत्तरदायी रहा है। भारत का समाज पितृ–सत्तात्मक समाज रहा है और इसलिए यहाँ पुरूषों की प्रधानता रही हैं एवं महिलाओं का हमेशा से ही उन्मूलन होता आया है। परम्परा से ही पुत्री जन्म को अभिशाप माना जाता रहा है एवं पुत्र को मुक्तिदाता, बुढ़ापे का सहारा एवं घर का चिराग माना जाता रहा है। पुत्री का जन्म एक कर्जा या बोझ माना

गया है। आज इस प्रकार की विचारधारा में परिवर्तन हुआ है एवं हिन्दू परिवारों में भी लड़के–लड़की भेदभाव में कमी आई है।

<u>**पाई चार्ट /स्तंभ सख्या –9**</u>

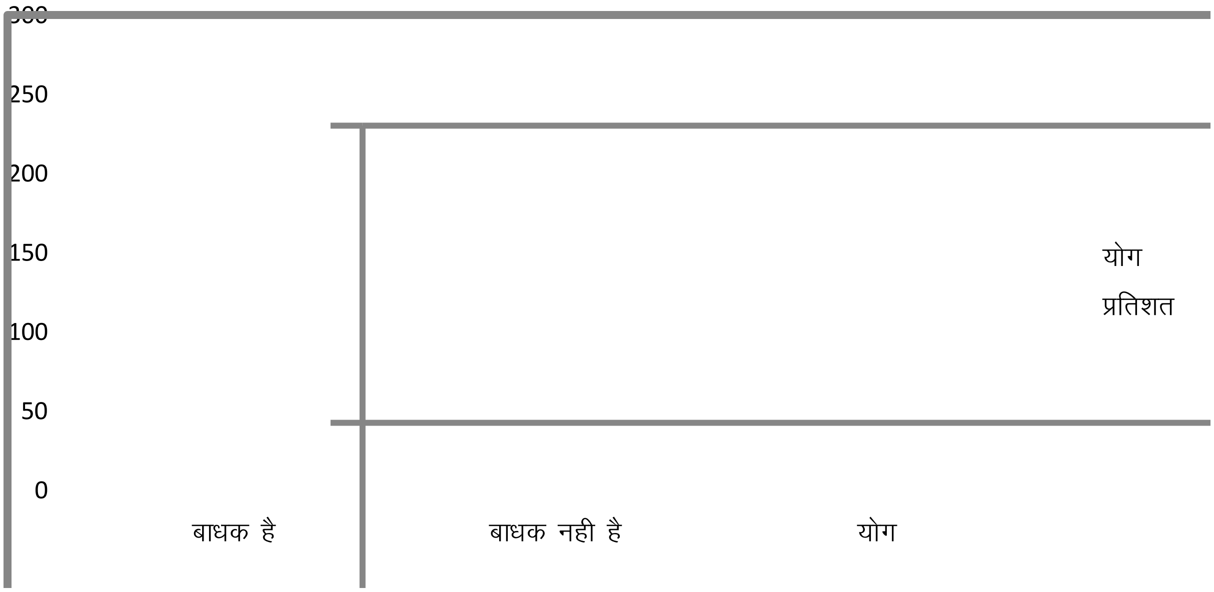

सारणी – 7.24

हिन्दू सामाजिक मान्यताएँ नारी की प्रगति में बाधक के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

	मापदण्ड	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	बाधक है	100	86	186	74.40
2	बाधक नहीं है	25	39	64	25.60
	योग	**125**	**125**	**250**	**100.00**

हिन्दू समाज में प्रचलित मान्यताओं के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के विचारों की संचेतना से यह पता चलता है कि

➢ 74.40 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि हिन्दू सामाजिक मान्यताएँ नारी की प्रगति में बाधक हैं।

➢ हिन्दू सामाजिक मान्यताओं में नारी की प्रगति में बाधक नहीं मानने के प्रति 25.60 प्रतिशत मतदाता हैं

स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार हिन्दू सामाजिक मान्यताएँ नारी की प्रगति में बाधक हैं।

सारणी – 7.25

महिलाओं के प्रति हिंसा के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**			**प्रतिशत**
		म0	**पु0**	**योग**	
1	पुरूष प्रधान देश	59	39	98	39.20
2	संकीर्ण सोच	40	21	61	24.40
3	तटस्थ	10	43	53	21.20
4	असहमत	16	22	38	15.20
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

उपर्युक्त सारणी संख्या 7.25 से स्पष्ट है कि

➢ 39.20 प्रतिशत पुरूष प्रधान देश के पक्ष में मत देते हैं।

➢ संकीर्ण सोच मापदण्ड़ के प्रति लगभग 24.40 प्रतिशत पक्ष में मत देते हैं।

➢ तटस्थ विचारों के प्रति लगभग 21.20 प्रतिशत पक्ष में मत देते हैं।

➢ महिला हिंसा के सम्बन्ध में असहमत उत्तरदाताओं में लगभग 15.20 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं।

महिलाओं के हिंसा के प्रेरक तत्वों में पुरूष प्रधान देश की मानसिकता का आज भी वर्चस्व परिलक्षित होता है।

महिलाओं की समस्याएँ आधुनिक समाज में ही नहीं, अपितु प्राचीन काल से ही समाज में परिलक्षित हो रही है। महिलाओं पर आए दिन हो रहे अत्याचारों ने महिलाओं का शोषण किया है। महिलाएँ किसी न किसी रूप में पुरूषों द्वारा शोषण का शिकार हो रही है। इससे कोई भी समाज अछूता नहीं रह गया है। महिलाओं पर प्रत्येक काल में अत्याचार होते रहे हैं। समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा के कारणों के पीछे समाज की पितृ–प्रधान व्यवस्था या स्त्रियों की मजबूरी या महिलाओं का आर्थिक परावलम्बन प्रमुख कारण है। भारत में महिलाओं का आर्थिक परावलम्बन प्रमुख कारण है। भारत में महिलाओं को अत्याचार का एक माध्यम, पितृ–प्रधान समाज द्वारा माना गया है। ये अत्याचार कभी उसे अनुशासित करने के बहाने से तो कभी शक्ति प्रदर्शन द्वारा किए जाते हैं। ये अत्याचार कभी शारीरिक तो कभी मानसिक होते हैं। आधुनिक काल में महिलाओं के समक्ष दो समस्याएँ हैं – अत्याचार एवं उत्पीड़न।[23]

मन की भूख और आदमी की आवश्यकता बढ़ने से आदमी अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु नए–नए तरीके इजाद करने लगा है। नगरीकरण ने व्यक्ति की मानसिकता को बदल दिया है, आज महिला जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धि पा रही है, किन्तु पुरूष प्रधान देश की मानसिकता आज भी हमारे हिन्दू परिवारों में देखी जा सकती है। पुत्र को महत्व एवं वंश का इकलौता वारिस होने के कारण परिवार में उसकी भूमिका बढ़ी है। जिससे महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ी हैं। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाएँ सुरक्षित नहीं रह गई हैं।

सारणी – 7.26

पर्दा–प्रथा के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	परम्परागत नियम	30	48	78	31.20
2	बाध्यकारिता	22	22	44	17.60
3	बुर्जुगों का सम्मान	22	4	26	10.40
4	असहमत	51	51	102	40.80

	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

उपर्युक्त सारणी के आधार पर स्पष्ट है कि

- 31.20 प्रतिशत उत्तरदाता इसे परम्परागत नियम के रूप में स्वीकारते हैं
- 17.60 प्रतिशत उत्तरदाता इसे बाध्यकारी मानते हैं।
- 10.40 प्रतिशत उत्तरदाता बुर्जुगों का सम्मान पर्दा प्रथा आधार मानते हैं।
- 40.80 प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार पर्दा प्रथा स्त्री की इच्छा पर आधारित होना चाहिए, नगरीय हिन्दू उत्तरदाता परम्परागत पर्दा प्रथा के पालन के प्रति असहमति की गई।

सारणी 7.27

पर्दा प्रथा के प्रति उत्तरदाताओ की शैक्षणिक संचेतना

क्र. स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	परास्नातक	5	13.88	6	16.66	25	69.44	36	14.40
2	स्नातक	25	20.31	20	21.05	50	52.63	95	38.00
3	इण्टरमीडियट	17	20.47	12	14.45	54	65.06	83	33.20
4	प्राथमिक	3	14.28	3	14.28	15	71.42	21	8.40
5	निरक्षर	2	13.33	3	20.00	10	66.66	15	6.00
	योग	52	20.80	44	17.60	154	61.60	250	100.00

उपरोक्त सारणी 7.27 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि

- 69.44 परास्नातक पर्दा प्रथा के विपक्ष में तर्क देते है।
- 66.66 प्रतिशत निरक्षर पर्दा प्रथा को उचित मानते है।
- 52.63 प्रतिशत स्नातक उत्तरदाता पर्दा प्रथा के प्रति विपक्ष मे तर्क देते है।

  स्पष्ट है कि नगर में शिक्षा के प्रति जागरूकता से पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा समाप्ति की ओर अग्रसर है 61.60 उत्तरदाता इसके विपक्ष में है।

नगर में पर्दा रखना अब अनिवार्य नहीं है । अधिकांश उत्तरदाता पर्दा प्रथा के प्रति असहमत हैं फिर भी नगरीय परिवेश में रहने वाली महिलाएँ भी पर्दा प्रथा का पालन कुछ मात्रा में करती हैं। ग्रामीण परिवेश की महिला भले ही नगर में चली जाए किन्तु अपनी विरासत के मूल्यों को कभी नहीं भूलती है। इससे प्रमाणिक भी होता है कि हमारा भारत चाहे कितना ही परिवर्तित हो जाए, हम अपनी मूल विरासत एवं परम्परा को त्याग नहीं सकते हैं।

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हिन्दु महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है। प्राचीन काल की हिन्दू महिलाएँ एवं आधुनिक काल की हिन्दू महिलाओं में परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। आधुनिक काल की महिलाएँ अब पुरूष के साथ–साथ कदम–से–कदम मिलाकर चलने वाली एवं गतिशील महिला बन गई हैं। आज महिलाओं में कई वर्ग देखने को मिलते हैं, एक तो वह जो पूर्णतः आधुनिकता के रंग में रंगा हुआ है एवं दूसरा परम्परागत जीवन शैली को आज भी अपनाएँ हुए हैं। हालांकि उसकी मात्रा पहले की अपेक्षा कम है। महिलाओं के इन दोनों वर्गों से एक नए वर्ग की उत्पत्ति हो रही है जो परम्परा एवं आधुनिकता के द्वन्द्व में फँसा है जो दोनों विविधताओं को सम्मिलित कर एक द्वन्द्व की स्थिति में जीवन–यापन कर रही है। यह जीवन का एक दुहरा मानदण्ड़ है। नगरीय हिन्दू महिलाओं में पर्दा–प्रथा के प्रति बदलाव परिलक्षित हो रहा है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि हिन्दू नगरीय परिवेश ने रीति–रिवाजों की विभिन्न प्रथाओं को कम किया है।

सारणी – 7.28

नगरीकरण के दौरान वेशभूषा में बदलाव के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

कमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	पश्चिमीकरण	40	23	63	25.20
2	स्वतंत्र विचार	40	40	80	32.00
3	एकाकी परिवार	30	39	69	27.60
4	असहमत	15	23	38	15.20

	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

उपर्युक्त आंकड़ों से यह प्रदर्शित होता है कि

- बहुसंख्यक उत्तरदाता स्वतन्त्र विचार को वेशभूषा में बदलाव का कारण मानते हैं जिनमें 32.00 प्रतिशत उत्तरदाता शामिल हैं।
- एकाकी परिवार को वेशभूषा में बदलाव का कारण मानने वालों में 27.60 प्रतिशत उत्तरदाता शामिल हैं।
- पश्चिमीकरण मापदण्ड़ के प्रति 25.20 प्रतिशत उत्तरदाता मत देते हैं।
- असहमत अल्पसंख्यक उत्तरदाताओं का प्रतिशत लगभग 15.20 है।

हिन्दू परिवारों की परम्परागत वेशभूषा में बदलाव आया है जिसका प्रमुख कारण नगरीय जीवनशैली में पाए गए स्वतन्त्र विचार हैं।

सारणी 7.29

नगरीय वेशभूषा मे बदलाव के प्रति उत्तरदाताओ की लैगिंक संचेतना

क्र. स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	महिला	90	72.00	10	8.00	20	16.00	125	50.00
2	पुरूष	90	72.00	26	20.80	14	11.20	125	50.00
	योग	180	72.00	36	14.40	34	13.60	250	100.00

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि

- नगरीय 72.00 प्रतिशत पुरूष व महिला नगरीय वेशभूषा मे ंबदलाव के प्रति पक्ष मे है।
- 20.80 पुरूष नगरीय वेशभूषा में बदलाव के प्रति अनिश्चित है।

  अतः अधिकतर 72 प्रतिशत उत्तरदाता नगरीय वेशभूषा मे ंबदलाव को स्वीकारते है।

सारणी 7.30

नगरीय वेशभूषा में बदलाव के प्रति उत्तरदाताओ की आयु संचेतना

क्र. स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	18–28	50	56.17	5	5.61	34	38.20	89	35.60
2	29–29	74	74.00	10	10.00	16	16.00	100	40.00
3	40–50	37	77.08	7	14.58	4	8.33	48	19.20
4	51 से अधिक	7	53.84	2	15.38	4	30.76	13	5.20
	योग	168	67.20	24	9.60	58	23.20	250	100.00

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि

- 18–28 आयु वर्ग के उत्तरदाता नगर में आने के उपरांत नगरीय वेशभूषा में बदलाव को 56. 17 प्रतिशत स्वीकारते है।
- 29–39 आयु वर्ग के 10 प्रतिशत उत्तरदाता नगर मे आने के उपरांत नगरीय वेशभूषा में बदलाव के प्रति अनिश्चित है।
- 40–50 आयु वर्ग के 77.08 प्रतिशत उत्तरदाता नगर में आने के उपरांत नगरीय वेशभूषा में बदलाव को स्वीकारते है।
- 51 से अधिक आयु वर्ग के 53.84 प्रतिशत उत्तरदाता नगर मे आने के उपरांत नगरीय वेशभूषा में बदलाव के प्रति अनिश्चित है।

इस प्रकार नगर मे आने उपरांत नगरीय वेशभूषा के प्रति 67.20 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत है।

भारत की नारी जाग रही ह। अब वह परम्परागत घूंघट छोड़कर बाहर निकल रही है। अब वह छुई–मुई होकर नहीं रहना चाहती। वह आदमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है। वह परम्परागत वेशभुषा छोड़कर जीन्स आदि पहनने लगी है एवं स्त्री–पुरूष समानता की पक्षधर है।

सारणी – 7.31

महिलाओं के रोजगार के प्रति उत्तरदाताओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या			प्रतिशत
		म0	पु0	योग	
1	आर्थिक दृष्टिकोण	40	50	90	36.00
2	घरेलू खर्चों का बढ़ना	65	38	103	41.20
3	आत्मनिर्भरता	20	29	49	19.60
4	असहमत	0	8	8	3.20
	योग	**125**	**125**	**250**	**100**.00

तालिका 7.31 में दिए गए समंकों का अध्ययन यह इंगित करता है कि

- अधिकांश महिलाएँ रोजगार का महत्व देने लगी है। लगभग 41.20 प्रतिशत बहुसंख्यक उत्तरदाता घरेलू खर्चों के बढ़ने के कारण महिलाओं द्वारा रोजगार को प्रमुखता देते हैं
- आर्थिक दृष्टिकोण में 36.00 प्रतिशत उत्तरदातां हैं।
- आत्मनिर्भरता मापदण्ड़ को लगभग 19.60 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित है।
- महिला रोजगार के प्रति 3.20 प्रतिशत उत्तरदाता नकारते है।

स्पष्ट है कि अब यह मानसिकता पूर्ण रूप से परिवर्तित हो रही है कि लड़की का जीवन केवल घर की चारदीवारी तक ही सीमित है। आज स्त्रियाँ पुरूषों के साथ हर क्षेत्र में कार्यरत हैं एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे रही हैं। घर से बाहर कार्य करने की उन्हें अनुमति प्राप्त होती जा रही है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है। साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती जा रही है। नगरीकरण के दौरान बदलती आर्थिक स्थिति के कारण नारी की शिक्षा व रोजगार की दिशा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर एवं आत्मनिर्भर बनने हेतु नारी अब घर की चारदिवारी लांघकर घर से बाहर रोजगार करने लगी है।

''परम्परागत भारतीय समाज में मध्य और उच्च वर्ग की स्त्रियों का विशेषकर विवाहित स्त्रियों का घरों से बाहर नौकरी करना संभव नहीं समझा जाता था, परन्तु वर्तमान में तथाकथित सम्मान का विचार

अर्थहीन हो गया है।''[24] रोजगार का प्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से होता है। रोजगार महिला को आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान करता है जिससे उनमें आत्म–विश्वास एवं कार्यक्षमता में वृद्धि होती है एवं उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। रोजगार के कारण महिलाएँ घर से बाहर कार्यस्थल पर आती हैं, जहाँ वह विभिन्न कार्यशील व्यक्तियों से मिलती हैं एवं विचारों का आदान–प्रदान होता है। रोजगार से महिलाओं को परिवार एवं समाज में समुचित सम्मान मिलता है जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। भारतीय महिलाओं पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि रोजगार से महिलाओं की प्रस्थिति सुदृढ़ होती है।[25]

सारणी – 7.32

नगरीकरण से महिलाओं की स्वतन्त्रता में वृद्धि के प्रति कारणों के प्रति उत्तरदाता संचेतना

कमांक	**मापदण्ड**	**उत्तरदाताओं की संख्या**					**प्रतिशत**
		महिला	**प्रतिशत**	**पुरुष**	**प्रतिशत**	**योग**	
1	आपसी समझ	80	64.00	60	48.00	140	56.00
2	नवीन विचार	20	16.00	35	28.00	55	22.00
3	एकाकी परिवार	10	8.00	20	16.00	30	12.00
4	असहमत	15	12.00	10	8.00	25	10.00
	योग	**125**	**100.00**	**125**	**100.00**	**250**	**100.00**

प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि

- लगभग 56.00 प्रतिशत उत्तरदाता नगरीकरण से महिला स्वतन्त्रता में वृद्धि को आपसी समझ का एक कारण मानते हैं।
- 22.00 प्रतिशत उत्तरदाता नवीन विचारधारा जो नगरीकरण के फलस्वरूप उपजी है, को महिला स्वतन्त्रता के प्रति उत्तरदायी मानते हैं।
- लगभग 12.00 प्रतिशत उत्तरदाता एकाकी परिवार को इसके प्रति उत्तरदायी मानते हैं। उनके अनुसार एकाकी परिवार में रहने से स्वतन्त्र विचारधारा का उदय हुआ है।

➢ 10.00 प्रतिशत नगरीकरण को महिला स्वतन्त्रता का कारण मानने वाले इसे नकारते हैं महिला–पुरूष समानता का स्तर नगरीय जीवन–शैली में भी दिखलाई पड़ता है। नगरों में आकर यहाँ रोजगार एवं वृहद विचारधारा के साथ जीवन–यापन करने से सोच का दायरा बढ़ा है एवं महिला एवं पुरूष समानता में वृद्धि हुई है।

सारणी 7.33

नगरीकरण से महिला स्वन्तंत्रता में वृद्धि के प्रति उत्तरदाताओ का लैंगिक दृष्टिकोण

क्र. स.	मापदण्ड	पक्ष	प्रतिशत	अनिश्चित	प्रतिशत	विपक्ष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	पुरूष	82	65.60	23	18.40	20	16.00	125	50.00
2	महिला	69	55.20	28	22.40	28	22.40	125	50.00
	योग	151	60.40	51	20.40	48	19.20	250	100.00

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि

➢ 65.60 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाता महिला स्वतन्त्रता के पक्ष में उत्तर देते है

➢ 55.20 प्रतिशत महिला उत्तरदाता महिला स्वतन्त्रता के पक्ष में अपने विचार देती है

➢ 22.40 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाता महिला स्वतन्त्रता के विपक्ष में भी मत देती है

अतः सर्वाधिक उत्तरदाता महिला स्वतत्रंता के पक्ष में वैचारिक दृष्टिकोण रखते है।

प्रत्येक रूप में नारी का इस प्रकार का कार्यक्षेत्र केवल परिवार तक ही सीमित नहीं रह गया है। उसे अपने कार्यस्थल पर भी विभिन्न रूपों में कर्तव्यों व दायित्वों की पूर्ति करनी होती है। इस हेतु आपसी समझ स्त्री–पुरूषों में होना अत्यन्त आवश्यक है ताकि महिला स्वतन्त्रता में वृद्धि हो एवं महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो।

स्पष्ट है कि नारी एक शक्तिरूपा है, जगत–जननी है। नारी के सम्बन्ध में यहां भी कहा गया है कि उसमें पृथ्वी के समान क्षमा–सूर्य की तरह तेज, समुद्र के समानान्तर गम्भीरता एवं चन्द्रमा के समानान्तर शीतलता व पर्वत के समान उच्चता एक साथ विद्यमान है।[26] देश में महिलाओं का जीवन के प्रत्येक स्तर पर शोषण एवं उत्पीड़न होता चला आ रहा है। ऐसी विपरीत स्थितियों में हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को संवेधानिक दृष्टि से उनकी सुरक्षा एवं उत्थान के लिए समुचित कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं।

सारणी – 7.34

महिला सशक्तिकरण के प्रेरक तत्वों के प्रति उत्तरदाता संचेतना

कमांक	मापदण्ड	म0	पु0	प्रतिशत
1	शिक्षा का उच्च स्तर	60	50	44.00
2	अच्छा रहन–सहन	21	22	17.20
3	पश्चिमीकरण	10	32	16.80
4	समानता की धारणा	12	21	13.20
5	असहमत	22	0	8.80
	योग	**125**	**125**	**100.00**

उपरोक्त सारणी संख्या 7.34 से स्पष्ट है कि

- शिक्षा का उच्च स्तर को 44.00 प्रतिशत में 60 महिलाएँ एवं 50 पुरूष उत्तरदाता महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रमुख रूप से उत्तरदायी मानते हैं
- अच्छे रहन–सहन मापदण्ड़ में लगभग 17.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं में 21 महिला एवं 22 पुरूष शामिल हैं।
- पश्चिमीकरण मापदण्ड़ में लगभग 16.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं में 10 महिलाएँ एवं 32 पुरूष सम्मिलित हैं।
- महिला सशक्तिकरण के प्रेरक तत्वों में समानता की धारणा में लगभग 13.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं में 12 महिलाएँ व 21 पुरूष शामिल हैं
- 8.80 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं के सशक्तिकरण को नकारते हैं। इनके अनुसार अभी भी महिला सशक्तिकरण की बहुत आवश्यकता है।

नारी शिक्षा वैदिक काल से ही चली आ रही है एवं शिक्षित नारी का समाज में एक सम्मानजनक स्थान भी था। उस समय की अनेकों विदुषी नारियाँ जिनमें जिनमें गार्गी, मैत्रेयी, शक्तिरूपा, अरूंधती आदि है।

मध्यकाल में नारी शिक्षा में कमी आई एवं बाल–विवाह, पर्दा–प्रथा का प्रचलन बढ़ा। वीरगाथा काल से रीतिकाल तक का साहित्य यह बतलाता है कि देश में युद्ध का वातावरण रहा था। देशी राजाओं की आपसी लड़ाई ने स्त्री शिक्षा में कमी लाई एवं स्त्री शिक्षा की ओर उदासीन हो गई। 17वीं शताब्दी तक आते–आते नवजागरण एवं पुर्नरूत्थान से प्रभावित होकर महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न रूढ़ियों यथा बाल–विवाह, अनमेल–विवाह, सती–प्रथा, पर्दा–प्रथा का ह्रास हुआ एवं नारी शिक्षा का प्रचार–प्रसार होने लगा।

वर्तमान में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षित नारी की उपलब्धियाँ बढ़ी है। आज प्रत्येक व्यवसाय यहाँ तक कि सेना, पुलिस, प्रशासन, रेल–सेवा, हवाई यातायात सेवा, परिवहन आदि में महिला उपलब्धियों को प्राप्त कर रही हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी नारी की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं। आज की शिक्षित महिला समर्थ है, आत्मनिर्भर है। शिक्षित युवती तार्किक एवं स्पष्टवादी है।[27] भारतीय लोकतन्त्र समानता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पुरूषों के समान्तर विकास करने का अधिकार प्राप्त है।[28]

इस प्रकार स्पष्ट है कि महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण ने वर्तमान में आधुनिक नवीन मूल्यों को प्रोत्साहित किया है। भारतीय समाज में स्त्रियों की प्रस्थिति समय के साथ–साथ उतार–चढ़ाव की रही है। सभी युगों में स्त्री की प्रस्थिति एक जैसी नहीं रही है। हमारी प्राचीन व्यवस्था में स्त्रियों को उच्च प्रास्थिति प्राप्त थी उन्हें सुख, वैभव, शान्ति, शक्ति व ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। कहीं स्त्री की पूजा रणचण्ड़ी दुर्गा के रूप में हुई है तो कहीं मात सरस्वती के रूप में। महर्षि मनु के अनुसार, 'यत्र नार्यस्तु पुणयन्ते रमन्ते तत्र देवताः' अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। परन्तु धीरे–धीरे स्त्रियों के स्थान में परिवर्तन होता गया। पुरुषों ने स्त्रियों को दुर्बल समझकर उनके अधिकार व कार्य सीमा पर हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। इसके परिणामस्वरूप एक ऐसा समय भी आया जब स्त्रियाँ घर की चारदिवारी में कैद हो गई। परिवार में कन्या जन्म अशुभ माना जाने लगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय समाज में स्त्रियों की प्रस्थिति में काफी सुधार हुआ। हमारे देश की स्त्रियाँ आज हर क्षेत्र में पुरूषों की बराबरी करने का प्रयास कर रही हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हिन्दू स्त्रियों की स्थिति में वृहद परिवर्तन हुए हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ।

भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं. नेहरू ने कहा था कि ''फ्रांस के किसी आदमी ने कहा था कि किसी भी देश को देखने का सबसे श्रेष्ठ उपाय उस देश की स्त्रियों की स्थिति का पता लगाना है।''[29] वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में वृहद सुधार हुआ है। मध्ययुग की हिन्दू नारी आज राष्ट्र की प्रगति का बिन्दू बन

गई है। जीवन की किसी भी क्षेत्र में चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक या वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्र में वह अग्रणी भूमिका निभा रही है।

भारतीय सामाजिक दृष्टिकोण में हिन्दू नारियों की प्रस्थिति में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। भारत में कन्या के जन्म को पहले एक अभिशाप की नजरों से देखा जाता था, जो आज काफी हद तक समाप्त हो गया है। अब बौद्धिक एवं आधुनिक परिवारों में पुत्र के प्रति मोह कम होता जा रहा है। अब पुत्र–पुत्री में कोई अंतर नहीं माना जाता । इस प्रकार वर्तमान में हिन्दू नारी की परिस्थिति बदली है।[30]

एम.एन. अन्सारी[31] (1989) के कथानुसार समाज की रचना का श्रेय नारी को है। नारी ने ही पुरूष को जन्म दिया है एवं वही उसकी जन्मदात्री बनी। एक जगत–जननी के रूप में पुरूष सहवास से मानव के अंश को अपनी सृष्टि गर्भ में धारण किया एवं वृहद सृष्टि का निर्माण किया। इस सृजन के साथ ही नारी पुरूष पर निर्भर होती चली गई। एक नारी का अस्तित्व पुरी तरह से आश्रित हो गया। सुरक्षा एवं आजीविका हेतु नारी पूर्णतया पुरूष पर आश्रित हो गई। इस प्रकार पुरूष प्रधान समाज की मानसिकता ने जन्म लिया। नारी पुरूष की भोग्या, आश्रिता बनी एवं वर्तमान समाज जिसे हम सुसभ्य व सुसंस्कृत कहते हैं, में वह आज भी पुरूषाधीन है।

स्त्री की अस्मिता एवं समानता के अधिकारों की बात करने वाले हमारे 21वीं सदी के समाज में 18 वर्ष की विवाहित युवती का जलकर मरना या उसे मार देना एक शोकजनक कृत्य के साथ–साथ यह तथ्य भी उजागर करता है कि हमारी खोखली परम्पराएँ जो यह बतलाती है कि पति के बिना पत्नी का जीवन शून्य मात्र है, का खण्डन करती है।[32] नगर में महिलाएँ उच्च शिक्षा ग्रहण करने में क्रियाशील हैं । नगर में अभिभावकों द्वारा भी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लड़की–लडके में अन्तर किए बिना उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे वह सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। परिवार का छोटा आकार एवं नगरीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं की शिक्षा को नए आयाम प्रदान किए हैं।

स्त्री शिक्षा से समाज में परिवर्तन :–

वर्तमान में स्त्रियों की शिक्षा में बढ़ोत्तरी हुई है। आज स्त्री शिक्षा के फलस्वरूप स्त्रियों में जागरूकता आई है जो समाज को एक नई सोच की दिशा में परिवर्तित कर रही है। आज पढ़ी–लिखी स्त्रियाँ, दहेज, अनमेल विवाह एवं बाल–विवाह को नकार रही हैं। आज भी समाज में हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं कि पढ़ी–लिखी युवतियाँ अब अपने विवाह को लेकर अत्यधिक जागरूक हो गई है। विवाह उनके लिए प्राथमिकता नहीं रहा है। अब वह अपने कैरियर को लेकर अधिक जागरूक है एवं किसी भी प्रकार से नौकरी के बिना विवाह जैसे बन्धनों में बंधना नहीं चाहती। वह विवाह को केरियर का अंत

मानने लगी हैं जिससे बाल–विवाह में कमी आई है एवं विवाह की आयु बढ़ी है। नगरों में अधिकतर युवतियाँ अब विवाह के बाद संतान के उत्तरदायित्व को सँभालने के लिए तैयार नहीं होती हैं। आधुनिक परिवारों में इसका प्रचलन बढ़ा है।

इसके अलावा आज की स्त्रियाँ दहेज एवं बेमेल विवाह का विरोध करने लगी हैं। शिक्षित स्त्रियाँ तो पर्दा–प्रथा को अपनाने से इंकार करने लगी हैं वे अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक हुई हैं। आज की नारी हिंसा उत्पीड़न को चुप बैठने के बजाए खुल कर बोलने लगी है। छोटे परिवार का महत्व उन्होंने समझा है । सिर्फ यहीं तक नहीं, आज की शिक्षित नारी अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर भी जागरूक हुई है। साथ–ही–साथ विधवा–विवाह एवं तलाक जैसे शब्द अब हैय का विषय नहीं रह गए हैं। विधवा विवाह से समाज की सोच बदली है।

स्त्री शिक्षा से समाज में बदलाव आया है । आज लड़कियाँ लड़कों के समान शिक्षा पा रही हैं एवं स्वावलम्बी भी बनी हैं एवु पुरूषों के साथ कंधे–से–कंधा मिलाकर चल रही हैं व समाज में अपनी निर्णायक भूमिका एवं अधिकारों के लिए लड़ रही हैं एवं समाज में स्त्री गृह क्षेत्र एवं कार्यक्षेत्र दोनों की जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा रही है एवं समाज में अपना सम्मान एवं अधिकारों की ओर उन्मुख है।

नारी को नौकरी करने के पीछे का प्रमुख कारण है जैसे–घर–परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु, इसका अनेक प्रकार की पारिवारिक आर्थिक स्थितियाँ उसे नौकरी करने हेतु विवश करती हैं। तीसरा स्वतन्त्र आर्थिक स्थिति का प्रलोभन भी उसे नौकरी की ओर आकर्षित करता है। चौथा पुरूष पर निर्भरता होने से उसे अनेकों बार शारीरिक एवं मानसिक यन्त्रणा झेलनी पड़ती है।

नारीवाद (Feminism) एक ऐसी विचारधारा एवं आन्दोलन है जो स्त्री पुरूष असमानता को नकार कर नारी के सबलीकरण की प्रक्रिया का धोतक है।

सारणीयों के विवेचन से समग्र रूप से यह स्पष्ट होता है कि महिला अधिकारों का समाज में वर्चस्व बढ़ा है एवं उत्तरदाता स्त्री–पुरूष समानता के पक्षधर है। सित्रियों को सह शिक्षा, विवाह, व्यवसाय आदि के चयन में स्वतन्त्रता मिली है। किन्तु महिला सुरक्षा को लेकर नगरों में अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये है। बौधिक वर्ग (महिला वर्ग) के आधे भाग के प्रति सोच कि प्रवृति विकसित हुई है। विशेषकर शहरो में अनेक सरकारी व गैरे सरकारी संगठनों का निर्माण हुआ है जिन्होने महिला मुक्ति, अधिकारिता, स्वत्रतन्त्रता जैसे विविध आयामों पर अनेकानेक प्रयास किए है।आर्थिक आधार पर पुरूष वर्ग ने नारी को स्वयं पर निर्भर बनाया है। अतः नारी पुरूष के अवांछित दबाव मुक्ति एवं कामनावश नौकरी की राह चुनती है।[33]

Reference

(1) सिड़ाना कुसुम, (2011) ''महिला आर्थिक सशक्तीकरण'', यूनिवर्सिटी बुक बाउस, जयपुर, p.1

(2) शर्मा मन्जू, (2008) ''कार्यशील महिलाओं का समाज में बदलता स्वरूप'', राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर p-176

(3) महाजन संजीव (2012) Urban Society in India, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, p-125

(4) क्राफ्ट मेरी वॉल्स्टन, (1975) विडीकेशन ऑफ द साइट्स ऑफ वूमेन (महिला अधिकारों की प्रमाणिकता)

(5) एनसाइक्लोपीड़िया ऑफ पालिटिकल साइंस, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली,p-90.91

(6) सिड़ाना कुसुम, (2011) ''महिला आर्थिक सशक्तीकरण'', यूनिवर्सिटी बुक बाउस, जयपुर, p.15

(7) शर्मा मन्जू, (2008) ''कार्यशील महिलाओं का समाज में बदलता स्वरूप'', राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, p-187.188

(8) महाजन संजीव (2012) भारत में नगरीय समाज, Urban Society in India, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, p.84–85

(9) कुमार आलोक (2011) भारत में विवाह पद्धति एवं महिलाओं की सामाजिक स्थिति, इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, p.136

(10) विवेकानन्द स्वामी (1982) 'भारतीय नारी', रामकृष्ण आश्रम, नागपुर, p.11

(11) नारायण प्रकाश (2009) दहेज प्रथा और महिलाए : हिंसा, उत्पीड़न एवं शोषण, बुक एनक्लेव, जयपुर, p.1

(12) शर्मा मन्जू, (2008) ''कार्यशील महिलाओं का समाज में बदलता स्वरूप'', राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, p.70

(13) आप्टे प्रभा,(1996)''भारतीय समाज में नारी,क्लासिक पब्लिशिंग हाउस,जयपुर, p.151

(14) मिश्रा प्रिति, (2005), हिन्दू महिलाओं के जीवन में धर्म का महत्व, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, p.184

(15) छापड़िया मनोज (2008) ''स्त्री शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता'', सीरीयल्स पब्लिकेशन, नई दिल्ली, p-152

(16) सिंह मनोज कुमार (2009) भारत में सामाजिक परिवर्तन, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली p-173

(17) महाजन संजीव (2012) भारत में नगरीय समाज, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, p.128

(18) Panikkar K.M., 1961"Hindu Society at the Cross Roads,"3rd edition,Asia pub. house new york….

(19) मिश्रा प्रिति, (2005), हिन्दू महिलाओं के जीवन में धर्म का महत्व, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, p.55

(20) नारायण प्रकाश (2009) दहेज प्रथा और महिलाए : हिंसा, उत्पीड़न एवं शोषण, बुक एनक्लेव, जयपुर, p-107

(21) छापड़ियाँ मनोज (2008) स्त्री शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता, सीरीयल्य प्ब्लिकेशन्स, नई दिल्ली p.181

(22) कुमार आलोक (2011) भारत में विवाह पद्धति एवं महिलाओं की सामाजिक स्थिति, इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, p.9–10

(23) भाटी कान्ता (2007) महिला उत्पीड़न, दहैज प्रताड़ना तथा दहेज हत्या, पोस्टर पब्लिकेशन्स, जयपुर, p.5

(24) कपूर प्रमिला (1976) 'कामकाजी भारतीय नारी', राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, p.17

(25) सिड़ाना कुसुम, (2011) ''महिला आर्थिक सशक्तीकरण'', यूनिवर्सिटी बुक बाउस, जयपुर, p.31

(26) दाधीच प्रमिला (2009) आधुनिक समाज में कार्यशील महिलाएँ, मार्क पब्लिशर्स, जयपुर, p.13

(27) शर्मा मन्जू ,(2008) ''कार्यशील महिलाओं का समाज में बदलता स्वरूप'', राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, p.178

(28) छापड़ियाँ मनोज (2008) स्त्री शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता, सीरीयल्य पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली p.184

(29) K.M. Kapadia (1972) Marriage ana Family in India] p-252

(30) मिश्रा, प्रिति, (2005), हिन्दू महिलाओं के जीवन में धर्म का महत्व, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, p.53–54

(31) अन्सारी एम.एम. (1989) 'नारी चेतना और अपराध', पंचशील प्रकाश, जयपुर, p.3

(32) गौरे मृणाल व कौशल स्वराज 'रूप कंवर' –एक मर्मान्तक त्रासदी 11 नवम्बर, धर्मयुग पत्रिका

(33) दाधीच प्रमिला (2009)'आधुनिक समाज में कार्यशील महिलाएँ', मार्क पब्लिशर्स,जयपुर,p.35

अध्याय – 8

अध्याय–8

निष्कर्ष एवं विश्लेषण

औद्योगिक एवं तकनीकी विकास ने नवीन आर्थिक दशाएँ तथा अपनी विचारधारा को वर्तमान समाज के अनुकूल करने हेतु, परिवर्तित करने के फलस्वरूप मूल निवास स्थान में परिवर्तन हो रहा है । मूल निवास स्थान में परिवर्तन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो हिन्दू परिवार के महत्वपूर्ण पक्षों को प्रभावित कर रहा है।

नगर तीव्र रूप से गतिशील हैं । रोजगार के अनेक अवसरों, नौकरी, लाटरी आदि व्यक्ति को नगरों की ओर आकर्षित करते हैं, इसके अतिरिक्त नगरों की भौतिकवादी चमक, सुख–सुविधाओं के साधन, मनोरंजन के साधन, इत्यादि ने व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया है । इन सभी के साथ–साथ उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधा, नगरों का वर्गीय स्तरीकरण व विशेषीकरण, द्वितीयक समितियों की बाहुल्यता ने भी व्यक्ति की मनोवृत्तियों को प्रमाणित किया है ।

नगरों में भौतिकवादिता का जोर है, प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न साधनों, सुविधाओं को एकत्रित कर अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च बनाने का सुअवसर प्राप्त है, साथ ही यातायात के साधनों की सुविधा, निवास स्थान की उपलब्धता, राजनैतिक गतिविधियों में रूचि रखने वालों के लिए भी शहर पूर्ण अवसर प्रदान करता है । नई आर्थिक अन्तःक्रियाएँ अनेक प्रकार के व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं, ये सभी सुविधाएँ नगरों में ही प्राप्त हो सकती हैं । इस कारण नगर में आने वाले आगन्तुकों को नगर बहुत भाता है, इस हेतु वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी स्वयं को तैयार कर लेते हैं ।

परिवर्तन एवं विकास की इन प्रक्रियाओं ने हिन्दू परिवार के विभिन्न पक्षों को प्रभावित किया जिससे निवास स्थान में परिवर्तन भी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन है ।

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष :–

प्रथम अध्याय में प्रस्तावना, नगरो का उद्भव एवं विकास, नगरो के प्रकार नगरीकरण का अर्थ एवं प्रक्रियाँ, नगरीकरण के आधारँ, परिवार का उद्भव एंव विकासँ, परिवार की परिभाषाँ, हिन्दू परिवार की विशेषताएँ, नगरीय परिवार की विभिन्न विशेषताएँ , हिन्दू विवाह ,जाति व्यवस्था, सामाजिक अर्न्तक्रिया, धार्मिक संस्कार, लैंगिक असमानता, हिन्दु समाज में महिला प्रस्थिति, विधवा पुर्नविवाह निषेध, हिन्दु परिवारों पर नगरीकरण

का प्रभाव, हिन्दू परिवारों में सामाजिक परिवर्तन एवं महिलाओं की परिवर्तित स्थिति, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, नगर नियोजन, साहित्य की समीक्षा

द्वितीय अध्याय में अध्ययन क्षेत्र का परिचय तथा अध्ययन के लिए प्रयुक्त अनुसंधान प्रविधि का उल्लेख किया गया है ।

तृतीय अध्याय में नगरीकरण की प्रवृत्तियों को बतलाया गया जिसमें विश्व में नगरीकरण, भारत में नगरीकरण, राज्य में नगरीकरण एवं जिला स्तर पर नगरीकरण को सारणीयन द्वारा दर्शाया गया है । शोध अध्ययन से प्राप्त कुछ आंकड़ों को भी इस अध्याय में दर्शाया गया है जो उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त किए गए थे ।

- अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं की नगर निवास की अवधि 11–20 वर्षों की रही है, बहुसंख्यक 45.20 प्रतिशत उत्तरदाता विगत 20 वर्षों से नगर में प्रवासित हैं । इनमें से अधिकांश उत्तरदाताओं का जन्म गाँव में हुआ था एवं लगभग 60 प्रतिशत व्यक्तियों की पृष्ठभूमि गाँव की रही है।
- अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाता बहुसंख्यक 56.80 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य क्षैणी से हैं ।
- बहुसंख्यक उत्तरदाता प्रतिशत 68.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं में परिवार के सदस्यों की संख्या 4–5 है।
- अधिकतर उत्तरदाता शिक्षा व रोजगार को अधिक महत्त्व प्रदान करते हैं, जो नगर में आने के विभिन्न कारणों में से प्रमुख कारण हैं । बहुसंख्यक उत्तरदाता 36.40 प्रतिशत रोजगार को अधिक महत्त्व प्रदान करते हैं
- नगरीकरण के दौरान परिवार की आर्थिक स्थिति की सुदृढता के प्रति लगभग 75 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत हैं एवं शेष आर्थिक स्थिति की कमजोरी को बतलाते हैं।
- नगर में सर्वाधिक अपराध बढ़ने के कारणों में बेरोजगारी 26.80 प्रतिशत, गरीबी 14.80 प्रतिशत, व मद्यपान 20.80 प्रतिशत को माना गया है ।
- नगरों के विस्तार के प्रति लगभग 85 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत मापदण्ड़ों को पूरा करते हैं एवं शेष लगभग 14 प्रतिशत उत्तरदाता नगरों के विकास को नकारते हैं ।

चतुर्थ अध्याय में नगरीय हिन्दू परिवार की सरचंना एवं समायोजन को अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से बतलाया गया है ।

- अध्ययन के लिए चयनित उत्तरदाताओं में से अधिकांश उत्तरदाताओं का आयु समूह 29–39 वर्ष है ।
- लगभग 75 प्रतिशत उत्तरदाता एकाकी परिवार एवं शेष लगभग 24 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवार से हैं, इस प्रकार परिवार की प्रकृति में अंतर पाया गया है। पहले समय में जो संयुक्त परिवार भारत में प्रचलित थे उनमें परिवर्तन का विस्तृत रूप देखा जा सकता है, जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि वर्तमान समय में एकाकी परिवारों के प्रति लोगों का रूझान दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । जहाँ व्यक्ति अपने को आत्मनिर्भर व सुरक्षित एवं गतिशील पाते हैं ।
- अधिकांश उत्तरदाता शिक्षित हैं जिनमें लगभग 38 प्रतिशत स्नातक, लगभग 33 प्रतिशत 12वीं व लगभग 14 प्रतिशत परास्नातक एवं लगभग 8 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण हैं। इस प्रकार लोगों का रूझान शिक्षा की ओर रूचि को बताता है
- 18–28 आयु वर्ग के उत्तरदाता 63.88 प्रतिशत परास्नातक शिक्षा से संबद्ध हैं, 29–39 तक के उत्तरदाता 49.47 प्रतिशत स्नातक तक शिक्षित है। लोगों का रूझान शिक्षा की ओर रूचि को बढा है
- अधिकांश उत्तरदाता नगरों में आकर रहकर उद्योग–धन्धों में संलग्न हो गए हैं, उनमें 36 प्रतिशत उद्योगों में, संलग्न है । 83.30 उत्तरदाता जो उद्योगो मे संलग्न हैं, एकाकी परिवार से सम्बद्ध है।
- अधिकतर उत्तरदाताओं की वार्षिक आय रूपये 1,50,000 से अधिक अर्थात 36.40 प्रतिशत रही है। अतः नगर में आकर रहने से परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है । 1,50,000 से अधिक वालो में 55.55 प्रतिशत उत्तरदाता परास्नातक हैं। अर्थात् अधिक शिक्षित व्यक्तियों मे आय की अधिकता परिलक्षित होती है।
- बहुसंख्यक 60.40 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित हैं । निष्कर्षतः बहुसंख्यक उत्तरदाता विवाहित पृष्ठभूमि से है । अधिकांश उत्तरदाता प्रेम विवाह के पक्ष में मत देते हैं, अर्थात समाज में अधिकांशतः प्रेम–विवाह का प्रचलन बढ़ा है । स्पष्ट है कि व्यक्तियों में स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है जो नगरीय शिक्षा व मानसिकता को बतलाती है ।
- आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इन्टरनेट मेट्रीमोनियल रिश्तों को अधिक प्राथमिकता दी गई है । 29.60 प्रतिशत इन्टरनेट मेट्रीमोनियल रिश्तों को अधिक प्राथमिकता दी गई है।
- अधिकांश उत्तरदाताओं का ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी जुड़ाव है । 75.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के सगे–सम्बन्धी गाँव में निवास करते हैं ।नगरीकरण से गाँव से सम्पर्क टूटने के प्रति पूछे जाने पर अधिकांश 64.40 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य सम्बन्धों को अधिक महत्व देते हैं व ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं ।

- एकाकी परिवार के 68.25 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीण पृष्ठभूमि से कम जुडाव रखते हैं। अर्थात् ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुडाव में नगर में आने के उपरांत अधिकाशंतः कमी प्रदर्शित होती है।
- अधिकांश 38.80 प्रतिशत पारिवारिक सदस्यों ने परम्परागत नियम को परिवार का प्रेरक तत्व बताया है । संयुक्त परिवार के टूटनें के कारणों के प्रति अधिकांश 58.00 उत्तरदाता नगरीकरण को उत्तरदायी मानते हैं । स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार के परम्परागत नियमों एवं बाध्यता के कारण अधिकांश उत्तरदाता एकाकी परिवार को प्रमुखता देने लगे हैं ।
- परिवार के स्वरूप के चयन के कारणों में सर्वाधिक पारिवारिक सदस्य आर्थिक गतिशीलता को महत्व देते हैं, जिसमें 13 महिलाएँ व 60 पुरूष सम्मिलित हैं, जो लगभग 29.20 कुल प्रतिशत का है ।
- परिवार में सगे–सम्बन्धियों के प्रति सम्बन्धों के स्वरूप के प्रति अधिकांश 51.2 प्रतिशत उत्तरदाता औपचारिक मापदण्ड़ को प्राथमिकता देते हैं । सर्वाधिक एकाकी परिवार के 75.66 प्रतिशत उत्तरदाता सम्बंधो की घनिष्ठताओ की कमी के प्रति सहमत है।
- पारिवारिक रिश्तेदारो एवं सगे सम्बन्धियों से घनिष्ठता में कमी के पक्ष में सर्वाधिक इण्टरमीडियट शैक्षणिक पृष्ठभूमि से संबद्ध 66.26 प्रतिशत उत्तरदाता है।स्पष्ट होता है कि अधिकांश उच्च शैक्षणिक पृष्ठभूमि से संबद्ध पारिवारिक रिश्तेदारो एवं सगे सम्बन्धियों से घनिष्ठता में कमी से संबद्ध उत्तरदाता है।
- नगर में निवास से पारिवारिक एवं वैवाहिक सम्बन्ध प्रभावित हुए हैं । अधिकांश उत्तरदाता 42 प्रतिशत उत्तरदाता सम्बन्धों के स्वरूप को दिखावा मात्र मानते हैं ।
- नगर में पड़ौसी वर्ग से औपचारिक सम्बन्धों का अधिकांश रूप से महत्व उजागर होता है । लगभग 39.2 प्रतिशत उत्तरदाता औपचारिक सम्बन्धों के पक्ष में उत्तर देते हैं ।
- नगर में व्यक्तिगत हितों को महत्व देने के प्रति लगभग 63.60 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित है । नगर में व्यक्तिगत हितों का महत्व बढ़ा है । नगरीकरण की प्रक्रिया भी इसके प्रति एक उत्तरदायी कारक है ।
- सर्वाधिक 42.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं में 60 महिलाएँ एवं 46 पुरूष उत्तरदाताओं का सर्वाधिक व्यय शिक्षा में हुआ है । सर्वाधिक व्यय शिक्षा के क्षेत्र में परिलक्षित होता है, जो नगर में आकर बसने का एक प्रमुख कारण भी है ।
- नगर में निवास के उपरांत कार्यों के बढ़ने के प्रति पूछे जाने पर अधिकांश उत्तरदाताओं के उत्तर इसके बढ़ने के पक्ष में थे; जिनमें लगभग 63.2 प्रतिशत पारिवारिक सदस्य सम्मिलित हैं

- 26.8 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार का टूटना नगरीकरण की एक प्रमुख समस्या मानते हैं । नगरीकरण से पारिवारिक सदस्यों की समस्याएँ बढ़ी हैं । जिनमें सबसे अधिक सामाजिक समस्या, परिवार के टूटने की रही है । संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में परिवर्तन होना उपर्युक्त तथ्य को बतलाता है ।
- अधिकतम उत्तरदाता केवल विशेष त्यौहारों या कर्मकाण्ड़ों में ही अपने पैतृक आवास में आते हैं । लगभग 61.20 प्रतिशत पारिवारिक सदस्य विभिन्न कर्मकाण्ड़ों, समारोह, त्यौहार, उत्सवों के अवसर पर अपने पारम्परिक निवास में जाते हैं ।
- नगर में निवास के चयन में अधिकांश उत्तरदाता लगभग 40 प्रतिशत सुविधाओं की पर्याप्तता को अधिक महत्व देते हैं । नगरीकरण ने व्यक्ति की स्वतन्त्रता में वृद्धि की है । 68.80 प्रतिशत उत्तरदाता इसके प्रति सहमति प्रदान करते हैं एवं एकाकी परिवार के पारिवारिक सदस्य नगर मे ंआने के उपरांत अधिक स्वतन्त्रता पाते हैं, जो सर्वाधिक 84.65 प्रतिशत है।
- इस प्रकार लगभग 69.6 प्रतिशत उत्तरदाता भोजन सम्बन्धी अभिरूचि में शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता देते हैं ।
- नगर में निवास करने के उपरांत भी हिन्दू परिवार में मॉंसाहारी भोजन करना एक अपराध माना गया है, जो हिन्दू धर्म को भ्रष्ट करता है ।शाकाहारी भोजन संबधी अभिरूचि के प्रति 48.19 प्रतिशत उत्तरदाता इण्टरमीडियट है।
- व्यस्त नगरीय जीवन में मनोरंजन का महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग 42.40 प्रतिशत उत्तरदाता टी.वी., रेड़ियों आदि में अधिक रूचियाँ प्रदर्शित करते हैं ।
- परिवार में अवकाश के क्षण सामूहिक रूप से व्यतीत करने के प्रति अधिकतर 44.40 सम्मिलित हैं; एवं परिवार में अवकाश के क्षणों के व्यतीत करने के प्रति अधिकतर पारिवारिक सदस्य शनिवार एवं रविवार के समय एक साथ, ताश के पत्ते खेलना एवं सिनेमा देखना, पिकनिक आदि स्थानों पर भ्रमण करते हैं
- 40.00 प्रतिशत उत्तरदाता नगर में आने के उपरांत अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम को अधिक महत्ता देते हैं । वर्तमान समय की माँग एवं रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए अधिकांश उत्तरदाता बच्चों की शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी रखने को ही प्राथमिकता देते हैं ।
- 46.8 प्रतिशत बहुतसंख्यक उत्तरदाता हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों प्रकार की पत्र–पत्रिकाओं में रूचि रखते हैं, हिन्दी, अंग्रेजी बुलेटिन को महत्ता देते हैं । अर्थात नगर में आने के उपरांत अंग्रेजी भाषा पर पकड़ बनाने एवं आधुनिक समाज की माँग ने अंग्रेजी दैनिक पत्रिकाओं के पाठकों में वृद्धि हुई है ।

- अधिकांश 32 प्रतिशत उत्तरदाता नगरीय सांस्कृतिक लक्षणो में व्यक्तिवादिता को महत्व देते हैं । स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता नगरीय सांस्कृतिक लक्षणों को व्यक्तिवादिता की संज्ञा देते हैं ।

पंचम अध्याय में नगरीय हिन्दू परिवार में जाति से सम्बन्धित वास्तविकता दर्शायी गयी है ।

- 57.20 प्रतिशत उत्तरदाता जातीय भेदभाव के प्रति असहमतता प्रकट करते हैं, इस प्रकार नगर में आने के बाद से विचारों की प्रवृत्ति में बदलाव आया है एवं हिन्दू परिवार में जातीय छुआछूत के बन्धन अपेक्षाकृत कम हुए हैं ।
- 78.30 प्रतिशत उत्तरदाता जातीय बंधनो मे शिथिलता को नकारते हैं, जो एकाकी परिवार से समबद्ध हैं।
- क्लब, संस्था या समुदायों में अधिकांश उत्तरदाता, जातीय विशेष की अपेक्षा, मित्र–मण्डली को अधिक महत्व देते हैं लगभग 44.80 प्रतिशत उत्तरदाता मित्र–मण्डली के आधार पर किसी संस्था या समुदाय को चुनना पसंद करते हैं ।
- पारिवारिक विवाह समारोह में जातीय बन्धनों के प्रति अधिकांश उत्तरदाता 36.40 प्रतिशत अपनी सहमति प्रकट करते हैं । हिन्दू धार्मिक नियमों के कठोर होने के कारण अधिकांश उत्तरदाता स्वयं की जाति विशेष के समुदायों में ही विवाह करने को प्राथमिकता देते हैं ।
- समाज में जातिगत भेदभाव में अधिकता के कारणों में अधिकांश उत्तरदाता जातिगत छुआछूत को उत्तरदायी मानते हैं । लगभग 38.40 प्रतिशत उत्तरदाता जातिगत भेदभाव में अधिकता के कारणों में छुआछूत को महत्व देते हैं ।
- बहुसंख्यक लगभग 46.8 प्रतिशत उत्तरदाता नगर में जातिगत भेद की समाप्ति के कारणों में शिक्षा को एक प्रमुख उत्तरदायी कारण मानते हैं । 50.52 प्रतिशत स्नातक भी जातीय बंधनो मे शिथिलता को स्वीकारते है। 56.40 प्रतिशत उत्तरदाता इसके पक्ष में है। अतः शिक्षा ने जाति बंधनो को शिथिलता प्रदान की है
- नगर में जातीय भेद मे कमी अपने के प्रति 67.20 प्रतिशत महिलाएं सकारात्मक पक्ष रखती है। अतः नगर मे जातीय भेद मे कमी के प्रति 61.2 प्रतिशत उत्तरदाता पक्ष में है।
- अधिकांश उत्तरदाता 54.00 प्रतिशत योग्यता के आधार पर वोट देते है । उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक उत्तरदाता किसी न किसी रूप में राजनीतिक सक्रियता से जुड़े होते हैं । स्पष्ट है कि नगर निवास अवधि के आधार पर विश्लेषण से स्पष्ट है कि व्यवस्थित नगरीय जीवन में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है । यह जागरूकता आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न व्यक्तियों में अधिक देखने को मिलती है ।

- जातीय विशेष कुल देवता या कुलदेवी के दर्शनों के प्रति अधिकांश उत्तरदाता लगभग 52 प्रतिशत धार्मिक त्यौहार व समारोह के कारण दर्शन हेतु अपनी जाति विशेष के मन्दिर जाते हैं । नगरीय जीवन–शैली की व्यस्तता के चलते केवल त्यौहार या पारिवारिक विवाह समारोह में ही अधिकांश उत्तरदाता अपने जाति विशेष के कुल देवता या कुल देवी के दर्शन हेतु जाते हैं ।
- 51.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का परम्परागत जातीय व्यवसाय में कृषि व्यवसाय मुख्य रूप से देखा जा सकता है । अतः अधिकांश उत्तरदाता ग्रामीण पृष्ठभूमि से सम्बन्धित हैं एवं जिनका परम्परागत व्यवसाय कृषि रहा है ।
- मित्रता हेतु जातीय आधार पर व्यक्ति चुने जाने के प्रति प्रश्न पूछे जाने पर अधिकांश उत्तरदाता लगभग 40.00 प्रतिशत किसी भी जाति के व्यक्ति को बिना किसी जातीय भेद के मित्र चुना जाना स्वीकारा है, अधिकतर उत्तरदाताओं ने भिन्नता के लिए धर्म, जाति एवं सम्पत्ति को स्थान नहीं दिया अर्थात मित्रता के लिए जाति तथा छुआछूत जैसी धारणाओं को अस्वीकार किया है । मित्रता हेतु जातीय आधार पर व्यक्ति चुने जाने के प्रति प्रश्न पूछे जाने पर अधिकांश उत्तरदाता लगभग 40.00 प्रतिशत किसी भी जाति के व्यक्ति को बिना किसी जातीय भेद के मित्र चुना जाना स्वीकारा है,अधिकतर उत्तरदाताओं ने भिन्नता के लिए धर्म, जाति एवं सम्पत्ति को स्थान नहीं दिया अर्थात मित्रता के लिए जाति तथा छुआछूत जैसी धारणाओं को अस्वीकार किया है ।
- जाति पृथकता सम्बन्धी विचारों के आधार पर अधिकांश लगभग 42 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी असहमति प्रकट करते हैं ।नगरीय समाज में निवास करने वाले अधिकांश लोग सजातीय पृथकता को नकारते हैं एवं सभी जाति के व्यक्तियों को व्यावहारिक जीवन में सजातीय मानते हैं ।
- अधिकांश उत्तरदाता जो अविवाहित हैं, स्वजातीय विवाह के विपक्ष में उत्तर देते हैं एवं अंतरजातीय विवाह के प़क्ष में हैं 60.00 प्रतिशत है। अल्पसंख्यक उत्तरदाता इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं
- जातीय बंघनो में शिथिलता के प्रति 85.10 प्रतिशत उत्तरदाता जो अविवाहित हैं, पक्ष मे मत देते हैं। स्पष्ट है कि नगर मे जातीय बंधनो में कमी आई है।
- बहुसंख्यक उत्तरदाता नगर में अपने निवास स्थान के चयन हेतु किसी भी जातीय समुदाय को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें लगभग 50.00 प्रतिशत शामिल हैं, एवं नगरीय क्षेत्र में अधिकांश लोगों की मानसिकता बदली है एवं स्वयं जातीय समुदायों के स्थान पर अधिकतर व्यक्ति किसी भी जातीय समुदाय में निवास करने को प्राथमिकता देने लगे हैं, चाहे वह धर्म के आधार पर पृथक ही क्यों न हो, सभी को समान रूप से प्रमुखता देते हैं ।

- जातीय समुदायों में खान–पान के सम्बन्धों में अधिकांश उत्तरदाता किसी भी जाति के योगदान को उचित मानते हैं । 64.4 प्रतिशत उत्तरदाता किसी भी जाति में खान–पान के सम्बन्धों को बुरा नहीं मानते;अतः पवित्रता–अपवित्रता सम्बन्धी विशेषता भी प्रायः समाप्त होती जा रही है ।

षष्टम अध्याय में नगरीय हिन्दू परिवार में धार्मिक विश्वास एवं रीतियों को बतलाया गया है ।

- धार्मिक कार्यों हेतु दानादि देने की धारणा के प्रति अधिकतर उत्तरदाताओं द्वारा धार्मिक भावना को उत्तरदायी मानते हैं। इनमें सर्वाधिक रूप से महिला उत्तरदाताओं की संख्या परिलक्षित होती है । धार्मिक कार्यों हेतु दानादि देने की धारणा के प्रति उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण 48.40 प्रतिशत धार्मिक भावना का रहा है ।
- अधिकांशः उत्तरदाता आज नगर में निवास के उपरांत शुभ मुहूर्त को टालने लगा है । अब हिन्दू व्यक्ति इसे मात्र एक औपचारिकता मानने लगा है । असहमत आधार पर 49.60 प्रतिशत मतदाता मुहूर्त के आधार पर कार्य प्रारम्भ करने को उचित नहीं मानते हैं ।
- धार्मिक संस्कारों के विश्वासों में अधिकांश उत्तरदाता दैनिक पूजा को हिन्दू धार्मिक संस्कारों में सर्वाधिक 30.40 प्रतिशत मत देते हैं । हिन्दू परिवार पूजा–पाठ, व्रत–उपवास आदि के द्वारा अपने निवास–स्थान में प्रतिदिन पूजा करते हैं ।
- हिन्दू धार्मिक संस्कारों के पालन के विभिन्न उद्देश्यों में 48.00 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाता धार्मिक विधानों की पूर्ति मानते हैं । धर्म के पक्ष में अधिकांश उत्तरदाता 40.00 प्रतिशत मत देते हैं, अलौकिक शक्ति का भय भी इसका एक कारण उत्तरदाताओं ने बताया है ।
- अधिकतर उत्तरदाताओं, 61.6 प्रतिशत ने अपने विचार प्रकट किए हैं ।

कि सामाजिक संगठन व व्यवस्था सामाजिक जीवन हेतु आवश्यक है । यह किसी शक्ति द्वारा नियन्त्रित किए बिना अधुरा है ।

- हिन्दू परिवार में अधिकांश उत्तरदाता समयाभाव के कारण मन्दिर में कभी–कभी दर्शन हेतु जाते हैं । उनमें भी 46.80 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं । इस प्रकार अधिकतर उत्तरदाता कभी–कभी दर्शन हेतु मन्दिर जाते हैं ।
- 29–39 आयु वर्ग के उत्तरदाता 57.00 प्रतिशत धार्मिक आस्था में कमी को मानते हैं।

नगरीकरण ने धार्मिक आस्था में कमी लाई है। 46.8 प्रतिशत उत्तरदाता धार्मिक आस्था में कमी को नगरीकरण के फलस्वरूप स्वीकारते हैं।

- 66.66 प्रतिशत परास्नातक उत्तरदाता धार्मिक आस्था में कमी को स्वीकारते हैं। नगरीकरण के दौरान शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने से पूजा हेतु व्यक्ति के पास समयाभाव है। 51.6 प्रतिशत उत्तरदाता इसके पक्ष में उत्तर देते हैं।
- 44.40 प्रतिशत ईश्वरवादी उत्तरदाता सम्मिलित हैं । हिन्दू परिवार एवं ईष्ट देवताओं में वैविध्य है, भिन्नता है एवं परिवार में ईष्ट देवताओं की उपासना में भी परिवार के सदस्य इच्छुक है । 71.27 प्रतिशत उत्तरदाता जो विवाहित है धर्म के महत्व में कमी के पक्ष है। 65.60 प्रतिशत उत्तरदाता नगर में धर्म के महत्व में कमी स्वीकारते है।
- 51.85 प्रतिशत एकाकी परिवार से सबंध उत्तदाता इसके विपक्ष में हैं। अतः सर्वाधिक एकाकी परिवार से सम्बद्ध उत्तरदाता धार्मिक रीति–रिवाजों के पालन के प्रति विपक्ष मे मत देते है। 43.20 प्रतिशत उत्तरदाता सम्पूर्ण रूप से धार्मिक रीति–रिवाजो के पालने को नकारते हैं।

  अर्थात जितना ही लोगों में नगर निवास की अवधि बढ़ती है, उतना ही लोगों में गैर–धर्म एवं संस्कृति के धनात्मक पक्ष के प्रति लगाव–मूलक प्रवृत्ति बढ़ती हुई दृष्टिगत हुई है । मन्दिर पूजा के प्रति हिन्दू परिवारों में निरन्तरता की अनुपस्थिति उजागर होती है । समयाभाव एवं व्यस्तम जीवन–शैली के कारण हिन्दू परिवार के परम्परागत पूजा–प्रतिष्ठानों में कमी आई है ।

  सप्तम अध्याय में नगरीय हिन्दू परिवार की महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन को दर्शाया गया है ।

- हिन्दू समाज में विवाह की आयु में अधिकता आई है । नगरीकरण ने हिन्दू परिवार की मनोवृत्तियाँ बदली हैं । प्राचीन काल से ही यह देखा गया है कि हिन्दुओं में बाल–विवाहों का अत्यधिक प्रचलन था जो आधुनिक युग में पूर्णतया बदल गया है । अब विवाह हेतु आयु का महत्व कम होता जा रहा है एवं अर्थ को महत्व दिया जाने लगा
- 39.60 प्रतिशत उत्तरदाता कानून के प्रति अधिकांशतः जागरूक हैं । कानूनों एवं विभिन्न अधिनियमों के प्रकारों के बारे में पूछे जाने पर उत्तरदाताओं ने तटस्थता बतलाई है अर्थात कुछ एक कानूनों का उन्हें ज्ञान हैं । आर्थिक आधार पर बनाए गए कानूनों के प्रति लगभग 30.40 प्रतिशत उत्तरदाता अपने ज्ञान को बतलाते हैं ।
- 21–25 वर्ष मानने वालों में 55.20 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाता सम्मिलित हैं ।

हिन्दू समाज में विवाह की आयु में अधिकता आई है । नगरीकरण ने हिन्दू परिवार की मनोवृत्तियाँ बदली हैं ।

- 73.03 प्रतिशत उत्तरदाता जो 18–28 आयुवर्ग के हैं, विलम्ब विवाह के पक्ष में विचार प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक उत्तरदाता विलम्ब विवाह के पक्ष में हैं।

- 89.40 प्रतिशत उत्तरदाता जो विवाहित हैं, विलम्ब विवाह को प्राथमिकता देते हैं विलम्ब विवाह के प्रचलन के प्रति सर्वाधिक 81.20 प्रतिशत उतरदाता अपने दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं।
- 50.80 प्रतिशत उत्तरदाता सर्वाधिक माता–पिता एवं लड़के–लड़की को, विवाह साथी चयन में प्रमुखता देते हैं । हिन्दू समाज में विवाह हेतु माता–पिता की भूमिका प्रमुख मानी जाती है, किन्तु आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं एवं विवाह हेतु जीवन साथी चयन में लड़के–लड़की की पसंद की भूमिका बढ़ी है एवं माता–पिता सहमति लेना भी जरूरी माना गया है।
- वर चयन में प्राथमिकता के प्रति अधिकतर उत्तरदाता, 28.00 प्रतिशत पसंद को एक प्रमुख मापदण्ड़ मानते हैं। इस प्रकार वर चयन में वर–वधु की पसंद एवं माता–पिता की पंसद को प्राथमिकता प्रदान की गई है ।
- बहुसंख्यक लगभग 36.00 प्रतिशत उत्तरदाता अर्न्तजातीय विवाह सम्बन्धों को स्वीकारने के पक्ष में अपने विचार प्रदान करते हैं । हिन्दू परिवार में जातीय बन्धनों में कमी आई है ।
- विवाह की उम्र के प्रति 26 से अधिक आयु को प्राथमिकता देने में 93.33 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाता एकाकी परिवार से सम्बद्ध है। विवाह की उम्र के प्रति 26 से अधिक आयु को प्राथमिकता देने में 93.33 प्रतिश्त सर्वाधिक उत्तरदाता एकाकी परिवार से सम्बद्ध है। नगरीकरण के फलस्वरूप विवाह की उम्र बढी है।
- सर्वाधिक 74.40 प्रतिशत उत्तरदाता सहशिक्षा को उचित मानते हैं । सहशिक्षा के सम्बन्ध में अधिकांश उत्तरदाता पक्ष में मत देते हैं । स्पष्ट है कि भारतीय समाज में जो प्रारम्भ से ही लैगिंक भेदभाव था, वह अब काफी सीमा तक कम होता जा रहा है
- अधिकतर उत्तरदाता दहेज के विपक्ष में यथा 50.00 प्रतिशत, इस प्रकार अधिकांश उत्तरदाता दहेज के प्रति विपक्ष में मत देते हैं। दहेज समाज में एक रोग की तरह है, जिन्हें अधिकांश उत्तरदाता नकारते हैं ।
- नगरों में महिला अपराधों में बलात्कार जैसे अपराध को लगभग 44.80 प्रतिशत उत्तरदाता नगर में बढ़ रहे अपराध को मानते हैं । नगर में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध के प्रति 3 प्रतिशत नकारात्मक विचार देते हैं । उनके अनुसार अपराध का दायरा मात्र महिलाओं तक ही नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को बराबर मात्रा में प्रभावित करता है । नगर में महिला अपराधों के प्रति अधिकांश उत्तरदाता अपनी सहमति प्रदान करते हैं ।
- 78.40 उत्तरदाता विधवा विवाह को स्वीकारते हैं । उनके अनुसार विधवा विवाह कोई अपराध नहीं है । इस प्रकार देखा जा सकता है कि नगरीय हिन्दू महिलाओं में विधवा विवाह बदलाव लाया है ।

- 80.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि घर के निर्णयों के प्रति महिलाओं की भी राय जाननी आवश्यक है । 79.20 प्रतिशत इण्टरमीडियट निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिला भागीदारी को मानते है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी में उत्तरोत्तर विकास हुआ है ।
- 40.00 प्रतिशत उत्तरदाता बाजार के कार्य में पुरूषों की भागीदारी स्वीकारते हैं, घरेलू कार्यों में पुरूषों की सहभागिता बढ़ी है । बाजार के कार्यों को करने में अधिकांश पुरूष महिलाओं का सहयोग करते है ।
- 48.00 प्रतिशत उत्तरदाता पिता की सम्पत्ति में पुत्र–पुत्री के बराबर अधिकार के पक्ष में मत देते हैं उत्तरदाताओं में महिलाएँ पिता की सम्पत्ति में अपने अधिकार के प्रति कम जागरूक हुई प्रतीत होती है ।
- स्त्री पुरूष समानता के पक्ष में 88.88 प्रतिशत उत्तरदाता परास्नातक है।अतः शिक्षित व्यक्ति स्त्री पुरूष समानता के प्रति पक्षघर है। 76 प्रतिशत उत्तरदाता स्त्री पुरूष समानता के पक्षधर है। नगरीकरण के फलस्वरूप महिला–पुरूष समानता में वृद्धि हुई है । 93.20 प्रतिशत उत्तरदाता इसके पक्ष में अपने विचार देते हैं ।
- स्त्री पुरूष समानता के प्रति 68.78 प्रतिशत उत्तरदाता पक्ष में मत देते है वह एकाकी परिवार से है। सयुक्त परिवार से सबद्ध उत्तरदाता 95.00 प्रतिशत उत्तरदाता भी स्त्री पुरूष समानता के प्रति अपने विचार देते है। अतः स्पष्ट है कि नगरीकरण के फलस्वरूप उत्तरदाता स्त्री पुरूष समानता के प्रति सहमत है।
- 79.20 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाता स्त्री पुरूष समानता के पक्ष में है।
- 29–39 आयु के 96.00 उत्तरदाता स्त्री पुरूष समानता के पक्ष में है। अतः सर्वाधिक 76.80 प्रतिशत उत्तरदाता स्त्री पुरूष समानता के पक्ष है।
- अधिकांश 56.40 प्रतिशत उत्तरदाता पुत्र–पुत्री को एक समान मानने के पक्षधर हैं क्योंकि वे पुत्र–पुत्र में किसी भी प्रकार के सामाजिक भेद को नहीं स्वीकारते हैं ।
- 74.40 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि हिन्दू सामाजिक मान्यताएँ नारी की प्रगति में बाधक हैं । अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार हिन्दू सामाजिक मान्यताएँ नारी की प्रगति में बाधक हैं ।
- महिलाओं के हिंसा के प्रेरक तत्वों में पुरूष प्रधान देश की मानसिकता का आज भी वर्चस्व परिलक्षित होता है । 39.20 प्रतिशत पुरूष प्रधान देश के पक्ष में मत देते हैं ।
- 40.80 प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार पर्दा प्रथा स्त्री की इच्छा पर आधारित होना चाहिए, नगरीय हिन्दू उत्तरदाता परम्परागत पर्दा प्रथा के पालन के प्रति असहमति की गई । 69.44 परास्नातक पर्दा

प्रथा के विपक्ष में तर्क देते है। स्पष्ट है कि नगर में शिक्षा के प्रति जागरूकता से पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा समाप्ति की ओर अग्रसर है 61.60 उत्तरदाता इसके विपक्ष में है।

- बहुसंख्यक उत्तरदाता स्वतन्त्र विचार को वेशभूषा में बदलाव का कारण मानते हैं जिनमें 32.00 प्रतिशत उत्तरदाता शामिल हैं । हिन्दू परिवारों की परम्परागत वेशभूषा में बदलाव आया है जिसका प्रमुख कारण नगरीय जीवनशैली में पाए गए स्वतन्त्र विचार हैं ।
- नगरीय 72.00 प्रतिशत पुरूष व महिला नगरीय वेशभूषा मे ंबदलाव के प्रति पक्ष मे है। अधिकतर 72 प्रतिशत उत्तरदाता नगरीय वेशभूषा मे ंबदलाव को स्वीकारते है।
- 40–50 आयु वर्ग के 77.08 प्रतिशत उत्तरदाता नगर में आने के उपरांत नगरीय वेशभूषा में बदलाव को स्वीकारते है। इस प्रकार नगर मे आने उपरांत नगरीय वेशभूषा के प्रति 67.20 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत है।
- अधिकांश महिलाएँ रोजगार का महत्व देने लगी है । लगभग 41.20 प्रतिशत बहुसंख्यक उत्तरदाता घरेलू खर्चों के बढ़ने के कारण महिलाओं द्वारा रोजगार को प्रमुखता देते हैं
- लगभग 56.00 प्रतिशत उत्तरदाता नगरीकरण से महिला स्वतन्त्रता में वृद्धि को आपसी समझ का एक कारण मानते हैं । नगरों में आकर यहाँ रोजगार एवं वृहद विचारधारा के साथ जीवन–यापन करने से सोच का दायरा बढ़ा है एवं महिला एवं पुरूष समानता में वृद्धि हुई है ।
- 65.60 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाता महिला स्वतन्त्रता के पक्ष में उत्तर देते है सर्वाधिक उत्तरदाता महिला स्वतत्रंता के पक्ष में वैचारिक दृष्टिकोण रखते है।
- शिक्षा का उच्च स्तर को 44.00 प्रतिशत में 60 महिलाएँ एवं 50 पुरूष उत्तरदाता महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रमुख रूप से उत्तरदायी मानते हैं महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण ने वर्तमान में आधुनिक नवीन मूल्यों को प्रोत्साहित किया है ।

अष्टम अध्याय में निष्कर्ष और विश्लेषण को स्थान दिया गया है ।

नगरिय परिवेश से जुडे लोग भी अपनी उच्च सामाजिक स्थिति के प्रति प्रयत्नशील हैं और वे परम्परागत सामाजिक पहलुओं मे परिवर्तन का कारण नगरीय संस्कृति को मानते हैं।

विवाह

- विवाह की आयु के प्रति युवा वर्ग सर्वाधिक उत्तरदाता उत्तरदाता अधिकांशतः सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं जबकि अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाता नकरात्मक रूप में पाये गये हैं, विलम्ब विवाह के

प्रति युवा वर्ग उत्तरदाता जो 18–28 आयुवर्ग के हैं, विलम्ब विवाह के पक्ष में विचार प्रस्तुत करते हैं। जबकि प्रौढ़ वर्ग के उत्तरदाता सापेक्षतया कम रूचि रखते हैं ।

- वैवाहिक वर्ग अविवाहित उत्तरदाता अंतरर्जातीय विवाह के पक्ष में हैं, अविवाहित है, वह स्वजातीय विवाह के विपक्ष में उत्तर देते हैं एवं अतरर्जातीय विवाह के प़क्ष में हैं, जबकि विवाहित उत्तरदाता इससे आंशिक रूप से सहमत हैं। विधुर एवं विधवा वर्ग के उत्तरदाता इसके विपक्ष में ही नगरीय संस्कृति के उन सभी मूल्यो के प्रति अविवाहित उत्तरदाता पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं जबकि विवाहित उत्तरदाता इसे आशिंक रूप से स्वीकार करते हैं और विधवा तथा विधुर वर्ग के उत्तरदाता नकारात्मक दृष्टिकोण अधिक मात्रा मे रखते हैं।

परिवार

- उत्तरदाताओं का पारिवारिक स्वरूप विस्तृत रूप से एकाकी परिवार से जुड़ा हुआ पाया गया है । कम आयु के उत्तरदाता एकाकी परिवार के प्रति अधिक रूचि रखते है और जैसे–जैसे उत्तरदाताओ की आयु अधिक होती गई है, वैसे–वैसे उनके दृष्टिकोण में तुलनात्मक रूप से इसके प्रति कम रूचि दिखाई पडती है ।
- पारिवारिक संरचना के अंतर्गत अध्ययन करने से पाया कि एकाकी परिवार के उत्तरदाता प्रत्येक पक्ष पर संयुक्त परिवार की तुलना में अधिक स्वीकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं ।

आयु

- वेशभूषा के प्रयोग के प्रति कम आयु के उत्तरदाता अधिक रूचि रखते हैं । 18–28 आयु वर्ग के उत्तरदाता नगर में आने के उपरांत नगरीय वेशभूषा में बदलाव को स्वीकारते हैं, तथा अधिक आयु के उत्तरदाता इसके विपरीत हैं। इस प्रकार अधिकतर उत्तरदाता नगरीय वेशभूषा में परिवर्तन आने के पक्ष में हैं।

शिक्षा

उत्तरदाताओ के दृष्टिकोण का अध्ययन करने से यह परिलक्षित होता है। अशिक्षित उत्तरदाता परिवर्तन पसन्द नही करते हैं, जबकि शिक्षित युवा वर्ग इसे अधिक स्वीकार करते हैं।

- शैक्षिक योग्यता के आधार पर उत्तरदाताओं का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि नगरीय संस्कृति के उन सभी सामाजिक मूल्यो के प्रति उनके दृष्टिकोणों, प्रत्येक दृष्टिकोण मे परिवर्तन आया है। अधिक आयु के. उत्तरदाता इसे अस्वीकार करते हैं।

- शिक्षा का भी उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण पर प्रभाव पडा है। अशिक्षित उत्तरदाताओं की तुलना में शिक्षित उत्तरदाता इसके पक्ष में हैं, साथ ही इनके मध्य स्वीकारात्मक सम्बन्ध पाया गया है। प्रत्येक धार्मिक आयामों पर शिक्षा का प्रभाव देखने को प्राप्त हुआ है। अधिकांश उत्तरदाता ने परम्परा से परे विचार व्यक्त किये हैं। इसी प्रकार परिवार का भी प्रभाव देखा गया है। संयुक्त परिवार की तुलना में एकांकी परिवार के उत्तरदाताओं में नगरीय संस्कृति के मूल्यों को अधिक मात्रा में स्वीकार किया है।

लैंगिक संरचना

- लैंगिक संरचना के आधार पर अध्ययन करने से यह पता चलता है कि सामाजिक पहलुओं के प्रत्येक बिन्दु पर पुरूष वर्ग के उत्तरदाता इसे स्वीकार करते हैं। लैंगिक संरचना के आधार पर अध्ययन करने से यह विदित होता है कि सामाजिक पहलुओ के प्रत्येक बिन्दु पर पुरूष वर्ग के उत्तरदाता इसे स्वीकार करते हैं, जबकि महिला उत्तरदाता कम स्वीकार करती हैं।

व्यवसाय

- पेशे ने भी व्यक्ति के दृष्टिकोण को निश्चित रूप से प्रभावित किया है। नौकरी पेशा करने वाले उत्तरदाता परम्परागत व्यवसाय व कृषि पेशा करने वाले उत्तरदाता की तुलना मे स्वीकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, जबकि अन्य पेशे के उत्तरदाता नकारात्मक दृष्टिकोण अधिक मात्रा में रखते हैं।
- उत्तरदाताओं की व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति कृषि एवं परम्परागत व्यवसाय के उत्तरदाताओं की तुलना में प्रगतिशील विचार दिये हैं, साथ ही उनके प्रत्यक्षीकरण पर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।

आय

- आय समूह मे अधिक आय के उत्तरदाता कम आय के उत्तरदाताओं की तुलना में उच्च वैचारिक दृष्टिकोण रखते हैं तथा विवाह के प्रतिमानों मे आये परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, जबकि कम आय के उत्तरदाता अस्वीकार करते हैं। अधिक आय के उत्तरदाता पूर्णरूप से नगरीय मूल्यो को स्वीकार करते हैं, जबकि कम आय के उत्तरदाता इसे कम रूप से स्वीकार करते हैं। प्रौढ़ और कम आय के उत्तरदाता इसे अस्वीकार करते हैं।
- विभिन्न धार्मिक मूल्यों धर्म के महत्व मे कमी, धर्म निरपेक्ष, भोजन के प्रति दृष्टिकोण तथा अंग्रेजी शिक्षा माध्यम आदि के प्रति उनके विचारों में आय का प्रभाव देखा जा सकता है।

उपकल्पनाओं का परीक्षण

नगरीकरण बढ़ने के साथ–साथ संयुक्त परिवार के सरचंनात्मक-प्रर्कायात्मक स्वरूप मे विघटन आया हैं की पुष्ठि से **प्रथम उपकल्पना** का सत्यापन होता हैं कि संयुक्त परिवार की तुलना में एकाकी परिवार की भूमिका बढ़ी है, साथ ही प्रभुत्व व्यवस्था भी परिवर्तित हुई है । जीवन साथी के चुनाव में वर–वधु की स्वतंत्रता, मुख्य रूप से शहरी परिवारों में परिलक्षित होती है । मध्यमवर्गीय परिवारों में स्त्रियों का घर से बाहर रोजगार करना, सामाजिक परिवर्तन के अविच्छेदनीय पहलू है । इन तमाम परिवर्तनों के बावजूद साझा परिवारों में अभी भी परम्परागत नजरिया आज भी कायम है, जो मुख्य रूप से गाँव में निवास करते हैं । नगरों में परम्परागत मूल्य, आदर्श, नवीनता की चपेट में आकर धीरे–धीरे परिवर्तित हो रहे हैं । युवा पीढ़ी इन परिवर्तनों को स्वीकार कर रही है । आधुनिक हिन्दू परिवार के विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमान बदल रहे हैं । नैतिकता के एक नवीन स्तर ने परम्परागत हिन्दू परिवार की सरंचना को ही बदल दिया है । परम्परागत मूल्य तीव्र गति से बदल रहे हैं, फलस्वरूप परिवार की प्रयुक्तता प्रभावित हुई है ।

नगरीकरण के फलस्वरूप जाति–प्रथा का विघटन हुआ है **द्वितीय उपकल्पना** की पुष्ठि से का सत्यापन नही हो रहा हैं चूकि नगरीकरण के फलस्वरूप जाति–प्रथा के विघटन की इस प्राक्कल्पना में बहुसंख्यक उत्तरदाता मित्र–मण्ड़ली चयन में वर–वधु चयन में, सामूहिक भोज में, जातीय बन्धनों को नहीं स्वीकारते, किन्तु स्वयं के पारिवारिक विवाह समारोह में जातीय बन्धनों को मानते हैं एवं स्वयं जातीय विवाह को प्राथमिकता प्रदान करते हैं । इस प्रकार के विचारों में आदर्श एवं व्यवहार के दोनों पहलुओं में भ्रामकता दृष्टिगोचर होती है । इस प्रकार जातिगत भेद आज भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए हैं, चाहे नगर हो या गाँव, लेकिन नगरों में अपेक्षाकृत कम जातिगत भेद परिलक्षित हुए हैं । इस प्रकार नगरीकरण के फलस्वरूप जाति प्रथा का पूर्णतः विघटन नहीं हुआ है ।

नगरीकरण से हिन्दू परिवारों के धार्मिक विश्वासों में कमी आई है की पुष्ठि से **तुतीय उपकल्पना** का अर्द्वसत्यापन होता हैं के अर्न्तगत यह पाया कि हिन्दूओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है । आधुनिकता के आगमन ने विवाह को धार्मिक संस्कार मानने वालों की संख्या में कमी आई है । उक्त प्राक्कल्पना भी अध्ययन के निष्कर्षों में समानता को दर्शाती है । नगर में रहने वाले हिन्दू परिवार एवं विवाह संस्था में धार्मिक विश्वासों में कमी आई है । प्रथाएँ, परम्परा, रूढ़ियाँ, जनरीतियों, सामाजिक मूल्य, आदर्श, प्रतिमान सभी में आधुनिकता का समावेश होने से नगरीय हिन्दू परिवारों में धार्मिक विश्वासों में अत्यन्त कमी आई है । औपचारिकता मात्र हिन्दू संस्कार ही अब देखने को मिलते है । कई उत्तरदाता अधिकांश संस्कारों का पालन करना या तो उचित नहीं समझते हैं या इस कार्य को अनावश्यक मानते हैं । उनके अनुसार आवश्यक कार्य तो सिर्फ पद, प्रतिष्ठा, पैसा कमाना ही मुख्य रूप से है, जिसके चलते व्यक्ति, प्राचीन धर्म,

रीति–रिवाजों एवं संस्कारों को भी भूलते जा रहे हैं । स्पष्ट है कि नगरीकरण से हिन्दू परिवारों के धार्मिक विश्वासों में कमी आई है ।

नगरीकरण से शिक्षा का प्रसार हुआ है उक्त **चतुर्थ उपकल्पना** अध्यापन को पुष्ट करती है कि उच्च शिक्षा प्राप्त अधिकतर उत्तरदाताओं क्षेत्रीयतामूलक, उपसंस्कृति समुदाय की बाध्यता दृष्टिगत नहीं होती है । स्पष्ट है कि नगरीय सरचंना के जनसमूहों में जैसे–जैसे शिक्षा का विकास होता जाता है, वैसे–वैसे उनमें नगरीयतामूलक, नगरीकरण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है । शोध की उक्त प्राक्कल्पना जो शैक्षिक विकास एवं नगरीयतामूलक जीवनशैली में सापेक्षिक रूप से सम्बन्धित होती है, को नवीन दिशा प्रदान करती है । जितना अधिक किसी सांस्कृतिक समूह में या परिवार संस्था में शैक्षणिक वृद्धि होगी उन लोगों में उतनी ही अधिक नगरीय विशेषताओं का विकास होगा ।

नगरीकरण के दौरान महिलाओं की स्थिति उच्च हुई है । उपर्युक्त **पंचम उपकल्पना** का सत्यापन सिद्ध करता है कि आज स्त्रियों में शिक्षा का वर्चस्व बढ़ा है एवं शिक्षित होने से महिलाएँ अपने आपको सशक्त करने हेतु प्रयासरत होने लगी हैं एवं उनमें आर्थिक स्वावलम्बन की प्रवृत्ति बढ़ी है । आज महिलाएँ जीवन निर्वाह हेतु पति पर निर्भर ना रहकर स्वयं ही रोजगार करने लगी है एवं परिवार का पालन–पोषण कर सकती है । विवाह संस्था की अनिवार्यता खत्म होने से महिलाओं के पास अपने भविष्य के प्रति योजना बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है । हिन्दू परिवार में स्त्रियों पर विभिन्न अधिनियमों का भी प्रभाव पड़ा है जिसमें हिन्दू कोड बिल के अनुसार 1937 में हिन्दू स्त्रियों को सम्पत्ति मिलने के अवसर मिले हैं । हिन्दू परिवार में स्त्रियों की स्थिति में हो रहे परिवर्तनों से यह परिलक्षित होता है कि हिन्दू परिवार परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है

नगरीकरण के फलस्वरूप प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रसार के साथ–साथ समानता की भावना में वृद्धि हुई है । उपर्युक्त **षष्ठम प्राक्कल्पना** से सत्यापित होता है कि नगरीय सरचंना में विभिन्न समूहों के बीच समायोजन के फलस्वरूप नगरीकरण के दौरान एक सामान्य–संश्लिष्ट नगरीय संस्कृति दृष्टिगोचर होती है । नगरीय व्यक्ति की प्रवृत्ति अपने ही समान प्रजातीय, धर्म, क्षेत्रीयता के लोगों में होती है । नगरीय क्षेत्र में निरन्तर जनसंख्या के आवागमन सें परिवर्तन होता रहता है, फिर भी यहां के निवासियों में औद्योगिक, व्यापारिक और मनोरंजनात्मक क्षेत्रों का सम्मिश्रण पाया जाता है ।

नगर के बहुसंख्यक शिक्षित लोग नगरीय सरचंना में सजातीय पृथकता को व्यवहारिक जीवन में महत्व नहीं देते अर्थात जैसे–जैसे शिक्षा का विकास होता है । व्यावहारिक जीवन में सजातीय पृथकता का

महत्व दिन–प्रतिदिन घटता जा रहा है एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रसार के साथ–साथ समानता की भावना में वृद्धि होती है ।

शोध की उपलब्धियाँ

उपर्युक्त विवेचन के अतिरिक्त शोध अध्ययन की अन्य उपलब्धियाँ निम्न प्रकार से है :–

1. नगर में निवास करने वाले उच्च शिक्षा प्राप्त अधिकतर उत्तरदाता आधुनिक विवाह पद्धति को एवं अन्य समूह के उत्तरदाता परम्परागत विवाह पद्धति को महत्ता देते हैं ।
2. अधिकांश आयु समूह के उत्तरदाता अपने ही जातीय समुदाय में विवाह को प्राथमिकता देते हैं ।
3. बहुसंख्यक उत्तरदाता दहेज प्रथा के विपक्ष में उत्तर देते हैं ।
4. नगर निवास की अवधि में वृद्धि के साथ–साथ परम्परागत मूल्य भी बदलते जाते हैं एवं नये आधुनिक विचारों का आर्विभाव होता है ।
5. विभिन्न उत्तरदाता आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं ।
6. अधिकतर उत्तरदाताओं का मानना है कि नगर में निवास, उद्योग–धन्धे, नगरीय जीवन की प्रवृत्ति ने नगर में निवास की अवधि में बढ़ोत्तरी की है ।
7. सभी शैक्षणिक, व्यवसायिक, गैर–व्यवसायिक समूह अपने सहकर्मी व मित्रों के साथ व्यवसाय, शिक्षा व रहन–सहन को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र के क्यों ना हों ।
8. बहुसंख्यक उत्तरदाता एक–दुसरे के सामाजिक–धार्मिक, वैवाहिक, समारोह में सहभागिता को प्रमुखता देते हैं एवं सामूहिक भोज में उन्हें आमंत्रित करते हैं, बिना किसी जातीय भेद के ।
9. अधिकतर उत्तरदाता का मानना है कि, नगरीय भौतिक सुख–सुविधा व उपभोग की आवश्यकताओं की सहजता से पूर्ति ने नगर के प्रति झुकाव को बढ़ाया है एवं व्यक्ति को नगर की ओर आकर रहने व व्यवसाय करने को प्रेरित किया है।
10. उत्तरदाताओं का जन्म स्थान अधिकाधिक रूप से गाँव रहा है, जो नगरीय–ग्रामीण परिदृश्य को प्रदर्शित करता है, जो यह बतलाता है कि आज भी नगरीय परिवार गाँवों से जुड़े हैं ।
11. नगर में निवास करने व आकर बसने के कारणों में अधिकांश उत्तरदाता रोजगार एवं शिक्षा को महत्ता देते हैं ।
12. अधिकतर उत्तरदाता नगरों के विस्तार के पक्षधर हैं।
13. अधिकांश उत्तरदाता एकाकी परिवार से सम्बद्ध हैं ।
14. नगरों में निवास ने परिवार की आर्थिक स्थिति की सुढता को बहुसंख्यक उत्तरदाता महत्व देते हैं एवं एकाकी परिवार की अधिकता को इसके प्रति उत्तरदायी मानते हैं।

15. अधिकांश उत्तरदाता मानते हैं कि नगरीकरण ने पारिवारिक सम्बन्धों को शिथिल एवं दिखावा मात्र बना दिया है ।

16. नगर में निवास करने से मनोवृत्तियों में बदलाव के प्रति अधिकांश उत्तरदाता सहमत है।

17. खान–पान के प्रति बहुसंख्यक उत्तरदाता शाकाहारी भोजन सम्बन्धी अभिरूचि को दर्शाते हैं ।

18. संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नगरीय प्रवृत्ति एवं एकांकी सोच रहा है जो अधिकतर उत्तरदाताओं के विचारों को बतलाते हैं ।

19. बहुसंख्यक उत्तरदाता धार्मिक भावना को दान आदि कार्य हेतु प्रभावी मानते हैं एवं धार्मिक क्रियाकलाप को प्राथमिकता देते हैं ।

20. अधिकांश उत्तरदाता महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सहमत है एवं महिला–पुरूष (सहशिक्षा) के पक्ष में हैं, ताकि महिला आत्मविश्वास में वृद्धि एवं महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो सके ।

21. अधिकतर उत्तरदाता लैंगिंक समानता को महत्व देते हैं ताकि समाज में समानता की भावना में वृद्धि हो सके ।

22. बहुसंख्यक उत्तरदाता महिला के रोजगार करने के प्रति सहमत हैं ।

23. हिन्दू परम्परागत मान्यताओं को अधिकांश उत्तरदाता लगभग नकारते हैं एवं इन्हें एक परम्परागत बंधन मानते हैं ।

नगरीय सरंचना का समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण करने पर पता चलता है कि संस्कृति, भाषा, धर्म, वर्ग, जाति, प्रजाति, क्षेत्रीयता और रहन–सहन एवं प्रस्थितिकीय भिन्नता उसकी जनांकिकीय सरचंना में दिखलाई पड़ती है । एक ही नगर में विभिन्न जाति, भाषा, प्रादेशिकता, धर्म तथा वर्गीय–चरित्र का विभिन्न समुदायों में अपना अलग–अलग सांस्कृतिक स्वरूप होता है ।

शोध अध्ययन का विश्लेषण

समाज का एक शाश्वत नियम परिवर्तन है, समाज का हर क्षेत्र तीव्रता से परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है । आधुनिक युग में परिवर्तन की विभिन्न नई शक्तियों का उदय हो रहा है जिसमें प्रमुख रूप नगरीकरण की प्रवृत्तिया हमारे परम्परागत मूल्यों, प्रतिमानों व आदर्शों को विविधता से प्रभावित कर रही है तथा हमारे हिन्दू संयुक्त परिवार परिवर्तित हो, एकाकी परिवारों में तब्दील हो रहे हैं। इन परिवर्तनों से ऐसा प्रतीत होता है, जैसे भविष्य में तो इनका (संयुक्त परिवार) अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार सामाजिक, सांस्कृति परिवर्तन तीव्रता से घटित हो रहे हैं, कुछ भी कह पाना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है । समाज में हमारे परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, विभिन्न

संस्थाएँ, समुदायों में परिवर्तन हो रहे हैं । आज सम्पूर्ण परिवार के बेहतर जीवन हेतु अच्छा रहन–सहन, खान–पान, सर्वोत्तम शिक्षा, रोजगार की कल्पना हर कोई मनुष्य करता है ।

अब मनुष्य कृषि व्यवसाय को महत्वहीन मानने लगे हैं एवं उच्च शिक्षा, व्यवसाय, सरकारी नौकरी, नगर में निवास को प्राथमिकता देने लगे हैं, जिसके फलस्वरूप नगरीकरण बढ़ रहा है । नगरीकरण की प्रवृत्ति ने सामुदायिक भावना को प्रभावित किया है, अब व्यक्तिवादिता की भावना इतनी अधिक बढ़ गई है कि किसी को अन्य से कोई मतलब नहीं रह गया है, चाहे वह आस–पड़ौस हो या स्वयं के रिश्तेदार एवं सगे–सम्बन्धी, सभी पारिवारिक रिश्ते–नाते अब सिर्फ दिखावा मात्र रह गए हैं, उनमें भावना का केवल मात्र एक ढ़ोंग नज़र आने लगा है ।

संयुक्त परिवार प्रारम्भ से ही गाँव में अधिकाधिक रूप से देखे गए हैं जहाँ कृषि कार्य की प्रधानता रही है । कृषि एवं संयुक्त परिवार का घनिष्ठ सम्बन्ध है । कृषि के बटवाँरे के साथ–साथ धीरे–धीरे संयुक्त परिवार भी टूटने लगे और नगरीकरण की अवधारणा अस्तित्व में आई । वर्तमान में सरंचनात्मक रूप में परिवारों की संख्या कम हो रही है, किन्तु प्रकार्यात्मक रूप से परिवार अभी भी आपस में संयुक्त हैं ।

हिन्दू संयुक्त परिवार के विघटन के द्योतक तत्व उसके आकार का छोटा होना, मुखिया के अधिकारों में कमी, स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि व उनकी शिक्षा, पारिवारिक नियत्रंण में कमी, परिवार के प्रकार्यों में कमी रहे हैं । इन सभी तत्वों के अनुसार जैसे–जैसे नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि होगी, त्यों–त्यों हिन्दू संयुक्त परिवारों का विघटन होगा ।

हिन्दू संयुक्त परिवारों में विघटन तो हो रहा है लेकिन परिवार के लोगों की मनोवृत्तियाँ आज भी संयुक्त हैं । परिवार के रिश्तेदार, सगे–सम्बन्धी आज भी संयुक्त एवं पारिवारिक बन्धनों में हैं, आज भी उत्सवों–त्यौहारों पर या किसी विशेष अनुष्ठानों आदि में परिवार के सदस्य, एक स्थान पर एकत्र हो सम्मिलित रूप से पूजा–पाठ सम्पन्न करते हैं । परिवार के सदस्यों में विघटन में संयुक्त परिवार निवास के आधार पर भले ही छोटे–छोटे हो गए हों, किन्तु आज भी हिन्दू परिवार की मनोवृत्तियाँ संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं । यह विचार आज भी जीवित है । पृथक रसोईघर, सम्पत्ति होने के बावजूद विघटित परिवार आपस में संयुक्त हैं ।

आधुनिक युग में हिन्दू परिवार पर हुए अध्ययन यह प्रदर्शित करता है कि अब परम्परागत संस्थाओं का आधुनिकीकरण हो गया है । स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्थाओं ने बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डाला है। आधुनिक हिन्दू परिवारों के सामाजिक व सांस्कृतिक प्रकार्यो में परिवर्तन हो रहा है । परम्परागत मूल्यों की अवहेलना हो रही है । पारिवारिक सदस्य नैतिकता की उपेक्षा करके भौतिकवादी युग में प्रवेश कर रहे हैं । हिन्दू परिवार जो धार्मिक संस्कार का एक आदर्श रहा है कि धार्मिक गतिविधियों एवं कार्यकलापों में परिवर्तन आ गया है एवं धार्मिक विचारों का ह्रास हो रहा है।

परिवार के वयोवृद्ध व्यक्ति के आदेशों का पालना करना अब केवल दिखावा मात्र रह गया है । अब परिवार में तर्क एवं स्वयं के निर्णय को अधिक महत्ता दी जाने लगी है । युवक–युवतियों के मेलजोल, स्वंय ही जीवन–साथी का चयन को उचित माना जाने लगा है । व्यक्तिगत स्वतंत्रता का चलन बढ़ा है । परिवर्तन के इस स्तर ने हिन्दू पारिवारिक प्रतिमानों को परिवर्तित कर दिया है । आधुनिक प्रतिमानों का चलन बढ़ने से परम्परागत प्रतिमान बदल गए हैं ।

वास्तव में हिन्दू संयुक्त परिवार में अनुशासन और नियत्रंण पर अधिक जोर दिया जाता है । वयोवृद्ध व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना, परिवार के प्रतिमान, आदर्शों, मूल्यों के अनुसार चलना आदि संयुक्त परिवार के मुख्य आधार है । वही नवीन पीढ़ी प्रजातांत्रिक भावनाओं को स्वीकारती है, जो शिक्षित एवं आत्मनिर्भर होने के साथ–साथ संघर्षशील हैं, क्योंकि उनकी दैनिक जीवनशैली भिन्न हैं। यह भिन्नता बनी रहेगी तो संयुक्त परिवार का विघटन होना निश्चित है, किन्तु यदि संयुक्त परिवारों को नगरीकरण के परिप्रेक्ष्य में बनाए रखना है, तो नवीन पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी को भी उदारता रखनी होगी एवं परम्परागत मूल्यों, रीति–रिवाजों, आदर्शों में सरलता लानी होगी एवं तादात्म्यीकरण करना होगा । हिन्दुओं की प्रमुख विशिष्टता सयुंक्त परिवार की रही है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हिन्दु पारिवारिक जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों के फलस्वरूप इन सयुंक्त परिवारों में सामाजिक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है।

परिशिष्ट

संदर्भ सूची

Reference Group list

1. Anderson Nels, (1959) The Urban Community, New york
2. Aileen, Ross (1967) "The Hindu family in Its Urban Setting", Canada, University of Toronto
3. Abraham, K.M. (1957) "The Patterns of Family in Changing India", Binnypet, Banglore, pp-2
4. “Advanced and Encyclopedia of sociology”(2011)Rawat publication,new dehli
5. अग्रवाल, गीतांजलि (2008) ''भारतीय सामाजिक दर्शन : धर्म शास्त्रो के परिप्रेक्ष्य में'' न्यू भारतीय बुक कारपोरेशन
6. अग्रवाल, वासुदेवशरण (1979) ''भारतीय धर्म मीमांसा'', पृथ्वी प्रकाशन, वाराणसी
7. एनसाइक्लोपीड़िया ऑफ पालिटिकल साइंस, (2011) नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
8. आप्टे, प्रभा (1996) ''भारतीय समाज में नारी'', क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर
9. अन्सारी, एम.एम. (1989) ''नारी चेतना और अपराध'', पंचशील प्रकाशन, जयपुर
10. अग्रवाल, अमित (2010) ''भारत मे नगरीय समाज'', विवेक प्रकाशन, दिल्ली पेज 41
11. Blondel, j.(1963) "Voters, Parties and Leaders", social fabric of british politics (pelican) penguin books, pp-38
12. Bottomore, T.B. (1962) "Sociology : A Guide to Problems and literature", London george allen and unwin.
13. Barnabas, A.P. (1957) "Patterns of Rural Family", Bullatin of the christan Institute for the study of society
14. Burgess, E.W. and Locke, H.J. (1945) "The family form Institution to Companionship", New york American book
15. Berger, P. and Kellener, H.(1973) "The Homeless Mind : Modernization and Consciousness" New york
16. Bergel, E.E. (1955) 'Urban Sociology', Mcgraw-hill Book, Co. INC, New york, pp-14
17. Bulsara J. (1965) “Problems of Rapid Urbanization in India", popular prakashan
18. Bose Ashish (1973)"Studies in India's Urbanization", Tata Mcgraw-Hill, Publishing co. Ltd. Bombay
19. Baghel, D.S.(1993) "Urban Sociology", m.p. Hindi Granth Academy.
20. Bogardas, E.S. (1957) "Sociology" The macmilon company, New york

21. Blondel j.(1963), "Voters ,Parties and Leaders", social fabric of british politics(pelican), penguin books,
22. Burgess, E.W. and Locke, H.J. (1945) "The Family Form Institution to Companionship", New york American book
23. Bano, F. (1994) "Transformation of Family Structure in Two Socio-Economically", contrasting, areas of Karachi, Landhi-Nizamabad, M.phil Dissertation, Dept. of sociology, Uni. of Karachi, Karachi
24. Bogardus, (1969) "Sociology", university of southern, california press
25. Berelson, Bennard (1952) "Content Analysis in Communication Research", free press
26. Bilward, E. Moore, "The Impact of Industries", printise hall, New Delhi
27. Bogardus, E.S.(1950), "Sociology", The Macmillon Co Newyork
28. भार्गव, अरूणा (1996) ''ग्रामीण–नगरीय संरचना'', प्रिंटवेल ,जयपुर
29. भारत – (2006), सूचना एवं प्रसारण मत्रांलय, भारत सरकार प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
30. भुस्कुटे, गो0कृ0 (1982) ''हिन्दू धर्म, मानव धर्म'', प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
31. भाटी, कान्ता (2007) ''महिला उत्पीड़न, दहैज प्रताड़ना तथा दहेज हत्या'',पोस्टर पब्लिकेशन्स, जयपुर
32. Cooley, C.H. (1910) "Social Organization" A study of the larger mind", new york:c.scribner's,
33. Cooley,C.H.(1962) "The Theory of Transportation", Collier Booker, New york, Park and Bergs (1925) "The City" Chicango University Press. Weber Max.(1938) "The city ", free press of Glunco.
34. Charles, Ellwood A. (1873-1946) "Sociology in its Psycological Aspects", Study of Family", New york, Appleton"
35. Chandrasekhar, S. (1953) "Prospects of Planned Parenthood in India", Pacific Affairs XXVI 318-328 Dec
36. Cooley, C.H. (1902/1964) "Human Nature and The Social Order", New york Charle scriber Mead, G.H. (1934/1962) "Mind,Self and other", Chicago press Thomas, W.I. (1928) "The Behaviour patterns and the situation American sociological society, 22-1-13
37. चतुर्वेदी, सुषमा (2003) ''हिन्दू परिवारों के बदलते प्रतिमान'', ज्योति प्रकाशन, जयपुर
38. चानना डी आर (1961) " सस्ंकृतिकरण, पश्चिमीकरण और भारत " खण्ड -3 अंर्क -9 मार्च 4
39. छापड़िया, मनोज (2008) ''स्त्री शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता'', सीरीयल्स पब्लिकेशन, नई दिल्ली
40. Devis Kingsly (1951) "Population of India and Pakistan" princeton university press

41. Devis, Kingsley (1949) "Human Society", new york, macmillian company
42. Davis Kingsly(1965) 'The Urbanization of Human Population" scientific American, Vol.213(No.3) p-42,Pocock. D.F.(1970)'The process of Urbanisation
43. Davis Kingsly and Hilda Hertz Golden Quoted in M.S. Gore (1990) “Urbanization And Family Change”, Popular Prakashan
44. Damly, Y.B. (1963) “The Nature of Urbanization in India", Bullatin of the tribal institute Chindwara", Vol.31,no. 2 dec.pp-1
45. Desai, I.P. (1964) “Some Aspects of Family in Mahwa : A Sociological Study of Jointness in Small Town”, Asia Publishing House, Bombay,
46. Encyclopedia of sociology(2011), Rawat publication 2011 jaipur pp-
47. Engels, F. (1884/1902) "The Origin of the family Private Property and The State", New york , Path finder, Press in wesley R.B.
48. Encyclopedia Britannica (1929)Vol.9-14th edition New york
49. Faris Robert, E.L. (1948) “Social Disorganization "New York : Ronald Press co
50. Fairchild, H.P. (1958) "The Dictionary of Sociology", printed in U.S.A
51. George, Murdock p.(1949) "Social Structure", Oxford, England macmillion xvii pp-387
52. Ghurye, G.S. (1950) "Caste ,and Race in India",popular prakashan,pvt. Ltd. Mumbai
53. Goode, W.J. (1963) "World Revolution and family Patterns", New york, Free press.
54. Gore, M.S. (1990) "Urbanization & Family Change",bombay popular publication.
55. Gore, M.S. (1968) , "Urbanization and Change", Bombay Popular publication
56. Guratanik, David, B.s.p. (1970) Websters New World Dictionary Calcutta Amerid, pp-260
57. Ghosha, Jogeschandra (1928) "Hindu Women of India", Bimla publication New Delhi
58. Goode, W.J. (1963) "World Revolution and family patterns", New york, Free press. Berger, P. and Kellener, H. (1973) "The Homeless Mind : Modernization and Consciousness", New york Random House and Chodak, S. (1973) “Societical development : Five approches with conclusions from comparative analysis”, New york, oxford university press
59. Goode and Hatt,(1952)"Method in Social Research",mcgraw hill,social science
60. Gore, M.S. (1968) “Urbanization And Family Change”, Popular Prakashan, Bombay
61. गोयल, सुनील (2000)''नगरीय समाजशास्त्र की अवधारणा'', R.B.S.A. पब्लिशिंग हाउस, जयपुर
62. गुप्ता, शिवानी (2011), ''भारत में जाति व्यवस्था'', वंदना पब्लिकेशन, नई दिल्ली
63. Hatt Pollek and Riz;le, R.Albert (1961) "Cities and Society", Glunco free press

64. Hope, Tisdale (1970) "The Process of Urbanization in Cousins", Albert N. & Nagpaul, Hons (eds), "Urban Man And Society", “A Reader in Urban Sociology”, Alfred A.Koff, New york,
65. Hutter, M. (1981) "The Changing Family : Comparative Perspective", New york John wiley
66. Indra Deva and yogendra singh (1965) "Towards a Sociology of Culture in India", Rajkamal prakashan, Dehli,
67. Jaffrelot (1998) "The Sangh Parivar between Sanskritistion" and 'Social Engineering', in hansan and jaffrelot(eds) the b.j.p. and the compulsions of politics in India, Oxford university press, Dehli.
68. Jahoda, and Cook, (1976) "Research Methods in Social Relations", new york
69. जानसॅन,(1970)''समाजशास्त्र'', अनुवादक–योगेश अटल, कल्याणी पब्लिशर्स, लुधियाना,
70. Karvay Irawati (1953: 21) "Kinship Organization in India", Asia publishing house bombay
71. K.M. Panikkar, (1961) "Hindu Society at the Cross Roads, "3rd edition, Asia pub. house new york….
72. Koenig, S. (1965) "Sociology"an introduction to science of society”, barnes and noble, new york
73. Khan, S.H. (1968) "Changing Urban Family Patterns",Dacca college of social welfare and research centre
74. Kulshrestha, S.K. (2012) “Urban and Regional Planning in India” sage publication pvt. Ltd.
75. Krishna, Daya (1967) "Three Myths About Indian Philosophy", Quest 53,Spring
76. Kapadia, K.M. (1966) "Marriage and Family in India", Oxford University Press Bombay
77. Koos, E.L. (1958) "Marriage" New york,Holt Rinehart and winston, INC. Hill R. (1949) “Families under stress”, New york, Harpar collins publishers. Cavan, R.S. (1953) “The American family” New york crowell company. Stryker, S.C. (1959) “Symbolic Interaction as an approch to family” Research, marriage and family living, 21-111-19
78. Khan, S.H. (1968) "Changing Urban Family Patterns", Dacca college of social welfare and research centre
79. कारपेन्टर, जे. ई. (1926) ''मध्यकालीन भारत मे ईश्वरवाद'', लंदन पेज
80. कपिल, एफ. के. (1990) ''राजपुताना स्टेट 1817-1950” बुक टेजरए पेज–1, पुनः प्रकाशित जून 24 . 2011
81. काणे, पी.वी. (1973) ''धर्मशास्त्र का इतिहास'', भाग–4, लखनऊ
82. काफ्ट,मेरी वॉल्स्टन (1975) ''विडीकेशन ऑफ द साइट्स ऑफ वूमेन (महिला अधिकारों की प्रमाणिकता)''

83. कुमार, आलोक (2011) ''भारत में विवाह पद्धति एवं महिलाओं की सामाजिक स्थिति'', इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर
84. कपूर, प्रमिला (1976) ''कामकाजी भारतीय नारी'', राजपाल एण्ड संस, दिल्ली
85. Leslie Geralad R.(1982) "The family in Social, Context" oxford university press london
86. Lahiri, S. (1972) "Preference for Sons Ideal Family Size : the Indian urban situation", Asia Southern | Asia | India
87. Lal, A.K. (1990) "The Urban Family, A study of Hindu Social Systam", concept publishing company
88. Lundberg, G.A. (1929) "Social Research" a study in methods of gathering, longmans, green and company
89. मुखर्जी, आर. एन. (2009) ''समाजशास्त्र का सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य'', विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली
90. Murray, John (1861) "Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society and Its Relation to Modern Ideas", London press.
91. Maclever & Page (1959) "Society", macmillan & co LTD london
92. Majumdar, R.C. (1963) "Caste in India", Oxford,pp-403-404
93. Mowrer, R. (1932) "The Family", University of Chicago press p-274-275
94. Mannheim, Karl (1997) "Man and Society in An Age of Reconstruction : Studies in Modern Social Structure" ,Re-printed by Routledge.
95. Maclver & Page (1961) "Society;an introductory analysis" New york, Holt, rinehart and winston,.
96. Majumdar, R.C. (1963) "Caste in India", Oxford, pp-403-404
97. Mowrer, R. (1932) "The Family", University of Chicago press
98. Mary Kellett, (2005) "How to Develop Children as Researchers : A Step by Step Guide to teaching the Research Process", Sage Publication, PP-47
99. Malik, U.P. (1981) "A Profile of India's Urbanization", Problem and policy, Issue (Edition), Gopal bhargva "Urban problems and policies, prospective" New Dehli
100. M.S.A. Rao(1991) "Reader in Urban Sociology", orient longman New Delhi, pp-
101. Medows & Medows (1965) Urbanism, Urbanization and Change, addition -wesley hardcover)
102. मुकर्जी, रवीन्द्र नाथ ''भारतीय समाज और संस्कृति'', विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली
103. मिश्रा, प्रीति (2005) ''हिन्दू महिलाओं के जीवन में धर्म का महत्व'', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली,

104. महाजन, संजीव ''भारत में नगरीय समाज'', अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली
105. Nels Anderson (1964)"Over Industrial Urban Civilization" New York :Asia Publishing House
106. Narain, Dhirendra (1975) "Explorations in The Family and Other Eassys", Hardcover.
107. Naik, R. (1979) "Some Structure Aspects of Urban Family", Bombay, somaliya publications
108. Nels, Anderson (1959) "The Urban Community", Sage publication,.
109. Nels,Anderson & K.Ishwaran (1965)"Urban Sociology",Asia publishing House
110. नारायण, प्रकाश (2009) ''दहेज प्रथा और महिलाए : हिंसा, उत्पीड़न एवं शोषण'', बुक एनक्लेव, जयपुर
111. Odum H. and Jocher K. (1929) "An Introduction to Social Research", p-229 Henry Holt and Company; First Edition edition
112. Orgburn (1964) "On Culture And Social change", University of Chicango press
113. Olson, D.H. & Mccubbin H.Larson,Muxen, M. and Wilson M.(1983) "Families What Makes Then Work", London, sage publications
114. Olson, D.H. & Mccubbin, H. Larson, Muxen, M. and Wilson M. (1983) "Families What Makes then Work", London, sage publications
115. Parsons T. (1943) "The Kinship System of The Contemporary United states", American Anthropologist, Indian polisInd, Bobbs-merrill college division, blackwell publishing, Vol-45,issue-1,pp-45,22-8
116. Parsons T. & Bales R. (1955) "Family Socialization and Interaction Process", Gelncoe free press.
117. Patel Tulsi (2005) "Family in India,structure and Practice Themes in Indian Sociology" Vol.-6, sage publication
118. Prabhu, P.N. (1963) "Hindu Social Organization; A Study in Social psycological and Ideological foundation", Popular Prakashan, Bombay .
119. Parson, T. and Bales, R. (1955) "Family Socialization and Interaction Process", Gelncoe free press.
120. Parsons, T. (1943) "The Kinship System of The Contemporary United States", American Anthropologist 45, 22-
121. Peter H, Mann, (1971) "Methods of Sociological Enquiry, oxford basil black well
122. Pearson, Karl (1892) "The Grammer of Science", cosimo inc.
123. पाण्ड़ेय, राजबली (1978) ''हिन्दू संस्कार'', चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी.

124. Ross, Aileen D. (1961) "The Hindu Family in Its Urban Settings", Oxford University Press, Toronto
125. Ronald Segal, (1971) "The Crisis of India", jaico publishing house.
126. Random House and Chodak, S. (1973) "Societical Development : Five Approches with Conclusions from Comparative Analysis" 'New york, Oxford university press
127. Rao, M.S.A. (1974) ,'Urban Sociology in India', Orient longman , New Delhi..
128. Ross, A.D. (1967) “The Hindu Family in its Urban Setting, University of Toronto Press
129. राव, बालकृष्ण ''राजस्थान के भ्रमण'' (2012), वांड्मय प्रकाशन, जयपुर,
130. राधाकृष्णन, (1961) ''हिन्दुओं का जीवन–दशर्न'', आक्सफोड प्रेस
131. ऋगवेद, 1/91/20; 10/85/36; 10/85/45 मनु, 9/29; रधुवंश, 1:1; पाणिनी; 4,1,133; याज्ञवल्क्य, 1,89
132. Sharma, Ravindra (2004) "Indian Society", Institution and change, Atlantic publishers Dehli,pp-99
133. Singer M. (1959) "Traditional India : Structure and change" American folklore society, bibliographical series .pp-7
134. Sprey J. (1979) "Confict Theory and The Study of Marriage and The Family in Wesley" R.burr. Rebun Hill F.Ivan nye and Ira.L.Reiss (eds.) "Contemporary Theories about family" vol.2 New york free press
135. Simel, J.(1965) "The Metropolis and Mental Life", Cities and Society " free press of Glunco; Tonnis' "Fundamental concept of sociology" (trans) G.P.Lumis American book Com. New york, 1941, Dhurkheim" Elementry forms of Religious Life", Free press.1947
136. Shah, A.M. (1973) "The Household Dimension of The Family in India", orient longmen ltd.
137. Sinha, Raghuvir (1973) "Dynamic of Change in The Modern Hindu Family", Concept publishing Company
138. Sovani, N.V. (1966) "Urbanization and Urban India", Asia Publishing House
139. Sathi, Partha J. (1984) "Rural Population In Indian Urban Setting”, B.R. publishing Corporation Dehli.
140. Sharma, Ravindra k. (2004) "Indian Society Institution and Change", Atlantic publishers Dehli,
141. Sarkar, S.C. (1928) "Some Aspects of Earliest Social History of India", Humphrey milford ,Oxford university press.

142. Singer, M. (1959) "Traditional india : Structure and change" American folklore society, bibliographical series
143. Singhi, Narendra K. (2011) "Sociological Theories Interpretation And Explanation", Rawat publication, Jaipur ,
144. Sprey, J. (1979) "Confict Theory and the Study of Marriage and The Family in Wesley" R. burr. Rebun Hill F. Ivan nye and Ira. L. Reiss (eds.) "Contemporary theories about family" vol.2 New york free press.
145. Sazoberg, (1960) "Industrial City", Free press of Glunco.
146. Sinha, Raghuvir (1975) "Social Change in Indian Society", progress publishers, Bhopal
147. Shah, A.M. (1998) "The Family in India" critical essays ; Orient blackswan.
148. Stuart Chase, (1956) "The Proper Study of Mankind", new york
149. Sorokin, P.A. (C. Zimmerman and C.J. Galpin, "Systematic Source Book in Rural Sociology", University of Minnesota Press, Minneapolis, 1930-32, Vol.-II, p-41FF
150. सिंह, महेन्द्र नारायण (1987) ''नगरीय परिवेश और हिन्दू परिवार : बदलते प्रतिमान'', विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली
151. सिंह, जे पी (2005) ''आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन'', प्रिंटस हॉल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली
152. शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश (2013) ''ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र'', पंचशील प्रकाशन, जयपुर
153. शर्मा, राजेन्द्र (2003) ''नगरीय समाज'', अटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली
154. श्रीनिवास, एम एन (2009) ''आधुनिक भारत में सामाजिक परिर्वतन'', राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
155. स्वामी, आत्मानंद (1982) ''हिन्दु समाज समन्वय'', भारत आश्रम संघ, अहमदाबाद
156. शिल्स, ई (1961)''परम्परा व आधुनिकता के बीच बुद्धिजीवी भारतीय प्रस्थिति'',द हेग
157. सच्चिदानंद, स्वामी (1988) ''अधोगति मूल वर्ण व्यवस्था'', समन्वय प्रकाशन अहमदाबाद
158. शर्मा, राजेन्द्र कुमार (1996) ''नगरीय समाजशास्त्र'' एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली
159. शर्मा, प्रमोद कुमार (2010) ''परिवार और विवाह के बदलते प्रतिमान'' सिंघई पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, रायपुर (छ.ग.)
160. सिड़ाना, कुसुम (2011) ''महिला आर्थिक सशक्तीकरण'', यूनिवर्सिटी बुक बाउस, जयपुर
161. शर्मा, श्रीमती मन्जू (2008) ''कार्यशील महिलाओं का समाज में बदलता स्वरूप'', राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर
162. सिंह, मनोज कुमार (2009) ''भारत में सामाजिक परिवर्तन'', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

163. सिंह, जे पी (2005) ''आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन'', प्रिटंर्स हाल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, पेज 276
164. Turner, J.H. (1991) "The Structure of Sociological Theory Fifth edition" Belmant, j. New Functionalism today in G.Ritzer (eds) "Frontiess of social theroy", New york, Columbia University press, Ritzer, G. (1996) "Sociological Theory third eds" New york Mcgrew Hill INC
165. Thakur, Sudhir k.& Thakur Baleshwar (2007) "City Society and Planning", City Concept, Publicity Company, 2007
166. Thakur, Baleshwar George Pomeroy, Chris Chsack, Sudhir K. Thakur (2007) "City, Society and planning", Concept publishing co.
167. तिवारी, सुधाकर प्रसाद (1999) ''नगरीयता का सम्बोघ'' रावत पब्लिकेशंस, जयपुर
168. त्रिपाठी, शम्भूरत्न (1964) ''गांधी–धर्म और समाज'', **समाजशास्त्र,** संसद पी. रोड़, कानपुर
169. विवेकानन्द, स्वामी (1982) ''भारतीय नारी'', रामकृष्ण आश्रम, नागपुर, च.11
170. विद्यालंकार, सत्यकेतु (1997) ''समाजशास्त्र'', श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली
171. वेदालंकार, हरिदत्त, (1973) ''हिन्दू परिवार–मीमांसा'', सरस्वती सदन, दिल्ली
172. त्रिपाठी, शम्भू रत्न (1963) 'भारतीय समाज एवं संस्कृति', किताब घर, आचार्य नगर, कानपुर
173. Weber, Max (1958) "The City" Colleir book edition the free Glunco.
174. Westermarck Edward (1891) "The History of Human Marriage", Macmillan
175. Webster's New International Dictionary of English Language, 1956
176. Yang H.P. (1955) "Fact Findings with Rural People, Columbia University Press, International Documents Service, 290 Broadway, New York.
177. Zimmer, Heinrich (2008) "Philosophy of India", routledge publisher
178. Zaidi, S.M.H. (1976) "Decision Making in Family Life", Lahore, Training research and evolution centre
179. Zimmerman, C.C. (1947) "Family and Civilization", New York Harper and brothers. Ogburns, W.F.(1933) "The family its function in recent social trends "New York Mcgraw Hill INC. Ogburns, W.F. and Nimkoff, M.F. (1955) "Technology and the changing family bostan : Hongton-Miffin"

<u>Journals</u>

1. C.N.A.S. Journal (2001) july 188 vol.-28 no.2
2. Wirth Louis (1957), Urbanism as a way of Life American Journal of Sociology, 4 July 1938, Reprinted in Hatt and Rairs (ed.), Cities and Society, Newyork, Free Press of Wencoe
3. Shah, A.M. (1964) “Basic Terms of Concepts in the Study of Family in India” Indian Economic and Social History Recview, 1(3)
4. Kaplan, A. 1943 "Content Analysis and the Theory of signs", JSTOR CHICAGO journals
5. Hallen G. (1981) “Family Researcher in India, Approches towards theory building" , India journals of social research 22-1-57, Merton, R.K. (1957) "Role-Set problems in sociological theory british journal of sociological 8; 106-120
6. Shah, (1994) "Identity, Commual Conciousness and Politics", Economic and political weekly 29(19) may-7
7. Gold, H.A. (1961) "Sanskritilization And Westernization" economic weekly,vol.13,no.15, june 24, pp-947
8. Worth Loi (1938) "Urbanism as A Way of Life", American Journal of Sociology.
9. Desai, I. P. (1956) “The Joint Family in India—An Analysis Journal Article” *Sociological Bulletin* Vol. 5, No. 2 (September,), pp. 144-156
Published by:
Indian Sociological Society
10. Kapadia, K. M. (1956), "Rural Family Patterns : A Study in Urban-Rural Relations. *Sociological Bulletin*, Vol. 5, No. 2 (September,), pp. 111-126 Journal Article
11. Edwin, D. Driver (1962) “Family Structure and Socio-Economic Status in Central India” *Sociological Bulletin*, Vol. 11, No. 1/2, Decennial Celebrations Symposium (October 1961) (March and September), pp. 112-120 Published by: Indian Sociological Society Journal Article
12 Kashyap, Lina (2004) "The impact of Modernizatiion on Indian families", International journal for the advanced of counselling, Spring,Vol.-26,No.4 Dec.pp-341-350
13. Worth Loi (1938),'Urbanism as way of life', American Journal of Sociology,
14. C.N.A.S. journal (2001), july 188,vol.28, No.2
15. Sekhar, S. Chandra (1954) "The family in India Marriage and family living" vol.16, No.4 International Issue on the family, National Council on family Relations.
16. Shah (1994) "Identity, Commual Conciousness and politics", Economic and political weekly 29 (19) may7.

17. H.A.Gold (1961) "Sanskritilization And westernizatio" economic weekly, vol.13,no.15,june 24,

18. Kashyap, Lina (2004) "The impact of Modernizatiion on Indian families", International journal for the advanced of counselling,Spring,Vol.-26,No.4 Dec

19. Hallen, G. (1981) "Family Researches in India Approches towards theory building, India Journals of social research, 22-1-57. Merton, R.K. (1957) "Role-set : Problems in sociological theory british Journal of sociological 8, 106-120

20. गोडवाल, गौरव एवं व्यास, दिनेश (2011) ''नगरीकरण समकालीन परिप्रेक्ष्य'', R.S.A. Journal; Vol.3

21. Shah Ghanshyam (2002) "Hindutva and Hideousness, Economic and Political Weekly", Vol.37, No.15, April, 13-19-1391-1393

22. गौरे, मृणाल व कौशल, स्वराज ''रूप कंवर – एक मर्मान्तक त्रासदी'' 11 नवम्बर, धर्मयुग पत्रिका

23. बरधा आर मैत्री, 2012, 27-29-दिसम्बर गोडवाल गौरव (2010), ''महानगरीय परिसीमा अभिवृद्धि का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

24. भारतकोष, (2014, अप्रैल 20)

Govt Publication

1. Govt Of lndia, Census (1951,1961 and 1971,2011), Directorate of Census operations, Delhi.

2. Govt Of lndia, Census, (1981), General population tables, series 28, part II A & B, Directorate of Census operations, Delhi.

3. Govt Of lndia, Census , (1991), General population tables, series 1, part II B (i) vol. 1, Directorate of Census· operations, Delhi.

4. Census of lndia, (1971, 1981 and 1991), District Census Handbook of Delhi, Village and Town Directory, Directorate of Census operations, Delhi.

5. Rajasthan Urban Population-2001

6. India,Information and Telecast Ministry, 2006, Govt. of India, publication Department, New Dehli

7. United Nations population Division world Urbanization prospects, The 2001 Revision 2002, United Nation publication

8. Source www.rajcencus.gov.in/PCA-FINAL DATA/ PLA-2011-H IGHLIGHTS.PD.F.

9. District Profile kota 2011
10. State Primary Census Abstract, 2011, State Govt. of Raj. India, raj.gov.in. Official website of Govt. of Raj
11. Cencus of India gov in/ceacus–Data 2001/cencus–data-finder/c-series/ population-by Religious-communities ltm
12. World Heritage Centre, 1992-2014 United Nation
13. www.Rajcencus.gov.in /PLA-FINAL-DATA/PCA-2011 Highlights- Ref

Thesis

1. गोडवाल, गौरव (2010)''महानगरीय परिसीमा अभिवृद्धि का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' (Thesis), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
2. Iqbal, Mussarat (1998) "The Impact of Urbanization on structure and function of urban family in pakisthan", University of Karachi, thesis Karachi.

News Papers

1. Danik Jagran (Sep 1Oth 1998), Increasing Jhuggies in Delhi, p.1
2. The Hindustan Times, New Delhi (June 2nd 1999), Central Grotmd Water Authority, RoofTop
3. The Times of India, New Delhi (Jan.6th 2001). At 90, Delhi is a doddering capital, p.l.
4. Rajasthan patrika
5. प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिक लेख, भारत में शहरी अधोरचना प्रोन्नयन, अक्टूबर, 2010

other sources :-

1. Vikas, Saharan (2012) "Urbanization: The Way Ahead", J.N.U. Delhi/ Souvenir and book of Abstract, 38th All India Sociological conference I.S.S. MLSU, Udaipur, Dec. 27,29,2012,

वैयक्तिक अध्ययन

वैयक्तिक अध्ययन

वैयक्तिक अध्ययन सामाजिक अनुसंधानकर्त्ता को तीव्र एवं सूक्ष्म अर्न्दृष्टि प्रदान करके ईकाई का गहन या विस्तृत अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है । गुणात्मक अध्ययन हेतु वैयक्तिक अध्ययन पद्वति का प्रयोग किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के सम्बन्ध में गहन जानकारी प्राप्त की जाती है ।

प्रस्तुत शोध में कुछ व्यक्तिगत अध्ययन कार्य भी किए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं :–

वैयक्तिक अध्ययन :–1

शहर कोटा के प्रेम नगर निवासी गोपाल राठौर को वैयक्तिक अध्ययन की ईकाई बनाकर अध्ययन किया गया। व्यक्तित्व अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में गोपाल राठौर से गहन व गुणात्मक तथ्य प्राप्त करने हेतु प्रश्न किए गए । गोपाल राठौर (उम्र 40 वर्ष) जो, पहले गाँव में निवास करते थे एवं मजदूरी करके अपने परिवार का पालन–पोषण करता थे, अब वह प्रेम नगर आवासीय योजना द्वारा बनाए गए फ्लेट में निवास कर रहे है जहाँ उनको जीवन उपयोगी समस्त सुविधाएँ प्राप्त है । प्रश्नोत्तर के क्रम में उन्होने बताया कि गाँव में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से उन्होने शहर की ओर पलायन किया । यहाँ हाल–ही में निम्न परिवारों हेतु प्रेम नगर आवासीय योजना प्रारम्भ की गई थी जहाँ कम कीमत पर फ्लेट खरीदे जा सकते हैं । इसी आधार पर उन्होने गाँव से शहर की ओर अपनी पत्नि एवं बच्चों सहित पलायन किया । गाँव से शहर आने का एक अन्य कारण बच्चों की शिक्षा भी था ।

उन्होने बताया कि गाँव से शहर में आने के बाद उसने यहाँ ऑटो चलाना प्रारम्भ कर दिया है और बच्चों को यहाँ के प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला दिया है । जो अभी तो हिन्दी मिडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के पश्चात् वह उन्हें अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में रखेगें । वह पूर्णतः हिन्दू धार्मिक विचारधारा से ओत–प्रोत है एवं अपने ऑटो में हनुमान जी की मूर्ति भी लगा रखी है । पूछे जाने पर उन्होने बताया कि ऑटो आजीविका पालन का साधन होने के कारण एवं शुभ कार्य हेतु उन्होने उसमें भगवान की एक छोटी–सी प्रतिमा लगा रखी है । उनके भविष्य के बारे में पूछने पर उन्होने बताया कि आगे उनकी कार खरीदने की योजना है जो उनकी स्वयं की होगी और टेक्सी आदि व्यवसायिक कार्य करेगें । उसके अनुसार अब उनका जीवन पहले से अधिक सरल एवं सुविधाजनक हो गया है तथा अबवह ओर अधिक उच्च जीवनशैली की कल्पना करने लगे है ।

वैयक्ति अध्ययन–2

व्यक्ति विशेष के अध्ययन के शहर कोटा के रंगबाड़ी क्षेत्र में निवासी महिला शशिकांता को वैयक्तिक अध्ययन की ईकाई बनाकर अध्ययन किया गया। जिनकी उम्र 36 वर्ष है, वह रंगबाड़ी स्थित न्यू मेडिकल कॉलेज हास्पिटल में स्टाफ नर्स की सरकारी सेवा में कार्यरत है जो एक तलाकशुदा महिला है । शोधार्थी की मुलाकात शशिकांता से उनके कार्यस्थल न्यू मेडिकल हॉस्पिटल में ही हुई । अवकाश के समय में प्रश्नोत्तर के क्रम में उन्होंने बताया कि वह पहले से ही शहर में निवास कर रही है किन्तु विकास की तीव्रता जैसी आज है वैसी पहले नहीं थी । वह साधारण जीवन को अधिक महत्वपूर्ण मानती है एवं सादा जीवन उच्च विचार को अपने जीवन का आधार मानती है । तलाक के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि शारीरिक असक्षमता के कारण उनका पति भी उनके साथ नहीं रहता है और अब समाज में वह अपने आपकी एक पहचान बनाना चाहती है । विस्तुता से पूछने पर उन्होंने बताया कि वह अब समाज को बिल्कुल दिखावापूर्ण व छलावा मानती है एवं अपने आपको एक सशक्त महिला के रूप में बनाना चाहती है ।

दैनिक कामकाज के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि वह स्वयं ही अपने सभी कार्य सम्पन्न करती हैं और शारीरिक असक्षमता को आड़े नहीं आने देती । पुनर्विवाह के सम्बन्ध में उसके शशिकांता के विचार पक्ष में हैं किन्तु पहले को स्वयं को एक सक्षम आर्थिक आधार प्रदान करने की पक्षधर है जिससे वह समाज को महिला सशक्तिकरण की मिसल दे सके । जाति–सूचक शब्दों पर वह बताती है कि जाति को समाप्त कर देना चाहिए एवं समानता की धारणा का विकास हो । वह अपनी जीवन–शैली से पूर्णतया संतुष्ट है । उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है एवं खुशहाल जीवन जीने हेतु प्रयासरत है ।

वैयक्तिक अध्ययनः– 3

व्यक्ति विशेष के अध्ययन के शहर कोटा के विवेकानन्द नगर निवासी हरिओर सनाढ़्य को वैयक्तिक अध्ययन की ईकाई बनाकर अध्ययन किया गया। जिनकी उम्र 45 वर्ष है । जीवन की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि का विवेचन करते हुए उन्होंने बताया कि वह पहले गाँव से शहर में रोजाना ठेकेदारी के कार्य हेतु आते थे लेकिन परिवार के खर्चों व उधारी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी, नगर में टीचर पद पर सरकारी सेवा में चयन होने के उपरांत से ही वह कोटा नगर में किराए से निवास करने लगे । धीरे–धीरे परिस्थितियाँ सुधरने लगी और आज उन्होंने स्वयं का मकान, कार व बच्चों का अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में दाखिला करा रखा है । उनके बच्चे की वेशभूषा किसी अभिनेता से कम नहीं लग रही थी एवं उनका घर शहर के अच्छे इलाके में स्थापित है ।

जन्मदिन पर या किसी विशेष अवसर के समय वह परिवार के साथ होटल या पार्टी में जाने लगे हैं एवं अवकाश के क्षण सामूहिक रूप से व्यक्तित करने लगे हैं व साथ–साथ सिनेमा व घर पर ही टी.वी. कार्यक्रम देखते हैं । गाँव की पृष्ठभूमि के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी गाँव में भी जमीन है जो उनके बड़े भाई जो वहीं निवास करते हैं, सम्भालते हैं एवं त्यौहारों, विवाह, तीज–त्यौहारों पर वह परिवार सहित गाँव में जाते हैं । परिवार के स्वरूप के बारे में उन्होंने बताया कि एकांकी परिवार में रहने से उनके खर्चों में कमी आई है एवं परिवार में एक खुलापन व नयी विचारधारा पनपी है ।

नगर में आने के बाद से ही परिवार के स्वास्थ्य में व जीवन–शैली में हुए परिवर्तनों को वह भविष्य हेतु सर्वोत्तम मानते हैं ।

<u>वैयक्तिक अध्ययनः– 4</u>

शोध में हिन्दू धार्मिक विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्तिक अध्ययन पण्डित मूरली मनोहर शर्मा से भी सम्बन्धित है । जिनकी उम्र 33 वर्ष है एवं कोटा नगर में नयापुरा के निवासी है । वह एक प्रख्यात पण्ड़ित है । नगर में आकर रहने के सम्बन्ध में पूछने पर उन्होंने बताया कि वह बच्चों की शिक्षा एवं धनोपार्जन हेतु गाँव से शहर में आकर बस गए हैं । प्रश्नोत्तरी का स्थान उनका पूजा–स्थल था जहाँ वह प्रतिदिन पूजा करने हेतु जाया करते हैं एवं यजमानों हेतु पूजा–पाठ, वाचन एवं यज्ञ आदि कार्य सम्पन्न करते हैं । उनको सभी हिन्दू विचारधाराओं एवं संस्कारों का भली–भांति ज्ञान है। परम्परागत व्यवसाय के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके पिताजी भी पहले पण्ड़ित का ही कार्य किया करते थे लेकि अबवह गाँव में ही निवास करते हैं एवं गाँव की जमीन–जायदाद सम्भालते हैं । पिताजी को साथ में रखने के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके पिताजी गाँव की स्वच्छंद हवा एवं वातावरण से अधिक प्रभावित हैं एवं अपने पैतृक निवास में ही रहने के इच्छुक है ।

आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में पूछे जाने पर पं. मूरली मनोहर शर्मा ने बताया कि पहले की तुलना में उनकी स्थिति नगर में आकर रहने से अच्छी हुई है एवं यहाँ धार्मिक विश्वासों का बोलबाला होने से लोग पूजा–पाठ व गृह शांति जैसे पाठ कराने में विश्वास रखते हैं जिससे उनकी अच्छी कमाई हो जाती है । उनकी वेशभूषा भी एक पण्ड़ित की तरह ही थी जो उन्हें धार्मिक पण्ड़ित प्रदर्शित कर रही थी ।

शहर में अपराधों के बढ़ने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि नगर में अपराध बढ़ने का एकमात्र कारा लालच व धन की तृष्णा है जिससे परिवार के लोगों में भी एकता नहीं दिखाई देती एवं परिवार टूट रहे हैं । भविष्य की योजना के बारे में पूछे जाने पर बताया कि वह अपने पर परम्परागत व्यवसाय को ही आगे बढ़ाने के इच्छुक है ।

वैयक्तिक अध्ययनः– 5

व्यक्ति विशेष के अध्ययन के शहर कोटा के श्रीनाथपुरम क्षेत्र को वैयक्तिक अध्ययन की ईकाई बनाकर एक अन्य व्यक्तित्व का अध्ययन किया नाम मुन्ना उम्र 35 वर्ष है अध्ययन किया गया। अपने कस्बे से पलायन के उपरांत उनका नाम नगर में मुन्ना के नाम से जाने जाना लगा । भूतपूर्व जानकारी के सम्बन्ध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वह पहले गाँव में मजदूरी का कार्य किया करते थे । धीरे–धीरे पारिवारिक आवश्यकताओं के चलते एवं नगर में कार्य मिल जाने से वह यहीं निवास करके रहने लग गए ।

व्यवसायिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि वह यहाँ नल रिपेयरिंग का कार्य किया करता था एवं एक ठेकेदार के निर्देशों पर कार्य किया करते था एवं किराए के घर में निवास किया करते थे । धीरे–धीरे परिवार की स्थिति अच्छी होने से अब उनके पास स्वयं के नल रिपेयरिंग करने वाले मजदूर हैं जो उसके निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं एवं उसके पास स्वंय की मोटर साईकिल है एवं स्वयं का एक पक्का मकान है । संयुक्त परिवार है । अब वह अपने परिवार के पालन–पोषण हेतु आगे अच्छी भविष्य की योजनाएँ बनाने में व्यस्त हैं । उनको अब गाँव में जाकर रहने में कोई महत्वकांक्षा नहीं है । वह अब नगर में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते है । उसकी पत्नि गृहणी है जो घर को सम्भालती है । महिला रोजगार से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाने पर उन्होने बताया कि वह महिला रोजगार का पक्षधर नहीं है, उनके यहाँ स्त्रियाँ पर्दे में ही रहती हैं जो बड़ों के प्रति सम्मान होता है । उसके अनुसार नगर में आकर रहने से उसका जीवन पुरी तरह से बदल गया है ।

शोध पत्र

अक्षर वार्ता
ISSN 2349-7521
Vol - XIII, Issue - VII, April 2017

नगरीय हिन्दू परिवारों में सामाजिक परिवर्तन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

अन्नु मीणा

शोधार्थी, कोटा विश्वविद्यालय,राजस्थान

वस्तुतः 'नगरीकरण' का अर्थ ग्रामीण कस्बाई क्षेत्र में किसी कारणवश नगर में विस्थापित होना मात्र नहीं होना चाहिए। मेरी दृष्टि से मात्र क्षेत्र परिवर्तन ही नगरीकरण का सीमित अर्थ समुचित प्रतीत नहीं होता। लुई वर्थ ने नगरीकरण के रूप में इस प्रकार परिभाषित किया है– 'नगरीय जीवन शैली में नगर को विशाल बनी आबादी के क्षेत्र के रूप में बताया गया है, जहाँ नगरीय लोगों में विशाल सामाजिक एवं व्यावहारिक प्रारूपों का जन्म होता है।' अतः नगर अपने पड़ौस के स्थानीय व ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी क्षेत्र परिधि में खींच लाते है।

सम्पूर्ण विश्व तीव्र नगरीकरण के दौर से गुजर रहा है। हिंदू परिवार भी इससे अछूते नहीं है। हिंदू परिवारों के स्वरूपों में वर्तमान में काफी परिवर्तन दिखाई देता है। समाज व्यवस्था में परिवर्तन के साथ ही भारतीय समाज की पारिवारिक हिंदू संगठनात्मक संरचना को भी प्रभावित किया है। प्राचीन हिंदू परिवार संयुक्त परिवार के रूप में कालान्तर तक रहते चले आये है। जहाँ समाज प्रमुख ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में निवास करते थें। यहीं वर्णव्यवस्था कालान्तर में जाति प्रथा के रूप में परिवर्तित हो गई। अपनी-अपनी जाति के पुस्तैनी धन्धों में सब परिवार व्यस्त थे और वे पुश्तैनी धन्धें बरसों तक परम्परा से प्रचलित रहे। इस कारण भी जाति प्रथा अधिक दृढ़ होती गई और यह प्रथा बरसों तक अपरिवर्तनीय, लेकिन वर्तमान में धीरे-धीरे पुस्तैनी परम्पराओं का स्वरूप बदलता गया। अनेक नये-नये उद्योग धन्धों की स्थापना हुई, जिससे वर्तमान परम्परागत पुस्तैनी धन्धों का स्वरूप बदलता गया।

नगरीय क्षेत्रों में नगरों का जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो गई, ज्योंकि उद्योग धन्धों के विस्तार के कारण नगरों की जनसंख्या बढ़ती गईं। रोजगार की संभावनाएँ भी इसी कारण बढ़ती गई। इस कारण नगरों की ओर लोग अधिक आकर्षित हो गयें।

निरन्तर रोजगार की उपलब्धता के कारण लोग नगरों की ओर अग्रसर होते गये और भी नगरों की संख्या में वृद्धि होने के भी अनेक कारक हैं। नगरों की चकाचौंध व्यक्ति को वहाँ रहने व उच्च जीवनशैली अपनाने को प्रेरित करते हैं। नगरों में इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाओं के कारण भी लोग नगरों की ओर जा रहे हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा व्यवस्था, समुचित स्वास्थ्य सुविधाएँ, रोजगार की तुरन्त उपलब्धता भी नगरी की ओर आकर्षण के जबरदस्त कारण बन गये हैं।

प्राचीन क्षेत्रों में 70 प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं, किन्तु निरन्तर परिवारों का पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजन होता गया, जिससे कृषि जोतों का क्षेत्र सिकुड़ता गया। किसी समय 100 एकड़ कृषि का मालिक, पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजन के कारण तीसरी और चौथी पीढ़ी से कृषि जोत सिमट कर चले गये। फलतः कृषि जीवी लोग कृषि कार्य को त्यागकर अन्य उद्योगों की ओर, अन्य रोजगार की ओर मुड़ने लगे।

अक्सर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रोजगार का स्थायी रोजगार के स्थान पर वे आसपास के क्षेत्रों में कृषि मजदूरी करने हेतु साल के 6 माह के लिए पलायन करते हैं। भवन और सड़क बनाने के काम में भी मजदूरो का भारी पलायन देखा जाता है। ये जनजाति के लोग आमतौर पर कृषि कार्य में मजदूरी करने हेतु अन्यत्र जाते हैं और बारिश के पहले कृषि कार्य हेतु वापस आ जाते हैं। नगर में विस्थापित होने के अनेक कारण प्रतीत होते हैं– जिनमें मुख्य रूप से शिक्षा और रोजगार ही नगरीयकरण का महत्वपूर्ण तथ्य है।

कुछ लोग बेहतर आर्थिक स्थिति सम्पन्न उत्पन्न होने के कारण हुई हैं, संयुक्त परिवार के विघटन के कारण नगर मे विस्थापित परिवार का आकार छोटा हो गया। आवश्यकताएँ सीमित हो गई हैं जिस से नगरीकरण के स्वस्थ प्रभाव भी परिलक्षित हुए हैं।

हिन्दू परिवारों की सामाजिक संरचना :-

अधिकांश संयुक्त परिवार विघटित होकर एकाकी परिवारों में परिणित हो रहे हैं। इसके लिए सब से बड़ा कारण रोजगार की आवश्यकता को ही प्रतिपादित किया गया है, ज्योंकि एकाकी परिवार आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। वे संयुक्त परिवार में अपने विकास की संभावनाओं को क्षीण दृष्टि से देखते हैं।

नगरों में विस्थापित होने वाले परिवारों में करीब 40 प्रतिशत व्यक्ति पढ़े लिखे, शिक्षित, ग्रेज्युएट और पोस्टग्रेज्युएट तक पढ़े हैं अतः नगर में रोजगार सहजता में प्राप्त होने की संभावना हुई। अधिकांश शिक्षित हिंदू परिवार के लोगों का शिक्षा की ओर रुझान बढ़ा है। अतः शिक्षा की समुचित व्यवस्था और रोजगार की प्रबल संभावना ही नगरीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारण रहे हैं।

आर्थिक स्थिति को ठीक रखना और वर्तमान बुनियादी आवश्यकतों की पूर्ति करने हेतु आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना वर्तमान की आवश्यकता है। हिंदू परिवारों में नगरीकरण की प्रवृश्रियों के कारण कुछ बात सुखदायी हुई हैं, तो कुछ बात दुखदायी भी हुई है। यद्यपि

नगरीकरण के कारण संयुक्त परिवारों में विघटन हुआ है फ़िर भी पारिवारिक सज्बन्धों की घनिष्टतता पूर्ववत रही हैं। वहीं पर परिस्थितियों के कारण पारिवारिक सज्बन्धों की घनिष्टता कम हुई हैं। इसके अलावा नातेदारियों के सज्बन्ध में नातेदारियों में स्वस्थ सज्बन्ध बहुत कम हुए हैं। ज्योंकि परिवार व्यक्तिगत हितों को जहाँ महत्व देता है, वहाँ नातेदारियों की घनिष्टता कम हुई है। नगरीकरण के कारण परिवार अपनी सुविधाओं को ही अधिक महत्व देते हैं। नगरवासी परिवार अपने को अधिक स्वतंत्र महसूस करते हैं। संयुक्त परिवारों के प्रति चिन्ता कम होने से और संयुक्त परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों के प्रभावों का भी दबाव शिथिल हुआ है। अतः एकाकी परिवार अधिक स्वतंत्रता महसूस करते हैं।

एकाकी परिवार जो नगरी जीवन के अज्यस्त हो चुके हैं, उनकी दिनचर्या और मनोरंजन के साधनों में भी परिवर्तन आया है। आमतौर पर एकाकी परिवार टी.बी. का ही मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करते है। विवाह के मामलों में भी एकाकी परिवार के युवा सदस्य जाति बन्धन को विशेष महत्व नहीं रखते फ़िर भी अपनी ही जाति से वैवाहिक सज्बन्धों को अधिक महत्व देते हैं। एकाकी परिवार नगरीय सज्यता में रहने के कारण पूर्व की छुआछूत की धारणाओं को अपेक्षाकृत विशेष महत्व नहीं देते। शिक्षा के कारण भी जाति बन्धनों का महत्व कम होने लगा है। नगरों में राजनैतिक गतिविधियाँ आम सामाजिक जीवन को प्रभावित करने लगी हैं। शहर के नागरिक राजनैतिक दृष्टि से अधिक जागरूक प्रतीत होते हैं। खान-पान के मामलों में भी हिंदू परिवारों में जाति सज्बन्धों को बुरा नहीं मानते। हिंदू समाज में खान-पान के मामलों में कुछ शाकाहारी हैं और कुछ परज्परागत मांसाहारी हैं। कुछ लोग अपनी परज्परा के आधार पर ही शाकाहारी या मांसाहारी खान-पान को पसंद करते हैं।

नगरीय लोग शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हैं इस कारण वैयक्तिक पूजा पद्धति, धार्मिक विश्वास, आदि मामलों में धर्म के स्थान पर वैचारिक धारणाओं को अधिक महत्व नहीं देते। हिंदू परिवार के सदस्य पूजा-पाठ, व्रत-उपवास आदि के द्वारा अपने मूल निवास स्थान में पूजा को अधिक उचित मानते हैं। इस कारण विशिष्ट अवसरों पर एकाकी परिवार भी संयुक्त परिवारों के साथ ही संलग्न रहते हैं। यूं ही धार्मिक संस्कारों में दैनिक पूजा, व्रत उपवास और पूर्व परज्पराओं से प्राप्त धार्मिक विश्वासों के प्रति निष्ठावान रहने को ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अधिकांश नगरवासी हिंदू परिवार धर्म द्वारा व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण को स्वीकार करते हैं। यद्यपि आम हिंदू परिवार समय-समय पर मन्दिरों में जाते हैं। धार्मिक रीति-रिवाजों क पालन करते हैं। मन्दिर पूजा के प्रति हिंदू परिवारों में निरन्तरता की कमी परिलक्षित होती हैं। समयाभाव एवं व्यस्ततम जीवन शैली के कारण हिंदू परिवारों के नियमों एवं परज्परागत पूजा-प्रतिष्ठानों में कमी आई हैं।

हिंदू परिवारों में, जो एकाकी सदस्य हैं, मे महिलाओं की मानसिकता के काफ़ी परिवर्तन दिखाई देता है। नगर में रहने के कारण अधिकांश घरेलू महिलाएँ भी अपनी पारिवारिक जिज्मेदारियों को बखूबी समझती हैं और वे प्रायः अनेक जिज्मेदारियों को अपनी सूझबूझ से सज्पन्न करती हैं। इस दृष्टि से घरेलू व बाहरी कार्यों के प्रति महिलाओं सहयोगी की भावना ही दिखाई देती हैं। महिलाएँ बहुत सी जिज्मेदारियों का स्वनिर्णय से ही पूरा कर लेती हैं और हर समय उसे पुरुष के निर्णयों की बाँट नहीं देखना पड़ती। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पुरुष समाज में महिलाओं को बहुत से मामलों में काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त हुई हैं। अधिकांश शहरी महिलाएँ रोजगार को महत्व देती हैं, जिससे परिवार को भरपूर आर्थिक सहयोग प्राप्त हो। वह भी पुरुषों के साथ सहधर्मिता का व्यवहार करें, यही भाव महिलाओं में प्रबल दिखाई देता है।

इस प्रकार नगरीकरण के कारण परज्परागत मूल्यों में बदलाव दिखाई देता है। नगरीय भौतिक सुख-सुविधा व उपभोग की आवश्यकताओं की सहज आपूर्ति ने नगर के प्रति रुझान बढ़ाया है। नगर में व्यवसाय करने को भी अधिकांश लोगों को प्रेरित किया है। कुल मिलाकर नगरीकरण ने आपसी पारिवारिक सज्बन्धों को शिथिल बनाया है। उन्हें औपचारिक बना दिया है।

प्रमुख रूप से नगरीकरण की प्रवृश्रियाँ परज्परागत मूल्यों प्रतिमानों व आदर्शों को विविधता से प्रभावित कर रही हैं तथा हिंदू संयुक्त परिवार परिवर्तित होकर एकाकी परिवारों में तज्दील हो रहे हैं। इन परिवर्तनों से ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे भविष्य में संयुक्त परिवार का अस्तित्व ही समाप्त होने की कगार पर पहुँच गया है। हिंदू समाज में परज्परागत सांस्कृतिक मूल्यों में तेजी से परिवर्तन आ रहा हैं, जिसमें व्यक्तिवादिता के चलते भौतिकवादी, भोगवादी संस्कृति समूल भारतीय समाज की अस्तित्वगत, आस्था मूलक संस्कृति को विच्छिन्न करने पर उतारू है।

संदर्भ :-

1. चतुर्वेदी, सुषमा (2003) ''हिन्दू परिवारों के बदलते प्रतिमान'', ज्योति प्रकाशन, जयपुर
2. गोयल, सुनील (2000)''नगरीय समाजशास्त्र की अवधारणा'', आरबीएसए पज्लिशिंग हाउस, जयपुर
3. भार्गव, अरूणा (1996) ''ग्रामीण-नगरीय संरचना'', प्रिंटवेल ,जयपुर
4. सिंह, महेन्द्र नारायण (1987) ''नगरीय परिवेश और हिन्दू परिवार : बदलते प्रतिमान'', विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली
5. सिंह, जे पी (2005) ''आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन'', प्रिंटस हॉल ऑफइण्डिया, नई दिल्ली
6. शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश (2013) ''ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र'', पंचशील प्रकाशन, जयपुर
7. शर्मा, राजेन्द्र (2003) ''नगरीय समाज'', अटलांटिक पज्लिशर्स, नई दिल्ली
8. श्रीनिवास, एम एन (2009) ''आधुनिक भारत में सामाजिक परिर्वतन'', राजकमल प्रकाशन, दिल्ली

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवन मूल्यों की शिक्षा एवं महिलाएं

नैतिक मूल्य हमारी भारतीय संस्कृतिक की पहचान है। परम्परागत रूप में मिले यह नैतिक मूल्य हमारे राष्ट्र की धरोहर भी है। किन्तु आधुनिक युग में यह बहुमूल्य नैतिक मूल्य गिरते जा रहे हैं। आज बड़ों के प्रति आदर–सम्मान, छोटों को प्रेम, रिश्तों की मधुरता जैसे सम्बन्ध दुनिया की चकाचौंध में सिमटते मोबाइल फोन, सोशल वेबसाइटस में आपसी मेल–मिलाप व सम्बन्धों की आज के युवा वर्ग यू–ट्यूब पर विडियों लगे हैं, वह किसी भी तरह समाज का चाहते है, किन्तु इस हेतु सुधार करने में कतराने लगे हैं। युवा वर्ग ही नही के चलते अपने बच्चों को जीवन के इन जिनकी उन्हें वर्तमान में बहुत से इस प्रकार के मूल्यों को अपनी सन्तान आवश्यकता है। क्योंकि एक माँ ही होती उचित–अनुचित की सही परख करना

जा रहे हैं। आज के युवा वर्ग इतना उलझकर रह गए हैं कि उन्हे मधुरता का भान तक नहीं रहा है। अपलोड करने में अधिक रूचि लेने घिनौना रूप समाज के समक्ष लाना किसी भी प्रकार की पहल करने से वे आधुनिक माता–पिता भी व्यस्तताओं नैतिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दे पाते, आवश्यकता है। विशेषकर माताओं के जेहन में उतारने की अत्यन्त है जो अपने बच्चों को सिखाती है।

राष्ट्रीय जीवन व नैतिक मूल्यों विचार गोष्ठियों का भी आयोजन होता देशवासियों के चरित्र एवं मर्यादाओं का नैतिक मूल्यों को माना गया है।

जैसे विषयों पर समय–समय पर कई रहा है। जिनमें देश की उन्नति व असली चेहरा हमारे राष्ट्रीय जीवन व

जीवन मूल्यों की शिक्षा एवं महिला सहभागिता

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता" जैसे उल्लेख नारी को ज्ञान एवं सम्पति का पुंज मानते हैं और जो समाज में नारी को एक प्रमुख स्थान प्रदान करते है। धर्मशास्त्रों में भी नर–नारी दोनों को समानता का दर्जा दिया गया है। जिनके अभाव में एक–दूसरे को अपूर्ण माना गया है। आज की नारी को आवश्यकता है महिला सशक्तिकरण एवं अपने जीवन में मूल्यों से परिपूर्ण शिक्षा की, जो एक स्त्री, माँ, बेटी, बहू की पूर्णता को सिद्ध करती है। ये मूल्य प्राचीन न रह जाएँ इस हेतु इन्हें आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में लाने की महती आवश्यकता है। वर्तमान में बदला कुछ नहीं है। किन्तु जीवन के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल गया है। आज तीव्रता से बढ़ती जिंदगी की भागदौड़ में नर–नारी अपने नैतिक मूल्यों को तिलांजली दे आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें नारी के लिए तो इन नैतिक मूल्यों को संरक्षित रखना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि विवाह के उपरान्त वह अपना निवास–स्थान त्यागकर अपने वैवाहिक निवास–स्थान में जाकर रहने लगती है, जहाँ उसके लिए सब नवीन होता है एवं उसे अपने नए परिवार के अनुरूप ही सब सीखना पड़ता है। परिवार का विस्तार एवं माँ के रूप में वहाँ स्त्री का ऊध्वारोहण होता है। मातृभाव से युक्त हो नारी वहाँ परिपूर्णता को प्राप्त करती है। माँ बनकर वह अपने पुत्र–पुत्री को जीवन–मूल्यों की शिक्षा देती है, किन्तु पुत्र–पुत्री समानता की धारणा के कारण वह पुत्री को जीवन के मूल्यों की वह शिक्षा नहीं दे पाती जो उसके भावी जीवन हेतु अत्यन्त आवश्यक होती है, जिससे नारी विलम्ब विवाह, रोजगार, उच्चशिक्षा के दायरे से बाहर कुछ नहीं सोच पाती है। बस यहीं जीवन–मूल्यों की शिक्षा का ह्रास हो जाता है। वर्तमान में युवा वर्ग से जीवन के नैतिक मूल्यों की बात करने पर इसे एक मजाक जैसा या समय की बर्बादी माना जाने लगा है।

जीवन मूल्यों पर चलकर ही किसी देश का चरित्र या समाज का निर्धारण होता है। सच्चाई, ईमानदारी, भ्रष्टाचारमुक्त जीवन जीना ही वर्तमान में नैतिक मूल्य है। हाँ! इन मूल्यों पर चलकर जीवन की राहें थोड़ी कठिन जरूर हो जाती है पर नामुमकिन नही, अन्त में सब सुखद ही होता है। नैतिक मूल्यों को निभाते हुए चलने वाला व्यक्ति कभी डर, संकोच एवं प्रतिस्पर्धा की भावना को लेकर नहीं चलता। वह विवेकशील एवं आत्मविश्वासी होता है एवं जीवन के पथ पर उसे सफलता की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार महिलाओं को स्वयं को सशक्त करते हुऐं मूल्यों को अपनाना होगा जो उसकी प्रगति के साथ–साथ जीवन के मूल्यों को भी यथावत् बना सकें। वर्तमान में हए ओर छल, कपट, भ्रष्टता का महौल है, जिसमें नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता महत्वपूर्ण हो जाती है।

अन्नु मीणा, रिसर्च स्कॉलर (पीएचडी)
डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्न्मेंट कॉलेज, कोटा
कोटा विश्वविद्यालय , कोटा

रिसर्च पेपर

Annu Meena
Research Scholar (Ph.D)
Department of Sociology
Govt. College Kota, University of Kota

बढ़ती नगरीय जनसंख्या एवं पर्यावरण सुरक्षा
(Increasing Urban Population And Enviourment Security)

पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक मानव है । मानव ने अपने परिश्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण से सवोच्य स्थान प्राप्त कर लिया है मानव की पर्यावरण में सवोच्य स्थिति के कई आयाम है । मानव की बढ़ती जनसंख्या के कारण मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन–वस्त्र स्वास्थ्य सुविधाऐं, आवास, जल आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है सीमित व घटते पर्यावरण के संसाधनों तथा निरतंर बढ़ती मानव जनसंख्या के बीच बढ़ती खाई के कारण सम्पूर्ण पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ रहा है इस कारण पर्यावरण के अध्ययन में मानव व पर्यावरण संबंधो का अध्ययन की विशेष भूमिका है ।

बढ़ती जनसंख्या ने माँगों को भी बढाया है और संसाधनों का दोहन प्रारम्भ हुआ जिससे कोयला ईधन, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से दोहन हुआ परिणामस्वरूप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया जो पर्यावरण को शुद्व बनाए रखते हुए मानव ने ही पर्यावरण में परिवर्तन ला दिया है । भौतिक संसाधनों के नित नए प्रयोगों ने संपूर्ण पर्यावरण को ही नष्ट कर दिया है ।

बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश में एक विकराल रूप लेती जा रही है । सरकारी कागजो में तो इस पर कार्य भी हो रहा होगा परन्तु समाधान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जिस कदर जनसंख्या बढ़ रही है उससे हमारे संसाधन कम होते जा रहे है ।

हरिशचन्द्र व्यास (1991) के अनुसार जनसंख्या विस्फोट प्राकृतिक संसाधनों के असंतुलित विदोहन को प्रोत्साहित करता है । प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से वायु, जल, मुद्रा, ध्वनि आदि प्रदूषण की समस्या पनपती है ।

किसी देश के जनसंख्या घनत्व को उस स्थान की जलवायु , वर्षा की मात्रा, भूमि की प्राकृतिक बनावट, भूमि की ऊपरी परत की परत की प्रकृति, आर्थिक विकास की सुरक्षा आदि कारक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते है । जलवायु किसी स्थान की मौसम की स्थिति को बतलाती हे कि कोई स्थान शुष्क है या आर्द्र है ।

जलवायु परिवर्तन का कारण है कि प्राचीन समय में हमारी जीवन शैली व रहन सहन का स्तर बिल्कुल सही प्रकार से व्यवस्थित एवं संतुलित एवं जनसंख्या कम होने से आवश्यकताऐं भी कम थी हम संयमित संसाधनों में भी समुचित जीवन जी लेते थे किन्तु जलवायु परिवर्तित होने से पृथ्वी का तापमान में तीव्र गति से पविर्तन हुआ ।

परिवर्तन के अंर्तगत विभिन्न परिवर्तनों जैसे औद्योगिकरण, मशीनीकरण, नगरीकरण, संसाधनों का दोहन के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं ने पैर पसारे । बढ़ती जनसंख्या की रोजगार की समस्या दूर करने के लिए जंगलों को खत्म करने के बाद बढ़ता औद्योगिकीकरण अब हमारे ग्रामों की ओर कदम बढ़ा रहा हे जिससे नगरों के साथ साथ गाँव की जलवायु भी प्रभावित हो रही है ।

आज संपूर्ण विश्व पर्यावरण के बढ़ते हुए प्रदूषण से होने वाले महाविनाश के खतरे के प्रति चितांग्रस्त है प्रदूषण के विषैले हाथ धरती की गहन गहराइयों से लेकर आकाश की अनन्त ऊँचाइयों तक पहुँच चुके है विकसित देशों में स्वच्छ पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत हो चुकी है सरकार और जनता दोनों मिलकर ऐसे उपाय अपनाने लगे है जिससे पर्यावरण में और अधिक प्रदूषण न फैले ।

विश्व में जनसंख्या वृद्धि :

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ो)
1850 ई.	100 करोड़
1930 ई.	200
1962 ई.	300
1975 ई.	406
1987 ई.	500

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ो)
1999 ई.	600
2001 ई.	613.7
2015 ई.	720.7
2025 ई.	781.8
2300 ई	900

* World Development Report 2002, Population Reference Burea U.S.A., 2001 P-2004

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि विश्व में तेज गति से जनसंख्या बढ़ी है विश्व में बढ़ती जनसंख्या मानव जीवन के लिए खतरा बनती जा रही है जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध पर्यावरण, जन स्वास्थ्य एवं विकास से है जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण निरक्षता व निर्धनता है आज जंगलों को काटा जा रहा है मैदानी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर नगर बसायें जा रहे है तथा उद्योग लगाए जा रहे है जिससे कर्षि योग्य भूमि कम होती जा रही है ।

मनीष श्रीवास्तव (2002) के अनुसार "भारत में निरंतर बढ़ती जनसंख्या का भार स्पष्टतः पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है ।"

भारत में बढ़ती नगरीय जनसंख्या

क्र.स.	जनसंख्या	संख्या	नगरीय जनसंख्या प्रतिशत	वृद्धि दर (1991–2001)
प्रथम	10,00,000 से अधिक	423	61.48	23.12
द्वितीय	50,000 – 99,999	498	12.30	43.45
तृतीय	20,000 – 49,999	1386	15.00	46.19
चतुर्थ	10,000 – 19,999	1560	8.08	32.94
पंचम	5000 – 9999	1057	2.85	41.49
षष्टम	5000 से कम	227	0.29	21.21

(स्त्रोत भारत 2006, सूचना प्रसारण मत्रांलय, भारत सरकार प्रकाशन विभाग)

उपयुक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि भारत में नगरीकरण के दौरान जनसंख्या वृद्धि की आवृति तीव्र गति से बढ़ी है ।

एक मार्च 2001 को भारत की जनसंख्या 1 अरब 2 करोड़ 80 लाख (53.21 करोड़ पुरूष और 49.64 करोड़ स्त्रियाँ) की भारत के पास 1357.90 लाख वर्ग किमी. भू–भाग है जो विश्व के कुल भू–भाग का मात्र 2.7 प्रतिशत है फिर भी भारत विश्व की 16.7 प्रतिशत आबादी का भार वहन करता है ।

दीप्ति शर्मा व महेन्द्र कुमार (2009) के अनुसार किसी भी देश की जनसंख्या का घनत्व, बनावट और गुण उस देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है उसकी प्रगति को निर्धारित करने में यह महत्वपूर्ण कारक है किसी भी देश की जनसंख्या वहाँ पर उपलब्ध साधनों की तुलना में संतुलित होनी चाहिए । अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि विस्फोट के लिए उत्तरदायी है ।

देश के बड़े महानगरों जिनमें मुख्यतः दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलोर, अहमदाबाद और हैदराबाद की जनसंख्या देखे तो 1971–81 के वर्षो में इन क्षेत्रों में तीव्रतम जनसंख्या वृद्धि हुई है और यह वृद्धि इतनी ज्यादा है कि पर्यावरणीय नीतियों का अध्ययन करना अनुकरणीय हो गया है ।

नगरीकरण और पर्यावरण प्रद्रूषण : –

आज विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हो रही है । 1950 में जहाँ नगरीय जनसंख्या मात्र 37.4 करोड़ थी । 1985 में वह बढ़कर 198.28 करोड़ हो गई ।

नगरीकरण की वृद्धि के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है । नगरीय जनसंख्या के वृद्धि के फलस्वरूप मलिन बस्तियों का विस्तार हो रहा है भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या 17.84 करोड़ तक पहुँच गई है जिसमें सबसे अधिक मलिन बस्तियों की संख्या मुम्बई में है ।

व्यक्ति अपने पर्यावरण का दास है उसकी प्राकृतिक परिस्थितियाँ आदि स्वच्छ है तो जीवन भी स्वच्छ तथा स्वास्थ्य वर्धक होगा। यदि वह दूषित प्राकृतिक पर्यावरण में निवास करता है तो उसे जीवन यापन में कठिनाई का सामना करना पडेगा । वास्तव में पर्यावरण को दूषित करना ही प्रदूषण है ।

सुनील गोयल (2000) के शब्दों में प्रदूषण एक ऐसी अवधारणा है जो प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करती है जो प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करती है और मानव जीवन की दूषित पर्यावरण में रहने के लिए विवश करती है ।

इस प्रकार प्रदूषण का अर्थ प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करना है वास्तव में प्रदूषण की समस्या से आज संपूर्ण विश्व चिन्तित है । औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया को जितना अधिक बल मिला उस गति से पर्यावरण संतुलन एवं सुधार की ओर किसी का ध्यान नहीं गया । औद्योगीकरण की प्रगति एवं सफलता की चकाचौध ने मानव–समाज की वृद्वि एवं विवेक पर पर्दा डाल दिया है और मानव समाज बिना सोचे विचारे इस औद्योगीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता रहा ।

पर्यावरण संरक्षण की अतंराष्ट्रीय संस्थाओं व कार्यक्रमों का भी उल्लेख है जिनमें –

– सयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम
– सयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक आयोग
– विश्व वन्य जीवन कोष
– संरक्षण मत्रालय तथा अन्य एजेन्सिया

सयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरणविद कार्यक्रम की शुरूवात सन् 1972 से हुई है । इन कार्यक्रमों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक कानून और विनियामक उपाय है कानूनों के अलावा राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति और पर्यावरण और विकास पर नीतिगत वक्तव्य 1992, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 1988, प्रदूषण नियत्रंण वक्तव्य 1992, और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 उल्लेखित है ।

पर्यावरण संरक्षण :–

पर्यावरण संरक्षण की ओर विश्व के पर्यावरणविदो का ध्यान 1972 में स्टाकहोम सम्मेलन में गया और शीघ्र ही उन्होने विश्व स्तर पर पर्यावरण असंतुलन, पर्यावरण ह्रास और पर्यावरण प्रदूषण एवं संसाधन विदोहन से हुए विनाश की ओर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है । पर्यावरण संरक्षण आज के युग की मांग है । स्वच्छ पर्यावरण ही जीवन को सुखी, संपन्न और आनन्दमय बनाता हे प्रत्येक नागरिक को ऊर्जा के संरक्षण, वन्य जीवन संरक्षण तथा देश की स्वच्छता और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु प्रयास करने चाहिए ।

देश में तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास के कई गुना बढ़ जाने के कारण पर्यावरण पर उससे पड़ने वाले दुष्प्रभावों का कम करने या रोकने के लिए पर्याप्त सुधारात्मक और सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए जाते है तो पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है । पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण दुष्प्रभाव को कम करने और लंबे समय तक जलवायु परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले ट्रेड को रोकने के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 का प्रयोग किया है । इस अधिसूचना में परियोजनाओं को उनकी प्रदूषण उत्पन्न संभाव्यता पर निर्भर करते हुए उन्हें 'क' और 'ख' श्रेणी में रखा गया है 'ख' श्रेणी की परियोजनाओं व क्रियाकलापों के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रधिकरण और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियाँ गठित की गई है ।

वर्तमान में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति तैयार करने की परम आवश्यकता है केन्द्र व राज्य में इसके पृथक–पृथक मंत्रालय है ।

बढ़ती नगरीय जनसंख्या एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु सुझाव –

1. परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कर उन्हें जन–जन में लोकप्रिय बनाना ।
2. बढ़ती नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय जनसंख्या नीति का निर्धारण करना ।
3. जनसंख्या वृद्वि के बढ़ते खतरों से समाज को अवगत कराकर जागरूक करना ।
4. पर्यावरणीय शिक्षा का प्रचार–प्रसार कर जनमानस को जाग्रत करना ।
5. पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली बिमारियों एवं उनके दुशप्रभावों से जनता को अवगत कराना ।
6. विभिन्न जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से बचाव के सुरक्षा के साधनों के प्रयोग करने की सलाह देना।
7. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना ।
8. उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषणकारी अवशिष्टों का समूचित उपचार एवं समापन करवाना ।
9. जंगलों की कटाई से होने वाली हानि व पर्यावरण संरक्षण के दायित्व का निर्वाह हेतु जनमानस तैयार करना ।
10. पर्यावरण नीति का सफल क्रियान्वयन करना ।

निरतंर हो रहे जनसंख्या विस्फोट, शहरीकरण और औद्योगीकरण की त्वरित गति, ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों तथा तेजी से हो रहे

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति के कारण पहले से ही पर्यावरण को काफी क्षति पहुँच चुकी है । इस समसया का तब तक समाधान नहीं हो सकता । जब तक सामूहिक विचारण, इच्छा शक्ति तथा प्रयास मौजूदा नहीं है इसके लिए अभिवृत्ति मूलक दबाव और अततः पर्यावरण को और अधिक पहुँचने वाली क्षति पर अंकुश लगाने के लिए जन जागरूकता और प्रतियोगिता आवश्यक है । पर्यावरणीय प्रबंधन और परीक्षण कार्यक्रमों का कारगर कार्यान्वयन शिक्षा, जागरूकता तथा संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण पर निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तरीके तथा ऐसा करने की आवश्यकता को समझे बिना, पर्यावरण के संरक्षण के कार्यक्रम को सक्रिय भागीदारी के लिए बहुत कम लोगों को अनुप्रेरित किया जा सकता है इस प्रकार से पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता का अत्यन्त महत्व है ।

पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन ने पर्यावरण संरक्षण चेतना के विस्तार में जनता की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया है । इस कार्यक्रम में जनता की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस कार्यक्रम में जनता की सहभागिता के लिए जगह–जगह पर्यावरण संरक्षण दलो का गठन किया जा रहा है ।

निष्कर्ष :::–

तब तक राष्ट्रीय एवं अनर्तराष्ट्रीय संस्थाऐं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आगे नहीं आएगी तक तक पर्यावरण संरक्षण की बात सोचना व्यर्थ जान पड़ता है । यद्यपि प्रारम्भ में हमारी सरकार इस विषय पर उदासीन थी और नही कोई विशेष कदम उठाए थे पर समय बीतने पर आने वाले सामाजिक कार्यकत्ताओं ने पर्यावरण संबधी सुधार के प्रति जागरूकता दिखाई और सरकार की नीतियों में सुधार का आग्रह किया। सरकार ने इस संबंध में कुछ कानूनी सशोधन किए नए कानून बनाए गए जिनका उल्लघन करने वालो को दंड, जेल या हर्जाने के नियम बनाए पर्यावरण सुधार संबधी हमारी राष्ट्रीय नीतियाँ स्पष्ट व्यवहार में लागू होनी चाहिए व सरकार किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए वनों को काटने या नष्ट की नीति नहीं अपनानी चाहिए।

इस प्रकार से पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण, मनुष्यों और पर्यावरण के बीच संबंधों के बारे में सभी स्तरों पर लोगों की समझ–बूझ बढ़ाने तथा पर्यावरण में सुधार और संरक्षण की क्षमताओं कौशलो के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की पर्यावरणीय संरक्षण के संबंध में महती आवश्यकता है ।

पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए प्रकृति तथा मानव का उचित समीकरण बहुत आवश्यक है हमारे वैदिक मंत्रों में उल्लेख है ।

ऊँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मेवा वशिष्यते ।।

अर्थात मानव अपनी इच्छाओ को वश में रखकर प्रकृति से उतना ही ग्रहण करे कि उसकी पूर्णता को क्षति न पहुँचे ।

संदर्भ ग्रंथ ::–

1. Kingsly Devis, "Population of India and Pakisthan", Estan University Press, PP-71
2. हरिशचन्द्र व्यास व कैलाश चन्द्र व्यास 1991 ''जनसंख्या विस्फोट और पर्यावरण'' P-69
3. महेन्द्र मिश्रा (2007), "जनसंख्या एवं पर्यावरण" ए.के. एन्टरप्राइजेज P-1
4. World Development Report, 2002 Population Reference Bureau, U.S.A. 2001, P.2004)
5. मनीष श्रीवास्तव (2002)''पर्यावरण और नई जनसंख्या नीति''यूनिर्वसिटी पब्लिकेशन,नई दिल्ली,Pg-1)
6. सुनील गोयल, नगरीय समाजशास्त्र(2000) R.B.S.A. Publishers Jaipur, Pg-113, 150, 157, 158
7. भारत 2006, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
8. दीप्ति शर्मा व महेन्द्र कुमार, 2009 "जनसंख्या एवं पर्यावरण" अर्जुन पब्लिशिंग हाउस दिल्ली च70
9. नई वेब दुनिया विशेष संदर्भ 08, विश्व पर्यावरण दिवस
10. भारत 2011, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
11. भारत 2009, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
12. उमेश कुमार दूबे (2010)''जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण विकास'' अर्जुन पब्लिकेशिंग हाउस, दिल्ली ,P-222)
13. संतोष मित्तल व मीनू अग्रवाल,(2004) "21वी सदी में पर्यावरण शिक्षा'' नवचेतना पब्लिकेशन्स, जयपुर, P-1)

साक्षात्कार अनुसूची

साक्षात्कार निर्देशिका

प्रस्तुत शोध जिसका विषय **'नगरीकरण एवं हिन्दु परिवार में सामाजिक परिवर्तन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'** है कोटा शहर के विशेष परिप्रेक्ष्य में है। शोध अध्ययन का उद्देश्य कोटा शहर में निवास करने वाले हिन्दु परिवारों में नगरीकरण के दौरान हुए सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना है नगरीय हिन्दु परिवारों में यह परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे है जो समाज का एक प्रमुख विषय होने के कारण अध्ययन योग्य है आपसे आशा की जाती है कि आप इस शोध कार्य के उद्देश्यों को पुरा करने में मुझे सहयोग प्रदान करेगे' आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पुर्णतया गुप्त रखी जाएगी एवं केवल शोध हेतु ही उपयोग में लायी जायेगी।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद

प्रार्थिनी

अन्नु मीणा
शोधार्थी
कोटा विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान

साक्षात्कार अनुसूची

क्रमांक............................ दिनांक.......................

....

➢ प्रश्नों के उत्तर भरने हेतु आवश्यक निर्देशः—कृपया पक्ष—विपक्ष वाले प्रश्नों में उत्तर देने के लिए पक्ष (✓) एवं विपक्ष (×) का निशान अंकित करे।

प्र.1. नाम .... जाति ....

प्र.2. आयु .... जन्म ....

प्र.3 लिंग— स्त्री / पुरूष

प्र.4. वैवाहिक स्थिति —विवाहित / अविवाहित / विधुर / तलाकशुदा / विधवा / अन्य ....

प्र.5. व्यवसाय— गैर सरकारी कार्य / सरकारी कार्य / उद्योग / अन्य ....

प्र.6. धर्म (पति / पत्नि)— हिन्दु / मुस्लिम / सिख / ईसाई / अन्य ....

प्र.7. पारिवारिक संरचना एवं संगठन :—

क्र.सं.	उत्तरदाता से संबंध	शिक्षा	व्यवसाय	आय	आयु
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

प्र.8. वार्षिक आय सीमाः ....

प्र.9. आप नगर में कब से निवास कर रहे है? जन्म से / ....

प्र.10. नगर में निवास करने एवं आकर बसने के क्या कारण रहे है?

शिक्षा / रोजगार / संचार साधन / विलासिता पूर्ण जीवन / उपरोक्त सभी

प्र.11. क्या शहर में आकर रहने से परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो कारण बताइये ....

प्र.12. क्या आपके परिवार के रिश्तेदार एवं संगे—संबंधी गांव में निवास करते है? हाँ / नहीं

प्र.13. आपके साथ गांव में परिवार के अन्य संबंधियों के कैसे सबंध है?

औपचारिक / अनोऔपचारिक / तटस्थ / कुछ खास नही

प्र.14. शहर में निवास करने से वैवाहिक एवं पारिवारिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

संबंध शिथिल हुये / सामजस्यपूर्ण / केवल दिखावा मात्र

प्र.15. क्या नगरीकरण से नगर में अपराध बढ़े है? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो नगर में अपराध बढ़ने के क्या कारण रहे?

टी.वी. / मद्यपान / गरीबी / बैरोजगारी / दुर्बल मानसिकता / गन्दी बस्तिया / उपरोक्त सभी

प्र16. क्या नगरों का विस्तार होना चाहिये? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो क्यों? सुविधापूर्ण बनाने के लिए / गतिशीलता के लिए / बेहतर भविष्य निर्माण के लिए

प्र.17. क्या गांव से आकर नगर में बसने के बाद से गांव से सम्पर्क टूट गया है?

हाँ / नहीं

प्र.18. क्या गाँव में आज भी संयुक्त परिवार पाए जाते है? हाँ / नहीं

a) यदि हाँ तो क्यों?— परम्परागत नियम / बाध्यता / एकता / सुरक्षा / उपरोक्त सभी

b) नहीं तो क्यों?— एकाकी सोच / अल्प आय / बटँवारा / नगरीकरण / उपरोक्त सभी

प्र.19 शहर में निवास करने से आपके पारिवारिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

सम्बंध शिथिल / सामंजस्यपूर्ण / दिखावा मात्र

प्र.20. क्या नगर मे आकर बसने से स्वास्थ्य सबधी समस्या बढी है हॉ / नहीं

a) यदि हाँ तो कारण ....

b) यदि नहीं तो कारण..

प्र.21 क्या आप परिवार सहित पारिवारिक उत्सव, त्यौहार या विवाह समारोह में गांव जाते है? हॉ / नहीं

हॉ, तो कौनसे ....

प्र.22 आपके बच्चों की शिक्षा का माध्यम क्या है? अंग्रेजी / हिन्दी

प्र.23 आप बच्चों को किस प्रकार के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में है? अंग्रेजी / हिन्दी

प्र.24 क्या आपके गांव में जमीन–जायदाद है? हॉ / नहीं

यदि हॉ तो आप उनका प्रयोग किस प्रकार करते है?

....

प्र.25 क्या आपका नगर में स्वयं का मकान है? हॉ / नहीं

नहीं तो मकान का प्रकार– किराए / आर्थिक स्थिति / अन्य कारण

प्र.26 आप नगर में निवास स्थान का चयन करते समय किन–किन विषयों को प्राथमिकता देते है?

....

.प्र.27 नगर में आपके मनोरंजन हेतु किन साधनों को अपनाते है?

....

प्र.28 क्या परिवार में अवकाश के समय सभी व्यक्ति साथ मिलकर समय व्यतीत करते हैं? हॉ / नहीं

a) हॉ तो किस प्रकार ....

b) नही तो किस प्रकार ....

प्र.29 क्या परिवार के घरेलु मामलों का हल परिवार में ही सुलझा लिया जाता है? हॉ/नहीं

a) हॉ तो किस प्रकार ....

b) नही तो किस प्रकार ....

प्र.30 आप किस प्रकार के भोजन को प्राथमिकता देते है ? शाकाहारी/मांसाहारी

प्र.31 क्या परिवार में बच्चे खाने में जंक फूड या फास्टफूड जैसे अल्पाहार को प्राथमिकता देते है? हॉ/नहीं

प्र.32 क्या परिवार में सप्ताह के अंत में या कभी–कभी बाहर (रेस्टोरेंट/हॉटल) से भी भोजन किया जाता है? हॉ/नहीं

a) यदि हॉ तो कारण ....

b) यदि नहीं तो कारण ....

प्र.33 क्या आप रोज मंदिर जाते है? हॉ/नहीं

हॉ तो कब.. ....

प्र.34 क्या आप मुहुर्त के आधार पर अपने कार्य का प्रारम्भ करते है? हॉ/नहीं

a) यदि हॉ तो कारण ....

b) यदि नहीं तो कारण ....

प्र.35. आपके अनुसार परिवार का कौनसा स्वरूप अधिक सही है?

एकाकी परिवार/संयुक्त परिवार

परिवार के स्वरूप के चयन का कारणः–

सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर/आर्थिक गतिशिलता/सही समाजीकरण/अधिक सुरक्षा/ जागरूकता/ उपरोक्त सभी

प्र.36. क्या नगरों में व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्व दिया जाता है? हाँ/नहीं

प्र.37. नगरों में पड़ौसी से आपके किस प्रकार के संबंध है?

आत्मीय/घनिष्ठ/औपचारिक /अनौपचारिक/तटस्थ

प्र.38. क्या आपत्ति के समय पड़ौसी वर्ग एक–दूसरे की सहायता करते है? हाँ /नहीं

a) यदि हॉ तो कारण ....

b) यदि नहीं तो कारण ....

प्र.39 क्या नगर मे रोजगार की विपुल सभावनाए है ? हॉ/नहीं

a) यदि हॉ तो किस प्रकार..

b) यदि नहीं तो किस प्रकार ....

प्र.40 क्या नगरीकरण पर्यावरण प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार है ? हॉ/नहीं

a) यदि हॉ तो किस प्रकार..

b) यदि नहीं तो किस प्रकार ....

प्र.41 क्या नगर मे आकर बसने से परिवार के विभिन्न खर्चो मे बढोतरी हुई है ? हॉ/नहीं

यदि हॉ तो सर्वाधिक खर्च किस मद पर हुए है ?

शिक्षा/ मनोरजन/ बचत/ घरेलु खर्च/ त्यौहार/ उपरोक्त सभी

प्र.42. क्या नगरों में परिवारों की किस प्रकार की समस्याऐं बढ़ी है? हाँ /नहीं

यदि हाँ तो कौनसी?

वृद्धावस्था/निवास/परिवार का टूटना/ बैरोजगारी/ वैवाहिक समस्या/ असुरक्षा/ अपराध/ बाल अपराध/ उपरोक्त सभी

प्र.43. आपके अनुसार विवाह का कौनसा प्रकार सही है?

परम्परागत/कोर्ट मैरिज/प्रेम विवाह/बिना विवाह के साथ रहना

प्र.44. क्या आपके परिवार में बच्चों को किसी भी जाति में विवाह की स्वीकृति है? हाँ /नहीं

यदि हाँ /नहीं तो क्यों...

प्र.45. क्या आप निम्न विश्वासों को मानते है?

ईश्वर वादी/ईष्टदेवता की उपासना/स्वर्ग–नरक/मूर्ति पूजा/ उपरोक्त सभी

प्र.46. क्या परिवार के बेहतर जीवन स्तर हेतु नगर में प्रवेश करने का विकल्प सर्वोत्तम है? हाँ /नहीं

प्र.47 नगर मे आकर बसने से परिवार के सदस्यो के कार्य व उत्तरदायित्वो पर क्या प्रभाव पडा है ?

बढे है/ कम हुए है/ पहले जैसे ही/ उपरोक्त सभी

प्र.48 क्या व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित रखने में धर्म एक उचित साधन है? हाँ /नहीं

प्र.49 आपके परिवार का परम्परागत व्यवसाय क्या रहा है ? जातिगत व्यवसाय/उघोग/कुर्षि कार्य/सरकारी नौकरी/गैर सरकारी नौकरी/ उपरोक्त सभी

प्र.50 आप अपने निवास स्थान का चुनाव अपने ही जातिगत समुदाय में करना चाहेंगे? हॉ/नहीं

यदि हॉ तो किन समुदाय में ....

प्र.51 आपके किन–किन जातिय समुदायों के साथ खान–पान के सम्बंध है?

....

प्र.52 क्या आप पारिवारिक त्यौहार या उत्सव के समय अपने जातिय विशेष के कुलदेवता या कुलदेवी के मंदिर जाते है? हॉ/नहीं

a) यदि हॉ तो कारण ....

b) यदि नहीं तो कारण ....

प्र.53 आप परिवार में विवाह हेतु किन साधनों को प्राथमिकता देते है?

वैवाहिक विज्ञापन/सगे संबंधी द्वारा/इन्टरनेट मेट्रीमोनियल/जातिय परिचय सम्मेलन/उपरोक्त सभी

प्र.54. आप किस भाषा का प्रयोग करते है? हिन्दी/अंगेंजी/हाड़ौति/अन्य

प्र.55. आपकी मातृभाषा क्या है? हिन्दी/हाड़ौति/अन्य

प्र.56. क्या नगरों की अपेक्षा गांव में जातिगत भेद अधिक पाये जाते है? हाँ /नहीं

a) यदि हाँ तो कोनसे–निम्नता/छुआछुत/विवाह निशेध/खान–पान निषेध/ उपरोक्त सभी

b) यदि नही ंतो कारण–गतिशीलता/शिक्षा/जागरूकता/सही समझ/प्रगति

प्र.57. क्या आपके अनुसार वर्तमान में जातिगत भेद समाप्त हो गये है? हाँ /नहीं

यदि हॉ तो कारण– गतिशीलता/समानता/शिक्षा/जागरूक सोच/एकता की भावना/ उपरोक्त सभी

प्र.58. आप वोट किस आधार पर देते है? पार्टी/जाति/धर्म/वर्ग/अन्य

यदि हाँ तो क्यों?..

....

प्र.59. क्या आप अपनी मित्र–मण्डली में सभी जाति के व्यक्तियों को सम्मिलित करते है? हाँ /नहीं

प्र.60. क्या आप निम्न धार्मिक संस्कार को मानते है?

मुत्युभोज/दान–दक्षिणा/दैनिक पुजा/तीर्थ यात्रा/ उपरोक्त सभी

प्र.61. क्या आप सहशिक्षा के पक्ष में है? हाँ /नहीं

a) यदि हॉ तो कारण ....

b) यदि नहीं तो कारण ....

प्र.62. क्या आप जाति व्यवस्था छुआछूत के समर्थक है? हाँ /नहीं

यदि हाँ तो क्यों कारण दें –

धर्म मान्य/धर्म भ्रष्ट/मोक्ष प्राप्ति बाधक /समाज का भय/ उपरोक्त सभी

प्र.63. आपके विचार में धार्मिक चन्दा लोग किस कारण से देते है?

धार्मिक भावना/प्रतिष्ठा/पीछा छुड़ाना/ जातिय/पंचायत का दबाव/ उपरोक्त सभी

प्र.64. विभिन्न हिन्दू संस्कारों का पालना करने का क्या कारण है?

उत्सव/मेल–जोल/धार्मिक नियम/परिवार मुखिया की सलाह/ बाध्यता/ उपरोक्त सभी

प्र.65. क्या नगर में आकर बसने के बाद से बच्चों को अधिक स्वतंत्रता मिली है। हाँ/नहीं

प्र.66 क्या परिवार में पुरूष के साथ–साथ महिला का भी रोजगार करना आवश्यक है? हॉ/नहीं

a) यदि हॉ तो कारण ....

b) यदि नहीं तो कारण ....

प्र.67 क्या आपके परिवार में महिलाओं को बाहर जाकर रोजगार करने की स्वतंत्रता है हॉ/नहीं

प्र.68 क्या गांव से बाहर में बसने के बाद महिलाओं पर लागू बंधन शिंथिल हुए है? हॉ/नहीं

a) यदि हॉ तो कारण ....

b) यदि नहीं तो कारण ....

प्र.69 क्या आपके परिवार की महिलाऐं परिवार के वयोवृद्ध व्यक्ति एवं पुरूषों से पर्दा एवं परहेज रखती है? हॉ/नहीं

यदि हॉ तो कारण ....

....

प्र.70 क्या नगर में महिलाओं की परम्परागत वेशभूशा में बदलाव आया है? हॉ/नहीं

a) यदि हॉ तो कारण ....

b) यदि नहीं तो कारण ....

प्र.71 क्या परिवार में लड़कियों को बाहर जाने से पूर्व परिवार की स्वीकृति लेनी होती है? हॉ/नहीं

a) यदि हॉ तो कारण ....

b) यदि नहीं तो कारण ....

प्र.72 क्या आप किसी क्लब या संस्था सदस्य है? हॉ/नहीं

यदि हॉ तो आपने संस्था का चुनाव किस आधार पर किया है?

जातिगत, / मित्र मण्डली, /अन्य

प्र.73 आप प्रतिदिन कौनसे पत्र पत्रिकाऐं पढ़ते है? अंगेंजी दैनिक पत्रिका/हिन्दी दैनिक पत्रिका

प्र.74. क्या आपके अनुसार विवाह के समय लडकी से उसकी इच्छा जानना आवश्यक है? हाँ/नहीं

a) यदि हॉ तो कारण ....

b) यदि नहीं तो कारण ....

प्र.75. आपके विवाह के समय किन की सहमति ली गई थी? स्वयं/परिवार/दोनो/अन्य

प्र.76. आपके अनुसार विवाह की कौनसी आयु सही है?

	15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	21 से 25 वर्ष	26 से अधिक
a) लड़का		....	....	....
b) लडकी		....	....	....

प्र.77. आपका विवाह किस आयु में हुआ था?

15 से कम/15 से 18 वर्ष/19 से 25 वर्ष/26 से अधिक

प्र.78. दहेज के बारे में आपके क्या विचार है? पक्ष/विपक्ष

किस प्रकार..

प्र.79 क्या आपने स्वयं के विवाह में दहेज लिया/दिया था? हाँ/नहीं

प्र.80. क्या विवाहोपरान्त स्त्री को निम्न स्वतंत्रताऐं दी जानी चाहिये?

स्वतंत्र विचरण/क्लब, सिनेमा/राजनीतिक पार्टी/शिक्षा/व्यवसाय/ उपरोक्त सभी

प्र.81. अपने लड़के या लड़की के जीवन साथी का चुनाव करते समय आप किन बातों पर विचार करेंगे।

गोत्र/जन्मकुंडली/परिवार/व्यवसाय/घर/ पंसद/ उपरोक्त सभी

प्र.82. क्या नगरों में कामकाजी महिलाऐं अपने कार्य स्थल में हिंसा का शिकार होती है? हाँ/नहीं

a) यदि हाँ तो किस प्रकार..

b) यदि नहीं तो किस प्रकार...

प्र.83. क्या हिन्दू सामाजिक मान्यताएं नारी की प्रगति में बाधक है? हाँ/नहीं

यदि हाँ तो किस प्रकार...

....

प्र.84. क्या बदलती हुई नगरीय प्रस्थिति में महिला की स्थिति बदली है? हाँ/नही

यदि हाँ तो किस प्रकार.. ......

प्र.85. क्या पिता की सम्पत्ति में पुत्री का अधिकार समान माना गया है, आपके विचार दें। हाँ/नही

यदि नही ंतो क्यो..... पुत्री पराया धन/जरूरत नहीं/संबंधों का टूटना/ उपरोक्त सभी

प्र.86. क्या परिवार में पुत्र का होना आवश्यक है? हाँ/नहीं

a) यदि हॉ तो कारण ....

b) यदि नहीं तो कारण ....

प्र.87. क्या धार्मिक रिति/रिवाजों व पुजा के समय पुत्र की उपस्थिति अनिवार्य है? हाँ/नहीं

a) यदि हॉ तो कारण ....

b) यदि नहीं तो कारण ....

प्र.88. क्या आपके परिवार में निर्णय निर्माण प्रक्रिया में अंतिम स्वीकृति घर के मुखिया या वयोवृद्ध व्यक्ति की होती है? हाँ/नहीं

प्र.89. क्या परिवार में महिलाओं को भी पुरूष के समान अधिकार प्राप्त है? हाँ/नहीं

प्र.90. क्या परिवार में पुरूष घर के कार्य में सहयोग करते है? हाँ/नहीं

सहयोग का प्रकार...

प्र.91. क्या विधवा पुर्नविवाह कानूनों का होना आवश्यक है? हाँ/नहीं

प्र.92 क्या नगरों में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े है? हाँ/नहीं

हाँ तो कोनसे? बलात्कार/घरेलु हिंसा/व्यवसायिक अपराध/राजनीतिक अपराध/ उपरोक्त सभी

प्र.93. क्या आपको सरकार द्वारा महिला अधिकार के पक्ष में बनाये विभिन्न कानूनों का ज्ञान है? हाँ/नहीं

हाँ तो किन क्षेत्रों में –सामाजिक/आर्थिक/धार्मिक/राजनैतिक/ उपरोक्त सभी

प्र.94. आपके परिवार की निर्णय निर्माण प्रक्रिया मे स्त्रियों की कितनी भागिदारी होती है?

पूर्णतया/ कुछ मामलो मे/ बिल्कुल नही

प्र.95 क्या आप हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 के बारे में जानते है? हाँ/नहीं

प्र.96 क्या आप घरेलु हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में जानते है? हाँ/नहीं

प्र.97 क्या सरकार द्वारा महिलाओ के पक्ष में बनाये गये कानूनों का औचित्य है? हाँ/नहीं